राजस्थान सेवा नियम
(Rajasthan Service Rules)

सम्पूर्ण दोनों खण्ड (पेन्शन नियमों सहित)

बुद्धपालचन्द भण्डारी
प्रधीक्षक
महालेखाकार कार्यालय, राजस्थान
एवम्
रणवीरसिंह गहलोत

यूनिक ट्रेडर्स, चौड़ा रास्ता, जयपुर-३

भाग 3

अध्याय ४

वेतन (Pay)

अध्याय ५

वेतन के अतिरिक्त अन्य भत्ते (Addition to Pay)

अध्याय ६

नियुक्तियों का समन्वय (Combination of appointments)

अध्याय ७

भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति

अध्याय ८

तगी, हटाना या निलम्बित करना (Dismissal, Removal & Suspension)

अध्याय ९

अनिवार्य सेवा निवृत्ति (Compulsory Retirement)

भाग ४

अध्याय १०

अवकाश (leave)

खण्ड २—अवकाश की स्वीकृति

अध्याय ११

अवकाश (Leave)

खण्ड १—सामान्य

खण्ड २—उपार्जित अवकाश आदि

खण्ड ३—विशेष असमर्थता अवकाश

६—पारिश्रमिक या दैनिक मजदूरी द्वारा पारिश्रमिक प्राप्त सेवा द्वारा उपार्जित अवकाश

अध्याय १२

सेवा में कार्य ग्रहण करने का समय (Joining Time)

भाग ५

अध्याय १३

विदेशीय सेवा (Foreign Service)

अध्याय १४

स्थानीय निधियों के अधीन सेवा

भाग ६

अध्याय १५

सेवा के अभिलेख (Records of Service)

भाग ७

अध्याय १६

शक्तियों का प्रदत्तीकरण (Deligations)

भाग ८

अध्याय १७

सामान्य नियम

खण्ड १—सामान्य

खण्ड २–वे मामले जिनमें मांगे (Claims) स्वीकार नहीं की जा सकती

अध्याय १८

योग्य सेवा की शर्तें (Conditions of qualifying service)

खण्ड १—योग्य सेवा की परिभाषायें

खण्ड २—पहली शर्त

खण्ड ३—दूसरी शर्त

सामान्य सिद्धान्त

अध्याय १६

खण्ड १—अवकाश एवं प्रशिक्षण की अवधियां

खण्ड २—सेवा में निलम्बन, त्याग पत्र, सेवा भंग एवं कमियां

अध्याय २०

पेंशन स्वीकृत करने की शर्तें

खण्ड १—पेन्शनों का वर्गीकरण

खण्ड २—क्षतिपूरक पेन्शनें (Compensation Pensions)

खण्ड ३—अयोग्य पेन्शनें

खण्ड ४ अधिवार्षिकी पेन्शन (Superannuation Pension)

अध्याय २१

पेंशनों की धनराशि(Amount of Pensions)

खण्ड १—सामान्य नियम

खन्ड २–पेन्शन के लिए गिने गए भत्ते

अध्याय २२

खण्ड १–पेन्शन

खण्ड २–मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति उपदान

(Death-Cum-Retirement Gratuity)

अध्याय २३

परिवार पेन्शन (Family Pension)

अध्याय २३ क.

नई परिवार पेंशन(New Family Pension)

अध्याय २३ ख. पेंशन सम्बन्धी लाभों के बदले पुरस्कार (अवार्ड)

अध्याय २४

असाधारण पेन्शनें(Extraordinary Pensions)

अध्याय २५

पेन्शन स्वीकार करने हेतु आवेदन पत्र

अनुभाग-१- सामान्य

अध्याय २६

पेन्शनों का भुगतान (Payment of Pensions)

अध्याय २७

पेंशन का रूपान्तरण (Commutation of Pension)

अध्याय २८

पेंशनरों की पुनर्नियुक्ति (Re-employment of Pensioners)

खंड १—सामान्य

खंड २—सिविल पेंशनर्स

खंड ३—मिलेट्री पेंशनर (Military Pensioner)

खंड ४—नई सेवा के लिए पेंशन (Pension for New Service

खंड ५—सेवा निवृत्ति के बाद व्यापारिक सेवा

— ❀ —

राजस्थान सेवा नियम

संविधान की धारा 309 के परन्तुक के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज प्रमुख ने, राजस्थान के काम काज के सम्बन्ध में राज्य पदों पर राज्य सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों के बारे में निम्नलिखित नियम बनाए हैं।

अध्याय १

लागू होने की सीमा (Extent of Application)

नियम 1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ—ये नियम 'राजस्थान सेवा नियम' कहलायेंगे। ये नियम 1 अप्रेल, 1951 से प्रभावशील समझे जायेंगे।

टिप्पणी—यदि कोई व्यक्ति 1-4-51 को अवकाश पर हो, तो ये नियम उस पर अवकाश से लौटने की तारीख से लागू होंगे।

नियम 2. लागू होने की सीमा—ये नियम निम्न व्यक्तियों पर लागू होंगे:—

(1) उन समस्त व्यक्तियों पर, जो 7 अप्रेल, 1949 को या उसके बाद राजस्थान सरकार के प्रशासनिक नियन्त्रण में या उसके कार्य के सम्बन्ध में पदों या सेवाओं पर राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हों।

(2) उन समस्त व्यक्तियों पर, जो 7 अप्रेल, 1949 को या उसके बाद में प्रसंविदान्तर्गत राज्यों की सेवाओं के एकीकरण के परिणामस्वरूप ऐसे पदों या सेवाओं पर नियुक्त किए गए हों।

+(3) उन समस्त व्यक्तियों पर जो राजस्थान सरकार द्वारा या प्रसंविदान्तर्गत राज्य की सरकार द्वारा, समझौते के आधार पर, ऐसे पदों पर या सेवाओं पर इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले ऐसे मामलों के सम्बन्ध में नियुक्त किये गये हों जो कि नियुक्ति हेतु उनकी संविदा में विशेष रूप से प्रावहित न किये हों।

परन्तु शर्त यह है कि खण्ड (2) में उल्लेख किये गये श्रेणी के व्यक्ति, इन नियमों के प्रारम्भ होने से या उक्त एकीकरण के परिणामस्वरूप उनकी नियुक्ति होने से दो माह के भीतर, इनमें से जो कोई बाद में हो उस तक, सेवा-निवृत्त (रिटायर) होने के लिये प्रार्थना पत्र देंगे तथा उन्हें पेन्शन या उपदान (ग्रेच्युटी) उन नियमों के अनुसार मिलेगा जो उस एकीकरण के प्रारम्भ होने या उनकी नियुक्ति के पूर्व में लागू थे।

परन्तु इसके साथ ये नियम निम्न पर लागू नहीं होंगे:—

(क) भारत सरकार या राजस्थान के अतिरिक्त भारत की किसी अन्य राज्य सरकार की ओर से प्रतिनियुक्ति (deputation) पर भेजे गये अधिकारीगणों पर, क्योंकि उन पर उनकी मूल नियुक्तियों के नियम ही लागू होंगे।

+ वित्त विभाग की अधिसूचना सं० एफ 1(104) वित्त वि./नियम 66 दि० 20-4-67 द्वारा संशोधित।

खंड २—सिविल पेंशनर्स

खंड ३—मिलेट्री पेंशनर (Military Pensioner)

खंड ४—नई सेवा के लिए पेंशन (Pension for New Service)

खंड ५—सेवा निवृत्ति के बाद व्यापारिक सेवा

—✿—

राजस्थान सेवा नियम

संविधान की धारा 309 के परन्तुक के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज प्रमुख ने, राजस्थान के काम काज के सम्बन्ध में राज्य पदों पर राज्य सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों के बारे में निम्नलिखित नियम बनाए हैं।

अध्याय १

लागू होने की सीमा (Extent of Application)

नियम 1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ—ये नियम 'राजस्थान सेवा नियम' कहलायेंगे। ये नियम 1 अप्रेल, 1951 से प्रभावशील समझे जायेंगे।

टिप्पणी—यदि कोई व्यक्ति 1-4-51 को अवकाश पर हो, तो ये नियम उस पर अवकाश से लौटने की तारीख से लागू होंगे।

नियम 2. लागू होने की सीमा—ये नियम निम्न व्यक्तियों पर लागू होंगे.—

(1) उन समस्त व्यक्तियों पर, जो 7 अप्रेल, 1949 को या उसके बाद राजस्थान सरकार के प्रशासनिक नियन्त्रण में या उसके कार्य के सम्बन्ध में पदों या सेवाओं पर राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हों।

(2) उन समस्त व्यक्तियों पर, जो 7 अप्रेल, 1949 को या उसके बाद में प्रसंविदान्तर्गत राज्यों की सेवाओं के एकीकरण के परिणामस्वरूप ऐसे पदों या सेवाओं पर नियुक्त किए गए हों।

+(3) उन समस्त व्यक्तियों पर जो राजस्थान सरकार द्वारा या प्रसंविदान्तर्गत राज्य की सरकार द्वारा, समझौते के आधार पर, ऐसे पदों पर या सेवाओं पर इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले ऐसे मामलों के सम्बन्ध में नियुक्त किये गये हों जो कि नियुक्ति हेतु उनको संविदा में विशेष रूप से प्रावहित न किये हों।

परन्तु शर्त यह है कि खण्ड (2) में उल्लेख किये गये श्रेणी के व्यक्ति, इन नियमों के प्रारम्भ होने से या उक्त एकीकरण के परिणामस्वरूप उनकी नियुक्ति होने से दो माह के भीतर, इनमें से जो कोई बाद में हो उस तक, सेवा-निवृत्त (रिटायर) होने के लिये प्रार्थना पत्र देंगे तथा उन्हें पेन्शन या उपदान (ग्रेच्युटी) उन नियमों के अनुसार मिलेगा जो उस एकीकरण के प्रारम्भ होने या उनकी नियुक्ति के पूर्व में लागू थे।

परन्तु इसके साथ ये नियम निम्न पर लागू नहीं होंगे:—

(क) भारत सरकार या राजस्थान के अतिरिक्त भारत की किसी अन्य राज्य सरकार की ओर से प्रतिनियुक्ति (deputation) पर लेते गये अधिकारीगणों पर, क्योंकि उन पर उनकी मूल नियुक्तियों के नियम ही लागू होंगे।

+ वित्त विभाग की अधिसूचना सं० एफ 1(104) वित्त वि./नियम 66 दि० 20-4-67 द्वारा संशोधित।

(ख) राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश।

(ग) राजस्थान उच्च न्यायालय के उन अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 238 के साथ पठित अनुच्छेद 229 के खण्ड (2) द्वारा बनाये गये नियमों से शासित होंगे; या

(घ) राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों पर, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 318 के अन्तर्गत बनाये गये नियमों से शासित होंगे।

(ङ.) अखिल भारतीय सेवाओं (All India Services) के सदस्यों पर केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये नियम ही लागू होंगे।

टिप्पणी—यदि एक ऐसा व्यक्ति जिस पर खण्ड (2) लागू होता हो और वह एकीकृत सेवा में अपनी नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में सरकार को एक अभ्यावेदन (रिप्रेजेन्टेशन) देता है, तो ऐसी दशा में उसके अभ्यावेदन (रिप्रेजेन्टेशन) के तय होने पर सरकार यह निर्देश दे सकती है कि परन्तुक में उल्लेख की गई दो माह की अवधि, उसके अभ्यावेदन के अन्तिम निर्णय की तारीख से लागू होनी चाहिये या ऐसी तारीख से लागू होनी चाहिये जिसे सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा तय करे।

आदेश—राजस्थान सेवा नियम 1 अप्रेल, 1951 से उच्च न्यायालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर भी लागू कर दिए गए हैं। इसका प्रसंग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 238 के साथ पठित अनुच्छेद 229 (2) से है।

निर्णय—इस विभाग के पत्र संख्या एफ 35 (8) आर 51 दिनांक 22-8-51 (नियम 2 के नीचे दी गई टिप्पणी) के साथ पठित, राजस्थान सेवा नियमों के नियम 2 के खण्ड (2) के व उद्धृत दिए गए परन्तुक के एवं के सम्बन्ध में कुछ सन्देह व्यक्त किए गए हैं। इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है तथा यह निर्णय लिया गया है कि खण्ड (2) में राज्य सरकार के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन या उसके काम काज से सम्बन्धित एक पद पर प्रावधिक (Provisional) नियुक्ति (या उस पद पर लगातार आधीन होना) भी शामिल है। इस पद पर नियुक्ति चाहे एकीकरण की तिथि के बाद एकीकरण के परिणाम स्वरूप हुई हो। चाहे ऐसा पद एकीकरण के कारण किसी विभाग या सेवा या अन्य प्रकार से नया सृजित (created) किया गया हो या चाहे राजस्थान के एकीकरण के पूर्व से ही चला आ रहा हो।

प्रावधान में बतलाया गया विकल्प (option) केवल निवृत्ति तक ही सीमित है। उसका सेवा नियमों के अन्य पहलुओं से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस प्रावधान का उपयोग राजस्थान सेवा नियमों के प्रारम्भ होने से दो माह के भीतर अथवा एकीकरण व्यवस्था में किसी पद, केडर या सेवा में मूल नियुक्ति से इसी समान अवधि के भीतर तक, जो भी बाद में हो, किया जा सकता है। यदि कोई राज्य कर्मचारी सेवा से निवृत्त होना चाहता हो तो उसको पेन्शन, क्षतिपूरक पेन्शन (Compensation pension) (या पेन्शन की तदनुरूप श्रेणी) के रूप में, उस पर पूर्व में लागू होने वाले नियमों के अनुसार, दी जाएगी;

निर्णय संख्या 2—वित्त विभाग के पत्र संख्या एफ 35 (2) आर/52 दिनांक 12 फरवरी, 1952 (राजस्थान सरकार का निर्णय संख्या 1) द्वारा राजस्थान सेवा नियमों के नियम 2 के खण्ड (2) और उसके अधीन दिए गए प्रावधान के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण किया गया है।

इससे वित्त विभाग के पत्र संख्या एफ 35 (8) आर/51 दिनांक 22-8-51 (नियम 2 के नीचे दी गई टिप्पणी) रद्द नहीं समझी जावेगी; यह टिप्पणी उन कर्मचारियों के सम्बन्ध में है जो एकीकृत सेवा में अपनी नियुक्ति के बारे में अभ्यावेदन (रिप्रेजेन्टेशन) पेश करते हैं।

निर्णय संख्या 3—राजस्थान सेवा नियमों के नियम 2 के खण्ड (2) के प्रावधान में बतलाए गए आप्शन के प्रयोग में और भी सन्देह व्यक्त किए गए हैं। मामले पर सरकार ने विचार किया है तथा यह निर्णय किया गया है कि उक्त प्रावधान, यह निश्चय करने के लिए बनाया गया है कि राजस्थान सेवा नियम उन सब पर आवश्यकीय रूप से लागू होंगे जो राज्य सेवाओं की एकीकृत व्यवस्था में स्थायी नियुक्ति को स्वीकार करते हैं। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों को मानने को तैयार नहीं हो तो वह प्रावधान (Provision) में दिये गये आप्सन का प्रयोग कर, सेवा से निवृत्त होने का पात्र हो सकेगा।

राजस्थान सेवा नियमों के प्रारम्भ होने से या एकीकरण व्यवस्था में मूल नियुक्ति होने से (इनमें से जो कोई भी बाद में हो उससे) दो माह की अवधि के भीतर प्रावधान में दिए आप्सन का प्रयोग किया जा सकता है। उपरोक्त अवतरण 1 के लिये, इसका तात्पर्य यह है कि जिन मामलों में मूल नियुक्ति (सबस्टान्टिव एपोइन्टमेण्ट) राजस्थान सेवा नियमों के चालू होने के पूर्व ही हो चुकी हो, उन मामलों में नियमों के जारी होने के बाद आप्सन देने की अवधि, केवल दो माह तक ही थी। अन्य मामलों में भी मूल नियुक्ति से दो माह की अवधि समाप्त होने के पूर्व इस आप्सन को कभी भी प्रयोग में लिया जा सकेगा। परन्तु यदि कोई राज्य कर्मचारी इन नियमों से अनुशासित नहीं होना चाहे तो उसके लिए स्थायी नियुक्ति होने से पूर्व भी सेवा से निवृत्त होने के आप्सन को प्रयोग में लाने में कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

यदि एक व्यक्ति एकीकृत व्यवस्था में अपनी नियुक्ति के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन (रिप्रेजेन्टेशन) पेश करना चाहे तो उसके लिए प्रावधान में बतलाई गई दो माह की अवधि, उसके अभ्यावेदन पर आखिरी फैसला होने की तारीख से गिनी जाएगी या ऐसी तिथि से गिनी जाएगी जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित करे। इसका उल्लेख वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ 35 (8) आर/51 दिनांक 22-8-51 (नियम 2 के नीचे दी गई टिप्पणी) में पहिले ही किया जा चुका है।

निर्णय संख्या 4—वित्त विभाग के मेमोरेन्डम संख्या एफ 35 (2) आर 52 दिनांक 12-2-52 (राजस्थान सरकार का निर्णय संख्या 1) में यह दिया हुआ है कि यदि कोई राज्य कर्मचारी, राजस्थान सेवा नियमों के नियम 2 के अनुसार सेवा से निवृत्त होने की इच्छा करता हो तो पेन्शन, क्षतिपूरक पेन्शन (या पेन्शन की तदनुकूल श्रेणी) के रूप में उस पर पूर्व में लागू होने वाले नियमों के अनुसार दी जाएगी। ऐसी ही परिस्थितियों में उन राज्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है जो पेन्शन के स्थान पर जोधपुर के अंशदायी भविष्य निधि नियमों (कान्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेन्ट फण्ड) से शासित होते हैं।

मामले पर विचार कर लिया गया है तथा यह निर्णय किया गया है कि ऐसे मामले अंशदायी भविष्य निधि (कान्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेन्ट फण्ड) नियमों के अनुसार निपटाएं जायेंगे। ये मामले स्थापन वर्ग (एस्टाब्लिशमेण्ट) में कटौती के कारण सेवा निवृत्ति या सेवामुक्ति (डिस्चार्ज) के मामलों के समान निपटाए जाएंगे।

(ख) राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश।

(ग) राजस्थान उच्च न्यायालय के उन अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 238 के साथ पठित अनुच्छेद 229 के खण्ड (2) द्वारा बनाये गये नियमों से शासित होंगे; या

(घ) राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों पर, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 318 के अन्तर्गत बनाये गये नियमों से शासित होंगे।

(ङ.) अखिल भारतीय सेवाओं (All India Services) के सदस्यों पर केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये नियम ही लागू होंगे।

टिप्पणी—यदि एक ऐसा व्यक्ति जिस पर खण्ड (2) लागू होता हो और वह एकीकृत सेवा में अपनी नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में सरकार को एक अभ्यावेदन (रिप्रेजेन्टेशन) देता है, तो ऐसी दशा में उसके अभ्यावेदन (रिप्रेजेन्टेशन) के तय होने पर सरकार यह निर्देश दे सकती है कि परन्तुक में उल्लेख की गई दो माह की अवधि, उसके अभ्यावेदन के अन्तिम निर्णय की तारीख से लागू होनी चाहिये या ऐसी तारीख से लागू होनी चाहिये जिसे सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा तय करे।

आदेश—राजस्थान सेवा नियम 1 अप्रेल, 1951 से उच्च न्यायालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर भी लागू कर दिए गए हैं। इसका प्रसंग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 238 के साथ पठित अनुच्छेद 229 (2) से है।

निर्णय—इस विभाग के पत्र संख्या एफ 35 (8) आर/51 दिनांक 22-8-51 (नियम 2 के नीचे दी गई टिप्पणी) के साथ पठित, राजस्थान सेवा नियमों के नियम 2 के खण्ड (2) के व तदधीन दिए गए परन्तुक के एवं के सम्बन्ध में कुछ सन्देह व्यक्त किए गए हैं। इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है तथा यह निर्णय किया गया है कि खण्ड (2) में राज्य सरकार के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन या उसके काम काज से सम्बन्धित एक पद पर प्राविधिक (Provisional) नियुक्ति (या उस पद पर लगातार आसीन होना) भी शामिल है। इस पद पर नियुक्ति चाहे एकीकरण की तिथि के बाद एकीकरण के परिणाम स्वरूप हुई हो। चाहे ऐसा पद एकीकरण के कारण किसी विभाग या सेवा या अन्य प्रकार से नया सृजित (created) किया गया हो या चाहे राजस्थान के एकीकरण के पूर्व से ही चला आ रहा हो।

प्रावधान में बतलाया गया विकल्प (option) सेवा निवृत्ति तक ही सीमित है। उसका सेवा नियमों के अन्य पहलुओं से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस आप्शन का उपयोग राजस्थान सेवा नियमों के प्रारम्भ होने से दो माह के भीतर अथवा एकीकरण व्यवस्था में किसी पद, केडर या सेवा में मूल नियुक्ति से इसी समान अवधि के भीतर तक, जो भी बाद में हो, किया जा सकता है। यदि कोई राज्य कर्मचारी सेवा से निवृत्त होना चाहता हो तो उसकी पेन्शन, क्षतिपूरक पेन्शन (Compensation pension) (या पेन्शन की तदनुरूप श्रेणी) के रूप में, उस पर पूर्व में लागू होने वाले नियमों के अनुसार, दी जाएगी;

निर्णय संख्या 2—वित्त विभाग के पत्र संख्या एफ 35 (2) आर/52 दिनांक 12 फरवरी, 1952 (राजस्थान सरकार का निर्णय संख्या 1) द्वारा राजस्थान सेवा नियमों के नियम 2 के खण्ड (2) और उसके अधीन दिए गए प्रावधान के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण किया गया है।

इससे वित्त विभाग के पत्र संख्या एफ 35 (8) आर/51 दिनांक 22-8-51 (नियम 2 के नीचे दी गई टिप्पणी) रद्द नहीं समझी जावेगी; यह टिप्पणी उन कर्मचारियों के सम्बन्ध में है जो एकीकृत सेवा में अपनी नियुक्ति के बारे में अभ्यावेदन (रिप्रेजेन्टेशन) पेश करते हैं।

निर्णय संख्या 3—राजस्थान सेवा नियमों के नियम 2 के खण्ड (2) के प्रावधान में बतलाए गए ग्राप्सन के प्रयोग में और भी सन्देह व्यक्त किए गए हैं। मामले पर सरकार ने विचार किया है तथा यह निर्णय किया गया है कि उक्त प्रावधान, यह निश्चय करने के लिए बनाया गया है कि राजस्थान सेवा नियम उन सब पर आवश्यकीय रूप से लागू होंगे जो राज्य सेवाओं की एकीकृत व्यवस्था मे स्थायी नियुक्ति को स्वीकार करते हैं। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों को मानने को तैयार नहीं हो तो वह प्रावधान (Provision) मे दिये गये आप्सन का प्रयोग कर, सेवा से निवृत्त होने का पात्र हो सकेगा।

राजस्थान सेवा नियमों के प्रारम्भ होने से या एकीकरण व्यवस्था में मूल नियुक्ति होने से (इनमें से जो कोई भी बाद मे हो उससे) दो माह की अवधि के भीतर प्रावधान मे दिए आप्सन का प्रयोग किया जा सकता है। उपरोक्त अवतरण 1 के लिये, इसका तात्पर्य यह है कि जिन मामलों में मूल नियुक्ति (सबस्टान्टिव एपोइन्टमैण्ट) राजस्थान सेवा नियमो के चालू होने के पूर्व ही हो चुकी हो, उन मामलों मे नियमों के जारी होने के बाद आप्सन देने की अवधि, केवल दो माह तक ही थी। अन्य मामलों में भी मूल नियुक्ति से दो माह की अवधि समाप्त होने के पूर्व इस आप्सन को कभी भी प्रयोग में लिया जा सकेगा। परन्तु यदि कोई राज्य कर्मचारी इन नियमों से अनुशासित नही होना चाहे तो उसके लिए स्थायी नियुक्ति होने से पूर्व भी सेवा से निवृत्त होने के आप्सन को प्रयोग में लाने में कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

यदि एक व्यक्ति एकीकृत व्यवस्था मे अपनी नियुक्ति के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन (रिप्रेजेन्टेशन) पेश करना चाहे तो उसके लिए प्रावधान में बतलाई गई दो माह की अवधि, उसके अभ्यावेदन पर आखिरी फैसला होने की तारीख से गिनी जाएगी या ऐसी तिथि से गिनी जाएगी जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित करे। इसका उल्लेख वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ 35 (8) आर/51 दिनांक 22-8-51 (नियम 2 के नीचे दी गई टिप्पणी) मे पहिले ही किया जा चुका है।

निर्णय संख्या 4—वित्त विभाग के मेमोरेन्डम संख्या एफ 35 (2) आर 52 दिनांक 12-2-52 (राजस्थान सरकार का निर्णय सख्या 1) में यह दिया हुआ है कि यदि कोई राज्य कर्मचारी, राजस्थान सेवा नियमों के नियम 2 के अनुसार सेवा से निवृत्त होने की इच्छा करता हो तो पेन्शन, क्षतिपूरक पेन्शन (या पेन्शन की तदनुकूल श्रेणी) के रूप में उस पर पूर्व मे लागू होने वाले नियमों के अनुसार दी जाएगी। ऐसी ही परिस्थितियों में उन राज्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है जो पेन्शन के स्थान पर जोधपुर के अंशदायी भविष्य निधि नियमों (कान्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेन्ट फण्ड) से शासित होते हैं।

मामले पर विचार कर लिया गया है तथा यह निर्णय किया गया है कि ऐसे मामले अंशदायी भविष्य निधि (कान्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेन्ट फण्ड) नियमों के अनुसार निपटाएं जायेंगे। ये मामले स्थापन वर्ग (एस्टाब्लिशमेंट) में कटौती के कारण सेवा निवृत्ति या सेवामुक्ति (डिस्चार्ज) के मामलों के समान निपटाए जाएंगे।

(ख) राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश।

(ग) राजस्थान उच्च न्यायालय के उन अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 238 के साथ पठित अनुच्छेद 229 के खण्ड (2) द्वारा बनाये गये नियमों से शासित होंगे; या

(घ) राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों पर, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 318 के अन्तर्गत बनाये गये नियमों से शासित होंगे।

(ङ) अखिल भारतीय सेवाओं (All India Services) के सदस्यों पर केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये नियम ही लागू होंगे।

टिप्पणी—यदि एक ऐसा व्यक्ति जिस पर खण्ड (2) लागू होता हो और वह एकीकृत सेवा में अपनी नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में सरकार को एक अभ्यावेदन (रिप्रेजेन्टेशन) देता है, तो ऐसी दशा में उसके अभ्यावेदन (रिप्रेजेन्टेशन) के तय होने पर सरकार यह निर्देश दे सकती है कि परन्तुक में उल्लेख की गई दो माह की अवधि, उसके अभ्यावेदन के अन्तिम निर्णय की तारीख से लागू होनी चाहिये या ऐसी तारीख से लागू होनी चाहिये जिसे सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा तय करे।

आदेश—राजस्थान सेवा नियम 1 अप्रेल, 1951 से उच्च न्यायालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर भी लागू कर दिए गए हैं। इसका प्रसंग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 238 के साथ पठित अनुच्छेद 229 (2) से है।

निर्णय—इस विभाग के पत्र संख्या एफ 35 (8) आर/51 दिनांक 22-8-51 (नियम 2 के नीचे दी गई टिप्पणी) के साथ पठित, राजस्थान सेवा नियमों के नियम 2 के खण्ड (2) के व तद्धीन दिए गए परन्तुक के एवं के सम्बन्ध में कुछ सन्देह व्यक्त किए गए हैं। इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है तथा यह निर्णय किया गया है कि खण्ड (2) में राज्य सरकार के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन या उसके काम काज से सम्बन्धित एक पद पर प्राविधिक (Provisional) नियुक्ति (या उस पद पर लगातार आसीन होना) भी शामिल है। इस पद पर नियुक्ति चाहे एकीकरण की तिथि के बाद एकीकरण के परिणाम स्वरूप हुई हो। चाहे ऐसा पद एकीकरण के कारण किसी विभाग या सेवा या अन्य प्रकार से नया सृजित (created) किया गया हो या चाहे राजस्थान के एकीकरण के पूर्व से ही चला आ रहा हो।

प्रावधान में बतलाया गया विकल्प (option) सेवा निवृत्ति तक ही सीमित है। उसका सेवा नियमों के अन्य पहलुओं से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस आप्सन का उपयोग राजस्थान सेवा नियमों के प्रारम्भ होने से दो माह के भीतर अथवा एकीकरण व्यवस्था में किसी पद, केडर या सेवा में मूल नियुक्ति से इसी समान अवधि के भीतर तक, जो भी बाद में हो, किया जा सकता है। यदि कोई राज्य कर्मचारी सेवा से निवृत्त होना चाहता हो तो उसकी पेन्शन, क्षतिपूरक पेन्शन (Compensation pension) (या पेन्शन की तदनुरूप श्रेणी) के रूप में, उस पर पूर्व में लागू होने वाले नियमों के अनुसार, दी जाएगी;

निर्णय संख्या 2—वित्त विभाग के पत्र संख्या एफ 35 (2) आर/52 दिनांक 12 फरवरी, 1952 (राजस्थान सरकार का निर्णय संख्या 1) द्वारा राजस्थान सेवा नियमों के नियम 2 के खण्ड (2) और उसके अधीन दिए गए प्रावधान के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण किया गया है।

इससे वित्त विभाग के पत्र संख्या एफ 35 (8) आर/51 दिनांक 22-8-51 (नियम 2 के नीचे दी गई टिप्पणी) रद्द नहीं समझी जावेगी; यह टिप्पणी उन कर्मचारियों के सम्बन्ध में है जो एकीकृत सेवा में अपनी नियुक्ति के बारे में अभ्यावेदन (रिप्रेजेन्टेशन) पेश करते हैं।

निर्णय संख्या 3—राजस्थान सेवा नियमों के नियम 2 के खण्ड (2) के प्रावधान में बतलाए गए आप्सन के प्रयोग में और भी सन्देह व्यक्त किए गए हैं। मामले पर सरकार ने विचार किया है तथा यह निर्णय किया गया है कि उक्त प्रावधान, यह निश्चय करने के लिए बनाया गया है कि राजस्थान सेवा नियम उन सब पर आवश्यकीय रूप से लागू होंगे जो राज्य सेवाओं की एकीकृत व्यवस्था में स्थायी नियुक्ति को स्वीकार करते हैं। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों को मानने को तैयार नहीं हो तो वह प्रावधान (Provision) में दिये गये आप्सन का प्रयोग कर, सेवा से निवृत्त होने का पात्र हो सकेगा।

राजस्थान सेवा नियमों के प्रारम्भ होने से या एकीकरण व्यवस्था में मूल नियुक्ति होने से (इनमें से जो कोई भी बाद में हो उससे) दो माह की अवधि के भीतर प्रावधान में दिए आप्सन का प्रयोग किया जा सकता है। उपरोक्त अवतरण 1 के लिये, इसका तात्पर्य यह है कि जिन मामलों में मूल नियुक्ति (सबस्टान्टिव एपोइन्टमेण्ट) राजस्थान सेवा नियमों के चालू होने के पूर्व ही हो चुकी हो, उन मामलों में नियमों के जारी होने के बाद आप्सन देने की अवधि, केवल दो माह तक ही थी। अन्य मामलों में भी मूल नियुक्ति से दो माह की अवधि समाप्त होने के पूर्व इस आप्सन को कभी भी प्रयोग में लिया जा सकेगा। परन्तु यदि कोई राज्य कर्मचारी इन नियमों से अनुशासित नहीं होना चाहे तो उसके लिए स्थायी नियुक्ति होने से पूर्व भी सेवा से निवृत्त होने के आप्सन को प्रयोग में लाने में कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

यदि एक व्यक्ति एकीकृत व्यवस्था में अपनी नियुक्ति के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन (रिप्रेजेन्टेशन) पेश करना चाहे तो उसके लिए प्रावधान में बतलाई गई दो माह की अवधि, उसके अभ्यावेदन पर आखिरी फैसला होने की तारीख से गिनी जाएगी या ऐसी तिथि से गिनी जाएगी जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित करे। इसका उल्लेख वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ 35 (8) आर/51 दिनांक 22-8-51 (नियम 2 के नीचे दी गई टिप्पणी) में पहिले ही किया जा चुका है।

निर्णय संख्या 4—वित्त विभाग के मेमोरेन्डम संख्या एफ 35 (2) आर 52 दिनांक 12-2-52 (राजस्थान सरकार का निर्णय संख्या 1) में यह दिया हुआ है कि यदि कोई राज्य कर्मचारी, राजस्थान सेवा नियमों के नियम 2 के अनुसार सेवा से निवृत्त होने की इच्छा करता हो तो पेन्शन, क्षतिपूरक पेन्शन (या पेन्शन की तदनुकूल श्रेणी) के रूप में उस पर पूर्व में लागू होने वाले नियमों के अनुसार दी जाएगी। ऐसी ही परिस्थितियों में उन राज्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है जो पेन्शन के स्थान पर जोधपुर के अंशदायी भविष्य निधि नियमों (कान्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेन्ट फण्ड) से शासित होते हैं।

मामले पर विचार कर लिया गया है तथा यह निर्णय किया गया है कि ऐसे मामले अंशदायी भविष्य निधि (कान्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेन्ट फण्ड) नियमों के अनुसार निपटाएं जायेंगे। ये मामले स्थापन वर्ग (एस्टाब्लिशमेण्ट) में कटौती के कारण सेवा निवृत्ति या सेवामुक्ति (डिस्चार्ज) के मामलों के समान निपटाए जाएंगे।

(ख) राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश।

(ग) राजस्थान उच्च न्यायालय के उन अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 238 के साथ पठित अनुच्छेद 229 के खण्ड (2) द्वारा बनाये गये नियमों से शासित होंगे; या

(घ) राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों पर, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 318 के अन्तर्गत बनाये गये नियमों से शासित होंगे।

(ङ.) अखिल भारतीय सेवाओं (All India Services) के सदस्यों पर केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये नियम ही लागू होंगे।

टिप्पणी—यदि एक ऐसा व्यक्ति जिस पर खण्ड (2) लागू होता हो और वह एकीकृत सेवा में अपनी नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में सरकार को एक अभ्यावेदन (रिप्रेजेन्टेशन) देता है, तो ऐसी दशा में उसके अभ्यावेदन (रिप्रेजेन्टेशन) के तय होने पर सरकार यह निर्देश दे सकती है कि परन्तुक में उल्लेख की गई दो माह की अवधि, उसके अभ्यावेदन के अन्तिम निर्णय की तारीख से लागू होनी चाहिये या ऐसी तारीख से लागू होनी चाहिये जिसे सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा तय करे।

आदेश—राजस्थान सेवा नियम 1 अप्रेल, 1951 से उच्च न्यायालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर भी लागू कर दिए गए हैं। इसका प्रसंग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 238 के साथ पठित अनुच्छेद 229 (2) से है।

निर्णय—इस विभाग के पत्र संख्या एफ 35 (8) आर 51 दिनांक 22-8-51 ,नियम 2 के नीचे दी गई टिप्पणी) के साथ पठित, राजस्थान सेवा नियमों के नियम 2 के खण्ड (2) के व तद्धीन दिए गए परन्तुक की एवं के सम्बन्ध में कुछ सन्देह व्यक्त किए गए हैं। इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है तथा यह निर्णय किया गया है कि खण्ड (2) में राज्य सरकार के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन या उसके काम काज से सम्बन्धित एक पद पर प्राविधिक (Provisional) नियुक्ति (या उस पद पर लगातार आसीन होना) भी शामिल है। इस पद पर नियुक्ति चाहे एकीकरण की तिथि के बाद एकीकरण के परिणाम स्वरूप हुई हो। चाहे ऐसा पद एकीकरण के कारण किसी विभाग या सेवा या अन्य प्रकार से नया सृजित (created) किया गया हो या चाहे राजस्थान के एकीकरण के पूर्व से ही चला आ रहा हो।

प्रावधान में बतलाया गया विकल्प (option) सेवा निवृत्ति तक ही सीमित है। उसका सेवा नियमों के अन्य पहलुओं से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस आप्सन का उपयोग राजस्थान सेवा नियमों के प्रारम्भ होने से दो माह के भीतर अथवा एकीकरण व्यवस्था में किसी पद, केडर या सेवा में मूल नियुक्ति से इसी समान अवधि के भीतर तक, जो भी बाद में हो, किया जा सकता है। यदि कोई राज्य कर्मचारी सेवा से निवृत्त होना चाहता हो तो उसकी पेन्शन, क्षतिपूरक पेन्शन (Compensation pension) (या पेन्शन की तदनुरूप श्रेणी) के रूप में, उस पर पूर्व में लागू होने वाले नियमों के अनुसार, दी जाएगी ;

निर्णय संख्या 2—वित्त विभाग के पत्र संख्या एफ 35 (2) आर/52 दिनांक 12 फरवरी, 1952 (राजस्थान सरकार का निर्णय संख्या 1) द्वारा राजस्थान सेवा नियमों के नियम 2 के खण्ड (2) और उसके अधीन दिए गए प्रावधान के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण किया गया है।

इससे वित्त विभाग के पत्र संख्या एफ 35 (8) आर/51 दिनांक 22-8-51 (नियम 2 के नीचे दी गई टिप्पणी) रद्द नहीं समझी जावेगी; यह टिप्पणी उन कर्मचारियों के सम्बन्ध में है जो एकीकृत सेवा में अपनी नियुक्ति के बारे में अभ्यावेदन (रिप्रेजेन्टेशन) पेश करते हैं।

निर्णय संख्या 3—राजस्थान सेवा नियमों के नियम 2 के खण्ड (2) के प्रावधान में बतलाए गए आप्सन के प्रयोग में और भी सन्देह व्यक्त किए गए हैं। मामले पर सरकार ने विचार किया है तथा यह निर्णय किया गया है कि उक्त प्रावधान, यह निश्चय करने के लिए बनाया गया है कि राजस्थान सेवा नियम उन सब पर आवश्यकीय रूप से लागू होंगे जो राज्य सेवाओं की एकीकृत व्यवस्था में स्थायी नियुक्ति को स्वीकार करते हैं। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों को मानने को तैयार नहीं हो तो वह प्रावधान (Provision) में दिये गये आप्सन का प्रयोग कर, सेवा से निवृत्त होने का पात्र हो सकेगा।

राजस्थान सेवा नियमों के प्रारम्भ होने से या एकीकरण व्यवस्था में मूल नियुक्ति होने से (इनमें से जो कोई भी बाद में हो उससे) दो माह की अवधि के भीतर प्रावधान में दिए आप्सन का प्रयोग किया जा सकता है। उपरोक्त अवतरण 1 के लिये, इसका तात्पर्य यह है कि जिन मामलों में मूल नियुक्ति (सबस्टान्टिव एपोइन्टमेंट) राजस्थान सेवा नियमों के चालू होने के पूर्व ही हो चुकी हो, उन मामलों में नियमों के जारी होने के बाद आप्सन देने की अवधि, केवल दो माह तक ही थी। अन्य मामलों में भी मूल नियुक्ति से दो माह की अवधि समाप्त होने के पूर्व इस आप्सन को कभी भी प्रयोग में लिया जा सकेगा। परन्तु यदि कोई राज्य कर्मचारी इन नियमों से अनुशासित नहीं होना चाहे तो उसके लिए स्थायी नियुक्ति होने से पूर्व भी सेवा से निवृत्त होने के आप्सन को प्रयोग में लाने में कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

यदि एक व्यक्ति एकीकृत व्यवस्था में अपनी नियुक्ति के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन (रिप्रेजेन्टेशन) पेश करना चाहे तो उसके लिए प्रावधान में बतलाई गई दो माह की अवधि, उसके अभ्यावेदन पर आखिरी फैसला होने की तारीख से गिनी जाएगी या ऐसी तिथि से गिनी जाएगी जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित करे। इसका उल्लेख वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ 35 (8) आर/51 दिनांक 22-8-51 (नियम 2 के नीचे दी गई टिप्पणी) में पहिले ही किया जा चुका है।

निर्णय संख्या 4—वित्त विभाग के मेमोरेन्डम संख्या एफ 35 (2) आर 52 दिनांक 12-2-52 (राजस्थान सरकार का निर्णय संख्या 1) में यह दिया हुआ है कि यदि कोई राज्य कर्मचारी, राजस्थान सेवा नियमों के नियम 2 के अनुसार सेवा से निवृत्त होने की इच्छा करता हो तो पेन्शन, क्षतिपूरक पेन्शन (या पेन्शन की तदनुकूल श्रेणी) के रूप में उस पर पूर्व में लागू होने वाले नियमों के अनुसार दी जाएगी। ऐसी ही परिस्थितियों में उन राज्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है जो पेन्शन के स्थान पर जोधपुर के अंशदायी भविष्य निधि नियमों (कान्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेन्ट फण्ड) से शासित होते हैं।

मामले पर विचार कर लिया गया है तथा यह निर्णय किया गया है कि ऐसे मामले अंशदायी भविष्य निधि (कान्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेन्ट फण्ड) नियमों के अनुसार निपटाएं जायेंगे। ये मामले स्थापन वर्ग (एस्टाब्लिशमेंट) में कटौती के कारण सेवा निवृत्ति या सेवामुक्ति (डिस्चार्ज) के मामलों के समान निपटाए जाएंगे।

निर्णय संख्या 5—जोधपुर की पूर्व स्टेट के कुछ राज्य कर्मचारी राजस्थान सेवा नियमों के जारी होने की तारीख 1-4-51 को या उसके बाद अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने आदि के कारण (न कि राजस्थान सेवा नियमों के नियम 2 के प्रावधानों के अन्तर्गत) सेवा से निवृत्त हो चुके थे। लेकिन उनके सेवा निवृत्त होने से पहिले विभाग का अन्तिम रूप से एकीकरण नहीं हो चुका था। अब कुछ सन्देह इस सम्बन्ध में उठाए गए हैं कि क्या ऐसे व्यक्तियों के पेन्शन के मामलों को रियासत के नियमों के अनुसार तय किया जाना चाहिए अथवा राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार तय किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि क्योंकि राज्य कर्मचारी ने रियासत के नियमों के अनुसार सेवा निवृत्त होने के अपने आप्शन का प्रयोग नहीं किया है, अतः उनके पेन्शन के मामले राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार निपटाए जाने चाहिए।

नियम 3. वित्त विभाग से सहमति प्राप्त करना—इन नियमों के अनुसार वित्त विभाग की सलाह के बिना कोई भी शक्तियां न उपभोग की जा सकती हैं और न प्रदत्त हो की जा सकती हैं। यह उस विभाग को छूट होगी कि यह, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, ऐसे मामलों को निश्चित कर सकता है जिनमें कि वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की हुई मान ली गई है। वह यह भी अपेक्षा करेगा कि किसी भी मामले में ली गई उसकी सहमति की सलाह प्राप्त करने वाला विभाग, राजप्रमुख को पेश करेगा।

नियम 4. परिवर्तन या संशोधन करने की शक्ति—सरकार इन नियमों या आदेशों के बनाने की शक्ति की सीमा तक, उचित ढंग से इन नियमों के प्रावधानों में रियायत बरत सकती है।

+ निर्णय सं॰ 1—राजस्थान सेवा नियमों के नियम 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल ने आदेश दिया है कि राज्य कर्मचारी जो 55 वर्ष या इससे अधिक के हैं एवं जो 58 वर्ष के स्थान पर 55 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पर सेवा निवृत्त किए जाने के परिणामस्वरूप, *दिनांक 1 जुलाई 1967 से सेवा-निवृत्त होते हों, निम्नलिखित रूप में नोशनल सेवा के* अतिरिक्त वर्षों को ध्यान में रखकर दिनांक 1 जुलाई 1967 को वर्तमान नियमों के अनुसार संगणित सेवा निवृत्ति लाभों को उन्हें स्वीकृत किया जाएगा:—

(1) सेवा-निवृत्ति लाभों की अर्हकारी सेवा (क्वालीफाइंग सर्विस) नोशनल सेवा से तीन वर्ष जोड़कर, बढ़ाया जाना चाहिए।

(2) नोशनल सेवा की उक्त बृद्धि को रोकने पर सेवा की कुल अवधि किसी भी दशा में उस सेवा से अधिक नहीं होगी जिसे सम्बन्धित राज्य कर्मचारी 58 वर्ष तक की आयु में सेवा निवृत्त होने पर गिना सकता था।

• (2) जहां उपरोक्त पैरा 1 के अधीन सेवा-निवृत्ति लाभों के लिए अर्हकारी सेवा बढ़ा दी गई हो वहां राजस्थान सेवा नियमों के नियम 250 क के साथ पठित नियम 250 में यथापारिभाषित परिलब्धियां, जिन्हें सरकारी कर्मचारी 1-7-67 के ठीक पूर्व प्राप्त कर रहा था, अतिरिक्त प्रकल्पित सेवा (एडीशनल नोशनल सर्विस) की अवधि में उसके द्वारा प्राप्त की हुई समझी जाएगी

+ वित्त विभाग की अधिसूचना सं॰ एफ1(42) वित्त वि॰ (नियम) 67 III दि॰ 13-6-67 द्वारा शामिल किया गया

• " " " दि॰ 30-9-67 " अन्तिम पैरे के स्थान पर प्रतिस्थापित

(यद्यपि वह उन्हें वास्तव में प्राप्त नही करेगा) तथा उक्त नियम 251 के अधीन औसत परिलब्धियाँ ऐसी प्रकल्पित परिलब्धियों के आधार पर संगणित की जाएगी।

(3) उपर्युक्त पैरा 2 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी सरकारी कर्मचारी की पेंशन दि० 1-7-67 के पूर्व उसकी सेवा के अन्तिम 3 वर्षों के दौरान उसके द्वारा वास्तव में आहरित 'परिलब्धियों' के आधार पर निश्चित की जाएगी यदि वह परिलब्धि उपर्युक्त पैरा 2 के अधीन संगणित की गई परिलब्धियों से अधिक निकलती हो।

ये आदेश दिनांक 1-7-67 से प्रभावी होते हैं। अन्य प्रकार से निर्णय किए गए मामलों पर पुनर्विचार किया जाएगा तथा उन्हे इन आदेशों के अधीन निर्णीत किया जाएगा।

+ निर्णय सं० 2— यह आदेश दिया जाता है कि जो दि० 1-7-60 को या उसके बाद, किन्तु 30-6-70 से पूर्व 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवा निवृत्त होते हैं/होंगे तथा जिनके मामले में राजस्थान सेवा नियमों के सामान्य प्रावधानों के अधीन भुगतान योग्य पेंशन एवं/या उपदान उक्त पेंशन सम्बन्धी लाभो की राशि से कम आती हो जो यदि वह 1-7-67 को सेवा निवृत्त होता तो उसे दि० 30-5-70 द्वारा यथा संशोधित वित्त विभाग के आदेश दि० 13-6-67 (उक्त राजस्थान सरकार के निर्णय सं० 1 के रूप मे प्रयुक्त) के अधीन स्वीकार्य होती, तो उसे उक्त आदेशों के अनुसार संगणित पेंशन/उपदान दिया जाए।

इन आदेशों के जारी किए जाने के पूर्व अन्यथा प्रकार से निर्णय किए गए पेंशन क्लेमों पर पुनर्विचार किया जाएगा तथा उन्हें उन आदेशों के अनुसार निपटाया जाएगा।

× निर्णय सं० 3—विषय—उन सरकारी कर्मचारियों को जो स्वेच्छा से सेवा निवृत्त होना चाहते हैं, सेवा निवृत्ति लाभ स्वीकृत किया जाना।

राजस्थान सेवा नियमों के नियम 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान के राज्यपाल ने आदेश दिया है कि राजस्थान सेवा नियमों के नियम 244 (1) के अधीन स्वेच्छा से जो सरकारी कर्मचारी सेवा निवृत होना चाहते हैं, उन्हें उनको सेवा निवृत्ति की तारीख को निम्नानुसार प्रकल्पित सेवा (नोशनल सर्विस) अतिरिक्त वर्षों को गिने जाने के बाद विद्यमान नियमों के अनुसार संगणित किए गए सेवा निवृत्ति लाभ, दिये जा सकते हैं:—

1. पेंशन नियमों द्वारा शासित सरकारी कर्मचारियों के लिए:—

(1) सेवा निवृत्ति लाभों के लिए अर्हकारी सेवा को उक्त मामले में 5 वर्ष जोड़ कर बढ़ाया जाना चाहिए।

(2) प्रकल्पित सेवा की उक्त अवधि को जोड़े जाने के बाद सेवा की परिणामी अवधि किसी भी दशा में 30 वर्ष की अर्हकारी सेवा से या उस सेवा से जिसे सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी यदि अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने तक करता तो गिनी जाती, इनमे से जो भी कम हो, ज्यादा नहीं होगा।

+ वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ1(42) वित्त वि० (नियम) 67 III दि० 30-5-67 द्वारा निविष्ट

× वित्त विभाग की अधिसूचना सं० एफ1(99) वित्त वि/नियम/66 दि० 27-12-69 द्वारा निविष्ट

(3) जहां पर सेवा निवृत्ति लाभों के लिए अर्हकारी सेवा उक्त (1) व (2) के अधीन बढ़ाई जाती है तो परिलब्धियां, जो कि नियम 250 स में पारिभाषित हैं, एवं जिसे सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा निवृत्ति के ठीक पूर्व प्राप्त कर रहा था, अतिरिक्त प्रकल्पित सेवा की अवधि के भीतर उसके द्वारा प्राप्त की हुई समझी जाएगी (यद्यपि वह वास्तव में प्राप्त नहीं की गई है) तथा उपर्युक्त नियम 251 के अधीन औसतन परिलब्धियां उक्त प्रकल्पित परिलब्धियों के आधार पर संगणित की जाएंगी।

(4) उपर्युक्त (3) में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी की पेंशन सेवा निवृत्ति के पूर्व उसकी सेवा के अन्तिम तीन वर्षों के भीतर उसके द्वारा वास्तव में आहरित परिलब्धियों के आधार पर निश्चित की जाएगी यदि वह उपर्युक्त (3) के अधीन स्वीकार्य पेंशन से अधिक होती हो।

2. अंशदायी भविष्य निधि योजना द्वारा शासित कर्मचारियों के लिए—

सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवा निवृत्ति की तारीख को वर्तमान जोधपुर भविष्य निधि एवं उपदान नियमों के अनुसार उसमें प्रकल्पित सेवा के अतिरिक्त वर्षों को जोड़े जाने के बाद भविष्य निधि लाभ निम्न प्रकार दिए जाएंगे :—

(1) सरकारी अंशदान (सामान्य एवं विशेष अंशदान) उस राशि तक बढ़ाया जाना चाहिए जो कि पांच वर्ष की अतिरिक्त प्रकल्पित सेवा को जोड़े जाने के बाद उसे उद्भूत हुई होती।

(2) उपर्युक्त तरीके में की गई परिणामी वृद्धि, उस अंशदान (सामान्य एवं विशेष अंशदान) जो कि यदि वह 30 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूरी करने पर या अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने तक सेवा में रहता तो अपने भविष्य निधि लेखे में जमा हो गई होती, इनमें से जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी।

(3) प्रकल्पित अंशदान, सेवा निवृत्ति से ठीक पूर्व किए गए अंशदान की राशि के आधार पर उसकी सेवा निवृत्ति की तारीख तक या उसके बाद तक, निधि में अंशदान किए बिना ही बढ़ाया जाएगा।

2. वित्त विभाग की आज्ञा सं० एफ 1 (99) वित्त वि (व्यय-नियम) 66 दि० 31-12-66 एतद्द्वारा वापिस लिया जाता है।

3. ये आदेश दि० 1-12-69 से प्रभावी होंगे।

+ निर्णय संख्या 4—वित्त विभाग की अधिसूचना सं. एफ 1 (71) वित्त वि/नियम/69 दिनांक 19-11-69 द्वारा) चतुर्थ श्रेणी सेवा के कर्मचारियों की आयु 60 वर्ष से 58 वर्ष कर दिए जाने के परिणाम स्वरूप, जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दिनांक 1-12-69 को 58 वर्ष के या इससे अधिक की आयु के हो गए हैं, उक्त दिनांक से उन्हें सेवा निवृत्त कर दिया गया है। चूंकि इन कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति पूर्व अवकाश के लिए आवेदन करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाया अतः उन्हें अवकाश का उपयोग करने से वंचित कर दिया गया था। अतः राज्यपाल ने आदेश दिया है कि उन्हें निम्नलिखित अवकाश सम्बन्धी रियायतें प्रदान की जाए :—

+ वित्त विभाग की अधिसूचना सं० एफ 1(80) वित्त वि. नियम/69 दिनांक 27-12-69 द्वारा निविष्ट।

(1) सरकारी कर्मचारी जिनके लेखे में दिनांक 1-12-69 से ठीक पूर्व जितना उपार्जित अवकाश बकाया है, वह उस अवकाश के लिए आवेदन करेगा। आवेदित अवकाश को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 89 में छूट देते हुए, अधिकतम 120 दिन की सीमा के अधीन रहते हुए, अस्वीकृत अवकाश के रूप में समझा जाएगा। अस्वीकृत अवकाश की स्वीकृति आगे भी इस शर्त पर ही दी जाएगी कि वह उस तारीख के बाद तक का नही होगा जिसको कि सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता।

(2) उन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सम्बन्ध में जो 1-12-69 के बाद किन्तु 30-4-70 तक सेवा निवृत्त होते हैं/हुए हैं, उन्हें बकाया एवं आवेदित उपार्जित अवकाश निम्नलिखित सीमा तक अस्वीकृत अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जा सकता है :—

(क) 1-12-69 को या उसके बाद परन्तु दिनांक 30-4-70 तक सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में समस्त बकाया उपार्जित अवकाश जो 120 दिन से अधिक का नही होगा, जिसे वह सेवा निवृत्ति की तारीख तक सामान्य रूप में उपार्जित कर सकता था, उसमें से उसके द्वारा वास्तविक रूप में उपयोग किए गए सेवा निवृत्ति पूर्व अवकाश को काट कर, अस्वीकृत अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जा सकता है।

(ख) दिनांक 1-1-70 को या उसके बाद परन्तु दिनांक 30-4-70 तक सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी के मामले में, सेवा निवृत्ति के पूर्व बकाया उपार्जित अवकाश, जो 120 दिन से अधिक का नही होगा, अस्वीकृत अवकाश समझा जाएगा परन्तु उसमें से (1) दिनांक 31-12-69 तक वास्तव में उपयोग किए गए सेवा निवृत्ति पूर्व अवकाश को (2) तथा दिनांक 1-1-70 से उसके सेवा निवृत्त होने के ठीक पूर्व की तारीख तक की अवधि को, घटा दिया जाएगा।

(3) उपर्युक्त (1) व (2) के अधीन स्वीकार्य अवकाश वेतन नियम 89 के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण (जो कि वित्त विभाग की अधिसूचना सं. एफ 1 (48) वित्त वि (व्यय-नियम) 67 दिनांक 15-7-67 द्वारा निविष्ट किया गया था) के अनुसार निकाला जाएगा तथा हर माह के अन्त में भुगतान योग्य होगा। जहां पेंशन या उपदान के समस्त पेंशन या अन्य सेवा निवृत्ति लाभ ज्ञात नही हों वहां अवकाश वेतन का भुगतान सामान्य रूप में किया जाना चाहिऐ तथा अधिक भुगतानों को पेंशन या ग्रेच्युटी या अन्य सेवा निवृत्ति लाभों मे से, जब वे स्वीकृत हों, काट लिया जाएगा। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि अवकाश वेतन का अधिक भुगतान वसूल किया जा सके, आहरण एवं वितरण अधिकारी पेंशन कागजातों के साथ साथ सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी को भुगतान की गई अवकाश वेतन की राशि की सूचना देगा तथा उक्त सूचना के आधार पर महालेखाकार अधिक राशि को पेंशन से वसूल करने के लिए एक टिप्पणी लिखेगा।

× निर्णय संख्या 5:—विषय-चतुर्थ श्रेणी सेवा कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति लाभ

राजस्थान सेवा नियमों के नियम 4 द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान के राज्यपाल ने आदेश दिया है कि चतुर्थ श्रेणी सेवा का सरकारी कर्मचारी जो दिनांक 1-12-69 को या उसके बाद किन्तु 31-12-71 तक अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने पर सेवा निवृत्त

× वित्त विभाग की अधिसूचना सं० एफ 1(80) वित्त वि. नियम 69-1 दिनांक 27-12-69 द्वारा निविष्ट।

होता है, उसे प्रकल्पित सेवा के अतिरिक्त वर्षों को जोड़े जाने के बाद सेवा निवृत्ति के समय विद्यमान नियमों के अनुसार, संगणित जो लाभ दिए जाएंगे वे निम्न होंगे :—

(1) पेंशन नियमों द्वारा शासित चतुर्थ श्रेणी सेवा के कर्मचारी के लिए

(1) सेवा निवृत्ति लाभों के लिए अर्हकारी सेवा को 2 वर्ष जोड़कर बढ़ाया जाना चाहिए।

(2) उक्त प्रकल्पित सेवा को जोड़ने पर सेवा की परिणामी अवधि किसी भी दशा में उस सेवा से अधिक नहीं होगी जिसे सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवा निवृत होने पर गिनता।

(3) जहां सेवा निवृत्ति लाभों के लिए अर्हकारी सेवा उक्त (1) व (2) के अधीन बढ़ाई जाए वहां राजस्थान सेवा नियमों के नियम 250 ख में यथा पारिभाषित परिलब्धियां, जिसे सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा निवृत्ति के ठीक पूर्व प्राप्त कर रहा था, उक्त नियमों के नियम 251 के अधीन प्रतिरिक्त प्रकल्पित सेवा की अवधि के भीतर उसके द्वारा प्राप्त की हुई समझी जाएगी। (यद्यपि वास्तव में प्राप्त नहीं की गई है) तथा उक्त नियमों के नियम 251 के अधीन औसत परिलब्धियां उक्त प्रकल्पित परिलब्धियों के आधार पर निकाली जाएगी।

(4) उपर्युक्त (3) में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी की पेंशन सेवा निवृत्ति के पूर्व उनकी सेवा के अन्तिम तीन वर्षों की अवधि के भीतर उसके द्वारा वास्तव में आहरित परिलब्धियों के आधार पर निश्चित की जाएगी यदि वह उपर्युक्त (3) के अधीन स्वीकार्य पेंशन से अधिक होती है।

(2) सामान्य भविष्य निधि योजना द्वारा शासित चतुर्थ श्रेणी सेवा के कर्मचारियों के लिए

सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवा निवृत्ति की तारीख को वर्तमान जोधपुर भविष्य निधि एवं उपदान नियमों के अनुसार उसमें प्रकल्पित सेवा के अतिरिक्त वर्षों को जोड़े जाने के बाद भविष्य निधि लाभ निम्न प्रकार दिए जाएंगे—

(1) सरकारी अंशदान, (लाभांश एवं विशेष अंशदान) उस राशि तक बढ़ाया जाना चाहिए जो कि 5 वर्ष की अतिरिक्त प्रकल्पित सेवा को जोड़े जाने के बाद उसे उद्भूत हुई होती।

(2) उपर्युक्त तरीके से की गई परिणामी वृद्धि किसी भी दशा में उस अंशदान (लाभांश एवं विशेष अंशदान) से, जो कि यदि वह 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर अपने भविष्य निधि लेखे में जमा कराई गई होती, अधिक नहीं होगी।

(3) प्रकल्पित अंशदान, सेवा निवृत्ति से ठीक पूर्व किए गए अंशदान की राशि के आधार पर उसकी सेवा निवृत्ति की तारीख को या उसके बाद तक निधि में अंशदान किए बिना ही, बढ़ाया जाएगा।

अधिसूचना (नोटिफिकेशन)—संविधान की धारा 309 के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज प्रमुख ने निम्नलिखित नियम बनाया है :—

जहां सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो कि राजस्थान राज्य कर्मचारियों या ऐसे राज्य कर्मचारियों के किसी विशेष वर्ग की सेवा की शर्तों से सम्बन्धित किसी नियम को प्रयोग करने से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई पैदा होती है, तो वह आदेश द्वारा उस नियम को उस सीमा तक एवं ऐसी शर्त के साथ समाप्त कर सकती है या उसमें रियायत कर सकती है जब तक कि उस मामले को उचित एवं न्यायोचित ढंग से तय करने के लिए आवश्यक न समझा जावे।

: इस नियम में प्रयुक्त "राजस्थान राज्य कर्मचारी" शब्द का तात्पर्य उन सब व्यक्तियों से है जिनकी सेवा की शर्तें भारतीय संविधान की धारा 309 के प्रावधानों के अनुसार राज प्रमुख द्वारा बनाये गये नियमों से शासित होती है।"

उचित एवं न्यायोचित ढंग से मामले को निपटाने के लिए संघीय राज्य कर्मचारियों की सेवाओं को शासित करने वाले किसी नियम को समाप्त करने या उसमें रियायत देने में केन्द्रीय सरकार की शक्ति से सम्बन्धित नियम का स्पष्टीकरण —

संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधानों के अधीन लोक सेवा में नियुक्त एवं राजस्थान के कार्य में लगे व्यक्तियों की नियुक्ति एवं सेवा की शर्तों के नियम बनाने की शक्ति राज्यपाल में निहित है या ऐसे व्यक्ति में निहित है जिसे वह निर्दिष्ट करे। यह स्वयं सिद्ध है कि जो अधिकारी नियम बनाने के लिए सक्षम है वही नियम में संशोधन करने अथवा उनकी व्याख्या करने के लिए सक्षम है। उच्चतम राज्य अधिकारी भी व्यक्तिगत मामलों में कठिनाई पैदा करने वाले किन्हीं सेवा नियमों के प्रावधानों में रियायत करने में सक्षम है। वह ऐसे मामलों में भी रियायत बरत सकता है जिनमें नियमों की कठोरता के कारण किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जा सकती है।

संविधान में इस तरह के प्रावधान को शामिल न किए जाने के फलस्वरूप कुछ सन्देह ऐसे पैदा हो गए हैं जैसे कि क्या इस आन्तरिक (Inherent Power) का प्रयोग राज्यपाल नहीं कर सकते। इसलिए किसी भी प्रकार के सन्देह को मिटाने के लिए तथा इस सम्बन्ध में स्थिति को सुस्पष्ट करने के लिए वित्त विभाग ने विज्ञप्ति संख्या एफ 7 (5) आर 55/ए दिनांक 16-7-55 द्वारा एक नियम बनाया है जिसमें कि इस सम्बन्ध के स्पष्ट प्रावधान का समावेश किया गया है।

यह नियम किसी एक ऐसे नए सिद्धांत को अथवा पद्धति को प्रारम्भ नहीं करता है जो पूर्व से ही प्रचलन में न हो। लेकिन यह नियम केवल उस स्थिति को ही स्पष्ट करता है जिसे पूर्व से ही प्रचलित हुई समझी जाती रही है। राज्य सरकार को किसी विशेष मामले में न्यायोचित ढंग से किसी नियम में आवश्यकता पड़ने पर, रियायत बरतने की शक्ति का प्रयोग, भूतकाल में केवल बिरले अवसरों पर तथा अपवादस्वरूप मामले में ही, किए जाने की इच्छा थी। इस प्रकार के मामलों को निपटाते समय स्वीकृत पद्धति के अनुसार ही ऐसा कार्य किया जाना था। किसी भी मामले में रियायत सम्बन्धी कोई भी रियायत बरतने से पूर्व रियायत करने के नियम प्रस्तावित करने वाले विभाग एवं अन्य विभाग जैसे नियुक्ति, सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग इनमें से प्रत्येक मामले के विषय को ध्यान में रखते हुए तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रसंग से, जो भी उचित हो, उससे राय प्राप्त करनी चाहिये। इसके अलावा राजकीय सचिवालय के इस सम्बन्ध के वर्तमान कोई भी नियम का पूरा पालन किया जाना चाहिये।

किसी भी मामले में यदि इससे सम्बन्धित विभाग एक मत हो जायें कि यह एक उचित मामला है जिसमें कि नियम में रियायत बरतने की शक्ति का प्रयोग सरकार द्वारा ही किया जाना चाहिये। इस प्रकार की रियायत किए जाने के कारणों को उचित पत्रावली (फाइल) पर अंकित किया जाना चाहिये लेकिन इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी की जाने वाली इसे औपचारिक आज्ञा के रूप में नहीं माना जाना चाहिये।

यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि सरकार का कोई भी आदेश जो किसी विशिष्ट मामले में किसी नियम को समाप्त करने के लिए या उसमें रियायत बरतने के लिए जारी किया

जाता है, उसे संविधान की धारा 238 व धारा 166 की आवश्यकतानुसार राज प्रमुख की आज्ञा के रूप में प्रमाणित किया जाना चाहिये।

उस राज्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तों से सम्बन्धित नियमों के एक नए समूह के प्रारम्भ में, जो भविष्य में निकाले जावें, उनमें किसी विशेष मामले में नियमों के प्रावधानों में रियायत करने की शक्ति राज प्रमुख को दी हुई होनी चाहिये परन्तु शर्त यह है कि किसी भी मामले का निर्णय प्रावधानों के प्रतिकूल ढंग से न किया जावेगा।

निर्णय:—यह निर्णय किया गया था कि उपरोक्त विज्ञप्ति केवल राजस्थान सेवा नियमों व अन्य नियमों के समूह जैसे यात्रा भत्ता नियम, वेतन मान एकीकरण नियम एवं वेतन मान नवीकरण नियम (यूनीफिकेशन आफ पे स्केल रूल्स, रैशनलाइजेशन आफ पे स्केल्स रूल्स) आदि पर ही लागू होगी जो कि (ये नियम) भारतीय संविधान की धारा 309 के अन्तर्गत वित्त विभाग से जारी किए गए थे, एवं यह विज्ञप्ति भारतीय संविधान की धारा 309 के अन्तर्गत सरकार के नियुक्ति एवं प्रशासनिक विभागों द्वारा जारी किए गये विभिन्न सेवाओं पर की गई नियुक्ति, उन्नति आदि के नियमों पर लागू नहीं होगी।

नियम ४ क. सरकार अपनी स्वेच्छानुसार वेतन, कार्यवाहक भत्ता(Acting allowance) अवकाश व पेन्शन के नियमों में समय समय पर परिवर्तन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है। एक अधिकारी का वेतन व भत्ते का हक उस अर्जित किए गए वेतन व भत्ते के समय प्रचलित नियमों के अनुसार ही विनियमित किया जावेगा। अवकाश का क्लेम उन नियमों द्वारा तय किया जावेगा जो उस समय अवकाश के सम्बन्ध में लागू हों एवं उसका पेन्शन क्लेम ऐसे नियमों द्वारा नियमित किया जावेगा जो अधिकारी के त्यागपत्र देने के समय या उसे सरकार की सेवा से हटाने के समय प्रचलित थे।

निर्णय—यह प्रश्न कि क्या किसी विशिष्ट कार्यालय या विभाग में की गई सेवा पेन्शन के योग्य है अथवा नहीं, उन्हीं नियमों द्वारा हल किया जाता है जो कि उस सेवा के करने के समय प्रभावशील थे एवं बाद में जिस सेवा को पेन्शन के अयोग्य माने जाने के आदेश निकले हैं, वे आदेश पिछले समय में की गई सेवा पर लागू नहीं होंगे।

पूर्व संविदान्तर्गत रियासतों (former covenanting states) के कर्मचारीगण जो राजस्थान सेवा में एकीकृत हो चुके हैं, उनके एकीकरण के पूर्व रियासती राज्य में स्थाई एवं/या अस्थाई रूप से की गई सेवाओं को राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत स्थाई एवं/या अस्थाई सेवा माना जायेगा। सरकार के पृथक आदेशों से राजस्थान सरकार द्वारा ठिकानों से लिये गए कर्मचारियों के मामले नियमित होंगे।

स्पष्टीकरण—जहां पर कि किसी विशिष्ट रियासत के नियमों के समूह के अनुसार कोई सेवा काल विशेष रूप से पेन्शन के अयोग्य समझा गया हो एवं यदि वही सरकार के किसी विशिष्ट आदेश द्वारा पेन्शन के योग्य घोषित हो गया हो तो वह सेवा इस प्रकार पेन्शन योग्य समझी जायेगी—

(1) कि जहां पर रियासत के नियमानुसार कोई एक पद पेन्शन के अयोग्य था एवं यदि वही अब राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार पेन्शन के योग्य घोषित कर दिया गया हो, तो 1-4-51 के पूर्व की गई सेवा अवधि को राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार पेन्शन के अयोग्य समझा जावेगा।

(2) कि जहां रियासत के नियमों के अनुसार कोई सेवा, पेन्शनयुक्त थी पर बाद में मत्स्य अथवा पूर्व राजस्थान सिविल सर्विस रूल्स के अनुसार पेन्शन के अयोग्य कर दी गई तथा पुनः राजस्थान सेवा नियमों के तहत पेन्शन के योग्य हो गई तो दो पेन्शन योग्य सेवाओं के बीच के सेवाकाल को पेन्शन के योग्य गिना जाना चाहिये क्योंकि मध्यवर्ती सरकार (Intermediary-Government) की इच्छा कभी यह नहीं थी कि उन कर्मचारियों को उनके पेन्शन की सुविधा से वंचित कर दिया जावे।

नियम 5—शक्ति प्रदान करने की शक्ति—सरकार किन्हीं ऐसी शर्तों पर जिन्हें वह लगाना उचित समझे किसी भी अपने अधिकारी को इन नियमों के अन्तर्गत निम्न अपवादों (Exceptions) के साथ शक्तियां प्रदान कर सकती है :—

(क) नियम बनाने की सम्पूर्ण शक्तियां।

(ख) अन्य शक्तियां जो नियम 5, 42, 56 (क), 81, 135, 140, 148, 151 एवं 157 (ग) द्वारा प्रदत्त की गई हों।

निर्णय—सभी सरकार के प्रशासनिक विभागों एवं विभागाध्यक्षों को ज्वाईनिंग टाइम बढ़ाने, पद पर नियुक्त किये जाने तक इन्तजार करने के समय को ड्यूटी के रूप में मानने, पुनर्नियुक्ति स्वीकृत करने, आयु सीमा के प्रतिबन्ध को मिटाने, आदि की एवं सेवा नियमों से सम्बन्धित इसी तरह के मामलों में, शक्तियां प्रदान की गई हैं। इस सम्बन्ध में एक प्रश्न उठाया गया है कि या उनको दी गई शक्ति का प्रयोग आदेश के जारी होने की तारीख से किया जाना है या विचाराधीन मामले भी उन्हीं शक्तियों के अनुसरण में तय किये जा सकते हैं। प्रश्न की जांच करली गई है तथा यह आदेश दिया गया है कि इस प्रदत्त शक्ति का उपयोग शक्ति के हस्तान्तरण के पूर्व के मामलों में भी किया जा सकता है। केवल उन मामलों में इसका प्रयोग नहीं किया जावेगा जो पहिले ही उस अधिकारी द्वारा रद्द कर दिये गये हैं अथवा उसे प्रस्तुत कर दिये गये हैं, जिसको कि यह शक्ति पूर्व से ही प्राप्त थी।

नियम 6—व्याख्या—इन नियमों की व्याख्या करने का अधिकार राज प्रमुख को है।

अध्याय २ परिभाषायें

नियम 7—जब तक कि विषय या प्रसंग में कुछ विपरीत दिया हुआ न हो इस अध्याय में नियमों में काम में लिए गये परिभाषित शब्दों का अर्थ निम्न रूप से स्पष्ट किये गये अर्थों में होगा—

(1) आयु—जब कोई राज्य कर्मचारी को विशिष्ट आयु प्राप्त करने पर सेवा निवृत्त (रिटायर), प्रत्यावर्तित (रिवर्ट) या अवकाश पर रहना बन्द करना आवश्यक हो, तो जिस दिन वह उस विशिष्ट आयु को प्राप्त करता है, वह अकार्य दिवस (Non working day) गिना जाता है एवं राज्य कर्मचारी को उस दिन से सेवा-निवृत्त, प्रत्यावर्तित (रिवर्ट) या अवकाश पर रहने से बन्द (जैसी भी स्थिति हो) हो जाना चाहिये।

टिप्पणी-1. यदि किसी राज्य कर्मचारी की वास्तविक सही जन्म तिथि ज्ञात न हो तो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के निम्न उद्धृत किए गए अवतरण 63 में दी गई पद्धति को काम में लेना चाहिये—

(1) यदि कोई राज्य कर्मचारी अपनी वास्तविक जन्म तिथि नहीं बतला सके बल्कि केवल जन्म का साल या साल और माह ही बतला सके तो उसकी जन्म तिथि क्रमशः उस वर्ष की 1 जुलाई या उस माह की 16 तारीख समझी जावेगी।

(2) अगर वह केवल अपनी अनुमानित आयु ही बतलावे तो उसकी जन्म तिथि उसकी नियुक्ति की तारीख से, उसका सेवाकाल अनुमानित आयु में से काटकर, निश्चित की जानी चाहिये।

ऐसे मामले, जिनमें जन्म तिथि नियुक्ति या अन्य प्रकार से अनुप्रमाणित आयु में से काटी गयी है, पर पुनर्विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

टिप्पणी-2. सरकार के यह ध्यान में लाया गया है कि एक अधिकारी ने एक पटवारी की जन्म तिथि को जो उसकी सर्विस बुक में दर्ज थी, उसे सही न मानकर उसके पटवार स्कूल सर्टिफिकेट में दी गई जन्म तिथि को सही जन्म तिथि माना। इसका सही तरीका यह है कि जहां तक जन्म तिथि का प्रश्न है, सर्विस बुक में दर्ज की गई आयु ही मान्य होनी चाहिये। सर्विस बुक में आयु का इन्द्राज न होने की दशा में, उसकी व्यक्तिगत पत्रावली (परसनल फाइल) में दी गई उम्र को मान्य समझना चाहिये। यदि सर्विस बुक या व्यक्तिगत पत्रावली न हो या उनमें उसकी आयु का प्रमाण न मिलता हो तो उसके स्कूल प्रमाण पत्र में दी गई जन्म तिथि को प्रमाणित सही जन्म तिथि माना जाना चाहिये। अगर यह भी उपलब्ध न हो, तो नगरपालिका जन्म प्रमाण पत्र में दी गई जन्म तिथि को मान्य समझा जाना चाहिये। यदि भाग्यवश नगरपालिका के रेकार्ड में भी इसका उल्लेख न मिले तो जन्म कुन्डली में दी गई जन्म तिथि पर विश्वास प्रकट करना चाहिये बशर्ते कि वह कथित जन्म तिथि के बाद शीघ्र ही तैयार की गई हो।

निर्णय-यह ध्यान में लाया गया है कि बहुत से मामलों में अधिकारीगण अपनी दर्ज की गई जन्म तिथि में परिवर्तन करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हैं। मामले की जांच करली गई है तथा यह निर्णय लिया गया है कि आमतौर पर कोई भी अधिकारी अधिवार्षिकी आयु (Superannuation age) प्राप्त करने में 5 वर्ष से कम समय रह जाने पर, अपनी दर्ज की गई जन्मतिथि को बदला नहीं सकता। राजस्थान में मौजूदा विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह आज्ञा 1954-55 में उन अधिकारियों को दी गई थी जो सन् 1957-58 या उसके बाद सेवा निवृत्त होने को थे। इसी प्रकार सन् 1955-56 में भी उन अधिकारियों को अपनी जन्म तिथि परिवर्तित करने की आज्ञा दी जा सकती है जो 58-59 में या उसके बाद रिटायर होने को हों।

(2) नव सिखुआ (एप्रेन्टिस)—का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी व्यापार या कारोबार में राजकीय सेवा प्राप्त करने की दृष्टि से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा हो एवं जो ऐसे प्रशिक्षण काल में सरकार से मासिक वेतन प्राप्त करता हो परन्तु जो किसी विभाग के पद पर या उस पर (केडर में) स्थाई रूप से नियुक्त नहीं किया गया है।

(3) संविधान—का तात्पर्य भारत के संविधान से है।

(4) संवर्ग (केडर)—का तात्पर्य किसी सेवा की या सेवा के एक अंग की संख्या से है जिसे अलग इकाई के रूप में रखा गया हो।

(4क) चतुर्थ श्रेणी सेवा—का तात्पर्य राजस्थान सिविल सर्विस (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1950 की अनुसूचि 4 (चतुर्थ श्रेणी सेवा) में वर्णित पदों की सेवा से है अथवा उससे है जिनका वेतन (यदि निश्चित किया हुआ हो) या अधिकतम वेतन (यदि वह श्रेणीबद्ध हो या वेतन मान पर हो) 55 रु. मासिक हो एवं जिनका उल्लेख इन नियमों के परिशिष्ट 12 भाग 2 में वर्णन नहीं किया गया हो। (परिशिष्ट 12 भाग 1, चतुर्थ श्रेणी सेवा का है।)

(5) क्षतिपूर्ति भत्ता—(Compensatory Allowance)—वह भत्ता है जिसे राज्य कार्य में विशेष परिस्थितियों में व्यक्तिगत व्यय के रूप में खर्च किया जाता है। इसमें यात्रा भत्ता भी शामिल है। परन्तु इसमें न तो सिम्पच्युरी भत्ता ही शामिल है और न भारत के बाहर समुद्र द्वारा जाने का एवं भारत में बाहर से समुद्र द्वारा आने का भत्ता ही शामिल है।

(6) सक्षम प्राधिकारी (Competent Authority)—किसी शक्ति के प्रयोग के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी से तात्पर्य राज्यपाल या अन्य ऐसे प्राधिकारी से है जिसे इन नियमों द्वारा या इनके अधीन, शक्ति प्रदान की जावे।

जो प्राधिकारी विभिन्न नियमों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हैं, उनकी एक सूची इन नियमों के परिशिष्ट 9 में दी हुई है।

(7) संचित निधि (Consolidated Fund)—का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 266 के अधीन स्थापित की गई धनराशि से है।

(7क) रुपान्तरित (कम्युटेड) अवकाश—का तात्पर्य नियम 93 के उपनियम (ग) के अधीन लिए गए अवकाश से है।

(8) सेवा (Duty)—(क) ड्यूटी में निम्नलिखित समय शामिल है—

(i) परिवीक्षाधीन व्यक्ति (प्रोबेशनर) या नव सिखुआ (एप्रेन्टिस) के रूप में की गई सेवा, बशर्ते कि उसके बाद की, की गई सेवाऐं स्थाई कर दी गई हों।

(ii) कार्यग्रहण काल (ज्वाइनिंग टाइम)

+(iii) अवकाश से लौटने वाले सरकारी कर्मचारियों के मामले में जिस पद से वह अवकाश पर रवाना हुआ था उसी पद का कार्यभार संभालने का दिन।

अपवाद—जयपुर एवं जोधपुर के जिला कोषागारों का कार्यभार संभालने के मामले में इस खण्ड के प्रयोजनार्थ अधिकतम 7 दिन तथा अन्य जिला कोषागारों के मामले में 3 दिन होंगे।

(ख) सरकार यह घोषणा करते हुए आदेश जारी कर सकती है कि निम्न परिस्थितियों में या उनके समपानुकूल परिस्थितियों में एक राज्य कर्मचारी को सेवा में लगा हुआ माना जाएगा—

(1) भारत में निर्देशन या प्रशिक्षण का काल।

+ वित्त विभाग की अधिसूचना सं. एफ 1 (50) वित्त वि. (नियम) 70 दिनांक 3-8-70 द्वारा निविष्ट।

+राजस्थान सरकार का निर्णय – यह आदेश दिया जाता है कि सरकारी कर्मचारी जो सैन्ट्रल इमरजैन्सी रिलीफ ट्रेनिंग इन्सटीट्यूट, नागपुर एवं नेशनल फायर सर्विस कालेज, नागपुर में निम्नलिखित पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षण हेतु प्रतिनियुक्त किये जाते हैं उन्हें राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7 (8) (ग) (1) के अधीन सेवा (ड्यूटी) पर समझा जाएगा तथा वह वेतन एवं भत्ता पाने के हकदार होंगे जिन्हें वे यदि प्रशिक्षण पर रवाना न होते तो प्राप्त करते ।

यह और आदेश दिया जाता है कि प्रशिक्षण प्रारम्भ होने व समाप्त होने के स्थान से आने जाने की यात्राओं का यात्रा भत्ता केवल दौरों पर की गई यात्रा की दर पर पाने के हकदार होंगे । प्रशिक्षण की अवधि के दौरान वे राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के परिशिष्ट 2 में आदेश सं. 3 (वित्त विभाग के ज्ञापन स. एफ 7 (प) (25) वित्त वि./नियम/60 दि. 19-9-62 समय समय पर संशोधित अनुसार, में दी गई दरों के अनुसार क्षतिपूर्ति भत्ता पाने के हकदार होंगे —

पाठ्यक्रमों के नाम

1. सिविल डिफेन्स इन्सट्रक्टर्स के लिए बेसिक एलीमेन्ट्री कोर्स ।
2. वरिष्ठ अधिकारियों के लिए वार्षिक सेमिनार
3. सिविल डिफेन्स स्टाफ कोर्स
4. सिविल डिफेन्स इन्सट्रक्टर्स कोर्स
5. सिविल डिफेन्स लेडी आफिसर्स कोर्स
6. इन्डस्ट्रियल सिविल डिफेन्स कोर्स

(2) यदि कोई विद्यार्थी छात्रवृत्ति प्राप्त करता हो या अन्यथा प्रकार से कुछ प्राप्त करता हो एवं जो भारत में किसी विश्वविद्यालय, कालेज या स्कूल में प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम पूरा करने पर राजकीय सेवा में लिए जाने का अधिकारी है, तो उनके प्रशिक्षण को सफलता पूर्वक समाप्त करने एवं सेवा में नियुक्त होने के मध्य के समय को, सेवा काल समझा जाना चाहिए ।

(3) यदि कोई व्यक्ति जो राज्य सेवा में अपनी प्रथम नियुक्ति के समय नियत केन्द्र पर सक्षम प्राधिकारी के निर्देशानुसार कार्यभार नहीं संभालता है तथा बाद में किसी विशिष्ट पद के कार्यभार को संभालने का आदेश प्राप्त करता है तो ऐसी स्थिति में ड्यूटी पर प्रथम रिपोर्ट देने तथा अपने पद का कार्यभार संभालने के बीच का समय सेवा काल समझा जावेगा ।

टिप्पणी—यदि कोई राज्य कर्मचारी अपने पुराने पद का कार्यभार संभला कर या अवकाश से लौटने के बाद, उसे किसी पद पर लगाने के लिए सरकारी आदेश का इन्तजार करता है तो वह समय भी इसी के अन्तर्गत आता है ।

(4) यदि किसी राज्य कर्मचारी को किसी विभागीय परीक्षा में बैठना हो या उसे किसी परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी गई हो तथा उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने से उस राज्य कर्मचारी के विभाग या कार्यालय के साधारण क्षेत्र में उसे राजकीय सेवा में महत्ता दी जाती हो, तो परीक्षा का समय तथा परीक्षा स्थल तक आने जाने का उचित समय, सेवा मे गिना जाएगा ।

+ वित्त विभाग के आदेश सं एफ 1 (7) वित्त वि. (व्यय-नियम) 66 दि 1-4-66 द्वारा निविष्ट।

(5) किसी ऐच्छिक परीक्षा में जिसमें बैठने के लिए सक्षम प्राधिकारी ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी हो तो उसका परीक्षा समय तथा परीक्षा स्थल तक आने जाने की यात्रा का उचित समय, सेवा में गिना जाएगा।

9. शुल्क (Fees)—का तात्पर्य राज्य की संचित निधि या भारत की संचित निधि या अन्य राज्य की संचित निधि के अतिरिक्त अन्य स्रोत से किसी राज्य कर्मचारी को भुगतान किया गया आवर्तक (Recurring) या अनावर्तक (non-recurring) वह व्यय है जो राज्य कर्मचारी को प्रत्यक्ष रूप से या किसी सरकारी माध्यम द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से दिया जावे।

लेकिन शुल्क में निम्न शामिल नहीं होंगे;—

(क) अनुपार्जित आय जैसे सम्पत्ति से प्राप्त आय (मकान किराया आदि), लाभांश एवं जमानतों पर ब्याज से आमदनी, एवं

(ख) साहित्यिक, सांस्कृतिक या कलात्मक प्रयत्नों से प्राप्त आय, यदि ऐसे कार्यों में सरकारी कर्मचारी द्वारा सेवाकाल में प्राप्त किए गए ज्ञान का उपयोग न किया गया हो।

स्पष्टीकरण:—साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं कलात्मक प्रयत्नों में यदि सेवाकाल में प्राप्त किये गये ज्ञान की सहायता मिलती है तो उनमे पहले सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति लेनी पड़ेगी तथा उससे प्राप्त होने वाली कोई भी आमदनी 'शुल्क' गिनी जावेगी लेकिन रिपोर्ट लिखना या अन्तर्राष्ट्रीय निकायों जैसे संयुक्त राष्ट्रसंघ, यूनेस्को आदि चुने हुए विषयों पर अध्ययन करना, एवं भारतीय एवं विदेशी पत्रिकाओं मे साहित्यिक योगदान देना आदि खण्ड (ख) मे कहे गये अनुसार माने जायेंगे, यदि यह सेवा काल मे उपलब्ध किये गये ज्ञान द्वारा सहायता प्राप्त किया हुआ न हो।

(9 क) प्रथम दस/बीस वर्ष की सेवा, 'अन्य दस वर्ष की सेवा' सेवा के पूर्ण वर्ष (Completed years of service) एवं एक साल की लगातार सेवा का तात्पर्य राजस्थान सरकार या एकीकृत किसी राज्य के अधीन उक्त निर्दिष्ट अवधि में लगातार सेवा से है तथा उसमें ड्यूटी पर बिताये गये समय तथा असाधारण अवकाश सहित अवकाश का समय भी शामिल है।

निर्णय:—राजस्थान सेवा नियमों में परिभाषित 'सेवा के पूर्ण वर्ष' में असाधारण अवकाश सहित अवकाश पर बिताया गया समय भी शामिल है।

एक सन्देह व्यक्त किया गया है कि क्या एक राज्य कर्मचारी जो पहले से ही अवकाश पर है, अपने अवकाश के क्रम में (In continuation) अर्ध वेतन अवकाश (Half pay leave) भी ले सकता है, यदि वह अर्ध वेतन अवकाश उसी अवकाश के बीच मे अपनी सेवा का वर्ष पूरा करने के कारण, उपार्जित करता हो।

राज्य सरकार ने मामले पर विचार कर लिया है तथा यह निर्णय किया गया है कि ऐसा अर्ध वेतन अवकाश जो राज्य कर्मचारी द्वारा अवकाश काल में सेवा का पूरा वर्ष होने के कारण उपार्जित किया गया हो, उसे राज्य कर्मचारी अपने अवकाश के क्रम में ले सकता है या वह उसे अपने अवकाश की वृद्धि कराने के साथ में भी ले सकता है जिसमें कि उसके सेवा का पूरा वर्ष होने की तिथि आती है।

(10) विदेशी सेवा (Foreign Service) – का तात्पर्य उस सेवा से है जिसमें राज्य कर्मचारी अपना मूल वेतन सरकार की स्वीकृति से संचित निधि के अतिरिक्त अन्य स्रोतों (साधनों) से प्राप्त करता है।

(10 क)—एक राजपत्रित अधिकारी वह है जो या तो-(1)अखिल भारतीय सेवा (All India Service) का एक सदस्य हो, या (2) राजस्थान सिविल सर्विसेज (क्लासीफिकेशन, कन्ट्रोल एवं अपील) नियम, 1950 की अनुसूचि 1 (राज्य सेवा) में बतलाए गये पदों में से किसी एक पर कार्य करता हो। या (3) शर्त या समझौते के आधार पर नियुक्त किया गया व्यक्ति हो तथा जिसकी नियुक्ति सरकार द्वारा राजपत्रित मान ली गई हो। या (4) ऐसे पद पर काम करने वाला राज्य कर्मचारी हो जो (पद) राज्य सरकार द्वारा राजपत्रित घोषित कर दिया जावे। (परिशिष्ट 12 भाग 2, राज्य सेवा)।

(10 ख) "अर्ध वेतन अवकाश (Half Pay leave)—का तात्पर्य सेवा के पूर्ण वर्षों के कारण उपार्जित किए हुए अवकाश से है। बकाया अर्ध वेतन अवकाश (Half Pay leave due) का तात्पर्य उस अर्ध वेतन अवकाश की संख्या से है जो कि नियम 93 में निर्धारित किए गए अनुसार पूर्ण सेवा काल में से निजि कार्यों के लिए एवं चिकित्सा प्रमाण पत्र (मेडिकल प्रमाण-पत्र) पर या 1-4-51 से पूर्व अन्य किसी किस्म के अर्ध वेतन पर लिए गए अवकाश एवं अर्ध वेतन (औसतन अर्ध वेतन) अवकाश, जो 1-4-51 या उसके बाद लिया हो, को काट कर निकाला जाता है।

(11) विभागाध्यक्ष का तात्पर्य किसी ऐसे अधिकारी से है जिसे राज्य सरकार इन नियमों के उद्देश्य के लिए विभागाध्यक्ष घोषित कर दे।

(12) अवकाश (Holiday) का तात्पर्य (क) नेगोशिएबिल इन्सट्रूमेंट्स एक्ट के अन्तर्गत निर्धारित किए गए अवकाश से है, एवं

(ख) किसी विशेष कार्यालय के सम्बन्ध में उस दिन से है, जिसको कि ऐसा कार्यालय सरकारी कार्य को पूरा करने के लिए राजपत्र में राज्य सरकार की विज्ञप्ति द्वारा बन्द घोषित कर दिया जाता है।

(13) पारिश्रमिक (Honorarium) का तात्पर्य एक राज्य कर्मचारी को आवर्तक या अनावर्तक राशि के भुगतान से है जो कि राज्य की संचित निधि या भारत या अन्य राज्य की संचित निधि से किसी आकस्मिक कार्य के लिए अथवा क्रमानुगत प्रकृति (इन्टरमिटेण्ड करेक्टर) के कार्य के लिए स्वीकृत किया जाता है।

टिप्पणियां.—(1) यदि कोई कार्य सम्बंधित राज्य कर्मचारी की वैध सेवाओं का अंश माना जाता हो तो उस कार्य के लिए उसे किसी भी प्रकार का कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाना चाहिए।

(2) अपवादस्वरूप समय एवं परिस्थितियों में कार्यालय के समय के बाद भी कार्य करना एक तरह से राज्य कर्मचारी की जिम्मेदारी है। इसके लिए साधारणतया कोई भी पारिश्रमिक स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन लगातार कार्यालय समय के बाद भी काम करते रहने के कारण पारिश्रमिक या विशेष वेतन का क्लेम उचित ठहराया जा सकता है।

(14) ज्वाइनिंग टाइम—का तात्पर्य किसी राज्य कर्मचारी को दिए गए उस समय से है जो उसे अपने नए पद का कार्य भार सम्भालने के लिए या यात्रा करने के लिए अथवा एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक, जहां पर कि वह लगाया गया है, स्वीकृत किया गया हो।

(15) अवकाश (Leave)—में उपार्जित अवकाश (Privilege leave) अर्ध वेतन अवकाश, रूपान्तरित (कम्युटेड) अवकाश, विशेष अयोग्यता अवकाश, अध्ययन अवकाश, प्रसूति अवकाश एवं अस्पताल अवकाश, अदेयकाया अवकाश (Leave not due), एवं असाधारण अवकाश शामिल है।

(16) अवकाश वेतन (Leave Salary) का तात्पर्य राज्य कर्मचारी को अवकाश पर दी जाने वाली मासिक धनराशि से है।

(17) लीयन (पूर्वाधिकार)—का तात्पर्य किसी राज्य कर्मचारी द्वारा एक स्थाई पद पर स्थाई रूप से काम करने के हक से है जिसे वह अवधि व्यतीत होने पर या अनुपस्थिति की अवधि समाप्त होने पर प्राप्त करता है। इसमें टेन्योर (समयावधि) पद भी शामिल है जिस पर कि वह स्थाई रूप से नियुक्त किया जा चुका है।

(18) स्थानीय निधि (Local Fund) का तात्पर्य:—

(क) निकायों द्वारा प्रशासित राजस्व से है जो कानून या कानून की शक्ति रखने वाले नियम द्वारा सरकार के नियन्त्रण में आता है। चाहे वे (राजस्व) किसी साधारण या विशेष मामले में कार्यवाही करने के सम्बन्ध में हो क्यों न हों जैसे कि उनका बजट स्वीकार करना, विशिष्ट पदों का सृजन करने अथवा उन्हें भरने की स्वीकृति देने या अवकाश, पेन्शन आदि के समान नियम बनाना, और

(ख) किसी भी संस्था के राजस्व से है जो विशेष रूप से राजप्रमुख द्वारा उस संस्था को, घोषित कर दी गई हो।

(19) लिपिक वर्ग कर्मचारी (Ministerial Servant)—का तात्पर्य किसी अधीनस्थ सेवा के राज्य कर्मचारी से है जिनका कि मुख्य कार्य लेखन सम्बन्धी ही है। एवं ऐसी अन्य श्रेणी के कर्मचारियों से है जो सरकार के सामान्य एवं विशेष आदेशों द्वारा विशेष रूप से इस श्रेणी में घोषित कर दिए गए हों।

(20) माह (Month)—का तात्पर्य एक कलैण्डर माह से है। इसमें माह एवं दिनों की संख्या गिनने में, हर माह के दिनों की संख्या का ध्यान न रखते हुए, पहले पूरे माह गिन लेने चाहिए तथा, इसके बाद दिनों की संख्या गिनी जानी चाहिए।

टिप्पणी—25 जनवरी से 3 माह 20 दिन की अवधि गिनते समय 3 माह 24 अप्रेल को समाप्त हुए समझना चाहिए एवं 20 दिन तारीख 14 मई को समाप्त हुए समझने चाहिए। इसी प्रकार 30 जनवरी से 2 मार्च तक का समय 1 माह और 2 दिन गिना जाना चाहिए क्योंकि 30 जनवरी से 1 माह 28 फरवरी को समाप्त हो जाता है। 1 जनवरी से 1 माह 29 दिन का समय एक साधारण वर्ष (जब कि फरवरी 28 दिन की हो) में फरवरी की आखिरी तारीख को समाप्त हो जाएगा क्योंकि यह स्पष्ट है कि 29 दिन का समय एक पूर्ण कलेन्डर माह से ज्यादा का नहीं

हो सकता एवं 1 जनवरी से लिया गया दो माह का अवकाश फरवरी के अंतिम दिन समाप्त हो जाएगा। यही दो माह की अवधि उस समय भी गिनी जाएगी जब कि फरवरी 29 दिन की हो या अवकाश की अवधि 1 माह 28 दिन की हो (साधारण वर्ष में)।

(21)—विलोपित किया गया

(22) स्थाई सेवा के कर्मचारी—(Official in Permanent employ)—का तात्पर्य ऐसे राज्य कर्मचारी से है जो किसी स्थाई पद पर स्थाई रूप से कार्य करता हो या जो किसी स्थाई पद पर अपना पूर्वाधिकार (लीयन) रखता हो या यदि उसका लीयन निलम्बित न किया गया होता तो वह स्थाई पद पर अपना लीयन रखता।

(23) स्थानापन्न (Officiate)—एक राज्य कर्मचारी किसी पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य उस समय करता है जब वह एक ऐसे पद का कार्य करता है जिस पर कि अन्य कर्मचारी का लीयन हो। यदि सरकार उचित समझे तो किसी राज्य कर्मचारी को ऐसे रिक्त स्थान पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त कर सकती है जिस पर कि किसी अन्य कर्मचारी का लीयन न हो।

(24) वेतन-का तात्पर्य राज्य कर्मचारी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले मासिक वेतन से है जैसे:-

(1) वेतन, स्पेशल पे के अलावा या वह वेतन जो उसकी व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर स्वीकृत हुआ है एवं जो कि उसके द्वारा स्थाई रूप से धारण किए गए पद के लिए स्वीकृत किया गया है या स्थानापन्न रूप में धारण किए गए पद के लिए स्वीकृत किया गया है या तथा जिस पद के लिए वह अपनी स्थिति के कारण अधिकारी है; एवं

(2) स्पेशल पे (विशेष वेतन) एवं व्यक्तिगत वेतन (परसनल पे), एवं

(3) अन्य राशि जो राजप्रमुख द्वारा विशेष रूप से वेतन के रूप में वर्गीकृत की गई हो।

टिप्पणियां—(1) राजकीय मुद्रणालय में फुटकर कार्य करने वालों के सम्बन्ध में जब वह किसी समय वेतन मान (टाइम स्केल पे) पर किसी पद पर नियुक्त किया जावे तो उनका वेतन 200 घण्टे काम करने के वेतन के बराबर समझा जावे।

(2) पुलिस सिपाही एवं अन्य स्टाफ को जो साक्षरता भत्ता (Literacy allowance) स्वीकार किया जाता है वह वेतन में गिना जावेगा।

+(3) राजस्थान सिविल सेवा (रिवाइज्ड पे) नियम 1961 की अनुसूची 5 (वित्त विभाग की अधिसूचना स. एफ 2 (ख) (18) वित्त विभाग (नियम) 65 I दि. 28-7-66 द्वारा निविष्ट) के अधीन चिकित्सा अधिकारी द्वारा आहरित प्रेक्टिस बन्दी भत्ता (नान प्रेक्टिसिंग एलाउन्स) या नान-क्लीनीकल भत्ता निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए वेतन गिना जाएगा—

(1) पेंशन एवं उपदान (2) अवकाश वेतन

(3) विदेशी सेवा में प्रतिनियुक्ति, यदि विदेशी सेवा / प्रतिनियुक्ति में पद पर प्राइवेट प्रेक्टिस की कोई गुंजाइश न हो।

(4) नियम 7 (8) (ख) के अधीन प्रशिक्षण

+ वित्त विभाग की अधिसूचना स. एफ 2 (ख) (18) वित्त वि० (व्यय नियम) 65-II दिनांक 28-7-66 द्वारा निविष्ट तथा दिनांक 1-4-66 से प्रभावी

(5) राजस्थान सिविल सेवा (आवासीय सुविधा के किराए का निश्चयन एवं वसूली) नियम 1958 के नियम 35 में यथा पारिभाषित परिलब्धियां।

(6) राजस्थान सेवा नियम भाग II के परिशिष्ट 17 में अन्तर्विष्ट मकान किराया भत्ता नियम।

(7) मंहगाई भत्ता (8) यात्रा एवं दैनिक भत्ता +(9) कार्य ग्रहण काल

❀(4) चिकित्सा अधिकारी जिसे समय समय पर प्रेक्टिस बन्दी भत्ता स्वीकृत किया गया है, किसी भी रूप में कोई प्राइवेट प्रेक्टिस नहीं करेगा। वह उस वेतन बिल मे निम्न रूप में एक प्रमाण पत्र अभिलिखित करेगा जिसमें कि प्रेक्टिस बन्दी भत्ते का क्लेम किया गया है—

"यह प्रमाणित किया जाता है कि उस अवधि में, जिसके लिए इस बिल में प्रेक्टिस बन्दी भत्ते का क्लेम किया गया है, कोई प्राइवेट प्रेक्टिस नहीं की गई है।"

(25) पेन्शन—सिवाय इसके कि जब पेन्शन शब्द का प्रयोग "ग्रेच्युटी" एवं/या "डेथ-कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी" के विपरीत रूप में किया जावे, पेन्शन में "ग्रेच्युटी" एवं या डेथ-कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी" (मृत्यु व सेवा निवृत्त उपदान) दोनों शामिल हैं।

(26) स्थाई पद (Permanent Post)—का तात्पर्य बिना समयावधि के स्वीकृत वेतन की निश्चित दर वाले पद से है।

27) निजि वेतन (Personal Pay)--का तात्पर्य राजकीय कर्मचारी को स्वीकृत किए गए अतिरिक्त वेतन से है. इसकी स्वीकृति दो कारणों से दी जाती है:--

(क) जब कोई राज्य कर्मचारी टेन्योर (सावधिक) पदों के अतिरिक्त किसी स्थाई पद पर कार्य करता है परन्तु वेतन में संशोधन (Revision) करने के कारण या अनुशासनात्मक कदमों के रूप में उठाए गए कदमों के अतिरिक्त अन्यथा रूप से ऐसे मूल वेतन (सबस्टान्टिव पे) में कटौती करने के कारण यदि उसे कोई हानि होती हो तो उसे पूरा करने के लिए निजि वेतन (परसनल पे) स्वीकृत किया जाता है; या

(ख, अन्य वैयक्तिक कारणों को ध्यान में रखते हुए अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में स्वीकृत किया जाता है।

(28) उपार्जित अवकाश (Privilege Leave)—का तात्पर्य सेवा में व्यतीत किए गए समय के आधार पर उपार्जित अवकाश से है।

बकाया उपार्जित अवकाश (Privilege leave due) का तात्पर्य नियम 91, 92 या 94 द्वारा गिने गए अवकाश के दिनों की संख्या से है। अवकाश की संख्या निकालते समय सेवा में जितने समय का अवकाश भोगा जाता है उतना समय काट दिया जाता है।

+ वित्त विभाग की अधिसूचना स. एफ 2 (ख) (18) वित्त वि॰ (व्यय नियम) 65 दिनांक 6-8-70 द्वारा निविष्ट।

❀ वित्त विभाग की अधिसूचना सं. एफ 1 (47) वित्त विभाग (नियम) 68 दिनांक 16-9-68 द्वारा निविष्ट।

(29) पद का सम्भावित वेतन (Presumptive pay of a post)—जब इसका प्रयोग किसी विशिष्ट कर्मचारी के लिए किया जाता है तो इसका तात्पर्य उस वेतन से है जिसे यदि वह उस पद को स्थाई रूप से धारण करता तो पाने का अधिकारी रहता एवं अपना कार्य करता रहता परन्तु इसमें विशेष वेतन उस समय तक शामिल नहीं किया जा सकता है जब तक कि राज्य कर्मचारी कार्य या कर्त्तव्य नहीं करता या वो जिम्मेदारी नहीं लेता, या ऐसी अस्वस्थ परिस्थिति मे नहीं पड़ा हो, जिससे कि ध्यान में रखकर विशेष वेतन स्वीकृत किया गया था।

(30) परिवीक्षाधीन व्यक्ति (Probationer)—का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो किसी सेवा के संवर्ग (केडर) में या स्थाई रूप से रिक्त पद पर अनन्तिम रूप से नियुक्त किया गया है।

टिप्पणियां—(1) यह परिभाषा, फिर भी, उन राज्य कर्मचारियों पर लागू नहीं होती जो एक संवर्ग (केडर) में स्थाई पद पर स्थाई रूप से कार्य करता है एवं सिर्फ दूसरे पद पर परिवीक्षा के तौर पर (on probation) नियुक्त किया जाता है।

(2) कोई भी व्यक्ति जब तक वह किसी एक केडर में स्थाई पद पर स्थाई रूप से नियुक्त नहीं हो जाता है, वह परिवीक्षाधीन व्यक्ति (प्रोबेशनर) नहीं है जब तक कि उसकी नियुक्ति के साथ परिवीक्षा (प्रोबेशन) की निश्चित शर्तें संलग्न नहीं कर दी गई हों जैसे यह शर्त कि अमुक परीक्षा उत्तीर्ण करने के समय तक वह प्रोबेशन (परिवीक्षा) पर समझा जावेगा।

(3) जब तक किसी मामले मे नियमों द्वारा अन्यथा निर्धारित न किया गया हो, एक प्रोबेशनर (परिवीक्षाधीन व्यक्ति) का स्तर (status) उसी प्रकार से समझा जाता है जैसे कि मानों स्तर के व्यक्ति के सब अधिकार रखता है।

जांच निर्देशन—उपरोक्त टिप्पणी संख्या (1) व (2) मे दिए गए निर्देशनों को एक दूसरे को पूरक के रूप में समझी जानी हैं न कि इन्हें एक दूसरे के भिन्न समझी जानी चाहिए। दोनों को मिलाकर इन टिप्पणियों में यह जांच करने की बात है कि किस समय एक राज्य कर्मचारी, इस चीज का ध्यान रखे बिना ही कि वह पहिले से ही स्थाई राज्य कर्मचारी है या बिना किसी स्थाई पद पर अपना लीयन रखे हो राज्य कर्मचारी है, 'प्रोबेशनर' के रूप में है या सिर्फ 'प्रोबेशन पर' है। जब कि एक प्रोबेशनर व्यक्ति वह होता है जो प्रोबेशन की निश्चित शर्तों के साथ स्थाई रूप से रिक्त किसी पद पर या उस पद के विपरीत नियुक्त किया गया हो तथा प्रोबेशन पर व्यक्ति वह होता है जो किसी पद पर (यह आवश्यक नहीं कि वह पद मूल रूप से रिक्त हो) भविष्य में नियुक्त किये जाने की निश्चितता करने के लिए नियुक्त किया जाता हो। इन जांच निर्देशनों में किसी एक राज्य कर्मचारी को किसी एक केडर में स्थाई रूप से 'प्रोबेशनर' के रूप में किसी एक पद पर या उसके विपरीत नियुक्त करने से नहीं रोका जा सकता है जब कि कुछ निश्चित शर्तें जैसे कि विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना आदि उसके साथ निर्धारित की गई हो। इस प्रकार के मामलों में राज्य कर्मचारी को 'प्रोबेशनर' के रूप में समझा जाना चाहिए एवं जब तक इस विषय में कोई विशेष, विपरीत नियम न हों केवल उसे प्रारम्भिक एवं बाद के वेतन उसी वेतन दर से स्वीकृत किये जाने चाहिए जो कि परीक्षण काल की अवधि के लिए निर्धारित की जाये। इसमें यह ध्यान न रखा जाना चाहिये कि क्या उन दरों को वस्तुतः सम्बन्धित सेवाओं के समय क्रम में शामिल किया हुआ या अलग किया हुआ बतलाया गया है या नहीं। एक ही विभाग के कर्म-

चारियों का सलेक्शन द्वारा प्रमोशन होने का मामला कुछ भिन्न है। (उदाहरणार्थ एक भारतीय जांच विभाग की एस. ए. एस. (केन्द्रीय सेवा, श्रेणी III) सुपरिन्टेन्डेन्टों या ए. ए. भो. जो कि इस प्रकार की पदोन्नति प्रदान किए जाने की निश्चित संख्या के भीतर सलेक्शन द्वारा भारतीय जांच एवं लेखा सेवा में पदोन्नति किया जाय) यदि भारतीय सरकार के सम्बन्धित विभाग इसे उचित समझे तो इन 'पदोन्नत व्यक्तियों' को 'प्रोबेशन पर' किसी एक समय के लिये यह देखने हेतु रखा जा सकता है कि क्या वे वास्तव में प्रथम श्रेणी अधिकारी का कार्य अच्छी तरह कर सकते हैं और उनके लियन (पूर्वाधिकार) उनके पुराने पदों पर रखे जावें। इसी बीच में शायद उनके पुनरावर्तन की सम्भावना हो। चाहे प्रोबेशन के समय में उनकी योग्यता आदि की परीक्षा करने का कुछ भी प्रबन्ध हो पर उनका प्रारम्भिक वेतन उस समय प्रभावशील वेतन फिक्सेशन सम्बन्धी सामान्य नियमों के अन्तर्गत होना चाहिए।

+ (31) विशेष वेतन (Special pay) से तात्पर्य निम्न बातों को दृष्टि में रखते हुए किसी पद या किसी कर्मचारी की परिलब्धियों में उसके वेतन के स्वरूप की अतिरिक्त वृद्धि से है।

(क) विशेष रूप स कठिन प्रकृति का कार्य करने के लिए,

या

(ख) कार्य या उत्तरदायित्व के विशेष रूप से बढ़ जाने पर,

टिप्पणी—कोई राज्य कर्मचारी जो किसी विशेष पद पर नियुक्त किया गया हो उनका संविदा में यह प्रावधान है कि 'उसे वे सारे कार्य करने होंगे जिनको कि उसे करने के लिए कहा जाय।' परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उससे यदि दूसरे पद का अतिरिक्त कार्य करने के लिए कहा जायेगा तो उसे उसका पारिश्रमिक न दिया जायेगा।

"टिप्पणी—किसी विशिष्ट पद पर नियुक्त सरकारी कर्मचारी की संविदा में यह प्रावधान है कि उसे वे समस्त कार्य भी करने चाहिये जिन्हें उससे कराने के लिए कहा जाए, इस बात पर जोर नहीं देना है कि उससे अन्य पद के अतिरिक्त भार स्वरूप कार्यों को बिना पारिश्रमिक के करने हेतु कहा जाए।"

[32] उच्च सेवा (Superior Service):—का तात्पर्य चतुर्थ श्रेणी सेवा के अतिरिक्त अन्य सब प्रकार की सेवा से है। (परिशिष्ट 12 भाग 2)

[33] निर्वाह अनुदान [सबसिस्टेन्स ग्रान्ट] का तात्पर्य उस राज्य कर्मचारी को दी गई मासिक सहायता से है जिसे वेतन या अवकाश वेतन कुछ भी नहीं दिया जा रहा हो।

[34] मूल वेतन (Substantive pay):—का तात्पर्य नियम 7 (24) (3) के अन्तर्गत राज्यपाल द्वारा स्वीकृत उस वेतन से है जो विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन या अन्य वेतन के अतिरिक्त है और जो उसे स्थायी पद पर नियुक्त होने के कारण या उसकी किसी संवर्ग (केडर) मे स्थाई स्थिति होने के कारण, पाने का अधिकारी है।

टिप्पणियां-(1) जब कोई राज्यकीय मुद्रणालय का फुटकर काम करने वाला व्यक्ति समय शृङ्खला वाले किसी स्थाई पद पर नियुक्त किया जाता है तो भाधा मूल वेतन उसके प्रति घण्टे की दर के हिसाब से 200 घन्टे के काम के बराबर होगा।

(2) मूल वेतन में प्रोबेशनर द्वारा किसी ऐसे पद पर प्राप्त किया गया वेतन भी शामिल है, जिस पर कि वह प्रोबेशन पर नियुक्त किया गया है।

+ वित्त वि. की अधिसूचना सं. एफ 1 (64) वित्त वि. (नियम) 68 दि. 22-2-69 द्वारा निविष्ट

(3) यदि कोई राज्य कर्मचारी राज्य सरकार के अधीन किसी स्थाई पद पर अपना लीयन रखता है तो उसके सम्बन्ध में 'मूल वेतन का तात्पर्य उस 'मूल वेतन' से है जो सम्बन्धित राज्य सरकार के सम्बन्धित नियमों द्वारा पारिभाषित किया जावे।

÷[34 क.] 'स्थायी नियुक्ति' से तात्पर्य सरकारी कर्मचारी की उस स्थायी पद पर नियुक्ति से है जिस पर वह लीयन प्राप्त करता है।

[35] अस्थाई पद (Temporary post):—का तात्पर्य एक ऐसे पद से है जिसका वेतन निश्चित दरों से किसी समय की अवधि तक निश्चित है।

❀ टिप्पणी सं० (1) व (2) विलोपित की गई।

टिप्पणी(3) एक अस्थाई पद की अवधि को, उस पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति के स्वीकृत अवकाश की अवधि तक बढ़ाना उसी समय आवश्यक है जबकि उस अवकाश की स्वीकृति प्रदान करने से सरकार को कोई व्यय न करना पड़ता हो लेकिन इस प्रकार की अवधि बढ़ाने की अनुपस्थिति में वह अनुचित दिखाई देता हो।

[36] सावधिक पद (Tenure post):—का तात्पर्य एक स्थाई पद से है जिसे एक स्वय राज्य कर्मचारी एक सीमित अवधि से ज्यादा समय तक धारण नहीं कर सकता है।

टिप्पणी—सन्देह होने पर सरकार ही तय करेगी कि एक अमुक पद सावधिक पद है या नहीं।

37. समय वेतन मान (टाइम स्केल पे)—का तात्पर्य उस वेतन से है जो इन नियमों में दी गई शर्तों के आधार पर, समय के अवधि के अनुसार वृद्धि के साथ साथ न्यूनतम से अधिकतम तक पहुंच जाता है।

टाइम स्केल अनुरूप (आइडेन्टिकल) उसी समय कही जाती है जब टाइम स्केल की निम्नतम, अधिकतम, वेतन वृद्धि का समय, व वृद्धि की दर व समय समान हों।

एक पद को दूसरे पद के समय वेतन मान के समान उसी समय कहा जाता है जबकि दोनों पदों का टाइम स्केल समान हो तथा दोनों पद एक केडर में आते हों या किसी केडर में एक क्लास में आते हों। ऐसे केडर या क्लास इस दृष्टि से सृजित किये गये हों कि उसी प्रकृति या समान उत्तरदायित्व के कार्य के लिये किसी सेवा में या स्थापन में या स्थापन वर्ग में पदों को भरने के लिए उन्हें नियुक्त किया जा सके ताकि किसी भी पद को धारण करने वाले व्यक्ति का वेतन उसके केडर या क्लास में होने के कारण तय किया जा सके, न कि इस तथ्य से कि वह उस पद को धारण करता है।

(38) स्थानान्तरण (Transfer)—का तात्पर्य किसी राज्य कर्मचारी का जहां पर वह नियुक्त है, उस स्थान से दूसरे ऐसे स्टेशन पर निम्न कारणों से जाना—

(क) नये पद का कार्य भार संभालने के लिए, या

(ख) उसके मुख्यालय के परिवर्तन के फलस्वरूप।

(३९) विश्रामकालीन विभाग (Vacation Department)—वह विभाग है या विभाग का हिस्सा है जिनमें कि नियमित रूप से छुट्टियां दी जाती हैं। उन छुट्टियों के बीच में राजकीय कर्मचारी को ड्यूटी से अनुपस्थित रहने की इजाजत होती है।

÷ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ 1 (14) वित्त वि (व्यय-नियम 66 दिनाङ्क 18-5-66 द्वारा निविष्ट

+अपवाद-विलोपित

÷(40) पेंशन न देने योग्य स्थापना (नान पेंशनेबिल एस्टाब्लिशमैण्ट) का तात्पर्य ऐसी स्थापना से है जिनका कि वेतन (सेलेरी)-आय व्ययक (बजट, में 'अधिकारियों के वेतन' एवं 'स्थापना के वेतन' के प्रावधानों में से नहीं चुकाया जाता है, बल्कि अन्य तरीके से चुकाया जाता है।

भाग २

अध्याय ३ सेवा की सामान्य शर्तें

नियम 8—प्रथम नियुक्ति के समय आयु (Age on first appointment)—जब तक किसी पद पर या पदों की श्रेणी पर नियुक्ति करने सम्बन्धी सरकार के नियमों या आदेशों में अन्यथा प्रकार से कुछ न दिया हुआ हो, सरकारी सेवा में प्रविष्ट होने की न्यूनतम व अधिकतम उम्र क्रमशः 16 साल एवं *28 साल होगी।

अपवाद-1 अल्प वयस्क (Minors, या वे व्यक्ति जिन्होने 18 वर्ष की उम्र प्राप्त नहीं की हो, उन्हे ऐसे पदों पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिये जिसके लिए कि जमानत की जरूरत होती हो।

अपवाद 2-किसी विशेष पद/या पदों पर नियुक्ति करने सम्बन्धी नियमो में जब तक अन्यथा प्रकार से कुछ न दिया हो, महिलाओं के लिए राजकीय सेवा में प्रवेश पाने की अधिकतम आयु 35 साल होगी।

निर्णय सं० 1—अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों के लिए राजस्थान सरकार के नियन्त्रण के अधीन विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए आयु की अधिकतम सीमा मे 5 वर्ष की छुट दी जाती है।

निर्णय संख्या 2—जागीरदारो के मामले मे (इसमें वे जागीरदारों के पुत्र भी शामिल हैं जिनके पास अपने जीवन निर्वाह हेतु कुछ भी जागीर नहीं है) जो कि जागीरों के पुनर्ग्रहण के बाद राज्यकीय सेवा मे ले लिए गए हैं तथा अन्य सब बातों में योग्य पाये गए हैं तो उनकी आयु 40 वर्ष तक, की जा सकती है। यह रियासत केवल 5 वर्ष तक ही काम में आयेगी। इस रियायत को 31-12-63 तक बढ़ाया जाएगा।

निर्णय संख्या 3—अधिक उम्र के व्यक्तियों की नियुक्ति के अवसरों को कम करने के दृष्टिकोण से यह निर्णय किया गया है कि सभी नई नियुक्ति के आदेशों मे उनको जन्म तिथि का उल्लेख आवश्यकीय रूप से किया जाना चाहिए।

निर्णय संख्या 4—यह आदेश दिया जाता है कि राजस्थान सरकार के नियन्त्रण के अधीन विभिन्न पदों पर भारतीय पुलिस सेवाओं के सुरक्षितता प्राप्त (रिजर्विस्ट) व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु 50 वर्ष होगी।

+ वित्त विभाग की अधिसूचना सं० एफ 1 (62) वित्त वि (आर) 68 दिनांक 17-12-68 द्वारा निविष्ट तथा इसी क्रम सं० व्यय आदेश दिनांक 18-3-69 द्वारा विलोपित किया गया।

÷ वित्त विभाग आदेश संख्या एफ 1 (14) एफ. डी. (व्यय-नियम) 67 दिनांक 21-3-67 द्वारा शामिल किया गया।

* वित्त विभाग की आज्ञा सं० एफ 1 (62) वित्त वि/ (नियम) 69 दिनांक 15-10-69 द्वारा 25 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

× निर्णय सं० 5—राज्य कर्मचारियों के नामों में परिवर्तन करने के लिए कोई समान तरीका नहीं है। मामले की जांच करली गयी है तथा यह निर्णय किया गया है कि कोई भी राज्य कर्मचारी जो नया नाम रखना चाहता है या अपने वर्तमान नाम में कोई संशोधन करना चाहता है, उसे अपने नाम में परिवर्तन का एक बन्ध पत्र (डीड) भर कर औपचारिक रूप से परिवर्तन करना चाहिए। दस्तावेज के निष्पादन में कोई सन्देह न रहने के लिए, यह वांछनीय है कि वह दो साक्षियों द्वारा, विशेष तौर पर उन लोगों द्वारा जो उस कार्यालयाध्यक्ष को ज्ञात हों जिसमें कि राज्य कर्मचारी सेवा कर रहा है, अनुप्रमाणित होना चाहिए। बन्ध पत्र के प्रपत्र (डीड फार्म) का एक नमूना सन्दर्भ के लिए नीचे दिया गया है। बन्ध पत्र (डीड) का निष्पादन परिवर्तन का प्रकाशन किसी प्रसिद्ध स्थानीय समाचार-पत्र तथा राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन कर किया जाएगा। दोनों मामलों में राज्य कर्मचारी द्वारा प्रकाशन अपने स्वयं के व्यय पर कराया जाएगा। राजस्थान राजपत्र में विज्ञापन के प्रकाशन के लिए राज्य कर्मचारी को अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर के पास पहुँचने का निदेश देना चाहिए।

पूर्वोक्त प्रकरणों में वर्णित औपचारिकताओं की अनुपालना होने के बाद तथा राज्य कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत की गई पहिचान की सन्तोषजनक साक्ष्य एवं दस्तावेजों का निष्पादन हो जाने के बाद ही, नया नाम रखने या वर्तमान नाम में परिवर्तन करने को सरकारी रूप से स्वीकृत किया जाएगा तथा सरकारी अभिलेखों में तदनुसार प्रविष्टियों में आवश्यक संशोधन किया जाएगा। सम्बन्धित दस्तावेजों की सही प्रतिलिपियां राज्य कर्मचारी की व्यक्तिगत पत्रावली में रखी जाएंगी तथा तदनुसार महालेखाकार को सूचित कर दिया जाएगा।

नाम/उपनाम (सरनेम) परिवर्तन करने का बन्ध-पत्र

इस बन्ध-पत्र (डीड) द्वारा मैं निम्न हस्ताक्षरकर्ता क ख ग (नया नाम) जो अभी इससे पूर्व क ग (पुराना नाम) कहलाता था, एवं जो ....(सम्बन्धित राज्य कर्मचारी द्वारा उस समय धारित किए गए पद का नाम) के रूप में ....स्थान (स्थान जहां राजस्थान सरकार के विभाग में नियुक्त हो) पर नियुक्त था, एतद्द्वारा—

(1) स्वयं तथा मेरी पत्नी एवं बच्चे तथा दूर के बच्चे जो पूर्णतया आश्रित हों, मेरे पूर्व नाम क ख, उपनाम ग (सिर्फ) को त्यागता हूँ तथा उसके स्थान पर उसी तारीख से नाम क ख ग, तथा उपनाम ख ग ग्रहण करता हूं एवं इसलिए मैं, मेरी पत्नी, बच्चे, दूर के बच्चे ऐतद्पश्चात् मेरे पूर्व उप नाम ग (केवल) से न जाने जाएं तथा पहिचाने जाएं बल्कि मेरे द्वारा ग्रहण किए गए उपनाम ख ग द्वारा जाने जाएं।

(2) उक्त मेरे निश्चय की साक्ष्य के प्रयोजन के लिए घोषणा करता हूं कि मैं ऐतद्पश्चात् सभी समय, प्राईवेट या सार्वजनिक, सभी अभिलेखों, बन्ध पत्रों (डीड), लेखों एवं समस्त कार्यवाहियों में, व्यवहारों (डीलिंग) एव लेनदेनों (ट्रान्जैक्शन्स) में तथा सभी अवसरों पर, अपने पूर्व नाम क ग तथा उपनाम ग (सिर्फ) के स्थान पर एव उसके परिवर्तन में क ख ग नाम के रूप में तथा ख ग उपनाम के रूप मे प्रयुक्त करूंगा एवं हस्ताक्षर करूंगा।

(3) स्पष्टतः ऐतद्पश्चात् सभी समय सभी व्यक्तियों को मुझे, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, दूर

× वित्त विभाग के आदेश संख्या 1 (12) एफ डी (व्यय-नियम) 67 दिनांक 10 अप्रेल 1967 द्वारा शामिल किया गया।

के बच्चे को तदनुसार नए रखे गए नाम क ख ग, उपनाम ख ग के नाम से सम्बोधित करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ तथा उसके लिए निवेदन करता हूँ।

इसकी साक्षी मे मैंने अपने पूर्व नाम ए नए नाम क ख, तथा क ख ग का वर्णन किया है तथा दिनांक..................वर्ष को अपने हस्ताक्षर किए ।

हस्ताक्षरित क ख ग	निम्नलिखित की उपस्थिति में उपर्युक्त नाम द्वारा जो पूर्व में क ख कहलाता था, हस्ताक्षर किए एवं भेजा गया।	क ख क ख ग

1..........................

2..........................

÷ निर्णय सं. 6—महालेखाकार, राजस्थान ने सरकार के यह ध्यान में लाया है कि प्रायः दिनांक 7-4-49 से 5-5-61 की अवधि के बीच अधिकायु (ओवरएज) पर नियुक्तियों को विनियमित करने की कार्यवाही की कमी के कारण, पेंशन के मामलों को अन्तिम रूप से निपटाने मे पर्याप्त देर लग जाती है।

2—मामले पर विचार कर लिया है तथा राज्यपाल महोदय ने आदेश दिया है कि चूंकि नियुक्तिकर्त्ता प्राधिकारीगण, नियमों/आदेशों से परिचित नहीं थे एवं राजस्थान राज्य के पुनर्गठन के पूर्व सेवाओं के विलीनीकरण की प्रक्रिया में, नियमों की अज्ञानता के कारण, उनके द्वारा अधिकायु (ओवरएज) पर नियुक्तियां की गई थीं, अतः 7-4-49 से 31-3-53 तक, जिस तक कि विलीनीकरण का बहुत सा काम हो चुका था, की अवधि के भीतर अधिकायु पर की गयी नियुक्तियों को इस आदेश के अधीन सरकार की स्वीकृति प्राप्त की गई हुई समझी जायेगी।

3—31-3-53 के बाद से 5-5-61 तक अधिकायु पर की गयी सभी नियुक्तियों के मामलों को, राज्य कर्मचारी की सेवा निवृत्ति तक की आयु प्राप्त करने तक की इन्तजार किए बिना ही सक्षम प्राधिकारियों द्वारा संवीक्षा की जानी चाहिए। तथा समस्त ऐसे मामलों को सरकार के पास प्रशासनिक विभाग में विनियमित कराने हेतु नियुक्तिकर्ता की उसे अधिकायु पर नियुक्ति के स्पष्टीकरण के साथ भेजे जाने चाहिएं। ऐसे मामलों में जहाँ प्रशासनिक विभाग इससे सन्तुष्ट है कि अधिकायु वाले व्यक्ति की नियुक्ति न्यायोचित थी तो वे उक्त नियुक्ति को विनियमित करने की स्वीकृति जारी करने के लिए वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करेंगे।

+ निर्णय सं. 7.—"वित्त विभाग में समय समय पर विघटित जिला बोर्डों के कर्मचारियों के मामले प्रस्तुत किये जाते हैं जिनमें उनकी अधिक आयु (Over-age) में की गई नियुक्ति को नियमित करने हेतु वित्त विभाग की स्वीकृति मांगी जाती है। चूंकि अधिक आयु में नियुक्ति अविघटित जिला बोर्डों द्वारा की गई थी और वे विघटित हो चुके हैं, अतः ऐसी अधिक आयु की नियुक्तियों के कारण मालूम करना सम्भव प्रतीत नहीं होता है। इस मामले पर विचार करने के उपरान्त आदेश दिया जाता है कि ऐसे समस्त मामलों को जिनमें कि जिला बोर्डों के कर्मचारियों की अधिक आयु में नियुक्ति हुई और जिन्हें जिला बोर्डों के विघटित हो जाने के कारण राज्य सेवा में ले लिया गया इनकी नियुक्ति नियमित मानी जावे।"

÷ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ 1 (78) एफ डी (व्यय-नियम) 62-1 दिनांक 29-4-67 द्वारा शामिल किया गया।

+ वित्त विभाग की अधिसूचना सं. एफ 1 (13) वित्त विभाग नियम/68 दिनांक 21-5-1968 द्वारा निविष्ट।

+ निर्णय सं. 8—"प्रायः ऐसा देखने में आता है कि विभिन्न नियुक्ति अधिकारियों द्वारा राजस्थान सेवा नियमों में अंकित सीमा से अधिक के व्यक्तियों/महिलाओं की नियुक्ति करली जाती है और इसके पश्चात् ऐसी अनियमित नियुक्तियों को नियमित करने के लिए राज्य सरकार को लिखा जाता है।

इस समस्या का समाधान करने हेतु निर्देश दिए जाते हैं कि भविष्य में नये नियुक्त कर्मचारी के प्रथम वेतन के बिल के साथ नियुक्ति आज्ञा-पत्र को कोषाधिकारी देखेंगे व यह ध्यान में रखेंगे कि उक्त नियुक्ति आज्ञा-पत्र में कर्मचारी की जन्म तिथि अंकित है। यदि जन्म तिथि के अनुसार उक्त कर्मचारी की नियुक्ति अनियमित है व सेवा में रखने योग्य आयु से बाहर है, तो उसका वेतन पारित नहीं किया जावेगा। ऐसे कर्मचारी राज्य सेवा में नहीं रह सकेंगे तथा उनका चढ़ा हुआ वेतन का भुगतान नियुक्ति अधिकारी स्वयं अपने द्वारा करेंगे। यह निर्देश उन कर्मचारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे जिनकी नियुक्ति लोक सेवा आयोग द्वारा या सम्बन्धित सेवा नियमों के अन्तर्गत अधिक आयु में की गई हो।

विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ समस्त नियुक्ति-कर्त्ता अधिकारियों को कृपया सूचित करदें कि निर्धारित आयु से अधिक आयु के व्यक्तियों की नियुक्ति भविष्य में नहीं की जावे। यदि निर्धारित आयु सीमा से अधिक आयु में नियुक्ति सम्बन्धित सेवा नियमों के अन्तर्गत की गई है तो इसका उल्लेख स्पष्ट रूप से नियुक्त आज्ञा-पत्र में किया जावेगा, ताकि जिला कोषाधिकारी को वेतन बिल पारित करने या न करने में कठिनाई नहीं हो।"

& निर्णय सं॰ 9—राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है कि राज्य कर्मचारी राज्य सेवा में रहते हुए मैट्रिक या अन्य समकक्ष परीक्षा पास करते हैं जिसके प्रमाण-पत्र में जन्म तिथि अंकित होती है और वे परीक्षा पास करने के पश्चात् उस प्रमाण-पत्र के आधार पर सेवा पुस्तिका में पूर्व अंकित जन्म तिथि, जो प्रथम नियुक्ति के समय अंकित की गई थी बदलवाने का प्रयत्न करते हैं।

इस समस्या का समाधान करने हेतु निर्देश दिये जाते हैं कि ऐसे कर्मचारी जो राज्य सेवा में रहते हुए मैट्रिक या अन्य समकक्ष परीक्षा पास करें जिसके प्रमाण-पत्र में जन्म तिथि अंकित होती हैं, उनकी सेवा पुस्तिका में पूर्व अंकित जन्म तिथि उक्त प्रमाण-पत्र के आधार पर नहीं बदली जावे।"

△ निर्णय सं॰ 10—राजस्थान सेवा नियमों के नियम 8 के प्रावधानों के अनुसार, राजकीय सेवा में प्रविष्ट होने की न्यूनतम व अधिकतम आयु 16 व 25 वर्ष है। सरकारी कर्मचारियों की कम आयु में की गई नियुक्तियों को नियमित करने के मामले सरकार के ध्यान में लाये गए हैं। ये नियुक्तियां प्रसंविदान्तर्गत राज्यों की सरकारों/राजस्थान के पुनर्गठन के पूर्व के राज्यों द्वारा की गई थी।

मामले की जांच करली गई है तथा राज्यपाल ने आदेश दिया है कि प्रसंविदान्तर्गत राज्यों

+ (वित्त विभाग की अधिसूचना सं॰ एफ 1 (16) वित्त विभाग (नियम)/68 दिनांक 16-7-68) द्वारा निविष्ट।

& वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 1 (16) वित्त विभाग (नियम)/68 दिनांक 21-9-68 द्वारा निविष्ट।

△ वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 1 (15) वित्त वि (नियम)/69 दि॰ 17-4-69 द्वारा निविष्ट।

की सरकारों/राजस्थान के पुनर्गठन के पूर्व के राज्यों द्वारा कम आयु में की गई नियुक्तियों के मामलों में इस आदेश के अधीन सरकार की स्वीकृति दी हुई मानना चाहिये।

+ **नियम 9.** नियुक्तियों के लिए डाक्टरी प्रमाण पत्र (Medical certificate) प्रस्तुत करना— सिवाय इस नियम में दिए गए प्रावधानों के, किसी भी राज्य कर्मचारी को राज्य सेवा में उसके स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बिना नियुक्त नहीं किया जा सकता है। व्यक्तिगत मामलों में, सरकार प्रमाण पत्र मांगने की जरूरत को समाप्त कर सकती है या वह राज्य कर्मचारियों की किसी विशिष्ट श्रेणी को इस नियम के लागू होने से मुक्त कर सकती है।

निर्णय सं० 1—एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि क्या पार्टटाइम कर्मचारी को शारीरिक स्वस्थता के लिए डाक्टरी जांच कराना जरूरी है, इस सम्बन्ध में यह निर्णय किया गया है कि ऐसे राज्य कर्मचारियों को अपनी शारीरिक स्वस्थता का उसी प्रकार से एवं उन्ही शर्तों के अनुसार डाक्टरी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जैसा कि पूर्ण समय के लिए नियुक्त राज्य कर्मचारियों को करना पड़ता है।

☸ निर्णय सं० 2—राजस्थान सेवा नियमों के नियम 9 (वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 1 (26) वित्त विभाग/(नियम) 67–I दि० 21-6-68 द्वारा संशोधित किए गए के अनुसार स्वास्थ्य सम्बन्धी चिकित्सा प्रमाण पत्र सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी के प्रथम वेतन बिल के साथ संलग्न नहीं किया जाना है। आडिट की अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु यह निर्णय किया गया है कि सरकारी कर्मचारी के प्रथम वेतन बिल के साथ आडिट को यह एक प्रमाण पत्र इस सम्बन्ध का प्रस्तुत करना चाहिए कि सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में चिकित्सा प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त कर लिया गया है। राजपत्रित एवं अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में इस प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया निम्न प्रकार होगी—

(1) राजपत्रित अधिकारियों के मामले में उस सक्षम प्राधिकारी द्वारा जिसे चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में प्रथम वेतन बिल में दर्ज किया जाना चाहिए।

(2) अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में आहरण एवं वितरण अधिकारियों को ऐसा प्रमाण पत्र अभिलिखित करना चाहिए तथा उसे सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी के प्रथम वेतन बिल के साथ संलग्न करना चाहिए।

नियम 10. राज्य सेवा के लिए योग्यता का डाक्टरी प्रमाण पत्र निम्न प्रपत्र में होगा—

स्वास्थ्य प्रमाण पत्र

मैं, एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि मैंने ....जो कि..................विभाग में नियुक्ति के लिए उम्मीदवार है, उसकी जांच की है तथा मुझे सिवाय..................इनके ऐसी कोई बीमारी (बतलाने योग्य या अन्यथा प्रकार की) शारीरिक कमजोरी या शारीरिक दोष नहीं मालूम दिया है। मैं..................विभाग में नियुक्त किए जाने में इसे नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं समझता।

+ वित्त वि. की अधि. सं० एफ (26) वित्त वि. (नियम) 67 I दि० 21-6-58 द्वारा संशोधित

☸ वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 1 (26) वित्त विभाग (नियम) 67-II दिनांक 21-6-68 द्वारा निविष्ट।

नियम 11. नियम 10 में निर्धारित प्रमाण पत्र पर जिला चिकित्सा अधिकारी या उससे ऊंचे स्तर के चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए, परन्तु यह है कि—

(क) महिलाओं के विषय में सक्षम अधिकारी किसी महिला चिकित्सक का डाक्टरी प्रमाण पत्र स्वीकार कर सकेगा।

(ख) ऐसे उम्मीदवार की नियुक्ति के बारे में जिसका वेतन, उसको स्थाई बनाने के समय तक 50 रु. से अधिक न पहुंचे, सक्षम प्राधिकारी किसी राज्यकीय सेवा में नियुक्त मेडिकल ग्रेज्युएट या लाइसेंस प्राप्त चिकित्सक के प्रमाण पत्र को स्वीकृत कर सकेगा। या इनके प्रमाण पत्र न देने पर अन्य मेडिकल ग्रेज्युएट या लाइसेंस प्राप्त डाक्टर का प्रमाण पत्र स्वीकृत करेगा।

(ग) एक उम्मीदवार जो कि अस्थाई रूप से लगातार तीन माह तक या इससे अधिक समय तक नियुक्त किया जाता है, तो उसे अपनी नियुक्ति की तारीख से पूर्व या उससे एक सप्ताह के भीतर किसी अधिकृत चिकित्सक (मेडिकल अटेन्डेन्ट) से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। परन्तु यदि वह चिकित्सक इसमें संदेह करे कि उम्मीदवार राज्य सेवा के लिये योग्य है अथवा नहीं, तो वह उस मामले को प्रधान चिकित्सक (प्रिंसिपल मेडिकल आफीसर) के पास प्रस्तुत करेगा। फिर भी यदि जब एक राज्य कर्मचारी को प्रारम्भ में किसी आफिस में तीन माह से कम समय के लिये अस्थाई रूप में नियुक्त किया जावे तथा बाद में उसी कार्यालय में रोक लिया जावे या सेवा में व्यवधान डाले बिना ही दूसरे कार्यालय में स्थानान्तरित कर दिया जावे तथा राज्यकीय सेवा में कुल सेवा काल तीन माह या इससे अधिक होने की आशा हो तो उसे उस कार्यालय में रखने अथवा नये कार्यालय में उपस्थित होने की स्वीकृति के आदेश की तारीख से एक सप्ताह के भीतर एक ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा।

टिप्पणी—एक राज्य कर्मचारी जिसने अपने प्रथम अस्थाई रूप में नियुक्त होने पर एक अधिकृत मेडिकल अटेन्डेन्ट (चिकित्सक) का स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है एवं जो बाद में उसी कार्यालय में या अन्य स्थान पर बिना अपनी सेवा भंग कराये एक स्थाई रिक्त स्थान पर नियुक्त कर दिया जाता है तो उसे, अपने स्थाई किए जाने पर, जिला चिकित्सा अधिकारी या उससे ऊंचे चिकित्सा अधिकारी से पुनः स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्राप्त करना पड़ेगा। जब तक कि उसने अपनी प्रथम अस्थाई नियुक्ति के समय ऐसे अधिकारी का प्रमाण पत्र न दे दिया हो। फिर भी यह प्रावधान उन लोगों पर लागू नहीं होता जिनका वर्णन इस नियम के (क) व (ग) भाग में किया गया है।

नियम 12. डाक्टरी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से मुक्त हुए राज्य कर्मचारी – निम्नलिखित श्रेणियों के राज्य कर्मचारी अपने स्वास्थ्य का डाक्टरी प्रमाण पत्र देने से मुक्त किये गये हैं—

(1) एक राज्य कर्मचारी जो प्रतियोगिता परीक्षा (Competitive Examination) द्वारा नियुक्त किया गया हो तथा जिसे राज्य के अधीन सेवा में नियुक्ति के लिये निर्धारित नियमों के अनुसार डाक्टरी जांच के लिए जाना पड़ता है।

(2) एक राज्य कर्मचारी जो तीन माह से कम समय के लिये अस्थाई रिक्त स्थान पर उच्च सेवा में नियुक्त किया गया हो।

(3) एक राज्य कर्मचारी जो अस्थाई रिक्त स्थान पर 6 माह से कम समय के लिए चतुर्थ श्रेणी सेवा में नियुक्त किया गया हो।

(4) एक अस्थाई राज्य कर्मचारी, जिसकी कि डाक्टरी जांच पहिले से ही किसी एक कार्यालय में की जा चुकी हो, यदि वह बिना सेवा भंग किए दूसरे कार्यालय में स्थानान्तरित हो जाय।

(5) एक सेवानिवृत्त (रिटायर्ड) राज्य कर्मचारी जो सेवा निवृत्ति के बाद शीघ्र ही पुनः नियुक्त किया गया हो।

(6) एक शारीरिक दृष्टि से अशक्त (Handicapped) राज्य कर्मचारी जो कि विशिष्ट नियोजन विभाग (Special Employment Exchange) के द्वारा नियुक्त किया गया है जिसे राजकीय अस्पतालों के सुपरिन्टेन्डेन्ट/प्रधान चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी (Principal Medical & Health officer) के एक मेडिकल बोर्ड को सक्षम स्वास्थ्य जांच के लिए जाना पड़ा था।

टिप्पणी :—1 निम्न परिस्थितियों में डाक्टरी प्रमाण पत्र (मेडिकल सर्टिफिकेट) प्रस्तुत किया जाना जरूरी होता है :—

(क) जब एक राज्य कर्मचारी स्थानीय निधि में भुगतान किए जाने वाली प्रयोग्य सेवा में सरकार के अधीन उच्च सेवा में एक पद पर पदोन्नत किया जाये।

(ख) एक व्यक्ति जो त्याग पत्र देने के बाद या उसकी पूर्ण सेवाएं समाप्त किए जाने के बाद पुनः नियुक्त किया जाता है।

(ग) जब कोई व्यक्ति उपरोक्त खण्ड (ख) में कही गई परिस्थितियों के अतिरिक्त अन्य परिस्थितियों में पुनः नियुक्त किया जावे। इसमें नियुक्ति करने वाला अधिकारी निर्णय करेगा कि क्या एक डाक्टरी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए अथवा नहीं :—

2—जब किसी राज्य कर्मचारी को राजकीय सेवा में प्रवेश पाने के लिए स्वस्थता का डाक्टरी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा जाय, चाहे वह नियुक्ति स्थाई या अस्थाई रूप में ही क्यों न की जा रही हो, परन्तु जब वह एक बार वास्तविक रूप में जांचा जा चुका है तथा अयोग्य घोषित कर दिया गया है तो नियुक्ति करने वाले अधिकारी के द्वारा उस प्रमाण पत्र की उपेक्षा नहीं की जाएगी जो एक बार प्रस्तुत किया जा चुका है।

नियम 13. सेवा की मौलिक शर्तें :— जब तक किसी मामले में अन्यथा रूप से साफ साफ प्रावधान न किया जावे, एक राज्य कर्मचारी का सम्पूर्ण समय सरकार की इच्छा पर रहेगा तथा वह उचित अधिकारी द्वारा, अतिरिक्त पारिश्रमिक का हक मांगे बिना ही, किसी भी ढंग से लगाया जा सकता है। चाहे उसकी चाही गई सेवाएं ऐसी हों जिनका पारिश्रमिक संचित निधि या स्थानीय निधि से दिया जावे या एक निकाय से दिया जावे जो निगमित हो या न हो और जो पूर्णतः या मूलतः सरकार द्वारा स्वीकृत या नियन्त्रित हो या जिसे राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम संख्या 37) के अन्तर्गत निर्मित पंचायत समिति/जिला परिषद् निधि से दिया जावे।

नियम 14. (क)—एक ही समय एक स्थाई पद पर दो या दो से अधिक राज्य कर्मचारियों की नियुक्ति स्थाई रूप में नहीं की जा सकती है।

(ख) एक राज्य कर्मचारी एक ही समय सिवाय अस्थाई रूप के, दो या दो से अधिक स्थाई पदों पर स्थाई रूप से नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

(ग) एक राज्य कर्मचारी किसी एक ऐसे पद पर स्थाई रूप से नियुक्त नहीं किया जा सकता है जिस पर कि किसी अन्य व्यक्ति का लीयन हो।

नियम 15. पूर्वाधिकार (लीयन)—जब तक इन नियमों में कोई विशेष प्रविधान न रखा गया हो, एक राज्य कर्मचारी किसी स्थाई पद पर स्थाई रूप से नियुक्त किए जाने पर उस पद पर अपना लीयन प्राप्त कर लेता है तथा बाद में किसी अन्य स्थाई पद पर उसका लीयन हो जाता है तो वह अपने पूर्व पद का लीयन रखना बन्द कर देता है।

नियम 16. जब तक किसी राज्य कर्मचारी का लीयन नियम 17 के अन्तर्गत निलम्बित नहीं कर दिया जाता है या नियम 19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित नहीं कर दिया जाता है, तब तक स्थाई पद को धारण करने वाला वह उस पद पर अपना लीयन निम्न दशाओं में रखेगा :—

(क) जब तक वह उस पद का कार्य पूरा कर रहा हो,

(ख) जब वह विदेशी सेवा में हो या किसी दूसरे पद पर अस्थाई या कार्यवाहक रूप में कार्य कर रहा हो,

(ग) दूसरे पद पर स्थानान्तरण के समय (ज्वाइनिंग टाइम) में यदि वह निम्न वेतन वाले पद पर स्थाई रूप से स्थानान्तरित नहीं कर दिया गया हो। ऐसे मामलों में जिस दिन वह अपने पुराने कार्यभार से मुक्त होगा उसी दिन से उसका लीयन नए पद पर स्थानान्तरित किया जायेगा।

(घ) जब तक वह अवकाश पर रहे; एवं

(ङ) जब तक वह निलम्बित रहे।

नियम 17. (क) लीयन निलम्बित करना—यदि कोई राज्य कर्मचारी निम्न पदों में किसी पद पर स्थाई रूप से नियुक्त हो जाता है तो सरकार उसका लीयन उस स्थाई पद में समाप्त कर सकती है जिस पर कि वह कार्य करता है—

(1) किसी सावधिक (टेन्योर) पद पर,

+ (2) [विलोपित]

(3) अस्थाई रूप से (Provisionally) किसी एक पद पर जिस पर कि अन्य राज्य कर्मचारी अपना लीयन रखता यदि उसका लीयन इस नियम के अन्तर्गत निलम्बित न किया गया होता।

× (ख) यदि कोई राज्य कर्मचारी भारत के बाहर प्रतिनियुक्त (डेपुटेड) कर दिया जाता है या विदेशी सेवा में स्थानान्तरित कर दिया जाता है या इस नियम के (क) में के अधीन नहीं आने वाली परिस्थितियों में किसी दूसरे केडर में स्थानापन्न रूप में एक पद पर स्थानान्तरित कर दिया जाता है एवं यदि इन मामलों में से किसी मामले में उसे यह विश्वास हो सके कि वह जिस पद पर अपना लीयन रखता है उस पद से कम से कम तीन साल की अवधि तक अनुपस्थित रहेगा तो सरकार उस राज्य कर्मचारी का उस पद का लीयन, जिस पर वह अपना पूर्वाधिकार रखता है, अपनी इच्छानुसार, निलम्बित कर सकती है।

+ वित्त विभाग की अधिसूचना सं० एफ 1 (94) वित्त वि० (नियम) 66 दिनांक 15-10-69 द्वारा विलोपित किया गया।

× वित्त विभाग की अधिसूचना सं० एफ 1 (94) वित्त वि० (नियम) 66 दिनांक 15-10-65 द्वारा विलोपित किया गया।

(ग इस नियम के खण्ड (क) या (ख) में कुछ दिये होने पर भी, एक राज्य कर्मचारी का किसी सावधिक (टेन्योर) पद पर से लीयन किसी भी परिस्थिति में समाप्त नहीं किया जा सकेगा। यदि वह किसी अन्य स्थाई पद पर स्थाई रूप से नियुक्त कर दिया जाता है तो उसका टेन्योर पद से लीयन समाप्त किया जा सकता है।

(घ) यदि किसी राज्य कर्मचारी का पूर्वाधिकार (लीयन) इस नियम के खण्ड (क) और (ख) के अन्तर्गत निलम्बित कर दिया जाता है तो वह पद स्थाई रूप से भरा जा सकता है तथा इस पद पर स्थाई रूप से नियुक्त किया गया राज्य कर्मचारी उस पद पर अपना पूर्वाधिकार (लीयन) रख सकेगा। लेकिन शर्त यह है कि जैसे ही निलम्बित किया हुआ पूर्वाधिकार पुनः प्रवर्तित हो जाएगा वैसे ही यह व्यवस्था उलट पलट हो जाएगी।

टिप्पणी—जब इस खण्ड के अन्तर्गत पद स्थाई रूप में भरे जाते हैं तो वह नियुक्ति अस्थाई नियुक्ति (Provisional appointment) कहलाएगी एवं राज्य कर्मचारी उस पर अपना अस्थाई (Provisional) लीयन रखेगा एवं वह लीयन इस नियम के खण्ड (क) या (ख) के अन्तर्गत निलम्बित किया जा सकता है।

(ङ) निलम्बित लीयन का पुनः स्थापन (Revival of suspended lien)—एक राज्य कर्मचारी का पूर्वाधिकार जो कि इस नियम के खण्ड (क) के अधीन निलम्बित किया जा चुका है जैसे हो वह कर्मचारी उस खण्ड के उप खण्ड (1) (2) या (3) में वर्णित प्रकृति के पद पर अपना लीयन समाप्त कर देता है।

(च) एक राज्य कर्मचारी का पूर्वाधिकार जो कि इस नियम के खण्ड (ख) के अन्तर्गत निलम्बित किया जा चुका है, उसी समय पुनः स्थापित हो जाएगा जैसे ही वह राज्य कर्मचारी भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर रहना बन्द कर देता है या विदेशी सेवा में रहना बन्द कर देता है या दूसरे केडर में पद पर कार्य करना बन्द कर देता है। परन्तु शर्त यह है कि एक निलम्बित लीयन पुनः स्थापित नहीं किया जायगा यदि राज्य कर्मचारी अवकाश लेता है, यदि यह पुनंविश्वास किया जा सके कि अवकाश से लौटने पर वह भारत के बाहर या विदेशी सेवा में प्रतिनियुक्ति (डेपूटेशन) पर चलता रहेगा या अन्य केडर में एक पद पर कार्य करता रहेगा तथा सेवा से अनुपस्थिति का कुल समय तीन साल से कम न होगा या वह खण्ड (क) के उप खण्ड (1) (2) या (3) में वर्णित प्रकृति के पद पर स्थाई रूप से कार्य करता रहेगा।

टिप्पणी—जब यह ज्ञात हो जाय कि एक राज्य कर्मचारी जो अपने केडर के बाहर किसी पद पर स्थानान्तरित हो, यदि वह अपने स्थानान्तरण से तीन साल की अवधि के भीतर अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने के कारण पेन्शन (सुपरएन्युएशन पैन्शन) पर सेवा निवृत किया जाता हो तो स्थाई पद से उसका लीयन समाप्त नहीं किया जा सकता।

नियम 18 (क)—लीयन समाप्त करना (Termination of lien)—एक राज्य कर्मचारी के लीयन को किसी पद से किसी परिस्थिति में भी समाप्त नहीं किया जा सकता। यह लीयन उसकी सहमति से भी समाप्त नहीं किया जा सकता यदि इसका परिणाम उसे बिना पूर्वाधिकार (लीयन) के रखे या वह एक स्थाई पद पर अपना लीयन निलम्बित रखे।

+ (ख) सरकारी कर्मचारी का किसी पद पर लीयन उसके द्वारा जिस संवर्ग में वह नियुक्त हुआ है उसके अतिरिक्त अन्य संवर्ग में (चाहे सरकार, केन्द्रीय या अन्य राज्य सरकार के अधीन) किसी स्थाई पद पर लीयन प्राप्त करने पर समाप्त (टरमीनेट) हो जाएगा।

+ टिप्पणी सं० 1 (विलोपित)

निर्णय संख्या 1—विभिन्न एकीकृत राज्यों के स्थाई कर्मचारी जो राजस्थान के निर्माण के समय अस्थाई पदों पर लगाए थे या जो बाद में एकीकरण की प्रगति में लगाए गए थे एवं जिनका लीयन किसी भी स्थाई पद पर नहीं रखा गया था, उनके लीयन, वेतन, पेन्शन आदि के बर्ताव के प्रश्न पर सरकार ने विचार किया है तथा राजप्रमुख ने निम्न आदेश दिया है—

(1) उन राज्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में, जो बिना लीयन रखे या बिना किसी स्थाई पद पर एवं बिना 'सरप्लस' घोषित किए अस्थाई (या कार्यवाहक) नियुक्तियों पर स्थानान्तरित कर दिये गए थे, उनका लीयन उसी वेतन शृंखला एवं शर्तों की अधिकाश पदों (Supernumerary Posts) का सृजन कर रखा जा सकता है जिसमें कि सम्बन्धित राज्य कर्मचारी एकीकृत राज्यों में अपने अन्तिम पद के स्थाई लीयन पर कार्य कर रहा था एवं जो कि स्थाई पदों पर नियुक्ति के मामले को विचाराधीन रखते हुये, वेतनमान एकीकरण (यूनिफाइड पे स्केल) द्वारा संशोधित की गई।

उपरोक्त पद वर्तमान में 31-6-56 तक सृजन (created) किए हुए समझे जावेंगे। ये पद जैसे 2 सम्बन्धित कर्मचारी स्थाई पदों पर लगते जावेंगे वैसे वैसे ही कम होते जावेंगे। सभी ऐसे व्यक्तियों को इस समय तक स्थाई पदों पर लग जाना चाहिये या सरप्लस कर डिस्चार्ज किया जाना चाहिए तथा यदि आवश्यक हो तो अस्थाई रूप में उन्हें पुनर्नियुक्त किया जाना चाहिए। इस श्रेणी के व्यक्तियों को स्थाई पदों पर नियुक्त करने के मामलों में शुद्ध अस्थाई कर्मचारियों के बजाए प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

2 (क)-इस श्रेणी के राज्य कर्मचारी जो पूर्व में सरप्लस घोषित कर दिये गए थे लेकिन वास्तव में हटाए (डिस्चार्ज) नहीं किए गए थे तथा उन्हें अस्थाई पदों पर काम करने के लिए स्वीकृति दे दी गई या उन्हे किसी स्थाई पद पर अस्थाई रूप मे काम करने की स्वीकृति दे दी गई, इस बात को ध्यान में रखे बिना कि वे चाहे उसी पद पर या उसके समान पद पर नियुक्त हो रहे हों या नही, उन्हें अपना अन्तिम मूल वेतन तथा वार्षिक वृद्धि प्राप्त करने की स्वीकृति दी जाती है। कोई कार्यवाहक या अस्थाई वेतन सुरक्षित नहीं किया जावेगा। यदि उनके पूर्व पद का मूल वेतन काम करने के लिए स्वीकृत पद के अधिकतम वेतन से ज्यादा हो तो उसका वेतन उस पद के अधिकतम वेतन के रूप में निश्चित किया जाएगा तथा पहिले के मूल वेतन तथा वर्तमान पद के अधिकतम वेतन से जो भी राशि अधिक बचेगी वह व्यक्तिगत वेतन (Personal Pay) के रूप मे स्वीकृत की जावेगी।

ऐसे राज्य कर्मचारियों की सेवाओं को पेन्शन के लिए गिनने हेतु उसी वेतन शृंखला में

+ वित्त विभाग की अधिसूचना सं० एफ 1 (94) वित्त वि० नियम 66 दि० 15-6-69 द्वारा नियम (ख) प्रतिस्थापित व टिप्पणी सं० 1 विलोपित की गई।

अधिकांश पद (Supernumerary posts) सृजित किये जाने चाहिये जिसे कि ऐसे राज्य कर्मचारी एकीकृत राज्यों में स्थाई रूप मे उनके द्वारा धारण किए गए पद पर प्राप्त कर रहे थे।

(ख)—जो व्यक्ति सरप्लस के रूप में हटा (डिस्चार्ज) दिये गए थे, उनके मामले पुनः नहीं खोले जायेंगे। यदि उनमे से किसी व्यक्ति के मामलों पर पुनर्विचार किया गया हो या उसे पुनर्नियुक्त कर दिया गया हो तो उसको वेतन उसके द्वारा अन्तिम रूप में प्राप्त किए गये मूल वेतन से अधिक नही दिया जायेगा और उस पद के अधिकतम वेतन से ज्यादा नही होगा जिस पर कि वह पुनर्नियुक्त किया गया है।

(ग)—यदि उन व्यक्तियों में से जो किसी भी स्थाई पद पर अपना लीयन नही रखते हैं लेकिन जिन्होने 25 साल की सेवा करली है या 50 वर्ष के हो गए हैं, तो उन सम्बन्धित व्यक्तियो को सरप्लस के रूप में रिटायर किया जा सकता है एवं यदि आवश्यक हो तो पुनर्नियुक्त किया जा सकता है।

+ निर्णय संख्या 2 (विलोपित)

÷ निर्णय सं०3-अधिसंख्यक पदों का सृजन—इस प्रश्न पर कुछ समय पूर्व से विचार किया जा रहा है कि किन परिस्थितियों में अधिसंख्यक पदो का सृजन किया जाना चाहिए तथा ऐसे पदो को विनियमित करने का क्या सिद्धान्त होना चाहिए। मामले पर सावधानी पूर्वक विचार कर लिया गया है तथा ऐसे पदों के सृजन को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित सिद्धान्त निर्धारित किए गए हैं:—

(i) सामान्यतया अधिसंख्यक पद किसी ऐसे अधिकारी को लीयन प्रदान करने हेतु सृजित किया जाता है जो, ऐसे पद को सृजित करने मे सक्षम प्राधिकारी की राय मे, नियमित स्थायी पद पर लीयन रखने का हकदार है लेकिन जो नियमित स्थायी पद की अनुपलब्धता के कारण ऐसे पद पर अपना लीयन नही रख सकता।

(ii) यह एक काल्पनिक (शेडो) पद है अर्थात् ऐसे पद के साथ कोई ड्यूटी लगी नही होती है। अधिकारी, जिसका लीयन ऐसे पद पर रखा जाता है, सामान्यतया किसी अन्य रिक्त अस्थायी या स्थायी पद पर कर्तव्यों को पूरा करता है।

(iii) यह केवल उसी समय सृजित की जा सकती है जब कि उस व्यक्ति के लिए, जिसका लीयन अधिसंख्यक पद का सृजन कर रखा जाता है, कार्य करने हेतु अन्य रिक्त स्थायी या अस्थायी पद उपलब्ध हो। दूसरे शब्दों में, यह ऐसी परिस्थितियो में सृजित नही किया जाना चाहिए जो पद के सृजन के समय या उसके बाद, विद्यमान पदों की संख्या से अधिक हो जाए।

(iv) यह हमेशा स्थायी पद होता है। फिर भी चूंकि इसका सृजन किसी स्थाई अधिकारी को जब तक वह किसी नियमित स्थायी पद पर उसे लीयन प्रदान नहीं किया जाता तब तक के लिए किया जाता है इसलिए इसे अन्य स्थाई पदों की तरह अनिश्चित अवधि के लिए सृजित नही किया जाना चाहिए लेकिन सामान्यतया प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त निश्चित अवधि तक सृजित किया जाना चाहिए।

+ वित्त विभाग की अधिसूचना सं० एफ 1 (94) वित्त वि (नियम) 66 दि० 15-10-65 द्वारा विलोपित।

÷ वित्त विभाग अधिसूचना सं. एफ1(38) वित्त वि/ए/नियम/61 दि० 26-10-61 द्वारा निविष्ट।

(v) यह उस अधिकारी के लिए वैयक्तिक पद होता है जिसके लिए यह सृजित किया जाता है तथा ऐसे पद पर किसी अन्य अधिकारी को नियुक्त नहीं किया जा सकता। यह उसी समय समाप्त हो जाता है जब अधिकारी, जिसके लिए यह सृजित किया गया था, सेवा निवृत्ति अथवा किसी अन्य नियमित स्थायी पद पर स्थायीकरण या अन्य किसी कारण से इसे रिक्त करता है। दूसरे शब्दों में, ऐसे पद पर कोई स्थानापन्न व्यवस्था नहीं की जा सकती है। चूंकि अधिसंख्यक पद एक कार्यकारी पद (वर्किंग पोस्ट) नहीं है अतः किसी संवर्ग में कार्यकारी पद इसी रूप में विनियमित होते रहेंगे कि यदि नियमित पदों में से किसी एक पद का स्थायी धारक संवर्ग आता है तथा सभी पदों पर आदमी कार्य करते हैं तो उस संवर्ग के किसी एक अधिकारी को उसके लिए स्थान रिक्त करना होगा। उसे अधिसंख्यक पद पर नहीं दिखाया जा सकता है।

(vi) वर्धित वेतन एवं भत्ते, पेंशन सम्बन्धी लाभ आदि के रूप में ऐसे पदों के सृजन में कोई अतिरिक्त वित्तीय दायित्व शामिल नहीं है।

पहिले कुछ मामले ऐसे हो चुके हैं जिनमें वरिष्ठता, पात्रता आदि के परिवर्तन के कारण यह महसूस किया गया कि किसी एक व्यक्ति को पदोन्नति प्राप्त नहीं हो सकी जिसे वह प्राप्त करता यदि बाद में लिया गया निर्णय पहिले ले लिया गया होता तथा ऐसे व्यक्तियों को अधिसंख्यक पदों को पूर्व प्रभाव से सृजित कर उन पर उनकी पूर्व प्रभाव से नियुक्ति कर उच्चतर वेतन का लाभ दिया गया है। इस प्रकार के प्रयोजनों के लिए ऐसे पदों का सृजन भविष्य में नहीं किया जाए। अधिकतम उस वेतन मान में जिसके लिए वह आशा करता, उस स्टेज तक लाने हेतु अग्रिम वेतन वृद्धि देने के प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है।

सभी प्रशासनिक विभागों से निवेदन है कि वे केवल उपरोक्त परिस्थितियों में ही अधिसंख्यक पदों के सृजन के लिए मामले भेजें।

यह आदेश पूर्व में उपर्युक्त तरीके के अतिरिक्त अन्य प्रकार से निपटाए गए मामलों पर प्रभाव नहीं डालेगा।

×निर्णयः—सं० 4 (विलोपित किया गया)

÷निर्णय सं० 5—वित्त विभाग के ज्ञापन दि० 26-10-61 (उपर्युक्त निर्णय स० 3) के पैरा (vi) के रूपान्तरण में यह आदेश दिया जाता है कि उच्चतर अधिसंख्यक पद सृजन कर या पदों को अप ग्रेड कर पूर्व प्रभाव से पदोन्नतियां निम्नलिखित मामलों में वित्त विभाग की विशेष अनुमति से दी जा सकती हैं—

(क) किसी न्यायालय के निर्णय के अनुपालना में या फलस्वरूप

(ख) राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अधीन भारत सरकार के निर्देशन के पालन में यदि राज्य सरकार द्वारा उक्त निर्देशन मान लिया गया हो।

(ग) सरकार या सरकार के अधीनस्थ सक्षम प्राधिकारी की ओर से पात्रता के निर्धारण में या वरिष्ठता के निर्धारण में वास्तविक गलती वहां हो जहां वह वास्तविक आंकड़ों से सम्बन्धित "अंकों" पर निश्चित की जाती हो।

× वित्त विभाग की अधिसूचना सं० एफ 1 (34) वित्त वि./ए (नियम) 66 दि० 15-10-69 द्वारा विलोपित।

÷ वित्त विभाग की अधिसूचना सं० एफ 1 (101) वित्त वि, ए/नियम/66 दि० 17-7-67 द्वारा निविष्ट।

(घ) सेवा के एकीकरण की प्रक्रिया में चयन से सम्बन्धित नियमों या आदेशों का गलत प्रयोग या अनुपालना

फिर भी निम्न प्रकार के मामलों में पूर्व प्रभाव से पदों को सृजित/अप ग्रेड कर पदोन्नति नहीं की जानी चाहिए—

(क) जहां प्रथम बार वरिष्ठता निर्धारित की जाती हो

(ख) जहां सिद्धान्तों में परिवर्तन कर वरिष्ठता पुनः निश्चित की जाती हो

(ग) जहां मैरिट के पुनर्निर्धारण द्वारा वरिष्ठता पुनः निश्चित की जाती हो।

(घ) जहां मैरिट के पुनर्निर्धारण द्वारा उच्चतर पद पर बाद में चयन किया हो।

*निर्णय सं० 6—वित्त विभाग के आदेश दि० 17-7-67 (निर्णय सं० 5) के अनुसार वित्त विभाग की अनुमति से उक्त आदेश के पैरा 1 में वर्णित मामलों में अधिसंख्यक पदों का सृजन कर या पदों को अपग्रेड कर पूर्व प्रभाव से पदोन्नति दी जा सकती है।

एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि क्या ऐसे मामले जो उक्त आदेश जारी होने से पूर्व हुए हैं तथा जिनमें पूर्व प्रभाव से पदोन्नति नहीं दी गई थी एवं/या पुन स्थिरिकरण का लाभ ही स्वीकृत/अस्वीकृत किया गया था, पुनः विचारे जा सकते हैं तथा उक्त आदेश के अनुसार तय किए जा सकते हैं। मामले की जांच करली गयी है तथा यह निर्णय किया गया है कि चूंकि पूर्व प्रभाव से पदोन्नति देने का निर्णय सरकार द्वारा दि. 8-7-66 को लिया गया था (यद्यपि आदेश दि० 17-7-67 को जारी किया गया है) अतः उक्त सभी कर्मचारियों के मामले जो दि० 8-7-66 को या उसके बाद सेवा निवृत हो गए हैं, उक्त आदेश के अनुसार पुनः विचार कर निपटाए जाएं बशर्ते कि इस हेतु निवेदन सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी द्वारा विशिष्ट रूप से लिखित में किया जाए।

नियम 19. लीयन का परिवर्तन (Transfer of lien)—नियम 20 के प्रावधानों के अनुसार किसी राज्य कर्मचारी के लीयन को समान केडर के दूसरे स्थाई पद में बदल सकती है यदि वह उस पद पर कार्य नहीं कर रहा है जिस पर कि उसका लीयन है, चाहे वह लीयन निलम्बित ही क्यों न किया गया हो।

नियम 20. (क) राज्य कर्मचारियों का स्थानान्तरण (Transfer)—सरकार एक पद से दूसरे पद पर, (सिवाय निम्न शर्तों के) राज्य कर्मचारियों का स्थानान्तरण कर सकती है—

(1) कार्य में अकुशलता (Inefficiency) के कारण या दुर्व्यवहार के कारण, या

(2) उसके लिखित रूप में प्रार्थना पत्र देने पर।

एक राज्य कर्मचारी नियम 50 के अन्तर्गत किसी कार्यवाहक पद पर नियुक्त किये जाने के अतिरिक्त स्थाई रूप से किसी ऐसे पद पर नियुक्त नहीं किया जावेगा जिसका वेतन उसके उस स्थाई पद के वेतन से कम हो, जिस पर कि उसका लीयन है या यदि नियम 17 के अन्तर्गत उसका लीयन निलम्बित नहीं किया जाता तो उस पद पर उसका लीयन होता।

+टिप्पणी—नियम 215 के खण्ड (ख) के अनुसार पद की समाप्ति पर किसी निम्न पद की स्वीकृति के मामलों को छोड़कर, स्थायी पद के जिस पर कि राज्य कर्मचारी अपना पूर्वाधिकार

---

* वित्त विभाग की अधिसूचना स० एफ 1 (101) वित्त वि/ए/नियम/66 दि० 10-6-68 द्वारा निविष्ट

+ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ 1 (65) एफ डी (ई आर) 66 दिनांक 23 सितम्बर 1966 द्वारा शामिल किया गया।

(लीयन) रखता है, वे वेतन से कम से कम वेतन वाले किसी पद पर स्थानान्तरण किया जाना एक प्रकार से उसके पद (रैंक) में कमी किए जाने की शास्ति (पेनल्टी) देना समझा जाता है एवं इस प्रकार कि शास्ति (पेनल्टी) केवल राजस्थान सिविल सर्विस (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही दी जा सकती है।

निर्णय संख्या 1- विषय पर गम्भीरता पूर्वक विचार करने के बाद यह निर्णय किया गया है कि उस सेवा/ग्रेड/टाइम स्केल आदि में स्थाई पदों की अनुपलब्धि होने की दशा में सम्बन्धित व्यक्तियों का लीयन रखने हेतु ऐसे पदों का सृजन निम्न सेवा/ग्रेड/टाइम स्केल आदि में करना उचित रहेगा। इस सम्बन्ध में यह भी ध्यान रखा जावे कि जहां तक निम्न सेवा/ग्रेड/टाइम स्केल आदि में अधिकांश पदों (सुपरन्युमेररी पद) पर अवनत किए गए अधिकारी का लीयन रखना आवश्यक है, तो उच्च पद जिसको कि उसके द्वारा रिक्त किया गया है, उसे स्थाई रूप से या अन्यथा प्रकार से नहीं भरा जाना चाहिए तथा उस उच्च पद पर नियुक्ति या उन्नति उसी समय की जा सकेगी जबकि वह राज्य कर्मचारी उस निम्न ग्रेड में प्रायः स्थाई पद पर नियुक्त किया जा सके, जिस पर कि वह अवनत किया गया है या रिवर्ट किया गया है।

निर्णय संख्या 2—वित्त विभाग के आदेश दिनांक 2-1-61 में (निर्णय संख्या 1) आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्णय किया गया है कि जब एक राज्य कर्मचारी की कटौती के कारण एक स्थाई पद रिक्त कर दिया जाता है तो उसे कटौती किये जाने की तारीख से एक साल की अवधि समाप्त होने से पूर्व स्थाई रूप से नहीं भरा जाना चाहिये।

जब एक साल की अवधि व्यतीत हो जाए तथा ऐसा पद स्थाई रूप से भर लिया जावे, तथा मूल राज्य कर्मचारी उसके बाद पुनः राज्य सेवा में ले लिया जावे तो उसे एक ऐसे पद पर नियुक्त किया जाना चाहिये जो कि उसी वेतन शृंखला में स्थाई रूप से खाली हो जिसमें कि उसका पूर्व स्थाई पद था। यदि स्थान खाली न हो तो उसे एक सुपरन्युमेररी (अधिसंख्य) पद पर लगाया जाना चाहिये जो उचित स्वीकृति द्वारा सृजित किया जा सकता है एवं जिसे उसके समान वेतन शृंखला वाले अन्य स्थाई पद के रिक्त होने पर समाप्त किया जा सके।

(ख)—इस नियम के खण्ड (7) में या नियम 7 के खण्ड (17) में वर्णित कुछ भी किसी एक राज्य कर्मचारी की किसी एक ऐसे पद पर बदली करने में नहीं रोक सकेगा जिस पर कि यदि उसका लीयन नियम 17 के खण्ड (क) के अनुसार निलम्बित न किया गया होता तो वह अपना लीयन रखता।

नियम—21—एक राज्य कर्मचारी को ऐसे नियमों के अनुसार जिसे कि सरकार आदेशों द्वारा निर्धारित करे, आवश्यक जीवन बीमा योजना में धन जमा कराना जरूरी होगा। जहां राजस्थान राज्य कर्मचारी जीवन बीमा नियमों में निर्धारित उम्र से अधिक उम्र होने के कारण तथा मेडीकल आधार पर अयोग्य होने के कारण कोई प्रथम या अग्रिम आश्वासन नहीं स्वीकृत किया जा सके तो उनको सामान्य भविष्य निधि में अंशदान जमा कराना पड़ेगा।

नियम 22—वेतन एवं भत्ता प्राप्त करने की शर्तें – इस नियमों में रखे गये विशिष्ट अपवादों के अतिरिक्त जिस दिन से राज्य कर्मचारी अपने पद का कार्यभार संभालेगा, वह उस दिन से नियमानुसार वेतन व भत्ता प्राप्त करेगा और जैसे ही वह उन सेवाओं को करने से बन्द हो जायगा उसे वेतन व भत्ता मिलना बन्द हो जायेगा।

टिप्पणी :—'आफिस के चार्ज' एवं अधिकार क्षेत्र छोड़ने के सम्बन्ध मे प्रशासनिक निर्देशनों के लिए कृपया परिशिष्ट I देखें।

जांच निर्देशन:-एक राज्य कर्मचारी पद के धारण करते समय उसके साथ संलग्न वेतन एवं भत्तों को उसी दिन से प्राप्त करना शुरू करेगा जिस रोज से वह कार्य भार धारण करता है। यदि उस दिन कार्यभार उसे मध्यान्ह-पूर्व संभलाया गया हो। यदि कार्य भार (चार्ज) मध्यान्ह के बाद संभलाया जावे तो वह अपना वेतन व भत्ता अगले दिन से प्राप्त करना शुरू करेगा।

नियम 22 क. प्रशिक्षण काल में दी गई धनराशि वापिस जमा कराना—(1) जब किसी राज्य कर्मचारी को नियुक्ति राजपत्रित पद पर हो जाने पर यदि उसे अपने पद का स्वतन्त्रतापूर्वक कार्यभार संभालने के पहिले किसी विशिष्ट निर्धारित समय के लिये प्रशिक्षण में जाना पड़ता हो, यदि ऐसा राज्य कर्मचारी प्रशिक्षण की अवधि में या उस प्रशिक्षण के पूर्ण होने के दो वर्ष के भीतर त्याग पत्र दे देता है अथवा अन्य जगह नियुक्ति पर चला जाता है तो वह उसे प्रशिक्षण काल में प्राप्त हुई धनराशि को ऐसे प्रशिक्षण में सरकार द्वारा खर्च किए गए अन्य व्यय सहित, सरकार को लौटा देगा। लेकिन सम्बन्धित नियमों के अनुसार जो दैनिक एवं यात्रा भत्ता उसे मिलेगा, वह धनराशि शामिल नहीं की जाएगी।

लेकिन शर्त यह है कि यह धनराशि उस समय वापिस करना जरूरी नहीं होगा जब सरकार की राय में राज्य कर्मचारी को दिया गया प्रशिक्षण उसकी नई नियुक्ति में भी लाभदायक सिद्ध हो सकेगा।

(2) ऐसे प्रत्येक राज्य कर्मचारी को उसके प्रशिक्षण के चालू होने से पूर्व एक अनुबन्ध पत्र (बोण्ड) परिशिष्ट 18 क. में दिए गए प्रपत्र (फार्म) में भरना पड़ेगा।

नियम 23. (1) किसी भी राज्य कर्मचारी को लगातार 5 वर्ष से अधिक समय का किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

+ (2) एक राज्य कर्मचारी के सरकारी सेवा मे न रहने की शर्तें—जब कोई राज्य कर्मचारी 5 साल तक लगातार अवकाश पर रहने के बाद सेवा पर उपस्थित नहीं होता है या जब कोई राज्य कर्मचारी अवकाश व्यतीत हो जाने पर सेवा (ड्यूटी) से अनुपस्थित रहता है सिवाय इसके कि वह कुछ ऐसे समय के लिए विदेशी सेवा में हो या निलम्बित हो जो कि उसको स्वीकृत किए गए अवकाश के समय को मिलाकर पांच वर्ष से ज्यादा हो, तो वह, जब तक कि राज्यपाल मामले को अपवाद स्वरूप परिस्थिति में अन्यथा प्रकार से आदेश न दे, राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 में दी गई प्रक्रिया को अपनाने के बाद सेवा से हटा (रिमूव) दिया जाएगा।

निर्णय :-यह आदेश दिया गया था कि नियम 23 ऐसे मामलों में लागू नहीं होता है जिनमें एक राज्य कर्मचारी, उसे निलम्बित किए जाने के आदेश के कारण, अपने पद के कार्यभार को संभालने से रोका जा रहा है। इसलिए ऐसे मामले में राजस्थान सेवा नियमों के नियम 23 की शर्तों के अनुसार सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना जरूरी नहीं है। फिर भी, राज्य सरकार एवं सम्ब-

---

+ वित्त विभाग की अधिसूचना सं०. एफ। (66) वित्त वि (नियम) 66 दि० 8-4-70 द्वारा संशोधित।

म्बित राज्य कर्मचारी के हित की दृष्टि से यह आवश्यक है कि निलम्बित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामलों को शीघ्र निपटाया जाना चाहिए तथा यथाशीघ्र अन्तिम आदेश जारी कर दिए जाने चाहिए।

23. क. (1) उप नियम (2) में दिये गए के सिवाय, एक अस्थाई राज्य कर्मचारी की सेवायें किसी भी समय राज्य कर्मचारी द्वारा नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी को या नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा राज्य कर्मचारी को लिखित में नोटिस दिया जाकर समाप्त की जा सकती है। इस प्रकार के नोटिस की अवधि, जब तक राज्य कर्मचारी एवं राज्य सरकार एक दूसरे से सहमत नहीं हो जाते हैं एक माह होगी।

परन्तु शर्त यह है कि किसी भी ऐसे राज्य कर्मचारी की सेवा नोटिस की अवधि के समय की राशि के समान राशि का भुगतान कर, सरकार इसकी सेवाओं को तत्काल समाप्त कर सकती है, या वह नोटिस की अवधि में जितने दिन बाकी रहे उतने दिन का या अनुरूप किए गए किसी लम्बे समय की राशि का भुगतान कर, उसकी सेवाओं को तत्काल समाप्त कर सकती है। भत्तों का भुगतान उन शर्तों के अनुसार होगा जिनके कि अन्तर्गत ऐसे भत्ते स्वीकृत हों।

(2) एक अस्थाई राज्य कर्मचारी की सेवायें—

(क) जो लगातार तीन साल से अधिक समय से सेवा में चला आ रहा हो, एवं

(ख) जो पद के लिए निर्धारित उम्र तथा योग्यता से पूर्णतया योग्य ठहरता हो तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग की सलाह से, जहां यह सलाह आवश्यक हो, नियुक्त हुआ हो।

समाप्त की जा सकेंगी —

(i) उन्हीं परिस्थितियों में एवं उन्हीं तरीकों में जिनमें कि एक स्थाई कर्मचारी की सेवा समाप्त की जाती है।

(ii) जब प्राप्य पदों की संख्या में कमी की गई हो तो उन राज्य कर्मचारियों को निकाला जावे जो स्थाई सेवा में न हों,

परन्तु शर्त यह है कि किसी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी के अधीन केडर में पदों की कमी किए जाने के परिणाम स्वरूप सेवाओं की समाप्ति कनिष्ठता (Juniority के आधार पर की जावेगी।

+टिप्पणी-अभिव्यक्ति "पद के लिए निर्धारित अर्हताएं" से तात्पर्य उन अर्हताओं से है जिनके कि पूरा करने पर ही, विचाराधीन व्यक्ति पद पर भर्ती किया जा सकता था तथा इसमें पद पर स्थाई नियुक्ति के लिए पात्रता को विनियमित करने वाले नियमों तथा संविधान के अनु० 309 के परन्तुक के अधीन प्रख्यापित नियमों की अनुपालना भी शामिल है।

निर्णय—यह ध्यान में लाया गया है कि कुछ कार्यालयों में अस्थाई पदों पर नियुक्त कर्मचारियों से एक वचन प्राप्त करने की प्रथा चालू है यदि वे एक माह का उचित नोटिस दिये बिना ही त्याग-पत्र दे देते हैं तो वे नोटिस के समय का वेतन एवं भत्ता राज्य सरकार को जमा करायेंगे।

राजस्थान सेवा नियमों के नियम 23 क. द्वारा सरकार एक अस्थाई राज्य कर्मचारी की सेवाओं को तो नोटिस अवधि का वेतन एवं भत्ता देकर सभी समय समाप्त कर सकती है परन्तु यह

+ वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 1 (36) वित्त वि./(नियम) 70 दिनांक 24-6-70 द्वारा निविष्ट।

प्रावधान उस नियम में नही दिया गया है कि यदि राज्य कर्मचारी उचित समय का नो
कार को नहीं देता है तो ऐसी रकम सरकार को जमा करावे । यह प्रावधान स्पष्ट था । र
की अरजि कर्मचारी एव सरकार दोनों के अनेक कार्य साधती है । जहां तक कर्मचारी क
है उसके लिए अवधि का वेतन एवं भत्ता उस नोटिस अवधि की उचित मजदूरी है पर
करने वाले प्राधिकारी के लिए उस पद पर नियुक्ति का प्रबन्ध करने व नये कर्मचारी
चार्ज सम्भालने मे बड़ी असुविधा होती है यदि वह उस पद पर नियुक्ति के प्रबन्ध के लिए
व्यक्ति को उसका चार्ज दिलाने के लिए उचित समय का नोटिस प्राप्त नहीं करता है । य
यह तर्क किया गया है कि यदि उचित समय पर नोटिस देने की शर्त पर बल देने का
नीय प्रावधान नहीं होगा तो बिना उचित समय के नोटिस देने की प्रवृत्ति का कोई अन्त न
ऐसे मामलों मे नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी त्यागपत्र स्वीकार करने से मना कर सक
यदि राज्य कर्मचारी बिना इजाजत के कार्यालय से रुक जाता है तो वह उसके विपरीत
नात्मक कार्यवाही कर सकता है । विशेष रूप से खराब मामलों मे ऐसे अधिकारी को
निर्भर रहेगा कि वह उसके सम्बन्धित अधिकारियों को कर्मचारी के चरित्र एवं उसके सेव
आदि के बारे में अपनी राय आदि दे सकेगा कि वह सरकार के अधीन सेवा करने यो
नहीं है । उसके लिए यही पर्याप्त दण्ड होगा ।

सभी दृष्टिकोणों को ध्यान मे रखते हुए यह निर्णय किया गया है कि अस्थाई र
चारियों से नोटिस पीरियड का वेतन एव भत्ता वसूल करने के वचन लेने की आदत को
पहिले समाप्त नहीं की गई है, तत्काल समाप्त कर देना चाहिए । अस्थाई राज्य क
नोटिस के बदले मे कोई वेतन वसूल नहीं करना चाहिए । जहां उसकी जगह पर अन्य स
नियुक्ति का किया जा सकता हो, वहां नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी आपसी समझौते के
नोटिस के समय को कम कर सकता है या (राजस्थान सेवा नियम के परिशिष्ट 9) श
अनुसूचि के क्रम संख्या 4 ख द्वारा राज्य कर्मचारी के लिए नोटिस की शर्तों को समाप्त
है । जहां यह सम्भव न हो तथा त्यागपत्र स्वीकृत न किया जा सकता हो, तो उसके वि
वाही उपरोक्त पेरा 2 के अन्त मे कहे गये अनुसार की जा सकती है ।

भाग ३

अध्याय ४ वेतन (Pay)

+**नियम 24.** किसी समय वेतनमान में किसी पद पर सरकारी सेवा में नि
प्रारम्भिक वेतन के रूप में उस वेतनमान का न्यूनतम या ऐसी स्टेज पर प्राप्त करेगा जि
द्वारा निर्धारित या अनुमोदित किया जाय परन्तु शर्त यह है कि वह उसके द्वारा धारि
लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत वेतन से अधिक नही होगा तथा सरकार की स्वीकृ
कोई विशेष या वैयक्तिक वेतन सरकारी कर्मचारी को स्वीकृत नही किया जायेगा ।

अपवाद—स्कूलों एवं महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य करने वाले सरकारी क
राजस्थान सेवा नियमों के नियम 97 के नीचे निर्णय संख्या 1 के पैरा 1 के अनुसार वेके

+ वित्त विभाग की अधिसूचना सं. एफ 1 (50) वित्त वि. (नियम) 66 दिनांक 22-8-
प्रतिस्थापित ।

प्राप्त करते हैं, उनके लिए नए शिक्षण सत्र में उसी पद पर पुनर्नियुक्ति होने पर प्रारम्भिक वेतन, विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन या वेतन के रूप में वर्गीकृत अन्य परिलब्धियों के अतिरिक्त अन्य उस वेतन से कम नहीं होगा जिसे उसने ऐसे गत अवसर पर प्राप्त किया था तथा वह गत ऐसे समय की अवधि को जिसमें उसने वेतन प्राप्त किया था, उस वेतन के समकक्ष समय वेतनमान की स्टेज में वेतन वृद्धि के लिए गिना जाएगा बशर्ते कि वह अपना कार्य ग्रहण अगले शिक्षण सत्र के खुलने की तारीख से एक माह की अवधि के भीतर कर लेता है।

नियम 25. प्रशिक्षण काल आदि में वेतन—नियम 7 (8) (ख) के अन्तर्गत ड्यूटी (सेवा) के रूप में समझे गये किसी भी समय के बारे में किसी भी राज्य कर्मचारी को ऐसा वेतन स्वीकृत किया जा सकता है जिसे राज्य सरकार न्यायोचित समझे। लेकिन किसी भी परिस्थिति में वह वेतन उस वेतन से अधिक नहीं होगा जिसे कि राज्य कर्मचारी, यदि नियम 7 (8) (ख) के अधीन ड्यूटी के अतिरिक्त अन्य ड्यूटी पर रहता तो प्राप्त करता।

टिप्पणी—यदि कोई राज्य कर्मचारी नियम 7 (8) (ख) (iii) के नीचे दी गई टिप्पणी के अधीन अपनी नियुक्ति के आदेश के लिए इन्तजार कर रहा हो तो वह उस पद का वेतन पाने का अधिकारी होगा जिस पद पर वह अन्त में काम कर रहा था उस पद का वेतन प्राप्त करेगा जिस पर कि वह अपना नया चार्ज संभालेगा। परन्तु इन दोनों में से जिसका वेतन कम होगा, वही उसे मिलेगा।

जांच निर्देशन—एक राज्य कर्मचारी जो कि निर्देशन के पाठ्यक्रम में या प्रशिक्षण में या कर्त्तव्य (ड्यूटी) पर भाना जाता है तथा जो कि जिस समय वह ऐसी ड्यूटी पर लगाया गया था, अपनी कार्यवाहक नियुक्ति का वेतन प्राप्त कर रहा था, उसे वही कार्यवाहक वेतन प्राप्त करने की स्वीकृति दी जानी चाहिए जिसे कि वह ड्यूटी पर रहता तो समय समय पर नियम 7 (8) (ख) के अन्तर्गत ड्यूटी के अतिरिक्त रूप में प्राप्त करता रहता। उसे वह वेतन स्वीकृत किया जाना जरूरी नहीं है जिसे वह प्रशिक्षण पर रवाना होने के पूर्व प्राप्त कर रहा हो।

स्पष्टीकरण (Clarification)—एक प्रश्न उठाया गया है कि प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में प्रतिनियुक्त एक राज्य कर्मचारी के लिए किन किन परिस्थितियों में विशेष वेतन स्वीकृत किया जाना चाहिए। मामले की जांच की गई है तथा एतद्द्वारा यह स्पष्टीकरण किया जाता है कि यदि कोई अधिकारी उन सेवाओं से सम्बन्धित प्रशिक्षण के लिए, जिस पर कि स्पेशल पे मिलती हो या जिसकी समान सेवा हो, प्रतिनियुक्त किया जाता है तो उसे विशेष वेतन प्रशिक्षण काल में उस ही पद का मिलेगा जिसे कि वह प्रशिक्षण में जाने के पूर्व पद पर कार्य कर, प्राप्त कर रहा था।

जो मामले उक्त अवतरण 1 के अन्तर्गत नहीं आते हैं, परन्तु यदि प्रशिक्षण किसी ऐसे एक पद के लिए दिया जा रहा है जिस पर कि विशेष वेतन मिलेगा तो राज्य कर्मचारी को उस पद का विशेष वेतन प्रशिक्षण काल में स्वीकृत किया जा सकता है। जो मामले उक्त अवतरण सं० 1 व 2 के अन्तर्गत नहीं आते हैं, उन्हें प्रशिक्षण काल में साधारण रूप से विशेष वेतन स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

प्रशिक्षण काल में विशेष वेतन प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार के विशिष्ट आदेशों की जरूरत होगी।

पहिले के मामले जिन पर निर्णय दिया जा चुका है, उन्हें पुनः छेड़ने की कोई जरूरत नहीं होगी।

निर्णय संख्या 1—एक प्रश्न उठा है कि प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम मे प्रतिनियुक्त राज्य कर्मचारी के लिए राजस्थान सेवा नियमों के नियम 25 के अन्तर्गत किन परिस्थितियों में विशेष वेतन स्वीकृत किया जाना चाहिए। मामले की जांच की गई तथा राजस्थान सरकार ने वित्त विभाग के मीमो दिनांक 6-2-61 (उक्त स्पष्टीकरण) के प्रतिक्रमण में निम्नलिखित निर्णय लिये हैं—

(1) निम्न दशाओं में प्रशिक्षण काल में विशेष वेतन दिया जा सकेगा—

(1) यदि अधिकारी ऐसे प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है जो कि उसके उन कर्त्तव्यों से सम्बन्धित है, जिन्हें वह विशेष वेतन प्राप्त करते हुये या समान कर्त्तव्य करते हुए पूरा कर रहा था।

(2) यदि प्रशिक्षण ऐसे पद के लिए दिया जा रहा हो जिस पर उसे प्रशिक्षण के लिए रवाना होने से पूर्व अपने पद पर पा रहे विशेष वेतन के बराबर या उससे अधिक वेतन मिलने वाला हो।

(2) उपरोक्त कहे गए मामलों में विशेष वेतन की स्वीकृति, फिर भी, निम्नलिखित शर्तों के आधार पर दी जाएगी।

(i) यदि वह प्रशिक्षण पर रवाना होने से पूर्व विशेष वेतन प्राप्त कर रहा हो, एवं

(ii) यदि वह अधिकारी प्रशिक्षण पर न जाता तो वह अधिकारी उस पद पर कार्य करता रहता जिससे कि वह प्रशिक्षण के लिए रवाना हुआ। या वह एक ऐसे पद को धारण करता रहता जो उसके समान विशेष वेतन वाला होता या उससे अधिक होता जिस पर कि वह प्रशिक्षण पर जाने के पूर्व काम कर रहा था।

निर्णय संख्या 2—यह प्रश्न कि, क्या प्रशिक्षण काल में राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7 (8) (ख) (1) के अन्तर्गत एक राज्य कर्मचारी को, जो ड्यूटी के रूप में समझा जाता है, क्षतिपूरक भत्ता (कम्पेन्सेटरी अलाउन्स) स्वीकृत किया जा सकता है, कुछ समय तक सरकार के विचाराधीन था। मामले की जांच कर ली गई है तथा यह आदेश दिया गया है कि जब तक अन्यथा प्रकार से कुछ नहीं दिया हुआ हो, एक राज्य कर्मचारी को, जो राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7 (8) (ख) (1) के अन्तर्गत प्रशिक्षण काल में ड्यूटी के रूप में माना जाता है, ऐसी अवधि में किसी प्रकार का क्षतिपूरक भत्ता स्वीकार किया जा सकता है जिसे वह प्राप्त करता लेकिन प्रशिक्षण पर रवाना होने के कारण प्राप्त नहीं कर सका। बशर्ते कि उस प्रशिक्षण की अवधि 130 दिनों के ज्यादा न हो।

यह जारी होने की तारीख अर्थात 27-2-65 से लागू होगी।

+ निर्णय सं० 3—वित्त विभाग के आदेश दिनांक 27-2-65 (उक्त राजस्थान सरकार का निर्णय सं० 2) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें प्रशिक्षण के लिए सरकारी कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र अभिलिखित करने पर विचार किया गया है।

+ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ 1 (22) वित्त वि (व्यय-नियम) 63 दिनांक 17-1-66 द्वारा निविष्ट।

सरकार के सभी प्रशासनिक विभागों से निवेदन है कि कोई अधिकारी, जहाँ नियुक्ति प्राधिकारी सरकार है, प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है, वहाँ इस सम्बन्ध का एक प्रमाण पत्र कि प्रशिक्षण पर रवाना होने के सिवाय अधिकारी नगर (क्षतिपूर्ति) भत्ता प्राप्त करता रहता, दिया जा सकता है तथा इसकी एक प्रति भत्तों को प्राधिकृत करने हेतु महा लेखाकार राजस्थान के पास भेजी जा सकती है।

× निर्णय सं० 4—राजस्थान सेवा नियमों के नियम 25 के नीचे दी गयी टिप्पणी में अन्तर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार, एक राज्य कर्मचारी, जो प्रस्थापना आदेशों (पोस्टिंग आर्डर) की प्रतीक्षा कर रहा हो, उस पद का वेतन प्राप्त करने का हकदार है जिसे उसने अन्त में धारण किया था या वह उस वेतन को प्राप्त करने का हकदार है जिसे वह अपने नए पद का कार्यभार सम्भालने पर प्राप्त करेगा। परन्तु इनमें से जो कोई भी कम होगा, वह उसे प्राप्त करेगा। उपर्युक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, प्रस्थापना आदेशों (पोस्टिंग आर्डर्स) की प्रतीक्षा करने वाले राज्य कर्मचारी जब तक वे नए पद का कार्यभार नहीं सम्भाल लेते हैं, प्रस्थापना आदेशों की प्रतीक्षा की अवधि के वेतन के लिए प्राधिकृत नहीं हैं। इससे सम्बन्धित अधिकारियों को काफी आर्थिक कठिनाई होती है।

(2) मामले की जांच करली गयी है तथा यह निर्णय किया गया है कि एक राज्य कर्मचारी जो अपनी नियुक्ति के आदेश की प्रतीक्षा कर रहा हो, उसे प्रस्थापना आदेशों की प्रतीक्षा की अवधि के दौरान वेतन निम्नलिखित प्रकार से, अस्थायी तौर पर, उस वेतन के समायोजन की शर्त के अधीन रहते हुए जो बकाया हो तथा जो उपर्युक्त निर्दिष्ट 'टिप्पणी' के अधीन नए पद का कार्यभार लेने के लिए प्राधिकृत हो, भुगतान किया जा सकता है :—

(1) यदि पूर्व पद संस्थायी रूप में धारण किया गया हो या वह सेवा में कोई ऐसा संवर्ग या पद हो जिससे उसका सम्बन्ध है।	पूर्व पद का विशेष वेतन रहित (यदि कोई हो) स्थाई वेतन।
(2) यदि पूर्व पद पर कार्यवाहक या अस्थाई रूप में कार्य कर रहा हो।	विशेष वेतन रहित (यदि कोई हो) धारण किए गए पद का वेतन।
(3) यदि अवकाश से लौट रहा हो।	अन्तिम अवकाश वेतन (सीव सेलेरी) के बराबर वेतन।

(3) यह आदेश इसके जारी होने की तारीख से प्रभावशील होगा। लेकिन एक ऐसे राज्य कर्मचारी के सम्बन्ध में, जो इस आदेश के जारी होने की तारीख से ठीक पूर्व अपनी प्रस्थापना के आदेशों की प्रतीक्षा कर रहा हो, यह आदेश उस तारीख से प्रभावशील होगा जिससे कि राज्य कर्मचारी अपनी प्रस्थापना आदेशों की प्रतीक्षा कर रहा था।

※ निर्णय संख्या 5—प्रशिक्षण काल में क्षतिपूर्ति भत्ता उठाने सम्बन्धी समस्त पूर्व आदेशों के अतिक्रमण में यह आदेश दिया जाता है कि जब तक अन्यथा प्रावहित न हो, सरकारी

× वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ 1 (93) एफ डी (व्यय-नियम) 66 दिनांक 14-12-66 द्वारा शामिल किया गया।

※ वित्त विभाग के आदेश सं० एफ 1 (22) वित्त वि० (व्यय-नियम) 63 दिनांक 6-2-67 द्वारा निविष्ट।

कर्मचारी जिसे राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7 (8) (ख) (1) के अधीन प्रशिक्षण काल में ड्यूटी पर माना जाता है, उसे उक्त अवधि के दौरान कोई भी क्षतिपूर्ति भत्ता स्वीकृत किया जा सकता है जिसे प्रशिक्षण पर रवाना होने के अलावा प्राप्त करता परन्तु यह है कि प्रशिक्षण की अवधि 120 दिन से अधिक न हो तथा इसके साथ यह शर्त है कि जिस सक्षम प्राधिकारी को सरकारी कर्मचारी को प्रशिक्षण पर भेजने की शक्ति प्रदान की गई है, उसके द्वारा निम्नलिखित प्रपत्र में एक प्रमाण पत्र दे दिया जाए—

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / कुमारी / श्रीमती .... जो .... विभाग में .... पद पर हैं एवं जो आदेश सं० .... दिनांक .... के अधीन प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किए गए हैं, निम्न भत्ते प्राप्त करते यदि वह प्रशिक्षण पर रवाना नहीं होते/होतीं।

(1) मकान किराया भत्ता
(2) परियोजना भत्ता
(3) राजस्थान नहर परियोजना में डेजर्ट भत्ता
+(4) विलोपित
(5) ग्राम्य भत्ता
(6) नगर क्षतिपूर्ति भत्ता
(7) सीमा सड़क निर्माण भत्ता

यह और प्रमाणित किया जाता है कि सरकारी कर्मचारी का परिवार उसी स्थान पर रहा है जहां उक्त भत्ता स्वीकार्य है।

(जो आइटम अप्रयोज्य हो, काट दें)

नियम 26—किसी समय वेतनमान वाले (Time Scale) पद पर नियुक्ति होने पर आरम्भिक (इनिशियल मूल वेतन को नियमित करना—(1) एक राज्य कर्मचारी जो पहले से ही एक सेवा संवर्ग (केडर) या विभाग में सेवा कर रहा हो एवं जो सेवा नियमों के अनुसार पदोन्नति द्वारा नियुक्त न किया जाकर सीधी भर्ती या विशिष्ट चयन द्वारा (एक सेवा, संवर्ग या विभाग से दूसरी सेवा संवर्ग या विभाग में, प्रतिनियुक्ति के अतिरिक्त अन्य तरीके से स्थानान्तरण को शामिल करते हुए) किसी अन्य सेवा, संवर्ग या विभाग में नियुक्त हो गया हो तो उसका प्रारम्भिक वेतन (इनिशियल पे) इस प्रकार निश्चित किया जाएगा।

÷ श्रेणी पुराने पद पर अन्तिम वेतन	नए पद पर प्रारम्भिक वेतन (इनिशिएल पे)
(क) किसी स्थाई पद पर स्थाई रूप से नियुक्त हो एवं किसी उच्च पद पर कार्यवाहक काम न कर रहा हो।	(क) श्रेणी (क) में वर्णित व्यक्ति का प्रारम्भिक वेतन निम्न तरीके से तय किया जाएगा—

+ "प्रेक्टिस बंदी भत्ता" पूर्व प्रभाव से वित्त विभाग की आज्ञा सं० एफ 1 (22) वित्त वि० (व्यय-नियम)/63 दिनांक 12-9-67 द्वारा विलोपित किया गया।

÷ वित्त विभाग के आदेश सं० एफ 1 (94) एफ डी० (व्यय-नियम) 66 दिनांक 31-12-66 द्वारा परिवर्तित किया गया। ये संशोधन 1-1-67 से प्रभावशील होंगे।

(1 यदि नए पद का अधिकतम वेतन पुराने पद के अधिकतम वेतन से ज्यादा हो, तब वेतन नए पद के वेतनमान मे, पुराने पद के अन्तिम मूल वेतन से आगे की स्टेज पर निश्चित किया जाएगा।

(2) यदि नए पद के वेतनमान का अधिकतम पुराने पद के अधिकतम के बराबर या उससे कम हो तो वेतन नए पद के वेतनमान की उस स्टेज पर निश्चित किया जाएगा जो कि उसके पुराने पद के अन्तिम मूल वेतन के बराबर है या यदि ऐसी कोई उसमें स्टेज नहीं है या यदि उस नए पद के वेतनमान मे ऐसी कोई स्टेज नहीं हो तो पुराने पद के अन्तिम मूल वेतन से कम की स्टेज पर निश्चित किया जाएगा तथा अन्तर के बराबर शेष को वैयक्तिक वेतन कर दिया जायेगा।

(3) यदि नए पद का न्यूनतम उपर्युक्त खण्ड (1) व (2) में स्वीकार्य वेतन से अधिक है, तो नए पद का न्यूनतम वेतन दिया जाएगा।

(ख) (1) निम्न पद पर स्थायी लेकिन जो उसी सेवा, संवर्ग या विभाग में किसी उच्च स्थायी या अस्थायी पद पर कार्यवाहक कार्य कर रहा हो, बशर्ते कि ऐसी कार्यवाहक नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन जारी किए गए पदोन्नति सम्बन्धी नियमों के प्रावधानों के अनुसार हो।

(2) यदि स्थायी या अस्थायी पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त हो परन्तु उसकी नियुक्ति सीधी भर्ती, पदोन्नति, विशिष्ट चयन, आपाती भर्ती द्वारा या भारत के संविधान के

(ख) श्रेणी (ख) में वर्णित किसी पेरेग्राफ से शासित होने वाले व्यक्तियों का वेतन निम्न तरीके से निश्चित किया जाएगा।

+(1) यदि नए पद का न्यूनतम वेतन स्थाई रूप से धारित पद के अतिरिक्त अन्य पुराने पद के अन्तिम वेतन के बराबर या उससे अधिक है तो प्रारम्भिक वेतन नए पद के न्यूनतम वेतन पर निश्चित किया जाएगा।

+(2) यदि नए पद का न्यूनतम वेतन स्थायी रूप से धारित पद के अतिरिक्त अन्य पुराने पद के अन्तिम मूल वेतन से कम है तो प्रारम्भिक वेतन नए पद

+ वित्त विभाग (नियम) की अधि. सं० एफ 1 (94) वित्त वि (नियम) 66 I दि० 16-8-69 द्वारा प्रतिस्थापित।

उपर्युक्त पैरा (क) (1), ख (2) एवं ख (3) में वर्णित प्रकार का नहीं था।

(3) स्थायी या अस्थायी पद पर अस्थायी नियुक्ति, जिस पर कि नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन जारी किए गए किन्हीं सेवा नियमों से नियमित नहीं की गई हो एवं जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार के भीतर नहीं हो।

(4) स्थायी या अस्थायी पद पर अस्थायी नियुक्ति जो उपर्युक्त पैरा (1) से (3) में वर्णित प्रकार से भिन्न हो।

(2) उपनियम (1) के प्रयोजन के लिए वेतन का तात्पर्य मूल वेतन, स्थानापन्न वेतन तथा अस्थायी पद का वेतन है तथा इसमें विशिष्ट वेतन शामिल नहीं होगा।

(3) जब नये पद पर नियुक्ति नियम 20 (क) या नियम 215 (ख) के अन्तर्गत राज्य कर्मचारी की प्रार्थना पर की गई हो तथा नए पद का अधिकतम वेतनमान पुराने पद के अधिकतम वेतनमान से कम हो, तो वह नए पद का अधिकतम वेतन प्रारम्भिक वेतन के रूप में प्राप्त करेगा।

*टिप्पणी--सावधिक पद पर नियुक्ति होने पर वेतन का निर्धारण इस उपनियम के अधीन विनियमित किया जाएगा न कि नियम 26 क के अधीन किया जाएगा।

अपवाद—प्रथम प्रावधान के तीसरे उपवाक्य में दी गई यह शर्त, कि अस्थाई पद उसी वेतन शृङ्खला में होने चाहिये जिसमें कि एक स्थाई पद होता है, प्रभावशील नहीं होगी यदि एक अस्थाई पद (1) सरकार या विभाग द्वारा उसी प्रकृति के कार्य के लिये सृजित किया जाता है जैसा कि एक साधारण कार्य के लिए विभिन्न सरकार या विभाग के अधीन किसी केडर में स्थाई पद रहते हैं एवं (2) (जब एक स्थाई पद) सरकार या विभाग के अधीन एक केडर में स्थाई पदों पर लागू होने वाली वेतन शृङ्खला की समान वेतन शृंखला में स्वीकृत किए गए हों।

टिप्पणी—(1) इसमें शामिल नहीं किए गये विशेष पद से या उस केडर से शामिल एक टेन्योर पद से साधारण केडर या सेवा में एक पद पर प्रत्यावर्तन या एक अस्थाई पद से स्थाई पद पर प्रत्यावर्तन, इस नियम के प्रयोजन के लिए उस पद पर स्थाई नियुक्ति नहीं होती।

(2) जब एक राज्य कर्मचारी उसी तारीख को किसी ऊंचे पद पर नियुक्त किया जाता है जिसको कि उसकी वार्षिक वृद्धि निम्न पद में मिलनी होती है तो उच्च पद में उसका प्रारम्भिक वेतन निर्धारण करने के लिए उसके स्थाई मूल वेतन में वह वार्षिक वृद्धि भी मिलाई जावेगी जो कि उस दिन से अर्जित होती है।

* जांच निर्देशन [विलोपित]

(2) एक वेतन शृंखला हाल ही की चालू की हुई हो सकती है जब कि संवर्ग (केडर) या श्रेणी, जिससे वह लगी हुई है, दर शृंखला में (ग्रेडेड-स्केल) टाइम स्केल के अभाव में आने से

---

* वित्त विभाग (नियम) की अधि. सं० एफ 1 (94) वित्त वि (नियम)/66-1 दिनांक 16-8-69 द्वारा निविष्ट एवं जांच निर्देशन सं० 1, 3, 4 व 6 विलोपित तथा दि० 1-1-67 से प्रभावी।

पूर्व ही चली आ रही है या यह हो सकता है कि एक वेतन-श्रृंखला ने दूसरी वेतन श्रृंखला का स्थान ले लिया हो। यदि किसी राज्य कर्मचारी ने नई वेतन-श्रृंखला के लागू होने से पूर्व किसी संवर्ग या श्रेणी में एक पद पर स्थाई या कार्यवाहक रूप से कार्य किया हो तथा उस अवधि में किसी स्टेज के बराबर वेतन प्राप्त किया हो या दो स्टेजों के बीच का वेतन प्राप्त किया हो तो उसका प्रारम्भिक वेतन नई वेतन श्रृंखला में अन्तिम रूप में प्राप्त किये गये वेतन के रूप में, निश्चित किया जाना चाहिये तथा जिस अवधि में यह प्राप्त किया गया था, उसे उसी स्टेज में वार्षिक वृद्धि के लिए गिना जाना चाहिये तथा यदि वेतन दो स्टेजों के बीच का था तो निम्न स्टेज या उस टाइम स्केल में उसका प्रारम्भिक वेतन निश्चित किया जाना चाहिये।

& (3) विलोपित

& (4) विलोपित

(5) यदि कोई राज्य कर्मचारी इस नियम के खण्ड (क के अन्तर्गत व्यक्तिगत वेतन (Personal pay) प्राप्त करता हो, तो जब भी राज्य कर्मचारी की नये अथवा पुराने पद पर समय श्रृंखला में दूसरी वार्षिक वृद्धि बकाया होती हो, तो राज्य कर्मचारी को नये पद की दूसरी वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त करनी चाहिये एवं उसी समय वह अपना व्यक्तिगत वेतन एवं अपने पुराने पद की समय श्रृंखला से सभी सम्बन्ध ढीले कर देगा। किसी भी राज्य कर्मचारी को व्यक्तिगत वेतन केवल उसकी ऐसी नई वेतन श्रृंखला में प्रारम्भिक वेतन तय करने के लिए स्वीकृत किया जाता है जिस पर कि वह अपने पुराने पद पर कार्य करते रहने से कम वेतन प्राप्त करता। व्यक्तिगत वेतन नई स्केल में किसी दूसरे क्रम पर प्रारम्भिक वेतन निर्धारण के लिए स्वीकृत नहीं किया जाता है।

& (6) विलोपित

निर्णय—नियम 261 से 286 के अन्तर्गत परिवार पेन्शन केवल सीमित अवधि के लिए ही स्वीकृत की जाती है। सरकार द्वारा नियुक्त एक अधिकारी के वेतन को नियमित करते समय उसके परिवार पेन्शन के प्राप्त करने के तथ्य को इन नियमों के अधीन नहीं गिना जावेगा।

स्पष्टीकरण (विलोपित)

&**नियम 26 (क)** जब कोई सरकारी कर्मचारी किसी पद पर स्थाई (सब्स्टान्टिव) अस्थाई या स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा हो तथा स्थाई, अस्थाई या 'स्थानापन्न रूप में, उसके सेवा, संवर्ग या विभाग में पदोन्नत की नियमित श्रृंखला में पदोन्नत हो गया' हो, तो उच्च पद के वेतनमान में उसका प्रारम्भिक वेतमान, उसके द्वारा अपने पुराने वेतन में एक वार्षिक वृद्धि देकर जो वेतन आयेगा, उससे एक स्टेज आगे पर निश्चित किया जावेगा।

परन्तु शर्त यह है कि

(1) कि जहां एक राज्य कर्मचारी, अपनी उच्च पद पर पदोन्नति होने के ठीक पूर्व, अपना वेतन निम्न पद के वेतनमान में अधिकतम पर पा रहा हो तो उसका प्रारम्भिक वेतन उच्च पद के वेतनमान में ऐसी स्टेज पर निश्चित किया जाएगा जो उस उच्च वेतनमान में निम्न पद के अधिकतम से ऊपर हो।

& वित्त विभाग की अधिसूचना सं० एफ 1 (94) वित्त वि (नियम) 66-1 दि० 10-8-69 द्वारा नोट निर्देशन सं० 1,2,4, व 6 तथा स्पष्टीकरण विलोपित किया गया तथा दि० 1-1-67 से प्रभावी।

(2) कि इस नियम के प्रावधान, इस नियम के नीचे दी गयी अनुसूची में वर्णित मामलों पर लागू नहीं होंगे। उनके सम्बन्ध में सरकार वेतन निर्धारण के ऐसे अन्य तरीके बतला सकती है जैसा कि वह आवश्यक समझे; एवं

(3) कि नियम 35 क के उप-नियम (2) के प्रावधान किसी ऐसे मामले में लागू नहीं होंगे जहां पर प्रारम्भिक वेतन इस नियम के अन्तर्गत निश्चित किया जाता है।

+ (2) नियम 31 के प्रावधानों के रहते हुए भी, जहां राज्य कर्मचारी का वेतन उपर्युक्त उप नियम (1) के अधीन निश्चित किया जाता है तो उसकी दूसरी वेतन वृद्धि उस तारीख को स्वीकृत की जाएगी जिसको कि वह, यदि निम्न पद पर कार्य करता रहता तो अपनी वेतन वृद्धि प्राप्त करता। परन्तु शर्त यह है कि जहां वेतन, वेतनमान के न्यूनतम पर निश्चित किया जाता है तथा इस प्रकार से निश्चित किया गया वेतन निम्न पद में अगली वेतन वृद्धि एवं उच्च पद में प्रथम वेतन वृद्धि की राशि के बराबर में निम्न पद में उठाया गया वेतन अधिक होता है तो अगली वेतन वृद्धि राजस्थान सेवा नियमों के नियम 31 के अन्तर्गत पूर्ण वेतन वृद्धि के लिए गिने जाने वाली सेवा के पूरा होने पर ही दिया जा सकेगा।

(ये संशोधन 1-1-67 से लागू होंगे)

स्पष्टीकरण:—एक सन्देह उत्पन्न किया गया है कि क्या राजस्थान सेवा नियमों के नियम 26 क के प्रावधान एक ऐसे सरकारी कर्मचारी के मामले में भी लागू किया जाना चाहिए जिसने किसी पूर्व अवसर/अवसरों पर उच्चतर पद को धारण किया था तथा उसी उच्चतर पद पर पदोन्नति पर नियम 26 क के अधीन अधिकृत वेतन से उच्चतर वेतन पर प्राप्त कर रहा था या क्या ऐसे मामले में वेतन, नियम 26 (ख) के परन्तुक के अनुसार स्थिर किया जाएगा।

मामले पर विचार किया गया है तथा यह स्पष्ट किया जाता है कि दि० 1-4-61 में उच्चतर पद पर पदोन्नति होने पर सरकारी कर्मचारियों का वेतन राजस्थान सेवा नियमों के नियम 26 क के प्रावधानों के अधीन ही स्थिर किया जाना है तथा उनका वेतन नियम 26 के अधीन स्थिर नहीं किया जा सकता है यदि वह नियम 26 क के अधीन स्थिर किए गए वेतन से अधिक लाभदायक होता हो।

इस आदेश के जारी होने की तारीख से पूर्व जारी किए गए आदेशों पर पुनर्विचार नहीं किया जाएगा।

निर्णय स० 1:—यह आदेश दिया गया है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी का वेतन जो स्थायी, अस्थायी या स्थानापन्न रूप में सचिवालय/राजस्थान लोक सेवा आयोग/राजस्थान उच्च न्यायालय/राजस्थान विधान सभा/राज्यपाल का सचिवालय में दिनांक 31-8-61 को निम्न लिपिक या आशुलिपिक के पद को धारण कर रहा था, उपर्युक्त विभागों/कार्यालयों में क्रमशः वरिष्ठ लिपिक या वरिष्ठ आशु लिपिक के पद पर स्थायी, अस्थायी या स्थानापन्न रूप में पदोन्नति या नियुक्ति होने पर ऐसी स्टेज पर स्थिर किए जाएंगे जो जिस वेतन को वह प्राप्त कर रहा है उस निम्न पद पर दो वेतन वृद्धि देकर जो प्रकलित वेतन आएगा उससे अगली स्टेज पर स्थिर किया जाएगा।

+ वित्त विभाग की आज्ञा संख्या एफ 1 (8) एफ डी (व्यय नियम)67 दिनांक 21 मार्च 1967 द्वारा तथा + दि० 22-1-68 द्वारा परिवर्तित किया गया।

निर्णय सं० 2:—नियम 26 के नीचे दिए गए राजस्थान सरकार के निर्णय सं० 1 के अतिक्रमण में यह आदेश दिया जाता है कि ऐसे अधिकारी का वेतन जो स्थाई या स्थानापन्न रूप में पदों को धारण कर रहा है, (भवन एवं पथ) शाखा में मुख्य अभियन्ता या मुख्य अभियन्ता, राजस्थान नहर परियोजना या लोक निर्माण विभाग में सिंचाई शाखा के मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) के पद पर स्थायी या स्थानापन्न रूप में परोन्नति या नियुक्ति होने पर, राजस्थान सेवा नियमों के नियम 26 क या 35, जैसी भी स्थिति हो, के अधीन स्थिर किया जाएगा।

+ निर्णय सं० 3 (विलोपित)

अनुसूचि (Schedule)

(1) राजस्थान प्रशासन सेवा (R. A. S.) के अधिकारी जो कि राजस्थान प्रशासन सेवा केडर में सलेक्शन ग्रेड पद पर उन्नत हो गये हों।

(2) राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा (राजस्थान हायर ज्युडिसियल सर्विस) के अधिकारी जो सिविल एण्ड एडीसनल सेशन जज (एवं अन्य समान पदों से), डिस्ट्रिक्ट सेशन जज पद पर (एवं अन्य समान पदों पर) उन्नत किए गए हैं।

(3) नायब तहसीलदार जो तहसीलदार उन्नत कर दिए गए हों।

(4) सेवा में दिनांक 1-9-61 को नियुक्त निम्न लिपिक जो 1-9-61 को या उसके बाद में सचिवालय, राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्यपाल का सचिवालय एवं राजस्थान विधानसभा में उच्च लिपिक के पद पर नियुक्त हो गए हों।

(5) सेवा में दिनांक 1-9-61 को नियुक्त स्टेनोग्राफर जो 1-9-61 को या उसके बाद में सचिवालय, राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्यपाल का सचिवालय एवं राजस्थान विधानसभा में वरिष्ठ स्टेनोग्राफर के पद पर पदोन्नत हो गए हों।

(6) लोक निर्माण विभाग में अपर मुख्य अभियन्ता (एडीसनल चीफ इन्जिनियर) जो भवन एवं सड़क (B&R) शाखा में मुख्य अभियन्ता या मुख्य अभियन्ता, राजस्थान नहर परियोजना (राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट) या लोक निर्माण विभाग की सिंचाई शाखा मुख्य अभियन्ता (हैडक्वार्टर्स) के पद पर उन्नत हुए हों।

(7) R.S.S. केडर के सहायक सचिव से उपसचिव, राजस्थान सरकार के पद पर उन्नत हुए हों।

(8) सचिवालय में स्थाई रूप से नियुक्त एसिस्टेन्ट या स्टेनोग्राफर जो अनुभाग अधिकारी (सेक्शन आफीसर) के पद पर उन्नत हो गए हों।

टिप्पणी—आइटम संख्या 7 व 8 मे वर्णित उन्नतियों के सम्बन्ध मे नियम 26 क० के प्रावधान दिनांक 1-4-61 से 31-8-61 तक प्रभावशील समझे जायेंगे। दिनांक 1-9-61 से उनके वेतन मुख्य नियम के प्रावधानों के अनुसार नियमित किये जायेंगे। आइटम संख्या 3 से 6 तक के सम्बन्ध में उन्नति होने पर दिनांक 1-4-61 से 31-8-61 तक उन्नति होने पर उनका वेतन मुख्य नियमों के प्रावधानों के अनुसार नियमित किये हुए समझे जावेंगे एवं उसका प्रावधान दिनांक 1-9-61 से प्रभावशील समझा जावेगा।

+ वित्त विभाग के आदेश स० एफ 1 (8) वित्त वि (व्यय-नियम) 67 दि० 21-3-67 द्वारा विलोपित तथा दि० 1-1-67 से प्रभावी।

नियम 26 ख—फिर भी, इन नियमों में कुछ दिये गए अनुसार जहां एक राज्य कर्मचारी ने नियम 7 (31) (क) के अन्तर्गत उच्चतर दायित्वों या विशेष प्रकार के कठिनाई के कार्यों को पूरा करने के कारण लगातार रूप से कम से कम 2 वर्ष तक विशेष वेतन प्राप्त किया है, यदि यह अपने द्वारा धारण किये गये पद के दायित्वों से अधिक महत्वपूर्ण कर्तव्यों एवं दायित्वों वाले एक पद पर उन्नत या नियुक्त हो जाता है तथा उसका वेतन एवं उच्च पद का विशेष वेतन दोनों मिलाकर, इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार, उसके द्वारा धारण किए गए पद से कम है, तो यह अन्तर व्यक्तिगत वेतन के रूप में स्वीकृत कर दिया जायेगा जो बाद में वार्षिक वृद्धि में शामिल कर लिया जायेगा।

यह संशोधन 1-9-61 से शामिल किया हुआ समझा जावेगा।

+ अपवाद—राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 27 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार लेखा लिपिकों के लेखाकार के पद पर पदोन्नत होने पर उनके द्वारा आहरित 10 रु० के विशेष वेतन को संरक्षित रखने सम्बन्धी प्रश्न कुछ समय पूर्व से सरकार के विचाराधीन रहा है।

2. मामले पर विचार कर लिया गया है तथा यह निर्णय किया गया है कि उन लेखा लिपिकों द्वारा जो लेखाकार अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर उक्त नियमों के अधीन लेखाकार के पद पर नियुक्त किए गए हैं, आहरित 10 रु० के विशेष वेतन को लेखा लिपिक के पद के वेतनमान में आहरित वेतन के प्रयोजनार्थ काल्पनिक रूप से वेतन समझा जाए परन्तु यह है कि जहां इस प्रकार से निकाला गया वेतन (अर्थात् वेतन एवं विशेष वेतन) लेखालिपिक के पद के वेतनमान में समकक्ष स्टेज पर नहीं आता हो तो उसे लेखालिपिक के पद के समय वेतनमान में उच्चतर स्टेज पर स्थिर किया जाएगा।

3. लेखाकार के पद पर पदोन्नति होने पर वेतन का स्थिरीकरण, उपर्युक्त पैरा 2 में निर्दिष्ट तरीके से वेतन में विशेष वेतन को मिलाकर जो वेतन आएगा उसके आधार पर नियम 26 क के प्रावधानों के अधीन किया जाएगा।

4. ये आदेश दिनांक 1-1-67 से प्रभावी होते हैं।

5. उपर्युक्त पैरा 2 व 3 में दिया गया निर्णय उन लेखा लिपिक पर लागू नहीं होगा जो लेखाकार प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण कर नियुक्त हुआ है।

II—वित्त विभाग की आज्ञा सं० एफ 1 (29) वित्त वि (व्यय-नियम) दिनांक 18-7-68 के पेरा 2 व 3 के अनुसार, जो लेखा लिपिक, लेखाकारों की अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, लेखाकार के पद पर पदोन्नत हो गए हैं, उनके द्वारा आहरित वेतन एवं विशेष वेतन 10 रु० को, लेखाकार के पद पर वेतन के स्थिरीकरण के प्रयोजनार्थ गिना जाएगा।

2—एक प्रश्न यह उत्पन्न किया गया है कि उन वाणिज्यिक लेखा लिपिकों को जो कि लेखाकारों की अर्हकारी परीक्षा पास करने पर लेखाकार के पद पर पदोन्नत हुए हैं, किस तरह समझा जाए।

3—मामले पर विचार कर लिया गया है तथा यह तय किया गया है कि यद्यपि

+ वित्त विभाग की आज्ञा सं० एफ 1 (29) वित्त वि (नियम)/68 दिनांक 18-7-68 व 15-5-69 द्वारा निविष्ट।

वाणिज्यिक लेखा लिपिकों को 15 रु० विशेष वेतन मिलता है, फिर भी, उक्त अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर लेखाकार के पद पर वेतन के स्थिरीकरण के प्रयोजनार्थ केवल 10 रु० विशेष वेतन को ही वेतन के रूप में गिना जाएगा तथा तदनुसार पूर्वोक्त आदेश के प्रावधान उनके मामलों में भी लागू होंगे। ये आदेश दिनांक 1-1-67 से लागू होंगे।

4—ये आदेश उन वाणिज्यिक लेखा लिपिकों पर लागू नहीं होंगे जो कि वाणिज्यिक लेखाकार के रूप में नियुक्त/पदोन्नत हुए हैं तथा जो लेखाकार प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण कर लेखाकार के पद पर नियुक्त हुए हैं।

स्पष्टीकरण 1—राजस्थान सेवा नियमों के नियम 26 के अनुसार एक राज्य कर्मचारी, जिसने कि लगातार कम से कम 2 साल तक नियम 7 (31) (क) के अन्तर्गत विशेष वेतन प्राप्त किया है, यदि वह 1-9-61 को या उसके बाद एक उच्च पद पर उन्नत या नियुक्त कर दिया जाता है तो वेतन निर्धारण में उसके विशेष वेतन को भी गिना जावेगा। एक प्रश्न उठाया गया है कि क्या लगातार 2 साल की अवधि गिनने में सरकारी अधिकारी द्वारा उपभोग किया गया समय भी शामिल किया जायेगा।

मामले की जांच करली गई है तथा यह स्पष्ट किया जाता है नियम 26 ख में वर्णित दो साल की अवधि में अधिकारी द्वारा उपभोग किया गया सभी समय शामिल किया जावेगा बशर्ते कि नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी द्वारा यह प्रमाणित कर दिया जावे कि वह अधिकारी लगातार विशेष भत्ता प्राप्त करता रहा परन्तु वह अवकाश पर रवाना होने के कारण नहीं कर सका।

× 2—राजस्थान सेवा नियमों के नियम 26 ख की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके कि अनुसार जहां एक राज्य कर्मचारी को, जिसने कि अधिक उत्तरदायित्वों या विशिष्ट प्रकार की लगातार कम से कम दो साल तक की सेवाएं करने के कारण विशिष्ट वेतन प्राप्त कर लिया है, वह पदोन्नति के समय संरक्षित रखा जाता है जो कि भावी वेतन वृद्धियों में समायोजित कर दिया जाता है।

इस विभाग के पास एक ऐसा मामला आया है जिसमें कि एक अधिकारी, अपनी पदोन्नति के पूर्व, एक विशिष्ट वेतन उठा रहा था जिसे कि उसने दो साल की अवधि से कम समय से उठाया था। परन्तु उक्त अवधि के भीतर विशिष्ट वेतन की दर में परिवर्तन हो गया था। एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि विशिष्ट वेतन की कौनसी दर (संशोधित या पुरानी दर) को नियम 26 ख के प्रयोजन के लिए शामिल किया जाना चाहिए।

मामले की जांच करली गयी है तथा यह स्पष्ट किया जाता है कि पदोन्नति के ठीक पूर्व विशिष्ट वेतन की राशि को ही नियम 26 ख के प्रयोजन के लिए शामिल किया जाना चाहिए।

नियम 27—घटाई गई वेतन की समय श्रृंखलों में स्थाई नियुक्ति होने पर प्रारम्भिक (Initial) वेतन को पुनः नियमित करना (रिग्रेडेशन)-एक राज्य कर्मचारी जो कि किसी वेतन श्रृंखला में किसी पद पर स्थाई रूप से नियुक्त हो गया है, यदि उसका प्रारम्भिक मूल वेतन, उस पद के कार्य एवं जिम्मेदारियों के कम हुए बिना ही किन्हीं अन्य कारणों से कम हो

× वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ 1 (90) एफ डी (व्यय नियम)/66 दिनांक 23-12-66 द्वारा शामिल किया गया।

गया है एवं जो इस कटौती के पूर्व की वेतन शृंखला का वेतन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, नियम 26 के प्रावधानों द्वारा नियमित किया जाता है, बशर्ते कि उस नियम के खण्ड (क) के अन्तर्गत आये मामलों में तथा खण्ड (ख) के अधीन सेवा से त्यागपत्र देने, हटाने या डिसमिस करने के अतिरिक्त अन्य मामलों में या तो उसने—

(1) पूर्व में निम्न पर स्थाई रूप से या कार्यवाहक रूप से काम किया हो —

(i) उसी पद पर, उसके वेतन टाइम स्केल के कम होने के पूर्व।

(ii) उसी वेतन शृंखला के स्थाई या अस्थाई पद पर उस पद की वेतन शृंखला कम न होने पर काम किया हो।

(iii) सावधिक (टेन्योर) पद या अस्थाई पद के अतिरिक्त एक स्थाई पद पर ऐसी वेतन शृंखला में काम किया हो जो कि उस पद पर न घटे हुए के समान हो। यह अस्थाई पद उसी वेतन शृंखला में हो जैसा कि स्थाई पद होता है; या

(2) वह एक ऐसे टेन्योर (सावधिक) पद पर मूल रूप से नियुक्त हो गया हो जिसकी कि वेतन शृंखला (टाइम-स्केल) उस पद की सेवाओं (ड्यूटी) एवं उत्तरदायित्वों को कम किये बिना ही घटा दी गई हो एवं उसने पूर्व में टेन्योर पद की न घटाई गई वेतन शृंखला के समान अन्य वेतन शृंखला वाले किसी टेन्योर पद पर स्थाई रूप से या कार्यवाहक रूप से कार्य किया हो तो उसका प्रारम्भिक वेतन, उसके विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन या अन्य राशि जो वेतन के वर्गीकरण में आती हो, के अतिरिक्त उस वेतन से कम नहीं होगा जिसे कि वह पहिले अवसरों पर नियम 26 के अनुसार प्राप्त करता यदि कम की गई वेतन शृंखला प्रारम्भ से ही प्रभावशील हुई हो। एवं वह वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए उस समय को गिनेगा जिसमें कि वह पूर्व अवसरों पर उस वेतन को प्राप्त करता।

+**नियम 27 क.** परिवीक्षा काल में वेतन— जहां पर संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन निर्मित सेवा नियमों या सरकार के आदेशों एवं अनुदेशों में परिवीक्षा पर या परिवीक्षाधीन व्यक्ति के रूप में नियुक्ति किए जाने का प्रावधान है, वहां वार्षिक वेतन वृद्धि (इन्क्रीमेंट्स) निम्न प्रकार से नियमित की जाएगी—

(1) परिवीक्षा काल में कोई वेतन वृद्धि स्वीकृत नहीं की जाएगी।

(2) यदि सेवा नियमों या नियुक्ति के आदेशों में परिवीक्षा की निश्चित अवधि निर्धारित की गयी हो तथा विभागीय परीक्षायें आयोजित न किए जाने के कारण या स्थायीकरण (कन्फर्मेशन) के लिए उपयुक्तता का निर्धारण पूरा न होने पर या अन्य किसी कारण से, स्थायीकरण या परिवीक्षाकाल की वृद्धि के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट आदेश जारी न किया गया हो तो, परिवीक्षा की निर्धारित अवधि के बाद प्रारम्भिक दर पर वेतन उठाये जाने की स्वीकृति दे दी जावेगी जब तक कि स्थायीकरण, परिवीक्षाकाल की वृद्धि या सेवा समाप्ति का विशिष्ट आदेश जारी नहीं किया जाता है।

+ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ 1 (94) एफ. डी. (व्यय-नियम) 66 दिनांक 31 दिसम्बर 1966 द्वारा परिवर्तित किया गया। ये संशोधन 1-1-67 से प्रभावशील होगा।

(3)परिवीक्षा की निश्चित अवधि की समाप्ति से प्रभावशील स्थायीकरण के आदेशों के जारी किए जाने पर, जो वेतन वृद्धियां सामान्य रूप से बकाया होंगी, वे पूर्व प्रभाव से स्वीकृत की जायेंगी।

(4) परिवीक्षा की निश्चित अवधि की समाप्ति से प्रभावशील स्थायीकरण के आदेशों के जारी किए जाने पर तथा उसके द्वारा परिवीक्षाकाल में वृद्धि की गयी हो तो, वेतन वृद्धियां जो *सामान्य रूप से बकाया होंगी वे पूर्व प्रभाव से स्वीकृत की जायेगी* सिवाय इसके कि प्रथम वार्षिक वेतन वृद्धि के उठाये जाने की सामान्य तारीख उतने ही दिनों के बाद दी जाएगी जितने समय की कि परिवीक्षा काल में वृद्धि की गयी है।

× (5) उपर्युक्त पैरा (4) के अधीन रहते हुए, कोई भी व्यक्ति, जिसका प्रारंभिक वेतन राजस्थान सेवा नियमों के नियम 26 के उपनियम (1) के पैरा क (2) एवं ख (2) के अधीन निश्चित किया गया हो, वहां अपनी अन्तिम वार्षिक वेतन वृद्धि की तारीख से अपने पूर्व पद पर की गई पूर्ण सेवा को नवीन पद में वेतन वृद्धि दिये जाने के प्रयोजनार्थ गिनी जाएगी।

नियम 28. एक पद के वेतन परिवर्तित होने पर वेतन को नियमित करना—यदि किसी पद का वेतन बदल दिया जाय तो उस पद पर कार्य करने वाले कर्मचारी को नए वेतन के नए पद पर स्थानान्तरित किया हुआ समझा जावेगा। परन्तु शर्त यह है कि वह अपनी इच्छानुसार अपने पुराने वेतन को उसी शृंखला में अगली वार्षिकोन्नति के समय तक या अन्य किसी और अग्रिम वार्षिकोन्नति के समय तक रख सकता है। या वह अपनी इच्छानुसार उस पद को अपने पद के खाली होने के समय तक या उस वेतन शृंखला को अधिकतम धनराशि तक रख सकता है। एक बार दिये गए आप्सन को अन्तिम समझा जाएगा।

टिप्पणी—एक राज्य कर्मचारी के सम्बन्ध मे जो एक ऐसी तारीख को उच्च वेतन शृंखला मे कार्यवाहक रूप मे कार्य कर रहा हो जिसमे कि एक ही केडर मे विभिन्न वेतन शृंखलाओं वाले अनेकों पदों को एक कर दिया हो, तो नियम के प्रावधान मे आये हुए 'उसके पुराने वेतन' का तात्पर्य केवल उसमे उस प्रामाणिक तिथि को प्राप्त कर रहे अपने कार्यवाहक वेतन की दर को ही शामिल नही किया जावेगा लेकिन उसमे वेतन की उस शृंखला को भी शामिल किया जावेगा जिसमे वह उस वेतन को प्राप्त कर रहा था। इस प्रकार आप्सन (विकल्प) की अवधि के लिए उसकी पुरानी शृंखला को ही, जिसमे कि वह अपना कार्यवाहक वेतन प्राप्त कर रहा था, सम्बन्धित व्यक्तियो के मामले में चालू रखा हुआ समझा जावेगा और चूंकि वह उस अवधि मे अपने पुराने वेतन को रखने का अधिकारी है, तो आप्सन के अधीन उसके द्वारा प्राप्त किया जा रहा वेतन इस पर निर्भर नही करता है कि उस प्रामाणिक तिथि के बाद से उस कार्यवाहक नियुक्ति या कार्यभार एवं उत्तरदायित्व अधिक महत्वपूर्ण रहता है या नहीं। फिर भी यह आप्सन उस समय समाप्त हो जाता है जब एक बार सम्बन्धित व्यक्ति उस पद पर कार्य करना बन्द कर देता है या जिस शृंखला मे वह अपना कार्यवाहक वेतन प्राप्त कर रहा था उसमे अपना वेतन प्राप्त करना बन्द कर देता है।

× वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 1 (94) वित्त विभाग (नियम) 66 I दिनांक 16-8-66 द्वारा प्रतिस्थापित। दिनाक 1-1-67 से प्रभावी।

इस नियम का मूल भाग एवं उसका प्रावधान दोनों ही एक साथ एक समय पर प्रभावशील नहीं हो सकते हैं। क्योंकि जिस अवधि में आप्शन भरा जाता है वह अवधि प्रावधान के अन्तर्गत प्रभावशील होती है तथा उस समय नियम का मूल भाग प्रभावशील नहीं होता है। किसी भी कारण से आप्शन न देने की स्थिति में नियम के लाभ नहीं प्राप्त किए जा सकते हैं।

जांच निर्देशनः—(1) यह नियम एक पद पर कार्यवाहक रूप में तथा स्थाई रूप में कार्य करने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होता है।

(2) यदि किसी पद का अधिकतम वेतन, वार्षिक वृद्धि एवं न्यूनतम वेतन में बिना परिवर्तन किए ही, बदल दिया जाता है, तो उस पद को धारण करने वाले व्यक्ति का प्रारम्भिक वेतन नियम 26 (ख) के अन्तर्गत निर्धारित किया जाना चाहिए न कि नियम 26 (क) के अन्तर्गत, चाहे वह उस पद पर स्थाई रूप से कार्य कर रहा हो।

(3) इस नियम के प्रावधान में प्रयुक्त "पुरानी वेतन शृंखला में परवर्ती वार्षिक वृद्धि" में उन मामलों की 'श्रेणी वृद्धि' (Grade Promotion) भी शामिल हैं जिनमें वेतन की समय शृंखला किसी वेतन की 'श्रेणी वृद्धि' शृंखला में परिवर्तित हो गई हो।

(4) नियम 26 के नीचे दी गई जांच निर्देशन संख्या (1) को भी देखें।

निर्णय—एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि क्या निलम्बित किये गये राज्य कर्मचारी को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 28 के अन्तर्गत निलम्बन काल में परिवर्तित वेतन शृंखला को अपनाने की स्वीकृति दी जा सकती है यदि उसको निलम्बित किए जाने के पूर्व ही उसके पद का वेतन परिवर्तित किया गया हो। राज्य सरकार ने निर्णय किया है कि ऐसे मामलों का निर्णय निम्न तरीकों से करना चाहियेः—

(1) ऐसे मामले जिनमें परिवर्तित वेतन शृंखला निलम्बन की तारीख से पहले से ही क्रियान्वित होती हो—

ऐसे मामलों में एक राज्य कर्मचारी को, नियम 28 के अन्तर्गत या परिवर्तित वेतन शृंखला के लिये आप्शन भरने के सम्बन्ध में विशिष्ट नियमों के अन्तर्गत, आप्शन भरने की स्वीकृति दी जानी चाहिये चाहे जिस समय वह अपना आप्शन भर कर देता है, वह उसके निलम्बन की अवधि में ही पाता हो। तथा इस आप्शन के परिणामस्वरूप, निलम्बन के पूर्व की तारीख के लिए यदि कोई उसे फायदा पहुंचता हो, तो वह उसे मिलेगा तथा उस वृद्धि का लाभ, उसे निलम्बन काल की अवधि में, निर्वाह भत्ता (Subsistence allowance) में भी मिलेगा।

(2) ऐसे मामले जिनमें परिवर्तित वेतन शृंखला निलम्बन की अवधि में भी प्रभावशील होनी है—

(क निलम्बन काल में एक राज्य कर्मचारी अपना लीयन अपने स्थाई पद पर रखता है। चूंकि राजस्थान सेवा नियमों के नियम 28 में प्रयुक्त "पद को धारण करने वाला" शब्द में वह व्यक्ति भी शामिल है जो एक पद पर अपना लीयन या निलम्बित लीयन रखता है चाहे वह वास्तव में उस पद पर कार्य न कर रहा हो, एक ऐसे राज्य कर्मचारी को, उसके निलम्बन काल में भी, राजस्थान सेवा नियमों के नियम 28 के अन्तर्गत या परिवर्तित वेतन शृंखला में आप्शन

भरने सम्बन्धित किसी अन्य विशेष नियम के अन्तर्गत प्राप्सन भरने की स्वीकृति दी जानी चाहिये। फिर भी निलम्बन काल की अवधि के लिये आप्सन भरने का लाभ केवल उसके बहाल (Reinstatements) होने पर इस तथ्य पर आधारित होगा कि क्या निलम्बन का समय उसके लिए ड्यूटी के रूप में समझा जावेगा या नहीं।

(ख) यदि किसी पद का वेतन परिवर्तित हो जाता है तथा उस पर एक राज्य कर्मचारी अपना लीयन नहीं रखता है तो वह राजस्थान सेवा नियमों के नियम 28 या परिवर्तित वेतन श्रृंखला में आप्सन भरने सम्बन्धित किसी अन्य विशेष नियम के अन्तर्गत अपना आप्सन भरने का अधिकारी नहीं है। फिर भी यदि वह उस पद पर बहाल हो जाता है तथा उसके निलम्बन के समय की सेवा (ड्यूटी) के रूप में समझ लिया जाता है, तो बहाल होने के बाद उसे अपना आप्सन भरने के लिए स्वीकृति दी जा सकती है। ऐसे मामलों में, जिनमें आप्शन भर कर देने की कोई समयावधि दी हुई हो तथा यह समय उसका निलम्बन काल में ही व्यतीत हो जाता है तो सरकार प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में आप्सन भरने के लिए अवधि को बढ़ा सकती है।

+**नियम 29.** जब तक वार्षिक वृद्धि (इन्क्रीमेंट) रोकी न जाए वह प्राप्त की जाती रहनी चाहिये—नियम 26क, 27क एवं 30 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, जब तक वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील (क्लासीफिकेशन, कन्ट्रोल एवं अपील) नियमों के सम्बन्धित प्रावधानों के अनुसार वार्षिकोन्नति रोकने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह न रोकदी जाये, एक राज्य कर्मचारी को उसकी वार्षिक वेतन वृद्धि हमेशा मिलती रहेगी। वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के आदेश में उसको रोके जाने की अवधि का उल्लेख किया जायेगा तथा यह भी उल्लेख किया जायेगा कि क्या उस रोकी गई वार्षिक वेतन वृद्धि से भावी वार्षिक वेतन वृद्धि को रोकने में भी प्रभाव पड़ेगा।

(उपर्युक्त नियम मे प्रथम पंक्ति मे शामिल किया गया संशोधन दि० 1-1-67 से प्रभावशील होगा।)

÷निर्णय संख्या 1-अस्थायी आधार पर वेतन प्राप्त कर्ता राज्य कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि सरकार के प्रशासनिक विभाग के सचिवों को समय समय पर ऐसे पदों पर, जिन्हें कि राजस्थान लोकसेवा आयोग या विभागीय प्रमोशन कमेटी द्वारा भरा जाना चाहिये या लेकिन जो अब तक नहीं भरे गए हैं, नियुक्त किए गए राजपत्रित एवं अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए अस्थाई आधार पर मासिक वेतन (सेलेरी) के भुगतान स्वीकृत करने के लिये प्राधिकृत किया हुआ है। एक प्रश्न यह उत्पन्न हुआ है कि क्या उक्त अधिकारियों को अपनी वेतन वृद्धि उन पदों के वेतन मान में उठानी चाहिये जिनमें कि केवल अस्थाई तौर पर अपना वेतन उठा रहे हैं। अब तक उक्त वेतन वृद्धि नहीं दी गई है। मामले की पुनर्जांच करली गई है तथा अब यह निर्णय किया गया है कि उक्त अधिकारियों को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 29 के अनुसार अन्य अधिकारियों की भांति वेतन वृद्धि प्राप्त करनी चाहिए। अतः उन समस्त अधिकारियों का मासिक वेतन, जिसे

+ वित्त विभाग के आदेश स. एफ 1 (8) वित्त वि. (व्यय-नियम) 67 दिनांक 21-3-67 द्वारा संशोधित।

÷ वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 1 (39) एफ डी./(व्यय-नियम) 65 दिनाङ्क 11-1-68 द्वारा निविष्ट।

उन्होंने अस्थाई तौर पर प्राप्त किया है, पुनः निश्चित किया जाना चाहिये तथा वार्षिक वेतन वृद्धि के बकायों का भुगतान कर दिया जाए। भविष्य में वेतन वृद्धि जब भी वे वाजिब हों, दी जावें।

[राजपत्रित राज्य कर्मचारियों द्वारा तथा (2) अराजपत्रित कर्मचारियों द्वारा वेतन वृद्धि प्राप्त करने के तरीके के लिए सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम क्रमशः 162 एवं 168-169 देखिये]

+ नियम 30. एफिशियेन्सी बार (दक्षता अवरोध) पार करना–जब किसी वेतन शृंखला में दक्षता अवरोध (एफिशियन्सी बार) पार करने का प्रावधान हो, तो उस प्रतिबन्ध की अगली वार्षिक वृद्धि, उसे रोकने में सक्षम प्राधिकारी की विशेष स्वीकृति के बिना किसी भी राज्य कर्मचारी को नहीं दी जायेगी। जब किसी ऐसे राज्य कर्मचारी को दक्षता अवरोध पार करने की स्वीकृति दे दी गई हो जिसे पहिले उसके विपरीत प्रभावशील किया गया हो, तो वह अपना वेतन उस वेतन शृंखला में उस स्टेज पर प्राप्त करेगा जिस पर कि वार्षिक वृद्धि रोकने वाला सक्षम प्राधिकारी निश्चित करे। बशर्ते कि इस प्रकार का निश्चित किया गया वेतन उस वेतन से ज्यादा नहीं होगा जिसे वह अपनी दक्षता अवरोध न रोके जाने पर प्राप्त करता।

टिप्पणियां–(1) प्रत्येक अवसर पर जबकि एक राज्य कर्मचारी को ऐसी दक्षता अवरोध (एफिशिएन्सी बार) पार करने की स्वीकृति दी जाती है जो कि पूर्व में उसके विपरीत लगाया गया था, तो उसका वेतन शृंखला में उस स्टेज पर वेतन, प्रतिबन्ध हटाने में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निश्चित किया जायगा जो कि उसे उसकी सेवाकाल के अनुसार प्राप्त हो सकता है।

(2) दक्षता अवरोध (एफिशिएन्सी बार) पर रुके हुए सभी राज्य कर्मचारियों के मामलों का हर वर्ष अवलोकन किया जाना चाहिये ताकि यह निश्चित किया जा सके कि क्या उनके कार्य की प्रगति सुधरी है या सामान्यतया यह देखा जाना चाहिए कि क्या जिन कमियों के कारण उनकी एफिशियेन्सी बार रोकी गई है, वे कमियां दूर हो गई है जिससे कि प्रतिबन्ध समाप्त किया जा सके। यदि वे बाद में दक्षता अवरोध की वार्षिक वृद्धि स्वीकार करें तो उसे वह पूर्व प्रभाव से स्वीकृत नहीं की जानी चाहिये।

× विषय – विभागीय जांच पूर्ण होने तक के विचाराधीन रहते हुए दक्षता अवरोध (एफिशियन्सी बार) पर वेतन वृद्धि रोकना।

निर्णय संख्या 1 – राजस्थान सेवा नियमों के नियम 30 के अनुसार दक्षता अवरोध के आगे अगली दूसरी वार्षिक वेतन वृद्धि, वेतन वृद्धि को रोकने के लिए सक्षम प्राधिकारी की विशिष्ट स्वीकृति के बिना राज्य कर्मचारी को नहीं दी जाएगी। दक्षता अवरोध पर वेतन वृद्धि रोका जाना राजस्थान सिविल सर्विसेज (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1558 के अधीन कोई शास्ति नहीं है। जब किसी राज्य कर्मचारी का समय दक्षता अवरोध को पार करने का हो तथा

+ वित्त विभाग के आदेश सं० एफ. 1 (94) एफ. डी. (व्यय नियम) 66 दिनांक 31-12-66 द्वारा संशोधित किया गया।

× वित्त विभाग के आदेश सं० एफ 1 (98) एफ डी (व्यय नियम), 66 दि० 6 फरवरी 1967 द्वारा शामिल किया गया।

उस समय उसके विपरीत विभागीय जांच अभी विचाराधीन हो, तो उस दशा में निम्नलिखित वैकल्पिक कदम उठाये जा सकते हैं।

(क) यदि विभागीय जांच राज्य कर्मचारी की सामान्य दक्षता या सत्यनिष्ठा से असम्बन्धित किसी विशिष्ट विषय पर हो, अर्थात् जैसे सेवा में उपेक्षा किए जाने के विशिष्ट उदाहरण या राजकीय आदेश की अनुपालना न करने के बारे में हो, तब उसे दक्षता अवरोध पार करने की स्वीकृति दी जा सकती है क्योंकि वह उस पर बाद में उचित शास्ति आरोपित कर सकता है।

(ख) यदि विभागीय जांच ऐसी सामान्य अदक्षता या गबन या क्रिमनल अपराध से सम्बन्धित जो कि वेतन वृद्धि रोक सकने में सक्षम प्राधिकारी की राय में, गम्भीर प्रकृति के हैं, तब दक्षता अवरोध को रोके जाने का, शास्ति आरोपित करने के आदेश के साथ, एक विशिष्ट आदेश होना चाहिये। यदि दक्षता अवरोध पार करने के बकाया होने के समय विभागीय जांच विचाराधीन हो तो उस समय दक्षता अवरोध पर वेतन वृद्धि रोके जाने के आदेश जारी कर दिये जाने चाहिये। विभागीय जांच की समाप्ति पर यदि राज्य कर्मचारी दोष मुक्त कर दिया जाता है या उसके विपरीत गम्भीर आरोप सिद्ध नहीं होते हैं तो राज्य कर्मचारी को दक्षता अवरोध पार करने के प्रश्न पर जांच की जा सकती है तथा दक्षता अवरोध पार करने तथा वेतन वृद्धि पूर्व प्रभाव से विभागीय जांच मे सिद्ध आरोपो के प्रसंग मे स्वीकृत की जानी चाहिये।

× निर्णय संख्या 2—जहां सरकारी कर्मचारियों को अनन्तिम आधार (प्रोवीजनल बेसिस) पर सेलेरो के भुगतान एवं वेतन वृद्धि के लिए प्राधिकृत किया जाता है वहां उन्हें दक्षता अवरोध पार करने की भी अनुमति दी जा सकती है यदि वह उस वेतनमान में लागू होती है परन्तु यह है कि सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी द्वारा दक्षतावरोध की स्टेज पर पहुँचने तक की गई सेवा सन्तोषप्रद हो तथा दक्षतावरोध पार करने की शर्तें (यदि कोई हों) पूर्ण की जाती हों

नियम 31 टाइम स्केल (समय वेतनमान) में वेतन वृद्धि (Increments) के लिए सेवा को गिना जाना—निम्नलिखित प्रावधानों में उन शर्तों का उल्लेख किया गया है जिन पर समय वेतनमान के वेतन वृद्धि के लिए सेवा को गिना जाता है—

⊛(क) किसी समय वेतनमान में किसी पद पर सभी ड्यूटी उस समय वेतन मान में वेतन वृद्धि के लिए गिनी जाती है। परन्तु यह है कि उस समय वेतन मान में अगली वेतन वृद्धि की तारीख निकालने के प्रयोजनार्थ ऐसी समस्त अवधियों का योग जो उस समय वेतन मान में वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिना जाता है, वेतन वृद्धि को सामान्य तारीख मे जोड़ा जाएगा। नियमों के अधीन वेतन वृद्धि की तारीख गिनने को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण नीचे दिया जाता है—

उदाहरण

गत वेतन वृद्धि की तारीख 23-4-1964

असाधारण अवकाश जो वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिना जाता है

दिन	से	तक
3	29- 5-64	31- 5-64
6	15- 7-64	20- 7-64

× वित्त विभाग की आज्ञा संख्या एफ 1 (39) वित्त वि (नियम) 65 दि०9-7-68 द्वारा शामिल

⊛ वित्त विभाग की अधिसूचना सं० एफ 1 (55) वित्त वि नियम/68 दि० 16-11-68 द्वारा प्रतिस्थापित

9	7-10-64	15-10-64
4	18-12-64	21-12-64
3	26- 1-65	28- 1-65
4	16- 3-65	19- 3-65
29		

पुराने नियमों तथा संशोधित नियमों के अनुसार अग्रिम वेतन वृद्धि की तारीख निम्न प्रकार से निश्चित की जाएगी—

पुराना नियम

ड्यूटी की अवधि

	तक	माह	दिन
23- 4-64	28- 5-64	1	6
1- 6-64	14- 7-64	1	14
21- 7-64	6-10-64	2	16
16-10-64	17-12-64	2	2
22-12-64	25- 1-65	1	4
27- 1-65	15- 3-65	1	15
20- 3-65	22- 5-65	2	3
		12	(00)

अगली वेतन वृद्धि की तारीख 23-5-65

संशोधित नियम

गत वेतन वृद्धि की तारीख 23-4-64

अगली वेतन वृद्धि की तारीख 23-4-65

(असाधारण अवकाश को छोड़कर) 29

असाधारण अवकाश के दिन

अगली वेतन वृद्धि की तारीख 23 4-65 + .9 दिन = अर्थात् 22-5-65

(ख) (i) नियम 20 के उप खण्ड (1) में वर्णन किए गए कम वेतन वाले पद के अतिरिक्त अन्य पद पर की गई सेवा, चाहे वह स्थायी या अस्थाई रूप में हो, भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर की गई सेवा एवं मेडिकल प्रमाण पत्र पर असाधारण अवकाश (Extra ordinary leave) को छोड़ कर, अन्य अवकाश, उस पद के समय वेतनमान (टाइम स्केल) में वेतन वृद्धि के लिए गिना जाएगा जिस पर कि राज्य कर्मचारी अपना लीयन रखता है, तथा, यदि कोई हो तो, उस पद या उन पदों के समय वेतनमान में भी वेतन-वृद्धि के लिए लागू होगा जिस पर कि यदि उसका लीयन निलम्बित नहीं किया गया होता तो वह अपना लीयन रखता।

(ii) मेडिकल प्रमाण पत्र पर लिए गए अवकाश के अतिरिक्त अन्य असाधारण अवकाश को छोड़कर, अन्य सम्पूर्ण अवकाश एवं भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति का समय, देते एक पद से लिए

लागू होने वाले समय वेतनमान में वेतन वृद्धि के लिए, शामिल किया जायेगा जिस पर कि राज्य कर्मचारी जिस समय वह अवकाश पर रवाना हुआ या भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर गया, कार्य-वाहक के रूप में कार्य कर रहा था एवं जिस पद पर वह अपना लीयन रखता परन्तु अपने अवकाश पर चले जाने के कारण या भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर रवाना होने के कारण नहीं रख सका।

+ परन्तु शर्त यह है कि व्यक्तिगत मामलों में सामान्य आदेश या विशेष आदेशों द्वारा राज्य सरकार यह निर्देश दे सकती है कि खण्ड (1) या (2) के अन्तर्गत असाधारण अवकाश वेतन-वृद्धि के लिए गिना जाएगा यदि ऐसा अवकाश निम्नलिखित कारणों में से किसी एक कारण-वश उपयोग किया गया हो:—

(1) राज्य कर्मचारी के नियन्त्रण के बाहर का कोई भी कारण

(2) किसी भी राज्य कर्मचारी द्वारा विज्ञान में या कला में एम. ए. की डिग्री की स्टेज के आगे उच्चतर वैज्ञानिक अध्ययन जारी रखना।

(3) इन्जिनियरिंग, माइन्स, आर्कीटेक्चर, कृषि, वेटरनरी, साइन्स या मेडीसिन में स्नातक की डिग्री से आगे उच्च तकनीकी या वैज्ञानिक अध्ययन चालू रखना।

(4) शिक्षा विभाग के अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से कोई एक डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना।

(क) शिक्षा में एम. ए. की डिग्री
(ख) व्यायाम शिक्षा (फिजीकल एजूकेशन) में स्नातक की डिग्री
(ग) शिक्षा/अध्यापन में स्नातक की डिग्री
(घ) शिक्षा शास्त्री की डिग्री
(ङ) अध्यापन (टीचिंग) में प्रमाण पत्र
(च) व्यायाम शिक्षा में डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट
(छ) पुस्तकालय विज्ञान मे डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट
(ज) सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट आफ इंगलिश, हैदराबाद द्वारा आयोजित अंग्रेजी के अध्यापन में पोस्ट ग्रेज्युएट/डिप्लोमा (9 माह का कोर्स)

(5) शिक्षा विभाग के अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से किसी एक प्रशिक्षण में जाना—

(क) बेसिक एस. टी सी. प्रशिक्षण
(ख) मोंटसरी ट्रेनिङ्ग
(ग) बहरों, गूंगों एवं अन्धों को पढ़ाने का प्रशिक्षण
(घ) नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ स्पोर्ट्स, पटियाला द्वारा आयोजित खेलों का प्रशिक्षण (9 माह का पाठ्यक्रम)
(ङ) नेशनल काउन्सिल आफ एजूकेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिङ्ग, देहली द्वारा आयोजित रिसर्च एवं सैयेकोलॉजी मे प्रशिक्षण।

+ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ 1 (71) एफ डी (व्यय-नियम) 66 दिनांक 28-10-66 द्वारा परिवर्तित किया गया।

(ग) यदि कोई राज्य कर्मचारी जब वह वेतन के समय वेतनमान वाले एक पद पर कार्यवाहक रूप में कार्य कर रहा हो या एक स्थाई पद पर कार्य कर रहा हो तथा उसकी नियुक्ति उच्च पद पर कार्यवाहक रूप में की गई हो या उसे उच्च स्थाई पद पर लगाया गया हो, तथा यदि वह निम्न पद पर पुनः नियुक्त कर दिया जाता है या वेतन के समान समय वेतनमान वाले पद पर पुनः नियुक्त हो जाता है तो उसकी उच्च पद की कार्यवाहक या अस्थाई सेवा, ऐसे निम्न पद पर लागू होने वाले समय वेतनमान में वेतन वृद्धि के लिए गिनी जायेगी, फिर भी, उच्च पद पर कार्यवाहक के रूप में की गई सेवा, जो कि निम्न पद में वेतन वृद्धि के लिए गिनी जाती है, उस अवधि तक सीमित रहेगी जिसमें कि राज्य कर्मचारी निम्न पद में कार्यवाहक रूप में कार्य करता परन्तु उसकी उन्नति उच्च पद पर होने के कारण वह नहीं कर सका। यह खण्ड एक ऐसे राज्य कर्मचारी पर भी लागू होता है जो वास्तव में उच्च पद पर नियुक्ति के समय निम्न पद पर कार्यवाहक रूप में कार्य नहीं करता हो लेकिन यदि वह उच्च पद पर नियुक्त न किया गया होता तो वह ऐसे निम्न पद पर कार्यवाहक रूप में कार्य करता होता या उसी के समान समय वेतनमान में पद पर कार्य करता रहता।

(घ) निम्नलिखित पदों पर लागू होने वाले, समय वेतनमान में वेतन वृद्धि के लिए विदेशी सेवा गिनी जाएगी—

(1) राज्य सेवा में ऐसा पद जिस पर सम्बन्धित राज्य कर्मचारी अपना लीयन रखता है, या ऐसा पद या बहुत से पद, यदि कोई हों जिन पर वह अपना लीयन रखता यदि उसका लीयन निलम्बित नहीं होता।

(2) राज्य सेवा में ऐसा पद, जिस पर विदेशी सेवा में स्थानान्तरण होने से कुछ ही समय पूर्व, वह राज्य कर्मचारी कार्यवाहक रूप में कार्य कर रहा था क्योंकि उसने समय तक वह उस पद पर या उसी समान समय वेतनमान के पद पर कार्यवाहक रूप से लगातार कार्य करता रहता लेकिन वह विदेशी सेवा में प्रस्थान कर गया, एवं

(3) कोई पद जिस पर कि वह ऐसी उन्नति (Promot on) की अवधि के लिए नियम 143 के अन्तर्गत कार्यवाहक उन्नति प्राप्त कर सकता हो।

(ङ) सेवा पर कार्यग्रहण काल का समय (ज्वाईनिंग टाइम) वेतन वृद्धि के लिए गिना जाता है—

(1) यदि वह ऐसे पद पर लागू होने वाले समय वेतनमान में नियम 127 के खण्ड (1) के अन्तर्गत आता हो जिस पर कि एक राज्य कर्मचारी अपना लीयन रखता हो या यदि उसका लीयन निलम्बित नहीं किया जाता तो वह उस पर अपना लीयन रखता। इसके अलावा उस पद पर लागू होने वाले समय वेतनमान में भी वेतन वृद्धि के लिए गिना जाएगा, जिसका कि वेतन राज्य कर्मचारी समय पर प्राप्त करता है, एवं

(2) यदि वह उस पद या पदों पर लागू होने वाले समय वेतनमान में नियम 127 के खण्ड (ख) के अन्तर्गत आता हो जिस पर कि कार्यग्रहण काल प्रारम्भ होने (ज्वाईनिंग टाइम) के पहिले का अवकाश का अन्तिम दिन वेतन वृद्धि के लिए गिना जाता हो।

+ स्पष्टीकरण—[विलोपित]

जांच निर्देशन—(1) अवकाश से अधिक दिन तक ठहरने का समय किसी समय वेतनमान मे वेतन वृद्धि के लिए नही गिना जाएगा जब तक कि वह समय सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा असाधारण अवकाश मे रूपान्तरित नहीं कर दिया जाता है एव जब तक कि नियम 31 के उप-नियम (ख) के प्रावधानो के अन्तर्गत असाधारण अवकाश विशेष रूप से वेतन वृद्धि में शामिल किये जाने के लिए स्वीकृत नही कर दिया जाता है।

(2) एक राज्य कर्मचारी जबकि वह एक पद पर कार्यवाहक रूप मे कार्य कर रहा है तथा दूसरे पद पर कार्यवाहक रूप मे नियुक्त कर दिया गया हो तो एक पद से दूसरे पद पर रवाना होने के लिए कार्य ग्रहण करते समय (ज्वाइनिंग टाइम) उसी पद पर कर्त्तव्य के रूप मे माना जाना चाहिए जिस पर कि राज्य कर्मचारी उस समय का वेतन प्राप्त करता है एव वह समय राजस्थान सेवा नियमो के नियम 31 (क) के अनुसार उसी पद का गिना जावेगा। फिर भी यदि दोनों पदों की वेतन दर एक ही होती है तो एक पद मे दूसरे पद के लिए रवाना होने का कार्य ग्रहण करने का समय (ज्वाइनिंग टाइम) दोनों मे से निम्न पद में कर्त्तव्य के रूप में माना जाना चाहिए तथा नियम 31 (ग) के अन्तर्गत उसे निम्न पद मे वेतन वृद्धि के लिए गिना जावेगा।

(3) यदि कोई राज्य कर्मचारी जो कि किसी पद पर कार्यवाहक रूप मे काम करते हुए एक प्रशिक्षण पर रवाना होता है या किसी निर्देशन के पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए रवाना होता है तथा जो, प्रशिक्षण काल मे रहते हुए कर्त्तव्य के रूप में माना जाता है, तो इस प्रकार के कर्त्तव्य का समय उस पद मे वेतन वृद्धि के लिए गिना जाएगा जिस पर कि प्रशिक्षण या निर्देशन प्राप्त करने के लिए भेजे जाने के पूर्व वह कार्यवाहक रूप मे कार्य कर रहा था, यदि उसे प्रशिक्षण काल में कार्यवाहक पद का वेतन ही स्वीकृत कर दिया जावे।

+ (4) विलोपित—

+ (5) विलोपित—

स्पष्टीकरण-राजस्थान सेवा नियमों के नियम 31 के नीचे दिये गए जांच निर्देशन सं. 5 के प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके कि अनुसार यदि कोई परिवीक्षाधीन व्यक्ति (प्रोबेशनर) बारह माह से अधिक परिवीक्षा समय के व्यतीत होने पर स्थाई (कन्फर्म) कर दिया जाता है, तो वह पूर्व प्रभाव से वेतन-वृद्धि प्राप्त करने का अधिकारी है जिसे कि वह साधारण रूप में प्राप्त करता रहता लेकिन प्रोबेशन पर रहने के कारण प्राप्त न कर सका।

इस सम्बन्ध मे सन्देह प्रकट किए गए हैं कि क्या उपरोक्त प्रावधान ऐसे मामलों मे भी लागू होंगे जहां पर कि एक परिवीक्षाधीन व्यक्ति (प्रोबेशनर) का परीवीक्षा (प्रोबेशनरी) का समय बढ़ा दिया गया हो क्योंकि इस कार्य के लिए निर्धारित समयावधि में वह विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त जांच निर्देशन मे दिए गए प्रावधान केवल उन्हीं मामलो

+ वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 1 (94) वित्त विभाग (नियम) 66 I दिनांक 16-8-69 से स्पष्टीकरण जांच निर्देशन संख्या 4 व 5 विलोपित। यह दि० 1-1-67 से प्रभावी होगा।

पर लागू होंगे जहां पर साधारण परिवीक्षा (प्रोबेशन) का समय स्वतः ही 12 माह से अधिक है। ये प्रावधान पूर्वोक्त अवतरण में वर्णित दशा पर लागू नहीं होंगे। दूसरे शब्दों में, ऐसे मामलों में जहां परिवीक्षा का समय साधारणतः 12 माह से अधिक है, स्थाई होने पर अधिकारियों को वेतन वृद्धि दी जा सकती है जिसे कि वह साधारण रूप में प्राप्त कर लेता परन्तु प्रोबेशन पर रहने के कारण प्राप्त न कर सका। इस सम्बन्ध में अधिकारी को उसके पूर्व प्रभाव के बकाया (एरियर) भी मंजूर किए जायेंगे। दूसरी ओर इसके विपरीत जैसा कि पूर्व अवतरण में कहा गया है, कि विभागीय परीक्षा पास करने में असफल होने के कारण प्रोबेशन का समय बढ़ाए जाने वाले मामलों में बढ़ाई गई परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति पर स्थाई करने पर, इस आधार पर कि अधिकारी वृद्धि प्राप्त करता परन्तु वह प्रोबेशन पर रहा, उसके वेतन एवं वेतन-वृद्धि को नियमित करने में कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु उसे स्थाई होने की तिथि से पूर्व का कोई भी बकाया इस सम्बन्ध का नहीं दिया जावेगा। इसका अर्थ यह होगा कि अधिकारी की वेतन-वृद्धि विभागीय परीक्षा में असफल रहने के कारण बिना दूसरी वेतन-वृद्धि पर प्रभाव डाले रोक दी गई है जो कि राजस्थान सिविल सर्विसेज (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 14 के नीचे दिये गये स्पष्टीकरण के अर्थ में शास्ति (पैनेल्टी) के रूप होगी।

नियम 26 के नीचे जाव निर्देशन स० 5 को देखिए।

(विशेष—इस नियम में समय समय पर परिवर्तन होते रहे हैं। सभी संशोधनों के बाद अन्तिम संशोधनों सहित उक्त नियम को रखा गया है)

नियम 32. निर्धारित तिथि से पूर्व वार्षिक वृद्धियां (Pre-mature increments):— एक अधिकारी जो किसी विशिष्ट वेतन शृंखला में एक संवर्ग (केडर) में पद का सृजन (Creation) करने की शक्ति रखता है, वह उस वेतन की समय शृंखला में किसी भी राज्य कर्मचारी को निर्धारित तिथि से पूर्व ही वार्षिकोन्नति स्वीकार कर सकता है।

× विषय—सरकारी कर्मचारियों के वेतन स्थिरीकरण के कारण उत्पन्न विषमताओं का, राजस्थान सेवा नियमों के नियम 32 के अधीन निराकरण।

निर्णय—राजस्थान सेवा नियमों के नियम 26 क, राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 1961, नवीन वेतनमान नियम, 1969 के लागू करने के फलस्वरूप ऐसे अवसर आए हैं जिनमें उपर्युक्त में से किन्हीं भी नियमों के लागू करने में सरकारी कर्मचारियों का वेतन उससे कनिष्ठ सरकारी कर्मचारियों के वेतन की अपेक्षाकृत एक स्टेज कम पर स्थिर किया गया था। वरिष्ठ/कनिष्ठ सरकारी कर्मचारियों के वेतन स्थिरीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली विषमताओं को दूर करने के लिए,यह तय किया गया है कि वरिष्ठ कर्मचारियों का वेतन कनिष्ठ कर्मचारी के लिए स्थिर किए गए वेतन के समान राशि तक बढ़ाया जा सकता है। निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, यह राशि वरिष्ठ अधिकारी द्वारा धारित पद पर मंस्थायी नियुक्ति करने में सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस तारीख से बढ़ाई जानी चाहिए जिसको कि कनिष्ठ कर्मचारी अधिक वेतन प्राप्त करना प्रारम्भ करता है:—

× वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 1 (8) वित्त वि (व्यय-नियम)/ 67 द्वारा निविष्ट।

(1) विषमता सीधी उपर्युक्त नियमों के लागू करने के कारण होनी चाहिए तथा वेतन में वृद्धि केवल उन्हीं मामलों में की जानी चाहिए जिनमे कि कनिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति/पदोन्नति नियमित तथा भारत के संविधान के अनु. 309 के परन्तुक के अधीन जारी किए गये संबन्धित सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार हो या एतदर्थ आधार हो।

(2) वरिष्ठ एवं कनिष्ठ कर्मचारियो को पदों के एक ही संवर्ग/श्रेणी से सम्बन्धित होना चाहिए तथा एक ही विभाग/सेवा मे सेवा करते रहना चाहिए तथा उनकी सम्बन्धित पदोन्नतियों से पूर्व एक ही वेतनमान मे वेतन प्राप्त करना चाहिए।

(3) दोनों सरकारी कर्मचारियो को एक ही विभागाध्यक्ष/प्रशासनिक विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में रहना चाहिए।

(4) इस निर्णय के अधीन लाभ केवल उसी समय दिया जाएगा जब यह प्रमाणित कर दिया जाए कि वरिष्ठ/कनिष्ठ कर्मचारियों की पारस्परिक वरिष्ठता के बारे मे कोई विवाद न हो।

(5) जहां कनिष्ठ सरकारी कर्मचारी को एतदर्थ आधार पर पदोन्नत करने के कारण इन आदेशो के अधीन वरिष्ठ सरकारी कर्मचारियो का वेतन बढाया जाता है तो वह वृद्धि इस शर्त के साथ की जा सकती है कि यदि कनिष्ठ सरकारी कर्मचारी की एतदर्थ पदोन्नति नियमानुसार नियमित पदोन्नति के रूप मे परिवर्तित नहीं की जाती है तथा वह प्रत्यावर्तित हो जाता है तो कनिष्ठ सरकारी कर्मचारी के प्रत्यावर्तन की तारीख से वरिष्ठ अधिकारी का वेतन उस स्टेज पर पुनः स्थिर किया जा सकेगा जिस पर कि, यदि उसकी वेतन मे वृद्धि नही की जाती तो वह अपना वेतन प्राप्त करता रहता।

(2) इस निर्णय में अन्तर्विष्ट प्रावधान निम्नलिखित मामलों मे वरिष्ठ सरकारी कर्मचारियों के वेतन को बढाने में लागू नहीं किए जाएंगे।

(क) जहां कनिष्ठ सरकारी कर्मचारी अवकाश रिक्ति या उच्च पद के धारक के प्रशिक्षण के लिए, जो कि 120 दिन से अधिक का नही होगा, या किसी अन्य परिस्थिति में जहां उच्च पद केवल 120 दिन की अवधि तक ही धारण किया जाता हो, रवाना होने के कारण अल्पावधिक रिक्त के दौरान उच्च पद को धारण कर रहा हो।

(ख) जहां कनिष्ठ सरकारी कर्मचारी, अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकृत किए जाने के कारण या उच्चतर अर्हताएं प्राप्त करने के लिए उच्च प्रारम्भिक वेतन देने या निर्धारित परीक्षा पास करने या किसी अन्य कारण से जो राजस्थान सेवा नियमों के नियम 26 या 26 क, राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन मान,) नियम, 1961 या नवीन वेतन मान नियम, 1969 के अधीन वेतन स्थिरीकरण के कारण न हो, वरिष्ठ कर्मचारी की अपेक्षाकृत उच्च दर पर पहिले से ही अधिक वेतन प्राप्त करता है।

(ग) जहां कनिष्ठ सरकारी कर्मचारी भिन्न संवर्ग मे पद धारण करता है तथा उस पद के जिस पर कि वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी पहिले से ही नियुक्त किया हुआ है, संवर्ग/श्रेणी के अतिरिक्त अन्य संवर्ग/पदों की श्रेणी में नियुक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए 'क' (वरिष्ठ) कनिष्ठ लिपिक वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नत हो गया तथा उसके बाद, जिस तारीख को ख (कनिष्ठ) वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नत किया गया था, उस तारीख को या उसके पूर्व वह

लेखाकार के पद पर नियुक्त हो गया हो तो वरिष्ठ व्यक्ति की लेखाकार के रूप में तथा कनिष्ठ की वरिष्ठ लिपिक के रूप में उनके वेतन में कोई तुलना नहीं होगी।

(घ) जहां कनिष्ठ सरकारी कर्मचारी को राजस्थान सिविल सेवा (नवीन वेतन मान) नियम 1969 के नियम 12 के अधीन 10 वर्ष के भीतर उसकी भावी सेवा निवृत्ति को ध्यान में रखते हुए एक अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकृत की जाती है।

(3) इस निर्णय के अनुसार वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन को पुनः स्थिर करने के आदेश राजस्थान सेवा नियमों के नियम 32 के अधीन जारी किए जाएंगे। वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी की अगली वेतन वृद्धि उक्त नियम 31 के अधीन वेतन के पुनः स्थिरीकरण की तारीख से पूर्ण अर्हकारी सेवा पूरी करने पर आहरित की जाएगी।

टिप्पणियां—(1) वार्षिक उन्नति अग्रिम रूप में स्वीकार करने के मामलों में प्रायः यह इरादा रहता है कि राज्य कर्मचारी उसी रूप में भावी वार्षिक उन्नति प्राप्त करने का अधिकारी होना चाहिए जैसे कि मानों वह शृंखला में उस स्थिति पर अग्रिम वार्षिक वृद्धि स्वीकार करने से साधारण रूप में पहुंच चुका हो एवं इसके विपरीत अन्यथा प्रकार के आदेशों के अभाव में भावी वार्षिक वृद्धि के सम्बन्ध में ठीक उसी स्थान पर रखा जाना चाहिए जिस रूप में कि राज्य कर्मचारी इस प्रकार पहुंचता है। दूसरे शब्दों में जैसे दूसरी वार्षिक वृद्धि प्राप्त करने से पहले उसे एक वर्ष तक पूरी सेवा करनी चाहिए (या द्विवर्षीय वृद्धियों के सम्बन्ध में दो वर्ष तक सेवा करनी चाहिए)

(2) नियम 32 नियम 26 में वर्णित तरीके के अतिरिक्त अन्य वेतन की प्रारम्भिक दरों के निर्धारण के लिये प्रावधान करता है।

(3) इस नियम के अन्तर्गत वार्षिक वृद्धि स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी का निश्चय करने के लिए शृंखला की अधिकतम राशि को ध्यान में रखा जाना है।

(4) समय के पूर्व वार्षिक वृद्धि स्वीकृत करना वेतन की समय-शृंखला के साधारण सिद्धान्तों के विपरीत है, केवल उन्हीं विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, जिनमें कि एक अधिकारी को व्यक्तिगत तनख्वाह की स्वीकृति न्यायोचित हो, ऐसी वार्षिक वृद्धि स्वीकार नहीं की जानी चाहिये।

(5) नियत दिनांक से पूर्व वार्षिक वृद्धि स्वीकृत करने के प्रस्ताव की जांच विशेष गौर के साथ की जानी चाहिये चूंकि निश्चित तिथि से पूर्व वार्षिक वृद्धि का स्वीकृत किया जाना वेतन की समय शृंखला के सामान्य सिद्धान्तों के विपरीत है।

(6) राज्य सरकार ने निर्णय किया है कि इन नियमों के किसी भी नियम के अन्तर्गत, जबकि ये नियम स्वयं किसी शर्त या बन्धन से मुक्त है, वह की गई किसी कार्यवाही का, कारण बतलाने के लिए तैयार न होगी।

नियम 33. निम्न श्रेणी या पद पर स्थानान्तरण करने पर वेतन-एक अधिकारी जो राज्य कर्मचारी को दण्ड के रूप में उच्च पद या श्रेणी से निम्न पद या श्रेणी में स्थानान्तरित करता है, वह जैसा उचित समझे, उसी राज्य कर्मचारी को कोई भी वेतन स्वीकृत कर सकता है, पर वह वेतन निम्न पद या श्रेणी के अधिकतम वेतन से ज्यादा नहीं होगा।

परन्तु शर्त यह है कि इस नियम के अन्तर्गत एक राज्य कर्मचारी को जो वेतन स्वीकृत किया जायेगा वह उस वेतन से ज्यादा नहीं होगा जो कि वह नियम 26 व नियम 31 के खण्ड (ख) या (ग), जैसी भी स्थिति हो, के लागू होने पर, प्राप्त करता।

नियम 34. निम्न श्रेणी या पद पर प्रत्यावर्तित (रिवर्ट) करने पर वेतन-(क) यदि किसी राज्य कर्मचारी को दण्ड के रूप में उसकी समय-शृंखला में एक निम्न स्टेज पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है तो इस प्रकार का आदेश देने वाला अधिकारी आदेश में उतने समय का वर्णन करेगा जितने के लिए वह आदेश प्रभावशील रहेगा। वह यह भी वर्णन करेगा कि क्या उसके पूर्व स्टेज पर प्रत्यावर्तित होने पर प्रत्यावर्तन का समय उसकी भावी वृद्धि को बन्द रखेगा एवं यदि हां, तो किस सीमा तक बन्द रखेगा।

(ख) यदि एक राज्य कर्मचारी दण्ड के रूप में निम्न सेवा, श्रेणी अथवा पद पर या एक निम्न समय वेतनमान में प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है तो इस प्रकार का आदेश देने वाला अधिकारी आदेश में उस समय का वर्णन कर भी सकता है अथवा नहीं भी कर सकता है जिस तक कि वह आदेश प्रभावशील रहेगा। लेकिन जहां पर ऐसे समय का स्पष्ट वर्णन कर दिया जावे वहां अधिकारी यह भी उल्लेख करेगा कि क्या उसके पुर्नस्थापन (रेस्टोरेशन) के बाद, प्रत्यावर्तन का समय भावी वार्षिक वृद्धियों को स्थगित रखेगा, एवं यदि हां, तो किस सीमा तक।

स्पष्टीकरण:—राजस्थान सेवा नियम का नियम 34 (क) समय श्रेणी में निम्न स्टेज पर प्रत्यावर्तित किए गए समय के बाद पुर्नस्थापन के मामलो मे लागू होता है तथा नियम 34 (ख) किसी निम्न श्रेणी या पद पर अवनति की निर्धारित तिथि के बाद पुर्नस्थापन के मामलों मे लागू होता है। निम्न श्रेणी में अवनति केवल निर्दिष्ट समय के लिए की जा सकती है। इसलिए इस प्रकार की अवनति के आदेश देने वाले अधिकारी को अवनति के आदेश मे समय को निर्दिष्ट कर देना चाहिये। निम्न पद या श्रेणी मे पदावनति या तो किसी विशिष्ट अवधि के लिए की जा सकती है जिसमे कि अवनति की अवधि के विशिष्ट समय का उल्लेख करना पड़ता है या वह अवर्णित या अनिश्चित समय तक होती है। अन्तिम मामले मे उच्च पद या श्रेणी मे पुर्ननियुक्त होने पर राज्य कर्मचारी का वेतन साधारण नियमों के अनुसार नियमित होगा न कि राजस्थान सेवा नियमों के नियम 34 के अनुसार।

जांच निर्देशन —एक वार्षिक वृद्धि जो कि अवनति के समय मे बकाया होती हो, उसे स्वीकृत की जानी चाहिए अथवा नही, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसको कि दण्ड देने वाले अधिकारी के आदेशों को स्पष्ट व्याख्या के अनुसार हल किया जाता है। यदि दण्ड देने वाले अधिकारी के आदेशों में निहित किसी इरादे मे सन्देह मालूम होता हो तो स्पष्टीकरण के लिए सम्बन्धित अधिकारी को लिखा जाना चाहिये।

स्पष्टीकरण:—राजस्थान सेवा नियमों के नियम 34 के उप नियम (क) की सही व्याख्या के सम्बन्ध मे सन्देह प्रकट किए गए है। इसलिये निम्नलिखित स्पष्टीकरण निकाले जाते हैं—

(क) किसी भी राज्य कर्मचारी के एक समय वेतनमान मे निम्न स्टेज पर दण्ड के रूप में पदावनत करने के आदेश जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक आदेश मे निम्न का उल्लेख करना चाहिये—

(1) दिनांक जिससे वह प्रभावशील होगा एवं समय (वर्ष एवं माह के रूप में) जितने तक यह दण्ड प्रभावशील रहेगा।

(2) समय श्रेणी (रुपयों में) में स्टेज जिस पर राज्य कर्मचारी को पद वनत किया गया हो; एवं

(3) सीमा (वर्ष एवं माह में) यदि कोई हो, जिस तक उपरोक्त (1) में कही गई अवधि, एवं भावी वृद्धियों को स्थगित रखेगी।

यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि किसी समय वेतन मान में निम्न स्टेज पर पदावनत करने या दण्ड अनिश्चित समय के लिए या स्थाई रूप में देना नियमों के अनुसार स्वीकार्य नहीं है। और भी जब एक राज्य कर्मचारी किसी विशिष्ट स्टेज पर पदावनत किया जाता है तो उसका वेतन अवनति के पूर्ण समय तक उस स्टेज पर लगातार स्थाई रहेगा। उपरोक्त (3) के अन्तर्गत जो समय निश्चित किया जावे, वह किसी भी रूप में (1) के अधीन, निर्धारित समय से ज्यादा नहीं होना चाहिये।

(ख) अवनति की अवधि समाप्त होने पर एक राज्य कर्मचारी का वेतन क्या होना चाहिये, यह प्रश्न निम्न प्रकार से तय करना चाहिये—

(1) यदि अवनति के आदेश में यह दिया हुआ हो कि अवनति का समय भावी वार्षिक वृद्धि को नहीं रोकेगा, तो राज्य कर्मचारी को वह वेतन दिया जाना चाहिये जिसे वह साधारण रूप में प्राप्त करता परन्तु अवनत करने के कारण प्राप्त नहीं कर सका। फिर भी, यदि अवनति के पूर्व उसके द्वारा प्राप्त किया गया वेतन दक्षता अवरोध (एफिशिएन्सी बार) से कम हो तो उसे उस अवरोध को (बार को) पार करने की स्वीकृति, सिवाय राजस्थान सेवा नियमों के नियम 30 के प्रावधानों के अनुसार, नहीं दी जानी चाहिये।

(2) यदि आदेश में विशेष रूप से यह दिया गया हो कि अवनति का समय किसी निश्चित समय तक भावी वृद्धियों को स्थगित करेगा, तो राज्य कर्मचारी का वेतन उपरोक्त (1) के अनुसार निश्चित किया जायेगा लेकिन उसमें वृद्धि के लिए स्थगित की गई अवधि को वार्षिक वृद्धि के लिए नहीं गिना जाएगा।

नियम 34 क—एक राज्य कर्मचारी की वार्षिक वृद्धि रोकने या निम्न सेवा श्रेणी या पद पर उसकी अवनति करने अथवा निम्न समय वेतन मान या समय वेतन मान में निम्न स्टेज पर पदावनत करने के दण्ड का आदेश जब अपील या निगरानी (Review) पेश करने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया जाता है या संशोधित कर दिया जाता है तो राज्य कर्मचारी का वेतन, इन नियमों में कुछ दिए गए अनुसार भी, निम्न तरीके द्वारा नियमित किया जाएगा.—

(क) यदि उक्त आदेश निरस्त (Set aside) कर दिया जाता है तो जितने समय तक वह आदेश प्रभावशील रहा, उतने समय तक का उन वेतनों का अन्तर वह प्राप्त करेगा जिसे वह प्राप्त करता, यदि वह आदेश जारी नहीं किया जाता, एवं वह वेतन जिसे उसने प्राप्त किया।

[विशेष—कहने का तात्पर्य यह है कि जो वास्तविक वेतन उसने प्राप्त किया है तथा जो वेतन उस प्रकार के आदेश के जारी न होने पर उसे मिलता, उन दोनों वेतनों की राशि का जो अन्तर होगा, वह उसे दिया जाएगा।]

(ख) यदि उक्त आदेश संशोधित कर दिया जाता है तो वेतन इस तरह नियमित किया जायेगा जैसे कि मानों संशोधित आदेश ही प्रथम बार उस पर लागू किया गया हो।

(विशेष—उक्त स्थिति में संशोधित आदेश को ही प्रारम्भ से प्रभावशील किया हुआ माना जावेगा।)

स्पष्टीकरण—यदि इस नियम के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के जारी करने से पूर्व किसी अवधि के सम्बन्ध में एक राज्य कर्मचारी द्वारा प्राप्त किया गया वेतन यदि पुनः संशोधित (Revised) कर दिया जाता है, तो अवकाश वेतन वं एवं भत्ते (यात्रा भत्तों के अतिरिक्त अन्य) यदि कोई हों, जो उसे उस समय में मिले हों, संशोधित (Revised) वेतन के अनुसार संशोधित किये जायेंगे।

नियम 35. (1) अध्याय 6 के प्रावधानों की शर्त पर एक राज्य कर्मचारी जो एक पद पर कार्यवाहक रूप से काम करने के लिए नियुक्त किया गया है, वह सावधिक पद (टेन्योर पद) के अतिरिक्त स्थाई पद के मूल वेतन से अधिक वेतन प्राप्त नहीं करेगा, जब तक कि उसकी कार्यवाहक नियुक्ति में सावधिक पद (टेन्योर पद) के अतिरिक्त, उस पद के साथ संलग्न कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व उसके अपने उस पद से भी अधिक हैं जिस पर वह अपना लीयन रखता है या जिस पर वह अपना लीयन रखता, यदि उसका लीयन निलम्बित नहीं किया जाता।

टिप्पणी—सरकार आदेश द्वारा उन परिस्थितियों का उल्लेख कर सकती है जिसके अधीन केडर के बाहर कार्य करने वाले राज्य कर्मचारियों की साधारण ढंग से कार्यवाहक उन्नति की जा सकती है।

(2) इस नियम के लिये कार्यवाहक नियुक्ति में कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का धारण अधिक महत्वपूर्ण नहीं समझा जावेगा यदि वह पद, जिस पर वह नियुक्त किया जाता है, उसी वेतन की समय श्रृंखला में है जिसमें कि सावधिक पद को छोड़कर, स्थाई पद हैं, जिस पर उसका लीयन है या जो अपना लीयन रखता यदि उसका लीयन निलम्बित नहीं किया जाता या जो उसी के समान वेतन श्रृंखला में है।

×टिप्पणी सं० 3—नैक्स्ट बिलो रूल (Next below rule) के रूप में सामान्य रूप से विदित रूढ़ि (Convention) के कार्यान्वित किए जाने हेतु निम्नलिखित मार्ग प्रदर्शक सिद्धान्त अपनाए जाएंगे:—

(1) सरकारी कर्मचारी को उसकी नियमित लाइन में से उसकी उस स्थानापन्न पदोन्नति को अस्व नहीं किया जाना चाहिए जिसे वह यदि अपनी नियमित लाइन में रहता तो प्राप्त करता।

(2) किसी भी सरकारी कर्मचारी जो नियमित लाइन से बाहर है, से कनिष्ठ किसी व्यक्ति को आकस्मिक स्थानापन्न पदोन्नति स्वयं में 'नैक्स्ट बिलो रूल' के अधीन क्लेम पैदा नहीं करती।

(3) ऐसा क्लेम सिद्ध किए जाने से पूर्व, यह अनिवार्य होना चाहिए कि उस सरकारी कर्मचारी से जो नियमित लाइन से बाहर है, वरिष्ठ सभी सरकारी कर्मचारियों को स्थानापन्न पदोन्नति दे दी गई है।

× वित्त विभाग की आज्ञा सं. एफ 1(45) वित्त वि./नियम/68 दि० 22-4-70 द्वारा प्रतिस्थापित

(4) यह भी आवश्यक है कि उससे नीचे के सरकारी कर्मचारी को पदोन्नति प्रदान की जानी चाहिए जब तक कि किसी मामले में स्थानापन्न पदोन्नति अकुशलता, अनुपयुक्तता, या अवकाश के कारण नहीं दी गई हो।

(5) इस नियम के अधीन स्थानापन्न पदोन्नति का लाभ 120 दिन से अधिक दिन के लिए किसी संवर्ग मे रिक्त पद पर ही दिया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, प्रारम्भिक रिक्त पद तथा बाद में हुआ रिक्त पद जिसके आधार पर लाभ दिया जाना है, प्रत्येक 120 दिन से अधिक की अवधि के लिए होना चाहिए। यह लाभ क्रमशः होने वाले रिक्त पदों जिनकी अवधि मिलाकर 120 दिन से अधिक हो, पर नहीं दिया जाना चाहिए।

(6) 'नैक्स्ट बिलो रूल' का लाभ एक पद पर एक ही सरकारी कर्मचारी को दिया जाना चाहिए। दूसरे शब्दो मे यदि वरिष्ठतम व्यक्ति तथा उससे ठीक नीचे का व्यक्ति नियमित लाइन से बाहर कार्य कर रहे हैं तो कनिष्ठ व्यक्ति की पदोन्नति पर 'नैक्स्ट बिलो रूल' का लाभ केवल एक ही व्यक्ति को मिलेगा अर्थात् वरिष्ठतम को ही मिलेगा न कि अन्य व्यक्तियो को जो चाहे पदोन्नत किए गए कनिष्ठ व्यक्ति से वरिष्ठ ही क्यो न हो।

(7) जहां नियमित लाइन से बाहर कोई सरकारी कर्मचारी को पदोन्नति देय है तथा उसे "नैक्स्ट बिलो रूल्स" के अधीन उच्च वेतन का लाभ दे दिया गया है, तथा ऐसा वेतन उसके नियमित लाइन से बाहर रहते हुए उसके द्वारा वास्तव में धारित पद के वेतन के अधिकतम से अधिक हैं तो उसे पद के वेतनमान के अधिकतम देने के बजाए जिस दिनांक से उसने उच्चतर वेतन पाना प्रारम्भ किया है, उससे छह माह के भीतर उसकी नियमित लाइन मे प्रत्यावर्तित (रिवर्ट) कर देना चाहिए।

(8) 'नैक्स्ट बिलो रूल' का लाभ ऐसे सरकारी कर्मचारी को नही दिया जाएगा जो या तो सरकार के अधीन या अन्यत्र अपनी नियमित लाइन के बाहर किसी पद पर सीधी भरती के रूप मे नियुक्त किया गया है। केवल मात्र जिस पद पर वह सीधे भरती किया गया है उस पर स्थायी होने तक अपना लीयन रखने से ही इस नियम के अधीन उसके क्लेम पर विचार करने के औचित्य को प्रदान नही करेगा।

ये तुरन्त प्रभावशील होंगे।

टिप्पणियां—(1) इस नियम के लिए कार्यवाहक नियुक्तियो मे कार्यों या उत्तरदायित्वों का धारण अधिक महत्वपूर्ण नही समझा जावेगा यदि वह पद जिस पर वह नियुक्त किया जाता है, उसी वेतन शृंखला मे है जिसमे कि टेन्योर पद के अतिरिक्त अन्य स्थाई पद है व जिस पर उसका लीयन है या जिस पर वह अपना लीयन रखता यदि उसका लीयन निलम्बित नही होता या उसी के समान वेतन शृंखला मे है।

(2) अधिक कार्यवाहक वेतन वर्तमान कर्मचारियों को नहीं दिया जावेगा जहा पर कि वेतन शृंखला की दृष्टि से विभिन्न पद नए उम्मीदवारों के लिए एक वेतन शृंखला मे मिला दिए गए हैं।

निर्णय—उच्चतर पदों या अतिरिक्त पदों पर कार्यवाहक उन्नति के लिए अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध मे वित्त विभाग में बहुत से मामले प्राप्त किये जा रहे हैं।

(2) (i) उच्चतर पदों के स्थानापन्न काल के सम्बन्ध में राज्य कर्मचारियों को राशि राजस्थान सेवा नियमों के नियम 35 के द्वारा शासित होती है। इस नियम के खण्ड (क) के अनुसार जब कार्यवाहक नियुक्ति में अपने स्थाई पद से, जिस पर कि उसका लीयन है, सम्बन्धित कर्तव्य एवं उत्तरदायित्वों से अधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य एव उत्तरदायित्व हों, तो वह उस पद का प्रारम्भिक वेतन पाने का हकदार है।

(ii) इस नियम के नीचे दी गई टिप्पणी संख्या (2) के अनुसार साधारण मामलों मे फिर भी, पूर्ण कार्यवाहक उन्नति दो या दो से अधिक माह तक रिक्त रहने वाले स्थान पर दी जा सकती है तथा जहा आवश्यक हो, विशेष कारणो से एक माह या उससे अधिक के लिए दी जा सकती है।

(iii) एक माह से कम के समय के लिए औपचारिक रूप से ऐसे प्रबन्ध न किए जाने चाहिये जिसके कारण उच्चतर वेतन या अतिरिक्त वेतन का क्लेम करना पड़े।

एक माह या इससे अधिक समय के लिए लेकिन (2) में कही गई सीमा से कम के लिए प्रबन्ध इस तरह करना चाहिए कि उसके चालू कार्य की वह देख भाल करे, न कि उसकी कार्यवाहक नियुक्ति की जानी चाहिए।

(iv) नियम 36 में दिया हुआ है कि एक कार्यवाहक राज्य कर्मचारी का वेतन उसमे कम पर निश्चित किया जा सकता है जिसे वह नियम 35 के अनुसार प्राप्त कर सकता है। यह नियम उस राज्य कर्मचारी को उस पद का पूर्ण वेतन देने से रोकने के लिए बनाया गया है जिस पर कि वह साधारणतया उन्नत नही किया जाता, परन्तु विशेष परिस्थितियों में उसकी उस उच्च पद पर कार्यवाहक उन्नति की गई है। यह आशा की जाती है कि नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी को, जब वह कार्यवाहक नियुक्ति करता हो, यह विचारना चाहिए कि क्या किसी सम्बन्धित राज्य कर्मचारी को पद का प्रारम्भिक वेतन दिया जाना चाहिए अथवा नही। यदि किसी राज्य कर्मचारी को केवल उस पद का चालू कार्य देखने के लिए ही नियुक्त किया जाता है तो उसका वेतन नियम 26 के नीचे दी गई 'टिप्पणी' के अनुसार निश्चित किया जाना चाहिए।

(3) प्रबन्ध करने के लिए सक्षम प्राधिकारियो को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 35 व उसके नीचे दी गई टिप्पणी के अनुसार स्पष्ट आदेश निकालने चाहिए कि क्या नियुक्ति कार्यवाहक नियुक्ति है या केवल चालू कार्य को देखने के लिए की गई नियुक्ति है। यदि कार्यवाहक नियुक्ति दो माह से कम समय के लिए की गई हो तो उसके कारणों का उल्लेख नियुक्ति आदेश में दिया जाना चाहिए तथा यदि वेतन नियम 35 के अनुसार मिलने वाले वेतन से कम पर निश्चित किया जाना हो तो शक्तियों की अनुसूची की मद संख्या 7 के अन्तर्गत एक विशिष्ट आदेश जारी किया जाना चाहिए।

+ स्पष्टीकरण—राजस्थान सेवा नियमो के 35 से 50 के क्षेत्र के एवं उन परिस्थितियो के सम्बन्ध मे सदेह प्रकट किए गए हैं जिनके अधीन एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा दोहरा प्रबन्ध किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में सभी सन्देहों को दूर करने के लिए सरकार निम्न प्रकार से स्पष्टीकरण एवं निर्देशन प्राप्त करती है :—

+ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ 8 (28) एफ II / 55 दिनाक 9-8-62 द्वारा शामिल किया गया तथा वित्त विभाग के आदेश सं० एफ 1 (71) एफ ड़ी (व्यय-नियम) 65 दिनांक 14-12-65 द्वारा संशोधित किया गया (सशोधन में तीन माह के स्थान पर 6 माह किए गए)

जब कोई पद रिक्त हो तो सक्षम प्राधिकारी के लिए निम्न तरीके खुले हुए हैं :—

(1) स्टाफ के अन्य सदस्यों में कार्य को बांट देना तथा पद को खाली करना।

(2) नई नियुक्ति या उन्नति प्रदान कर स्थान की पूर्ति करना।

(3) किसी राज्य कर्मचारी को अपने पद के कार्यभार के अतिरिक्त उस पद का कार्यभार सम्भालने के लिए नियुक्त करना।

जगह के रिक्त होने पर सक्षम प्राधिकारी को निर्णय करना चाहिये कि उपरोक्त बतलाए गए तरीकों में किस मामले में कौनसा तरीका ठीक है। यदि एक माह से अधिक के लिए रिक्त रहने वाला नहीं हो तो जहां तक सम्भव हो, उस पद का कार्यभार स्टाफ के अन्य सदस्यों के बीच में बांट दिया जाना चाहिए। जब किसी पद पर वैधानिक कार्य या कर्तव्य संलग्न हो या जहां अन्य कारण से पदों को रिक्त रखा जाना सुविधाजनक न हो, चाहे वह स्थान एक माह से अधिक के लिए रिक्त रहने वाला नहीं हो, या जहां पर एक पद एक माह से अधिक समय के लिए रिक्त रखा जाना सम्भव हो, तो एक व्यक्ति को एक पद पर उन्नत या नियुक्त किया जा सकता है।

यदि पद पर बाहर (Market) से एक व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है तो उसका वेतन या राजस्थान सेवा नियमों के नियम 35 (क) व 26 को मिलाकर निश्चित किया जावेगा।

जब एक राज्य कर्मचारी एक रिक्त स्थान पर नियुक्त कर दिया जाता है तो उसका वेतन राजस्थान सेवा नियमों के नियम 26 (क) या 35 (क) के अनुसार इस बात को ध्यान में रखते हुए निश्चित किया जाएगा कि उस नियुक्ति में कार्यों एवं उत्तरदायित्वों का धारण अधिक महत्वपूर्ण है या नहीं।

(1) जहां एक राज्य कर्मचारी किसी पद पर अपने कार्य के अतिरिक्त उसके कार्य की देखभाल के लिए नियुक्त किया जाता है, तो उस सम्बन्ध में तीन सम्भावनाएं हो सकती हैं—

(i) वह पद उस पद के अधीनस्थ हो सकता है जिसे वह धारण कर रहा हो।

(ii) वह पद उसके द्वारा धारण किए गए पद के समान या नीचा (लेकिन अधीनस्थ) हो सकता है।

स्पष्टीकरण—"बराबर पदों" का तात्पर्य उसी केडर में वेतन की अनुरूप समय श्रेणी में होने वाले पदों से है।

(iii) वह पद अपने द्वारा धारण किए गये पद से उच्च हो सकता है।

इन सभी मामलों में नियुक्ति एवं अतिरिक्त वेतन की स्वीकृति राजस्थान सेवा नियमों के नियम 50 के अन्तर्गत नियमित होगी।

(2) प्रथम मामले में राज्य कर्मचारी को जो कुछ वह प्राप्त कर रहा है, उसके अतिरिक्त उसे कुछ नहीं मिलेगा।

(3) दूसरे प्रकार के मामले में राज्य कर्मचारी को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 50 (क) के अन्तर्गत अपना वेतन तथा राजस्थान सेवा नियमों के नियम 50 (ख) के अन्तर्गत दूसरे पद के प्रारम्भिक वेतन का 10 प्रतिशत तक स्वीकृत किया जा सकता है यदि दोहरे कार्यभार का समय 60 दिन तक है या 30 दिन या इससे अधिक है। परन्तु यदि दोहरे कार्यभार को

सम्भालने का समय 60 दिन से ज्यादा है तो दूसरे पद के प्रारम्भिक वेतन के 20 प्रतिशत तक स्वीकृत किया जा सकता है ।

(4) तीसरे मामले में यदि उच्च पद का चार्ज 60 दिन से कम के लिए सम्भावना हो परन्तु 30 दिन या इससे अधिक समय के लिए हो तथा राज्य कर्मचारी उच्च पद पर कार्य करने के लिए योग्यता रखता हो या जो नियमित या प्राशाजनक उन्नति के लिए पर्याप्त सीनियर हो तो उसे उच्च पद पर विशेष (स्पेशल) वेतन के मिलने पर भी एक पद को उच्च पद समझा जाना चाहिए तथा उसे उस पर कार्यवाहक रूप में नियुक्त किया जा सकता है तथा उसे राजस्थान सेवा नियमों के नियम 50 (क) के अन्तर्गत उच्च पद पर वेतन प्राप्त करने के लिये स्वीकृति दी जा सकती है। फिर भी यदि निम्न पद अधीनस्थ (सबोर्डिनेट) पद न हो तो राज्य कर्मचारी को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 50 (ख) के अन्तर्गत उस पद के प्रारम्भिक वेतन के 10 प्रतिशत के रूप में विशेष वेतन तक स्वीकृत किया जा सकता है।

फिर भी ऐसे उक्त मामलों में जिनमे उच्च पद का कार्यभार 60 दिन से अधिक समय के लिए सम्भालना हो तो उसे राजस्थान सेवा नियमों के नियम 50 (ख) के अनुसार निम्न पद के प्रारम्भिक वेतन के 20 प्रतिशत तक विशेष वेतन स्वीकृत किया जा सकता है।

× स्पष्टीकरण—उक्त स्पष्टीकरण नियम 50 के अन्तर्गत, ऐसे मामलों मे जहाँ पर 30 दिनों या इससे अधिक समय के लिए दोहरा प्रबन्ध के लिए, अतिरिक्त वेतन स्वीकृत किया जाता है ।

एक प्रश्न इस सम्बन्ध में उत्पन्न किया गया है कि अवकाश के पूर्व में एवं बाद में आने वाले अवकाशों को दोहरा प्रबन्ध के समय में तथा उसका अतिरिक्त वेतन देने के लिए गिना जाना चाहिए या नहीं। वर्तमान प्रावधानों के अनुसार अवकाशों की उस अवधि को दोहरा प्रबन्ध के समय मे संगणित नही की जाती है तथा उसके लिए अतिरिक्त वेतन नही दिया जाता है।

राजस्थान सेवा नियमों के नियम 63 को ध्यान में रखते हुए विषय पर जांच कर ली गई है तथा यह निर्णय किया गया है कि उक्त आदेश के प्रयोजनार्थ अवकाश के पूर्व एवं बाद के सार्वजनिक अवकाशों को दोहरा प्रबन्ध की अवधि में गिना जाना चाहिए एवं तदनुसार अतिरिक्त वेतन स्वीकृत किया जाना चाहिए ।

टिप्पणी—यदि राज्य कर्मचारी उच्च पद का कार्यभार सम्भालने की योग्यता न रखता हो तथा जो नियमित या प्राशाजनक उन्नति के लिए पर्याप्त सीनियर न हो, तो उसे उस पद के कर्तव्यो का चालू कार्य सम्भालने के लिए नियुक्त किया जा सकता है तथा यदि उच्च पद का चार्ज 30 दिन या उससे अधिक के लिए लेता है तो उसे अपने वेतन का 10 प्रतिशत तक विशेष वेतन स्वीकृत किया जा सकता है ।

किसी भी मामले में इस प्रकार का दोहरा प्रबन्ध छह (6) माह से अधिक के लिए चालू नही रखा जाना चाहिये। छह माह से अधिक समय के लिए किसी भी प्रकार का अतिरिक्त पारिश्रमिक नही

× राजस्थान राजपत्र भाग 4 (ग) दिनांक 23 सितम्बर 1966 में प्रकाशित वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ 2 (25) एफ डी (व्यय-नियम) 66 दिनांक 1 जुलाई 1966 द्वारा शामिल किया गया ।

मिलेगा। छह माह के बाद नियमित नियुक्ति या उन्नति रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए की जानी चाहिए। उक्त पद के छह माह तक न भरने पर उसे एबेयेन्स में रखा हुआ समझा जावेगा।

(यह संशोधन (छह माह का) दिनांक 1-1-65 से लागू होगा जो राज्य कर्मचारी 1-11-65 से पूर्व दोहरा कार्यभार सम्भाले हुए थे उनके लिए यह संशोधन उस तारीख से लागू होगा जिससे उसने कार्यभार सम्भालना शुरू किया है)।

टिप्पणी—दूसरे पद के अधीन एक पद उस समय समझा जावेगा जब कि एक पद के कर्मचारी का कार्य अन्य पद पर काम करने वाले द्वारा देखा जाता है या निगरानी किया जाता है तथा दोनों पद एक ही कार्यालय में हों। यदि एक राजपत्रित राज्य कर्मचारी किसी अराजपत्रित पद का कार्यभार सम्भाले तो उसे उस पद के अधीनस्थ पद का कार्यभार सम्भाला हुआ समझना चाहिए बशर्ते कि अराजपत्रित पद राजपत्रित पद के सीधे नियन्त्रण में हो।

नियम 35. क(1) नियम 35 व 36 के प्रावधानों की शर्त पर एक राज्य कर्मचारी जो एक पद पर कार्यवाहक रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है, वह उस कर्मचारी का प्रारम्भिक वेतन प्राप्त करेगा।

(2) वेतन वृद्धि अन्यथा प्रकार से मूल वेतन में वृद्धि होने पर राज्य कर्मचारी का वेतन ऐसी वृद्धि की तारीख से उपनियम के अन्तर्गत इस रूप में पुनः निश्चित किया जावेगा कि मानों वह पद पर उस तारीख को ही कार्यवाहक रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था, जहां पर ऐसा पुनः निर्धारण (Refixation) उसके हित में हो।

परन्तु शर्त यह है कि नियम 26 के प्रावधान इस नियम के उपनियम (2) के अधीन वेतन के पुनर्निर्धारण (रीफिक्सेशन) के मामलों में लागू नहीं होंगे।

टिप्पणी—उपनियम (2) 1-5-58 से प्रभावशील है।

×(3) उपनियम (2) में किसी भी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, उस तारीख से जिससे कि सरकारी कर्मचारी का स्थानापन्न वेतन, संस्थायी वेतन के समकक्ष या उससे कम होता है, तो स्थानापन्न वेतन संस्थायी वेतन के ऊपर की स्टेज पर पुनः स्थिर किया जाएगा। सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी की अगली वेतन वृद्धि वेतन के उक्त रूप से पुनः स्थिरीकरण किए जाने की तारीख से नियम 31 के अधीन आवश्यक अर्हकारी सेवा पूरी करने पर ही आहरित की जाएगी।

ये आदेश दिनांक 1-4-66 से प्रभावशील हुए समझे जाएंगे।

नियम 36. निम्न दर पर कार्यवाहक वेतन निश्चित करने की शक्ति—राज्य सरकार एक कार्यवाहक राज्य कर्मचारी का वेतन, इन नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत वेतन से कम राशि पर निश्चित कर सकती है।

टिप्पणी—इसका एक उदाहरण, जहां पर यह नियम लागू होना चाहिए, यह है कि जब एक राज्य कर्मचारी एक पद के पूर्ण कर्तव्यों को नहीं निभा रहा हो, लेकिन केवल चालू कर्तव्यों का ही चार्ज सम्भाल रहा हो।

× वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 1 (21) वित्त वि० (नियम/69 दिनांक 9-5-69 द्वारा निविष्ट किया गया।

नियम 37. कार्यवाहक वेतन का नियमन, जब पद पर वेतन ऐसी दर पर मुकर्रर हो जो दूसरे राज्य कर्मचारी की निजि हो—जब कोई राज्य कर्मचारी एक पद पर कार्यवाहक रूप से कार्य करता है जिसका कि वेतन अन्य राज्य कर्मचारी के व्यक्तिगत वेतन पर निश्चित हो चुका है तो सरकार उसे इस प्रकार निश्चित की गई किसी दर पर उसे वेतन प्राप्त करने की इजाजत दे सकती है अथवा इस प्रकार निश्चित की गई दर, समय श्रेणी की हो तो सरकार उसे प्रारम्भिक वेतन प्राप्त करने की स्वीकृति दे सकती है जो कि उस समय श्रेणी की निम्नतम स्टेज के वेतन से ज्यादा न होगा तथा भावी वार्षिकोन्नति स्वीकृत दर से अधिक नहीं होगी।

नियम 38. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में उपस्थित होने के लिए नए राज्य कर्मचारियों के स्थान पर कार्यवाहक उन्नतियां – राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उन राज्य कर्मचारियों के बदले में कार्यवाहक उन्नति प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान कर सकती है जो कि नियम 7 (8) (ख) के अन्तर्गत ड्यूटी पर समझे जाते हैं।

निर्णय :—नियम 38 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी किसी भी राज्य कर्मचारी को उस कर्मचारी के स्थान पर कार्यवाहक रूप में नियुक्त कर सकता है जो कि नियम 7 (8) (ख) के अधीन ड्यूटी पर माना जाता है। इस सम्बन्ध में सन्देह उत्पन्न किया गया है कि क्या ऐसे मामलों में, जिनमें कि कार्यवाहक उन्नति दी जाती है, उन राज्य कर्मचारियों को वेतन दिलाने के लिए नए पद का सृजन करना जरूरी है, जो कि भारत में निर्देशन या प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए भेजे जाते हैं एवं जो नियम 7 (8) (ख) (1) के अन्तर्गत ड्यूटी पर समझा जाता है।

राज्य सरकार ने निर्णय किया है कि, यदि कोई उम्मीदवार भारत में निर्देशन या प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए भेजा जाता है तो उसे ऐसे निर्देशन या प्रशिक्षण में स्थापित करने के लिए नये पद का सृजन किया जाना आवश्यक नहीं है क्योंकि उसे नियुक्ति देने के आदेश को ही इस सम्बन्ध में स्वीकृति समझा जावेगा।

सभी विचाराधीन मामले इस आधार पर हल किये जा सकते हैं।

नियम 39. निजि वेतन का घटना—जब तक स्वीकृति प्रदान करने वाला प्राधिकारी अन्यथा प्रकार से आदेश न दे दे, कर्मचारी का वेतन उतना घटाया जा सकता है जितना कि कर्मचारी का वेतन बढ़ता जाय तथा जैसे ही उस कर्मचारी का वेतन उस व्यक्तिगत वेतन के बराबर बढ़ जायेगा वैसे ही उसको व्यक्तिगत वेतन मिलना बन्द हो जायेगा।

नियम 40. अस्थाई पद का वेतन—जब कोई ऐसे स्थाई पद का सृजन किया जाता है जो कि ऐसे व्यक्ति द्वारा भरा जाना हो जो कि पहिले से ही राज्यकीय सेवा में न हो तो उस पद का वेतन उस आवश्यक न्यूनतम (Minimum) रूप में निश्चित किया जायेगा जो कि उस पद पर योग्य व्यक्तियों को कार्य पर लाने में पर्याप्त हो सके।

नियम 41. जब एक ऐसा अस्थाई पद सृजित होता है जो कि सम्भवतः राज्य सेवा में लगे राज्य कर्मचारी द्वारा भरा जा सके, तो उसका वेतन निम्न को ध्यान में रखकर निश्चित किया जाना चाहिए—

(क) सम्पादन किये जाने वाले काम की प्रकृति एवं उसकी जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए।

(ख) एक स्तर के कर्मचारी का वर्तमान वेतन उस पद पर निर्वाचन के लिए पर्याप्त हो।

टिप्पणियां—(1) एक राज्य कर्मचारी जो कि "विशेष कर्तव्य" (Special duty) या प्रतिनियुक्ति पर (on deputation) पर जाता है उसे अपने अस्थाई पद का वेतन प्राप्त करना चाहिए जो कि उसे समय-समय पर मिलता रहता यदि वह इस प्रकार प्रतिनियुक्त नहीं किया जाता यदि स्वीकृति प्रदान करने वाला प्राधिकारी इससे सन्तुष्ट हो जाता है कि इस प्रकार से प्रतिनियुक्त किया गया कर्मचारी शीघ्र ही उस अपने पद से जिस पर वह 'विशेष कर्तव्य' पर या प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है, उच्च वेतन की दर वाले पद पर उन्नत हो जाता तथा ऐसे पद पर अनुमानतः उसी समय तक कम से कम कार्य करता रहता जितने समय तक उसके अस्थाई पद के चलने की आशा है, तो वह इस तथ्य को ध्यान में रख सकता है तथा सम्पूर्ण समय तक के लिए एक समान वेतन निश्चित कर सकता है।

(2) ऐसे मामलों में जोरदार वेतन स्वीकृत करने का मुख्य आधार काम को निश्चित रूपेण वृद्धि या उत्तरदायित्व का अपने उस पद के कार्यों की तुलना में सिद्ध करना है जिसे वह अपनी नियत श्रेणी में रहकर अन्यथा रूप से प्राप्त करता। जहां पर उत्तरदायित्व की जांच व्यावहारिक नहीं हो, वहां नियम 40 का अनुसरण किया जाना चाहिए।

(3) काम की या उत्तरदायित्व की अधिकता के कारण, किन्हीं अपवाद स्वरूप परिस्थितियों को छोड़कर, अतिरिक्त स्वीकृत किया गया वेतन उसके मूल वेतन के 1/5 भाग या 300 रु, इनमें से जो कम हो, से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

(4) उन राज्य कर्मचारियों को जो उन पदों पर प्रतिनियुक्त किये गए हैं जिनका कार्य या उत्तरदायित्व उन्हीं पदों के समान है जिनको कि वे अन्यथा प्रकार से ग्रहण करते, उन्हें वेतन में कोई वृद्धि स्वीकृत नहीं की जानी चाहिए चाहे उन्हें किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में काम करने के कारण क्षतिपूरक भत्ता मिलना चाहिए। इस तरह का एक सुन्दर उदाहरण उन लोगों को मिलेगा जो समितियों (कमेटी) या आयोगों (कमीशन) में प्रतिनियुक्ति (डेपूटेशन) पर भेजे जाते हैं। समितियों एवं आयोगों के सदस्यों के रूप में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये राज्य कर्मचारियों के कार्य एवं उत्तरदायित्व उनसे अधिक नहीं हैं जिन्हें वे अपनी नियत श्रेणी में रहकर पूरा करते। एवं केवल अपवाद स्वरूप मामलों में ही अतिरिक्त पारिश्रमिक उचित ठहराया जा सकता है। फिर भी अपवाद स्वरूप मामलों में उक्त सिद्धान्तों में रियायत बरतनी पड़ेगी जहां पर कि कर्तव्यों को ध्यान में रखकर, यह आवश्यक होता है कि विशेष योग्यताओं के अधिकारी विशेष शर्तों पर लाये जावें।

(5) अस्थाई पदों को दो श्रेणियों में विभाजित कर दिया जावेगा—साधारण कार्य को करने के लिए सृजित किये गए पद जिनके कि लिए एक केडर में पहिले से ही स्थाई पद मौजूद हैं। अन्तर केवल इतना ही है कि नये पद अस्थाई हैं और स्थाई नहीं है, एवं दूसरे पद जो साधारण कार्य से असम्बद्ध विशेष कार्यों को पूरा करने के लिए अलग से पद सृजित किये जाने चाहिए जिन्हें एक सेवा को करना पड़ता है। आखिरी किस्म के पदों का एक उदाहरण जांच कमीशन में एक स्थान का है। मौलिक परिभाषा द्वारा इनको पहचाना जाना कठिन है परन्तु व्यवहार में व्यक्तिगत मामलों में पहिचान करने में बहुत ही कम कठिनाई आती है। पद की प्रथम श्रेणी को सेवा के केडर में एक अस्थाई वृद्धि के रूप में समझा जाना चाहिये चाहे उस पद पर कोई भी व्यक्ति नियुक्त क्यों न हो। अस्थाई पदों की बाद की श्रेणी को अवर्गीकृत एवं पृथक-एक्स-केडर पद के रूप में समझा जाना चाहिये।

अस्थाई पद जिन्हें इस सिद्वान्त से सेवा के किसी केडर में अस्थाई वृद्धि समझी जानी चाहिये, उन्हें बिना पारिश्रमिक के साधारण सेवा की समय श्रेणी मे सृजित किया जाना चाहिये। इन पदों के कर्मचारी, इसलिये, अपनी साधारण समय श्रेणी का वेतन प्राप्त करेंगे। यदि किन्हीं पदो पर कार्य या उत्तरदायित्व का भार सामान्यतः अपने मूल केडर के कर्तव्यों की तुलना में अधिक हो तो इसके अतिरिक्त विशेष वेतन उनके लिए स्वीकृत किया जाना आवश्यक होगा।

पृथक एक्स-केडर पदों के लिए सामूहिक तौर पर कभी वेतन की कुल एकत्रित राशि निर्धारित करना वांछनीय होगा। फिर भी जहां पद पर नियुक्ति सेवा में लगे कर्मचारियों मे से की जाती हो तो पद को धारण करने वाले की समय श्रेणी मे सृजित करना उचित होगा।

जांच निर्देशन;—इन नियमो के अन्तर्गत विशेष कर्तव्यो को मान्यता नहीं दी जावेगी। विशेष कार्य करने के लिये एक अस्थाई पद का सृजन कराना पडेगा। यदि विशेष कर्तव्य एक राज्य कर्मचारी के कर्तव्यों के साथ में कराये जाने हो तो नियम 41 व 50 लागू होंगे।

अध्याय ५ वेतन के अतिरिक्त अन्य भत्ते

नियम 42—सामान्य नियमों के अनुसार कि भत्ते, प्राप्त कर्ता को लाभ का पूर्ण साधन नहीं होता है, सरकार अपने नियन्त्रण के अधीन राज्य कर्मचारियों को ऐसे भत्ते स्वीकृत कर सकती है तथा उसकी राशि निर्धारित करने के लिए एवं उसको प्राप्त करने की शर्तों के बारे में नियम बना सकती है।

(इस नियम के अधीन बनाये गए नियमों के लिए परिशिष्ट 16, 17 व 18 देखें)

नियम 43 (क) काम करने एवं उसका शुल्क स्वीकार करने की स्वीकृति—नियम 44 से 46 के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन एक राज्य कर्मचारी को, गैर सरकारी व्यक्ति या निकाय या सार्वजनिक निकाय जिसमे स्थानीय निधि द्वारा प्रशासन किया जाता हो, का कार्य करने एवं उसका आवर्तक या अनावर्तक शुल्क के रूप में पारिश्रमिक लेने की स्वीकृति दी जा सकती है, यदि उसकी सेवा लेना जरूरी हो तथा यदि वह उस कार्य को अपने राजकीय कर्तव्यों एवं दायित्वो में बिना बाधा पहुंचाये हुए कर सकता हो।

टिप्पणी (विलोपित)

(ख) शुल्क (फीस) स्वीकार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को स्वीकृति आवश्यक—सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना कोई भी राज्य कर्मचारी किसी निजि(प्राइवेट)या सार्वजनिक संस्था या प्राइवेट व्यक्ति का कार्य नहीं कर सकता है तथा उसका शुल्क (फीस) नहीं ले सकता है। वह सक्षम प्राधिकारी, केवल कर्मचारी के अवकाश पर रहने के अतिरिक्त, यह प्रमाणित करेगा कि उसके उपरोक्त कार्य करने में सरकारी कार्यों एवं जिम्मेदारियों मे किसी भी प्रकार की बखल नहीं होती है।

(ग) वे परिस्थितियां जिनमें पारिश्रमिक (Honorarium) स्वीकृत किया जा सकता है-राज्य सरकार किसी भी राज्य कर्मचारी को किसी कार्य के लिए संचित निधि से पारिश्रमिक प्राप्त

करने के लिए स्वीकृति दे सकती है या उसमे से स्वीकृत कर सकती है यदि यह कार्य आकस्मिक या क्रमानुगत ढंग का हो या इतना परिश्रम का हो या ऐसी विशेष योग्यता का हो, जिसके लिए ऐसा पारिश्रमिक देना उचित है। सिवाय इसके कि जब कोई विशेष कारण, जिनको कि लिखा जाना चाहिए, इस प्रावधान का उल्लंघन कराते हों, किसी पारिश्रमिक को स्वीकार करने या उसको लेने की स्वीकृति उस समय तक नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि कार्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से न लिया जाए तथा इसकी राशि पहिले से ही तय नहीं की गई हो।

निर्देशन सं०1—कभी कभी ये प्रश्न उठाये जाते हैं कि क्या राजस्थान सेवा नियमों के नियम 43 (ग) के अन्तर्गत किसी राजपत्रित अधिकारी के लिए अधिक समय तक काम करने का पारिश्रमिक स्वीकृत किया जा सकता है जब कि उतने ही अधिक समय तक काम करने पर एक अराजपत्रित कर्मचारी को पारिश्रमिक स्वीकृत किया जाता है।

इस सम्बन्ध मे राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7 (13) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके कि अनुसार पारिश्रमिक केवल आकस्मिक या क्रमानुगत ढंग के विशेष कार्य के लिए ही स्वीकृत किया जाता है। इससे स्पष्ट है कि जब एक राज्य कर्मचारी अपनी साधारण सेवा करता है तो उसे पारिश्रमिक स्वीकृत नही किया जाता है चाहे वह सामान्य समय से अधिक समय तक काम क्यो न करे। इसी प्रकार जब सेवायें साधारण सेवाओं के समान हों तो भी उसके लिए पारिश्रमिक स्वीकृत नही किया जा सकता।

फिर भी, लिपिक वर्ग से सम्बन्धित सदस्यो के मामले मे जब एक कर्मचारी को अपवाद स्वरूप परिस्थितियो में एक उचित समय तक असाधारण लम्बे समय तक कार्य करना पड़ता हो तो उसे सरकार प्रचलित पद्धति के अनुसार पारिश्रमिक स्वीकृत कर सकती है। किसी भी राजपत्रित अधिकारी के लिए किसी भी कार्य का पारिश्रमिक स्वीकृत नही किया जा सकता है जो कि उसकी सामान्य सेवाओ का हिस्सा हो या उसके समान हो यद्यपि चाहे वह कार्यालय समय के बाद भी कार्य करता हो। इसलिये इस प्रकार के मामलों में राज्य सरकार को कभी भी राजपत्रित अधिकारियों के लिए पारिश्रमिक स्वीकृत करने की सिफारिश नहीं भेजनी चाहिए।

(विशेष—उक्त हिदायत से स्पष्ट है कि राजपत्रित अधिकारी पारिश्रमिक प्राप्त करने के हकदार नही है, (अतः उन्हें इसके लिए आवेदन आदि नहीं करना चाहिए)

निर्देशन सं० २—एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि क्या नियम 43 (ग) के अधीन किसी राज्य कर्मचारी को, जो अपने पद की सामान्य सेवा (ड्यूटी) के साथ में अन्य स्वीकृत पद की सेवाओं को भी पूरा कर रहा हो, पारिश्रमिक स्वीकृत किया जा सकता है।

पारिश्रमिक की परिभाषा राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7 (13) में आकस्मिक या क्रमानुगत ढंग के विशेष कार्य के लिए राज्य की सचित निधि या भारत की संचित निधि से पारिश्रमिक के रूप मे किसी राज्य कर्मचारी को आवर्तक या अनावर्तक भुगतान के रूप में की गई है। जब एक पद स्वीकृत किया जाता है तो उसकी सेवाएं मुश्किल से ही आकस्मिक या क्रमानुगत ढंग की मानी जा सकती है। अतः जब अपने कार्य के अतिरिक्त, एक राज्य कर्मचारी से दूसरे स्वीकृत पद की सेवाओं को पूरा करने के लिए कहा जाय तो उसे अतिरिक्त कार्य करता हुआ समझना चाहिए जो कि आकस्मिक या क्रमानुगत ढग की नही है, चाहे उसे ऐसी अतिरिक्त सेवाओं को थोड़े समय के लिए करने के लिए ही कहा जाय। इसलिए एक कर्मचारी को जब भी अपने पद

के अतिरिक्त एक स्वीकृत पद के अतिरिक्त कार्य करने के लिये कहा जाय तो उसे राजस्थान सेवा नियमों के नियम 43 (ग) के अन्तर्गत पारिश्रमिक नही मिल सकेगा।

पूर्व के मामले जो पहिले अन्यथा प्रकार से तय किये जा चुके हैं, उन्हे पुनः खोलने की जरूरत नही है।

निर्देशन सं० 3—राजस्थान सेवा नियमों के नियम 43 (ग) के अन्तर्गत कोई भी राज्य कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना किसी भी कार्य को नही ले सकता है तथा उसका पारिश्रमिक स्वीकार नही कर सकता है। सामुदायिक विकास मे लगा हुआ क्षेत्रीय कर्मचारी वर्ग (फील्ड स्टाफ) एवं ग्राम सेवक, विकास अधिकारी जैसे व्यक्ति 'पंचायती राज' पत्रिका मे पत्रों एव लेखों के रूप मे प्रकाशन सामग्री दे सकते हैं जो कि सामुदायिक विकास एवं सहकारिता मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा, सूचना एवं प्रसार मन्त्रालय के माध्यम से निकाला जाता है। तथा वे उसका पारिश्रमिक सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद में प्राप्त करते हैं, जैसा कि उक्त नियम मे चाहा गया है।

राज्य सरकार ने मामले पर विचार कर अपनी यह राय बनाई है कि उक्त कार्य को लेने एवं उसके पारिश्रमिक को स्वीकार करने की आज्ञा सक्षम प्राधिकारी से प्रत्येक व्यक्तिगत मामलो मे प्राप्त करने मे बहुत देर व असुविधा होती है इसलिए सरकार आदेश देती है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम में नियोजित क्षेत्रीय कर्मचारी वर्ग (फील्ड स्टाफ) जो उपरोक्त पत्रिका मे पत्रों एवं लेखो के रूप मे योगदान करते हैं, उन्हें ऐसा करने तथा उनका पारिश्रमिक स्वीकार करने की आज्ञा दी जाती है।

निर्णय सं० 1—एक प्रश्न उठाया गया है कि क्या विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं एवं पाठ्यक्रमो मे पूर्ण समय के लिए नियुक्त अध्यापन वर्ग या आंशिक समय के लिए नियुक्त अध्यापन वर्ग को, जिसे कि अध्यापन सेवाओं के लिए विशेष वेतन मिलता हो, उक्त सस्थाओं एव पाठ्यक्रमों मे लिए जाने वाले टैस्टो व परीक्षाओं से सम्बन्धित प्रश्न पत्र बनाने, उत्तर पुस्तिकायें जाचने या व्यावहारिक परीक्षा लेने आदि का पारिश्रमिक, पारिश्रमिक के रूप मे, नियम 43 (ग) के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है।

मामले की जाच की गई है तथा यह निर्णय किया गया है कि राजकीय प्रशिक्षण सस्थाओं मे या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम मे पूर्ण समय या आंशिक समय के लिए नियुक्त किये गये अध्यापन वर्ग के कर्मचारियों को प्रश्न पत्र बनाने, उत्तर पुस्तिकाएँ जाचने या व्यावहारिक परीक्षा लेने आदि का कोई भी पारिश्रमिक स्वीकृत नही किया जायगा क्योंकि ऐसी संस्थाओं एवं पाठ्यक्रमो मे नियुक्त अध्यापन वर्ग की यह अध्यापन सेवाओ मे शामिल है। फिर भी उन लोगो के लिए पारिश्रमिक दिया जाता रहेगा जो इन संस्थाओं एवं पाठ्यक्रमो मे अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं।

निर्णय स० 2—विषय राजकीय विभागों द्वारा आयोजित कवि सम्मेलनों, मुशायरो एव सांस्कृतिक कार्यक्रमों मे राज्य कर्मचारियों द्वारा भाग लेना तथा उसका उन्हे पारिश्रमिक देना—

राज्य कर्मचारी जो कि कवि या कलाकार हैं, उन्हें समय पर सार्वजनिक संपर्कालय तथा अन्य कुछ विभागो द्वारा आयोजित कवि सम्मेलनों, मुशायरों तथा अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आमन्त्रित किया जाता है तथा उनकी सेवा के लिए उन्हे संचित निधि से पारिश्रमिक दिया जाता है।

राजस्थान सेवा नियमों के नियम 43 के अन्तर्गत एक राज्य कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना एक कार्यालय में कार्य करते हुए दूसरे कार्यालय का कार्य नहीं ले सकता है तथा न उसका पारिश्रमिक ही स्वीकार कर सकता है।

मामले की जांच की गई है तथा यह निर्णय किया गया है कि उन राज्य कर्मचारियों को, जिन्हें सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय या ऐसे उत्सव मनाने वाले अन्य विभागों द्वारा आयोजित कवि सम्मेलनों, मुशायरों तथा अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने को बुलाया जाता है, निम्न शर्तों के आधार पर उनमें भाग लेने की स्वीकृति दी हुई समझी जाती है—

(1) किसी एक अवसर पर राज्य कर्मचारी को दिया जाने वाला पारिश्रमिक 25 रु० से ज्यादा न हो तथा एक माह में 50 रु० से ज्यादा न हो।

(2) सार्वजनिक सम्पर्क निदेशालय या ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने वाले राज्य विभागों के कर्मचारी ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेने पर इन आदेशों के अधीन पारिश्रमिक की राशि प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।

शुल्क एवं पारिश्रमिक (Fees and Honoraria)

(घ) स्वीकृति के कारणों को लिखा जावे—शुल्क एवं पारिश्रमिक दोनों ही मामलों में स्वीकृति प्रदान करने वाला प्राधिकारी लिखित में यह उल्लेख करेगा कि नियम 13 में वर्णित सामान्य सिद्धान्तों का पूर्ण ध्यान रखा गया है तथा वह उसमें उन कारणों का भी उल्लेख करेगा कि जो उसकी राय में अतिरिक्त पारिश्रमिक दिलाने के लिए पर्याप्त हों।

पारिश्रमिक की स्वीकृति राज्य कर्मचारी को केवल इसलिए नहीं दी जा सकती है कि उसके कार्य में अस्थाई वृद्धि हो गई है अर्थात् जैसे कि उसके विभाग के तत्वावधान में विशेष सम्मेलन हो रहा हो। ऐसी अस्थाई कार्य वृद्धि राजकीय सेवा की साधारण घटना है तथा उन्हें पूरा करने में राज्य कर्मचारी का कर्तव्य बंध होता है। अतः परिणामस्वरूप उन्हें अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं दिया जा सकता है।

स्पष्टीकरण—राजस्थान सेवा नियमों के परिशिष्ट 9 के क्रम संख्या 9 पर दिखाई गई सीमा तक ऐसे कार्य लेने तथा पारिश्रमिक स्वीकृत करने या लेने की शक्ति प्रदान कर दी गई है जिसके कि लिए पारिश्रमिक दिया जाना है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रश्न उठाये गये हैं—

(1) क्या ऐसे मामलों में जिनमें कार्य लेने की स्वीकृति तथा पारिश्रमिक के स्वीकार करने की स्वीकृति प्रदान करने वाला प्राधिकारी पारिश्रमिक स्वीकृत करने में सक्षम प्राधिकारी से भिन्न हो, (ऐसे मामले उदाहरण के रूप में जहां एक राज्य कर्मचारी एक विभाग में कार्य करता है तथा दूसरे विभाग का कार्य स्वीकार करता है) वित्त विभाग की स्वीकृति, ऐसे कार्यों को लेने तथा उनका पारिश्रमिक स्वीकार करने के लिए, प्राप्त करनी आवश्यक होगी जिनमें कि निर्धारित सीमा राजस्थान सेवा नियमों के परिशिष्ट 9 की क्रम संख्या 9 में दी हुई से अधिक है, तथा

क्या ऐसे मामलों में दो स्वीकृतियां जरूरी होंगी जिनमें एक कार्य को लेने तथा उसका पारिश्रमिक स्वीकार करने की स्वीकृति उधार देने वाले प्राधिकारी द्वारा निकाली जावेगी तथा दूसरी पारिश्रमिक के रूप में निर्धारित राशि स्वीकृत करने की उधार देने वाले प्राधिकारी द्वारा निकाली जावेगी।

इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामलों में उधार देने वाला प्राधिकारी, यह निर्णय लेने के बाद कि अपनी साधारण कार्यालय की सेवाओं एव उत्तरदायित्वों मे बिना बाधा पहुँचे सम्बन्धित राज्य कर्मचारी को कार्य लेने तथा उसका पारिश्रमिक प्राप्त करने की स्वीकृति दी जा सकती है, वह उधार लेने वाले विभाग को अपनी अनुमति भेज देगा जिसमें वह अतिरिक्त कार्य लेने एवं पारिश्रमिक प्राप्त करने की स्वीकृति होगी। वह इसके साथ राजस्थान सेवा नियमो के नियम 43 (घ) के अन्तर्गत चाहा गया प्रमाण पत्र भी भेजेगा। एवं इसके बाद उधार लेने वाले प्राधिकारी को पारिश्रमिक की एक स्वीकृति जारी करेगा उसमें वह (1) उपरोक्त 43 (घ) मे चाहा गया प्रमाण पत्र तथा (2) इस सम्बन्ध के प्रमाण पत्र का उल्लेख करेगा कि स्वीकृति उधार देने वाले प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी की गई है।

जहाँ एक सक्षम प्राधिकारी को अपने कर्मचारियों में से किसी एक के लिए पारिश्रमिक स्वीकृत करना हो तो उसकी स्वीकृति में 43 (घ) में निर्धारित प्रमाण पत्र ही पर्याप्त होगा जो कि स्वतः ही उस कार्य को लेने तथा पारिश्रमिक प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान करता है।

अवतरण 2 एवं 3 मे कहे गये प्रकार के मामलों मे उधार लेने वाले प्राधिकारी को स्वीकृति वित्त विभाग की स्वीकृति से जारी करनी चाहिए यदि पारिश्रमिक की मात्रा परिशिष्ट 9 के क्रम स० 9 से अधिक हो।

स्पष्टीकरण—नियम 43 (घ) के नीचे एक निर्णय द्वारा चाहा गया है कि किसी दूसरे विभाग के कार्य को लेने तथा उसका पारिश्रमिक प्राप्त करने में राज्याधिकारियों द्वारा उधार देने वाले विभाग (Lending Deptt.) की स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिये। इसी प्रकार राजस्थान सेवा नियमों के नियम 43 (घ) मे दिया हुआ है कि सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना कोई भी राज्य कर्मचारी प्राईवेट या सार्वजनिक संस्था या प्राईवेट व्यक्ति के कार्य को नही ले सकता है और न उसके बदले मे कोई फीस ही स्वीकृत कर सकता है। इन प्रावधानों से कुछ मामलो मे अनावश्यक देर हो गई है। सरकार ने सामान्य रूप से विचार किया है तथा उसकी राय है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, विश्वविद्यालयो एवं सरकारी विभिन्न विभागों आदि द्वारा जो परीक्षायें ली जाती हैं उनके सम्बन्ध मे प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में कार्य करने तथा उसका पारिश्रमिक प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत रूप से स्वीकृति प्रदान करना जरूरी नही है। इसलिए सरकार आदेश देती है कि सरकार का एक अधिकारी जो निम्नलिखित परीक्षा लेने वाले निकायों द्वारा परीक्षा सम्बन्धी कार्य करने के लिए बुलाया जाता है वे इस शर्त के साथ कार्यभार व उसका पारिश्रमिक स्वीकार कर सकते हैं कि ऐसा कार्य उनके साधारण कर्त्तव्यों मे कोई बाधा नही डालता :—

(1) राजस्थान के विश्व विद्यालय।
(2) राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं केन्द्रीय लोक सेवा आयोग।
(3) प्रधानाचार्य, अधिकारी प्रशिक्षणालय, जयपुर।
(4) राज्य सरकार के अन्य विभाग।

जांच निर्देशन—जांच अधिकारियो के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक मामले मे उन्हे पारि-

स्मिक या शुल्क स्वीकृत करने के कारण भेजे जायें ताकि वे स्वीकृति की औचित्यता की जांच कर सकें।

निर्णय—एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि क्या परसनल एसिस्टेन्ट (निजि सहायक), निजि सचिव/स्टेनोग्राफर (शीघ्र लिपिक) आदि जो कि कुछ निगमों/कम्पनियों के संचालक मण्डलों के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में मनोनीत अधिकारियों के साथ लगे होते हैं, उन्हें इन संस्थाओं से शुल्क के रूप में अतिरिक्त पारिश्रमिक स्वीकृत किया जा सकता है चूंकि ये उन अधिकारियों का कार्य करते है जिनके कि साथ वे संलग्न हैं और जो इन मण्डलों के कार्यों को पूरा करने के लिए मनोनीत हुए हैं। मामले की जांच करली गई है तथा यह निर्णय किया जाता है कि वे उन राज्याधिकारियों के साथ इन मण्डलों के कार्य को पूरा करने का कोई भी अतिरिक्त पारिश्रमिक प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

नियम 44. चिकित्सा अधिकारियों द्वारा फीस स्वीकार करने के सम्बन्ध में नियम बनाने की शक्ति—उन शर्तों एवं सीमाओं के लिए अलग से नियम हैं जिनके कि अनुसार व्यवसायिक चिकित्सा के लिए एवं व्यावसायिक चिकित्सा के अतिरिक्त अन्य सेवाओं के लिए फीस राज्य सरकार के चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वीकार की जा सकती है।

× टिप्पणी—इस नियम के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी (मेडिकल आफिसर) शब्द के अन्तर्गत चीफ/पब्लिक एनालिस्ट (मुख्य/सरकारी विश्लेषक) भी शामिल हैं।

नियम 45 व 46 विलोपित किये गये।

नियम 47. सरकार के पास शुल्क कब जमा कराना चाहिये:—जब तक सरकार विशेष आदेश द्वारा अन्यथा प्रकार से आदेशित न करे, 500। रु० अथवा वह शुल्क यदि आवर्तक हो, तो 250) रु० की वार्षिक राशि जो कि राज्य कर्मचारी को दी जाती है, से अधिक राशि के 1/3 भाग से अधिक राशि के शुल्क का 1/3 भाग सामान्य राजस्वों में जमा कराया जाएगा।

टिप्पणियां (1) यह नियम विश्वविद्यालय या अन्य परीक्षण संस्था से, उसकी परीक्षक के रूप में की गई सेवाओं के परिणाम स्वरूप राज्य कर्मचारी द्वारा प्राप्त किए गए शुल्कों पर लागू नहीं होगा।

(2) राज्य कर्मचारी किसी अदालत के सम्मुख तकनीकी मामलो में दक्ष सलाह देने के कारण जो शुल्क प्राप्त करता है, वह उपरोक्त नियमो के प्रावधानों के अन्तर्गत आता है।

+ (3) आवर्तक तथा अनावर्तक शुल्क अलग अलग समझे जाएंगे तथा उन्हें इस नियम के अन्तर्गत सामान्य राजस्व में 1 3 हिस्सा जमा कराने के लिए शामिल नहीं किया जावेगा। इस नियम में निर्धारित 400 रु० की सीमा प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में लागू समझी जानी चाहिए तथा अनावर्तक शुल्क के मामले में वित्तीय वर्ष में कुल आवर्तक शुल्क के योग के अनुसार सीमा लागू की जानी चाहिए।

× वित्त विभाग की आज्ञा संख्या एफ 1 (77) एफ डी (व्यय-नियम) 65-1 दिनांक 6-1-66 द्वारा शामिल किया गया तथा दिनांक 21-11-62 से प्रभावी किया गया।

+ (वित्त विभाग की आज्ञा संख्या एफ 1 (10) एफ. डी. (व्यय नियम) 64-II दिनांक 29-9-64 द्वारा शामिल किया गया)

× निर्णय—एक सन्देह उत्पन्न किया गया है कि क्या भारतीय प्रशासनिक-सेवा (आई. ए. एस.) केडर के राज्याधिकारियों पर भी राजस्थान सेवा नियमों के नियम 47 तथा वित्त विभाग के मीमो संख्या एफ.(26) (30) एफ 1/54 दिनांक 1-10-54 के प्रावधान लागू होंगे।

मामले की जांच करली गई है तथा यह निर्णय किया गया है कि भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के केडर के अधिकारियों के मामले निम्न दोहराये गए एस. आर. एवं एस. आर. प्रावधानों द्वारा निपटाए जायेंगे जो कि नियम 47 व वित्त विभाग के उक्त मीमो के समान हैं।

* एस. आर. (अनुपूरक नियम) 12—जब तक कि राष्ट्रपति विशिष्ट आदेश द्वारा अन्यथा प्रकार से आदेश न दे दें, 400 रु० या यदि वह आवर्तक शुल्क है तो 250) रु० वार्षिक जो कि सरकारी कर्मचारी को दी जाती हो, से अधिक राशि के शुल्क का 1/3 भाग सामान्य राजस्व में जमा कराया जायेगा।

निर्णय संख्या 2—राज्य कर्मचारी जो राजकीय प्रतिनिधि के रूप में कम्पनी के डाई-रेक्टरों के मण्डलों, सहकारी समितियों, स्वतन्त्र निकायों, (Autonomous Bodies) औद्योगिक एवं वाणिज्यिक निगमों या निगमित निकाय या साविधिक (Statutory) संगठनों या अन्य संस्थाओं मे भाग लेते हैं, फीस एवं अन्य पारिश्रमिक (यात्रा भत्ता व्यय एवं दैनिक भत्ता) जो ऐसे निकायों द्वारा उनको दिया जाय, स्वीकार कर सकते हैं तथा सम्पूर्ण राशि को सम्बन्धित विभाग की प्राप्ति मद में जमा करा सकते हैं।

फिर भी ऐसे अधिकारी राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के प्रावधानों के अनुसार यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता प्राप्त कर सकते हैं। यात्रा भत्ता का दावा प्रस्तुत करने वाले बिल मे अधिकारी एक प्रमाण पत्र इस सम्बन्ध का देगा कि उसके द्वारा निकाय से प्राप्त सम्पूर्ण फीस या पारिश्रमिक (यात्रा भत्ता एव दैनिक भत्ते सहित) राज्य सरकार को जमा करा दिया गया है।

स्थानीय मीटिंगो के मामले मे ऐसी प्रत्येक मीटिंग में उपस्थित होने के लिए वाहन भत्ता केवल 5) रु० प्राप्त करेंगे।

निर्णय संख्या 3—एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि क्या एक राज्य कर्मचारी को, जिसे अध्ययन पाठ्यक्रम चालू रखने के लिए या किसी व्यवसायात्मक या तकनीकी विषयो मे अध्ययन करने के लिए अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया गया है तथा जिसे अपने अवकाश वेतन के अतिरिक्त छात्रवृत्ति या स्टाइपन्ड राजकीय या अराजकीय स्त्रोत से मिलता है, नियम 47 के अन्तर्गत स्टाइपन्ड का 1/3 भाग सरकार को जमा कराना चाहिए।

इस सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि भारत की संचित निधि या राज्य को संचित निधि से छात्रवृत्ति या स्टाइपन्ड (वजीफा) के रूप का कोई भी भुगतान नियम 7 (13) के अन्तर्गत 'पारिश्रमिक' माना जाता है। केवल उसी समय जब राज्य कर्मचारी उक्त दोनों साधनों के अतिरिक्त अन्य साधन द्वारा छात्रवृत्ति या स्टाइपण्ड प्राप्त करता है, उसे फीस के रूप में समझा जावेगा।

× वित्त विभाग की आज्ञा संख्या एफ. 16 (50) एफ. डी. (व्यय नियम) 65 दिनांक 27-8-65 द्वारा 250 के स्थान पर 400 रु० किए गए।

* (वित्त विभाग की आज्ञा संख्या एफ. 1 (50) (व्यय-नियम) 75 दिनांक 27-8-65 द्वारा शामिल किया गया)

अब यह निर्णय किया गया है कि अध्ययन अवकाश या अन्य अवकाश काल में अध्ययन पाठ्यक्रम चालू रखने या किसी व्यवसायात्मक या तकनीकी विषय में अध्ययन के लिए यदि कोई भी राज्य कर्मचारी भारत की संचित निधि या राज्य की संचित निधि के अतिरिक्त अन्य साधन से छात्रवृत्ति या स्टाइपन्ड (वजीफा) प्राप्त करेगा, उसमें से नियम 47 के अधीन कोई कटौती नहीं की जावेगी।

निर्णय संख्या 4—मीमो दिनांक 24-9-59 के द्वारा विस्तृत किए गए नियम 7 (9) के अन्तर्गत साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं कलात्मक से प्राप्त आय, यदि ऐसे प्रयत्न राज्य कर्मचारी द्वारा अपने सेवा काल में प्राप्त किए गए ज्ञान से समर्थित है, 'फीस' होती है, जब ऐसी आय भारत की संचित निधि एवं राज्य की संचित निधि के अतिरिक्त अन्य साधन से होती है तथा वह राजस्थान सेवा नियमों के नियम 47 के प्रावधानों के अन्तर्गत आती है। अब यह निर्णय किया गया है कि यदि कोई राज्य कर्मचारी अपने सेवाकाल में प्राप्त ज्ञान की सहायता से कोई पुस्तक लिखे तथा वह पुस्तक केवल सरकारी नियमों, विनियमनों या पद्धतियों का संकलन मात्र न हो बल्कि लेखक की बुद्धिमत्ता को प्रकट करे तो ऐसी पुस्तकों के बेचने तथा उनकी रायल्टी से होने वाली आमदनी पर नियम 47 लागू नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए ऐसे मामलों में नियम 47 में छूट देने की सिफारिश करते समय उक्त सम्बन्ध का एक प्रमाणपत्र अवश्य लिखा जाना चाहिए। यह भी निर्णय किया गया है कि राजस्थान सेवा नियमों के नियम 49 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से उसके द्वारा निकाले गए आविष्कार से प्राप्त होने वाली आमदनी को के अन्तर्गत नहीं लाया जावेगा।

निर्णय सं० 5—राजस्थान सेवा नियमों के नियम 47 के अन्तर्गत शक्तियों के प्रयोग में सरकार ने सभी राज्य कर्मचारियों को (1) उनके द्वारा परीक्षक, पेपर सेटर, सुपरिन्टेन्डेन्ट, निरीक्षक (इन्विजिलेटर) या जांच कर्त्ता के रूप में दी गई सेवाओं के बदले विश्व विद्यालय, शिक्षा बोर्ड या अन्य परीक्षा लेने वाली संस्था से प्राप्त की गई फीसों के सम्बन्ध में व (2) अपने कार्य में बिना रुकावट डाले नगरपालिकाओं, ग्राम्य स्थानीय निकाय जैसे पंचायत, पंचायत समितियों से उनकी सेवाओं की फीस प्राप्त करने के बारे में छूट दे दी है।

फिर भी, राजस्थान सेवा नियमों के नियम 43 के प्रावधान चालू रहेंगे तथा नियम 43 के प्रावधान के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना उपरोक्त प्रकरण के अधीन कोई कार्य नहीं लिया जावेगा तथा न कोई शुल्क ही स्वीकार किया जावेगा।

टिप्पणी :—विश्वविद्यालय या अन्य परीक्षा संस्था में परीक्षक के रूप में काम करने पर जो राज्य कर्मचारी अपनी सेवाओं के बदले शुल्क प्राप्त करता है, उन पर उपरोक्त नियम लागू नहीं होगा है।

नियम 48. बिना विशेष आज्ञा के स्वीकार किया जाने वाला भुगतान—राज्यपाल के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा लिए गए प्रावधानों के अतिरिक्त, कोई भी राज्य कर्मचारी बिना विशेष स्वीकृति के, निम्न राशि प्राप्त करने एवं उसे अपने पास रखने का हकदार है :—

(क) सार्वजनिक प्रतियोगिताओं में किसी निबन्ध या योजना के लिए दिया गया अनुदान।

(ख) न्याय के प्रशासन के सम्बन्ध में किसी अपराधी को गिरफ्तार कराने या कोई सूचना देने या विशेष सेवा करने के लिए कोई इनाम प्राप्त किया हो।

(ग) किसी अधिनियम या विनियमनों या उनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अनुसार कोई इनाम जो दी जाने वाली हो।

(घ) कस्टम एवं आबकारी (एक्साइज) नियमों के प्रशासन के सम्बन्ध में की गई सेवाओं के लिए स्वीकृत इनाम।

(ङ) किसी विशेष या स्थानीय नियम अथवा सरकार के आदेश द्वारा सरकारी हैसियत से पूरी की जाने वाली सेवाओं के लिये किसी राज्य कर्मचारी को भुगतान किया जाने वाला शुल्क।

(च) राजस्थान एवार्ड आफ कैश प्राइजेज टू गवर्नमेंट सर्वेन्ट रूल्स, 1960 के अधीन सरकारी कर्मचारियों को सरकार द्वारा इनाम में दी गई नकद इनामें।

निर्णय संख्या 1. राज्य कर्मचारियों द्वारा अखिल भारतीय आकाशवाणी (.All India Radio) कार्यक्रमों मे भाग लेने तथा उनको उसका पारिश्रमिक स्वीकार करने की आज्ञा प्रदान करने से सम्बन्धित प्रश्न की जांच सरकार द्वारा गृह मन्त्रालय, भारत सरकार के अपने पत्र संख्या 25/32/56 स्था/ए दिनांक 15-1-57 द्वारा जारी की गई हिदायतों के अनुसार की गई। यह निर्णय किया गया है कि यदि प्रसारण शुद्ध रूप से साहित्यिक, कलात्मक एवं वैज्ञानिक प्रकृति के हों तो उन्हें अखिल भारतीय आकाशवाणी से प्रसारण के लिये कोई आज्ञा प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। ऐसे मामलों में यह निश्चय करने की जिम्मेवारी सम्बन्धित राज्य कर्मचारी पर होगी कि अमुक प्रसारण ऐसी प्रकृति के हैं या नहीं।

यह सरकार भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रथा से सहमत हो गई है जिसके अनुसार एक सरकार द्वारा अन्य राज्य के सरकारी कर्मचारियों को किये सभी भुगतान 'पारिश्रमिक' व शुल्क के रूप में माने जाते हैं एवं उसके किसी भी भाग की वसूली उसे फीस मान कर नहीं की जा सकेगी।

यह और भी निर्णय किया गया है कि ऐसे मामले जिनमें प्रसारण की कोई स्वीकृति की जरूरत न हो, उनमे राज्य कर्मचारी को पारिश्रमिक प्राप्त करने में भी स्वीकृति की कोई जरूरत नहीं होती है। जिन मामलों मे प्रसारण की स्वीकृति लेना आवश्यक हो, वहां ऐसी स्वीकृति में, यदि दी जा चुकी हो, उसके पारिश्रमिक की स्वीकृति भी शामिल की हुई समझी जानी चाहिये।

निर्णय सं० 2. ☸ यह आदेश दिया जाता है कि सरकारी कर्मचारियों को परिवार नियोजन के प्रसार हेतु अखिल भारतीय आकाशवाणी पर प्रसारित करने हेतु कोई अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

स्पष्टीकरण— + इस विभाग की आज्ञा दिनांक 18-11-67 (नियम 48 के नीचे निर्णय सं० 2 के रूप में प्रदर्शित है) में राज्य कर्मचारियों को यह अनुमति प्रदान की गई थी

☸ वित्त विभाग के आदेश सं० एफ 1 (74) वित्त वि (व्यय नियम) दिनांक 16-11-67 द्वारा निविष्ट।

+ परिपत्र सं० एफ 1 (74) वित्त वि (व्यय नियम) दि० 4-4-68 द्वारा निविष्ट।

कि वे बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के आकाशवाणी पर परिवार नियोजन के कार्यक्रमों का प्रसारण कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में यह भी गई है कि क्या राज्य कर्मचारी इस प्रसारण का पारिश्रमिक (रेम्युनरेशन) भी बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के प्राप्त कर सकते हैं। अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त कार्य के लिए या स्थायिक प्राप्त करने हेतु सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अनिवार्य नहीं है।

आदेश— × यह आदेश दिया जाता है कि सरकारी कर्मचारियों को कृषि, पशुपालन सहकारिता एवं पंचायत एवं विकास सम्बन्धी गतिविधियों के प्रचार हेतु अखिल भारतीय आकाशवाणी पर प्रसारित करने हेतु कोई स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

नियम 49. अनुसंधान कार्य में नियुक्त राज्य कर्मचारी द्वारा किये गये किसी आविष्कार के स्वाधिकारी (पेटेन्टराइट) प्राप्त करने पर प्रतिबंध-एक राज्य कर्मचारी जिसकी सेवायें वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुसंधान करने की हों, सरकार की स्वीकृति के तथा उसके द्वारा निर्धारित की गई शर्तों के बिना वह अपने द्वारा किए गए नए आविष्कार के स्वाधिकार प्राप्त करने के लिए निवेदन नहीं करेगा या उसे प्राप्त नहीं करेगा। न वह किसी अन्य व्यक्ति को निवेदन करने के लिये या प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

अध्याय ६

नियुक्तियों का समन्वय (Combination of appointments)

+ **नियम 50.** नियुक्तियों का समन्वय—सरकार किसी भी राज्य कर्मचारी को किसी भी एक समय में दो स्वतन्त्र पदों पर स्थाई, अस्थाई या स्थानापन्न रूप से एक साथ काम करने के लिये नियुक्त कर सकती है। ऐसे मामलों में उसका वेतन निम्न प्रकार से नियमित होगा।

(क) एक से अधिक पद ग्रहण करने पर वेतन का नियमन-वह उन पदों में से अधिकतम वेतन वाले पद का अधिकतम वेतन प्राप्त कर सकता है क्योंकि यदि वह उस अकेले पद पर कार्य करता तो उसे प्राप्त करता। वह उस वेतन को पद की अवधि तक प्राप्त कर सकता है।

+ (ख) अन्य पद के लिये वह ऐसा उचित वेतन प्राप्त करेगा जो कि जैसा सरकार निर्धारित करे, परन्तु वह उस पद के प्रारम्भिक(प्रिजुम्प्टिव) वेतन के 1 5 भाग से ज्यादा नहीं होगा।

(ग) यदि किसी पद या अधिक पदों के साथ क्षतिपूर्ति या सिम्पचुरी भत्ते जुड़े हुए हों तो वह ऐसे क्षतिपूर्ति या सिम्पचुरी भत्ते प्राप्त कर सकता है जिसे सरकार निश्चित करे परन्तु यह है कि ऐसे भत्ते समस्त पदों के साथ संलग्न क्षतिपूर्ति या सिम्पचुरी भत्तों के योग से अधिक नहीं होंगे।

टिप्पणियां—(1) से (5) विलोपित

× वित्त विभाग की आज्ञा सं० एफ 1 (70) वित्त वि (नियम) 65 दिनांक 5-11-69 द्वारा निविष्ट।

+ वित्त विभाग की अधिसूचना सं० एफ 1 (24) वित्त वि (नियम) 69 दिनांक 15-12-69 द्वारा निविष्ट।

नियम 50 क व 50 ख (विलोपित)

जांच निर्देश—नियम 50 (ख) के प्रयोजन हेतु प्रारम्भिक वेतन वह समझा जाना चाहिए। जिसे सरकारी कर्मचारी जिसे अतिरिक्त चार्ज दिया गया है नियम 26 के अधीन अतिरिक्त पद के समय वेतनमान में प्रारम्भिक वेतन के रूप मे प्राप्त करेगा जैसे मानो वह उस पर औपचारिक रूप से स्थानान्तरित होता। फिर भी, ऐसे मामलों में जहां निम्न पद का अधिकतम वेतन सरकारी कर्मचारी के उसके स्थाई पद के वेतन से कम है तो निम्न पद का अधिकतम वेतन को इस नियम के प्रयोजनार्थ प्रारम्भिक वेतन समझा जाना चाहिए।

निर्णय संख्या 1 व 2 विलोपित किये गये

स्पष्टीकरण—विलोपित किया गया।

निर्णय संख्या 3—सरकार ने उस तारीख से सम्बन्धित प्रश्न पर विचार किया है कि उन मामलों मे किस तारीख से पदो के सृजन की स्वीकृति को प्रभावी समझा जाना चाहिए जहां स्वयं स्वीकृति मे उसके प्रभावी होने की तारीख का विशेष उल्लेख नही हो। यह निश्चय किया जाता है कि ऐसे मामलों में प्रभावी की तारीख उस तारीख से समझी जायगी जिसको कि यह सृजित पद पूर्णकालिक आधार पर प्रथम बार भरा गया है। चूंकि उस समय से पूर्व उस पद को अस्तित्व में ही नहीं समझा जाएगा अतः उक्त तारीख से पूर्व किसी भी अवधि के लिए उक्त पद के कार्य के सम्बन्ध में किसी कार्य के लिए स्थानापन्न वेतन या अतिरिक्त वेतन दिया जाना स्वीकार्य नहीं होगा।

(इस सम्बन्ध में नियम 35 के नीचे दिया गया स्पष्टीकरण भी देखें)

अध्याय ७

भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति (Deputation out of India)

नियम 51. भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर राज्य कर्मचारी का वेतन एवं भत्ता केन्द्रीय सरकार के नियमों के अनुसार विनियमित होगा—जब कोई राज्य कर्मचारी उचित स्वीकृति द्वारा अस्थाई रूप से भारत के बाहर, भारत में धारण किये गये अपने पद के कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में प्रतिनियुक्त किया जाता है या किसी विशेष कार्य के लिए अस्थाई रूप से बाहर प्रतिनियुक्त किया जाता है, तो उनका वेतन एवं भत्ता निम्नलिखित भारत सरकार के अधिकारियों पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार विनियमित होगा—

+ विषय—बाहर सेवा पर प्रतिनियुक्त सरकारी कर्मचारी का वेतन देने के लिए पदका औपचारिक रूप से सृजन—राजस्थान सेवा नियमों का नियम 51।

जब कोई सरकारी कर्मचारी बाहर सेवा में प्रतिनियुक्ति पर जाता है तो एक अलग पद के सृजन किए जाने की आवश्यकता के बारे मे तथा वेतन व भत्तों को नियमित करने की प्रक्रिया के बारे में बार बार सन्देह व्यक्त किए जाते हैं।

+ वित्त विभाग की अधिसूचना सं० एफ 1 (37) वित्त वि० (व्यय नियम) 64 दिनांक 15-12-69 द्वारा निविष्ट।

कि वे बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के आकाशवाणी पर परिवार नियोजन के कार्यक्रमों का प्रसारण कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में शंका की गई है कि क्या राज्य कर्मचारी इस प्रसारण का पारिश्रमिक (रेम्युनरेशन) भी बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के प्राप्त कर सकते हैं। अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त कार्य के लिए पारिश्रमिक प्राप्त करने हेतु सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अनिवार्य नहीं है।

आदेश— × यह आदेश दिया जाता है कि सरकारी कर्मचारियों को कृषि, पशुपालन सहकारिता एवं पंचायत एवं विकास सम्बन्धी गतिविधियों के प्रसार हेतु अखिल भारतीय आकाशवाणी पर प्रसारित करने हेतु कोई स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

नियम 49. अनुसंधान कार्य में नियुक्त राज्य कर्मचारी द्वारा किये गये किसी आविष्कार के स्वाधिकारी (पेटेन्टराइट) प्राप्त करने पर प्रतिषेध–एक राज्य कर्मचारी जिसकी सेवायें वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुसंधान करने को हों, सरकार की स्वीकृति के तथा उसके द्वारा निर्धारित की गई शर्तों के बिना वह अपने द्वारा किए गए नए आविष्कार के स्वाधिकार प्राप्त करने के लिए निवेदन नहीं करेगा या उसे प्राप्त नहीं करेगा। न वह किसी अन्य व्यक्ति को निवेदन करने के लिये या प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

अध्याय ६

नियुक्तियों का समन्वय (Combination of appointments)

+ **नियम** 50. नियुक्तियों का समन्वय—सरकार किसी भी राज्य कर्मचारी को किसी भी एक समय मे दो स्वतन्त्र पदों पर स्थाई, अस्थाई या स्थानापन्न रूप से एक साथ काम करने के लिये नियुक्त कर सकती है। ऐसे मामलों में उसका वेतन निम्न प्रकार से नियमित होगा।

(क) एक से अधिक पद ग्रहण करने पर वेतन का नियमन–वह उन पदों में से अधिकतम वेतन वाले पद का अधिकतम वेतन प्राप्त कर सकता है क्योंकि यदि वह उस अकेले पद पर कार्य करता तो उसे प्राप्त करता। वह उस वेतन को पद की अवधि तक प्राप्त कर सकता है।

+ (ख) अन्य पद के लिये वह ऐसा उचित वेतन प्राप्त करेगा जो कि जैसा सरकार निर्धारित करे, परन्तु यह उस पद के प्रारम्भिक(प्रिजम्प्टिव) वेतन के 1, 5 भाग से ज्यादा नहीं होगा।

(ग) यदि किसी पद या अधिक पदों के साथ क्षतिपूर्ति या सिम्पचुरी भत्ते जुड़े हुए हों तो वह ऐसे क्षतिपूर्ति या सिम्पचुरी भत्ते प्राप्त कर सकता है जिसे सरकार निश्चित करे परन्तु यह है कि ऐसे भत्ते समस्त पदों के साथ संलग्न क्षतिपूर्ति या सिम्पचुरी भत्तों के योग से अधिक नहीं होंगे।

टिप्पणियां—(1) से (5) विलोपित

× वित्त विभाग की आज्ञा सं० एफ 1 (70) वित्त वि (नियम) 65 दिनांक 5-11-69 द्वारा निविष्ट।

+ वित्त विभाग की अधिसूचना स० एफ 1 (24) वित्त वि (नियम) 69 दिनांक 15-12-69 द्वारा निविष्ट।

नियम 50 क व 50 ख (विलोपित)

जांच निर्देश—नियम 50 (ख) के प्रयोजन हेतु प्रारम्भिक वेतन यह समझा जाना चाहिए। जिसे सरकारी कर्मचारी जिसे अतिरिक्त चार्ज दिया गया है नियम 26 के अधीन अतिरिक्त पद के समय वेतनमान में प्रारम्भिक वेतन के रूप में प्राप्त करेगा जैसे मानो वह उस पर औपचारिक रूप से स्थानान्तरित होता। फिर भी, ऐसे मामलों में जहां निम्न पद का अधिकतम वेतन सरकारी कर्मचारी के उसके स्थाई पद के वेतन से कम है तो निम्न पद का अधिकतम वेतन को इस नियम के प्रयोजनार्थ प्रारम्भिक वेतन समझा जाना चाहिए।

निर्णय संख्या 1 व 2 विलोपित किये गये

स्पष्टीकरण—विलोपित किया गया।

निर्णय संख्या 3—सरकार ने उस तारीख से सम्बन्धित प्रश्न पर विचार किया है कि उन मामलों में किस तारीख से पदों के सृजन की स्वीकृति को प्रभावी समझा जाना चाहिए जहां स्वयं स्वीकृति में उसके प्रभावी होने की तारीख का विशेष उल्लेख नहीं हो। यह निश्चय किया जाता है कि ऐसे मामलों में प्रभावी की तारीख उस तारीख से समझी जायगी जिसको कि यह सृजित पद पूर्णकालिक आधार पर प्रथम बार भरा गया है। चूंकि उस समय से पूर्व उस पद को अस्तित्व में ही नहीं समझा जाएगा अतः उक्त तारीख से पूर्व किसी भी अवधि के लिए उक्त पद के कार्य के सम्बन्ध में किसी कार्य के लिए स्थानापन्न वेतन या अतिरिक्त वेतन दिया जाना स्वीकार्य नहीं होगा।

(इस सम्बन्ध में नियम 35 के नीचे दिया गया स्पष्टीकरण भी देखें)

अध्याय ७

भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति (Deputation out of India)

नियम 51. भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर राज्य कर्मचारी का वेतन एवं भत्ता केन्द्रीय सरकार के नियमों के अनुसार विनियमित होगा—जब कोई राज्य कर्मचारी उचित स्वीकृति द्वारा अस्थाई रूप से भारत के बाहर, भारत में धारण किये गये अपने पद के कर्तव्यों के सम्बन्ध में प्रतिनियुक्त किया जाता है या किसी विशेष कार्य के लिए अस्थाई रूप से बाहर प्रतिनियुक्त किया जाता है, तो उनका वेतन एवं भत्ता निम्नलिखित भारत सरकार के अधिकारियों पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार विनियमित होगा—

+ विषय—बाहर सेवा पर प्रतिनियुक्त सरकारी कर्मचारी का वेतन देने के लिए पदका औपचारिक रूप से सृजन—राजस्थान सेवा नियमों का नियम 51।

जब कोई सरकारी कर्मचारी बाहर सेवा मे प्रतिनियुक्ति पर जाता है तो एक अलग पद के सृजन किए जाने की आवश्यकता के बारे मे तथा वेतन व भत्तों को नियमित करने की प्रक्रिया के बारे मे बार बार सन्देह व्यक्त किए जाते हैं।

+ वित्त विभाग की अधिसूचना सं० एफ 1 (37) वित्त वि० (व्यय नियम) 64 दिनांक 15-12-69 द्वारा निविष्ट।

यह स्पष्ट किया जाता है कि राजस्थान सेवा नियमों के नियम 51 के अधीन, किसी भी सरकारी कार्य को पूरा करने के लिए बाहर प्रतिनियुक्त सरकारी कर्मचारी, सरकारी प्रतिनिधि मण्डल के सदस्य की भांति, मीटिंग या सेमीनार में उपस्थित होने के लिए सेवा के सदस्य के रूप में समझा जाता है। इसी प्रकार कभी कभी किसी सरकारी कर्मचारी को सेवा में समझे जाते हुए बाहर किसी प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए भेजा जाता है। दोनों मामलों में वह बाहर प्रतिनियुक्ति को छोड़कर जो वेतन प्राप्त करता, वही वेतन प्राप्त करता है। ऐसे मामले में, बाहर प्रतिनियुक्ति के कारण रिक्त पद को भरने के लिए स्थानापन्न प्रबन्ध किया जा सकता है तथा बाहर प्रतिनियुक्त किए गए सरकारी कर्मचारी को खपाने के लिए नए पद का सृजन करना आवश्यक नहीं है। बाहर प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये सरकारी कर्मचारी को विशेष सेवा पर समझा जाता है यद्यपि किसी भी पद पर यह अपना वेतन प्राप्त नहीं करता है तो भी उसका वेतन वही समझा जाता है जो यदि वह भारत में ड्यूटी पर रहता तो प्राप्त करता।

भारत सरकार के नियम जिनके अनुसार भारत के बाहर सेवा के लिए प्रतिनियुक्त किए गए राज्य कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते विनियमित किए जाते हैं।

मौलिक नियम (F.R.)51 जब कोई राज्य कर्मचारी उचित स्वीकृति द्वारा अस्थाई समय के लिए भारत के बाहर, भारत मे धारण किये गये अपने पद के कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में प्रतिनियुक्त किया जाता है या किसी विशेष कार्य के लिये अस्थाई रूप से बाहर प्रतिनियुक्त किया जाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा उसे अपने प्रतिनियुक्ति काल मे वही वेतन प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है, जिसे वह भारत मे, सेवा में उपस्थित रहने पर प्राप्त करता रहता।

परन्तु शर्त यह है कि एक राज्य कर्मचारी जो 'औसतन वेतन' (एवरेज पे) पर भारत के बाहर पहिले से ही अवकाश पर हो, तथा राष्ट्रपति द्वारा उसे अवकाश में और रहने के लिये कहा जाय तो ऐसे मामले में उसे उस समय में अपने अवकाश वेतन के अतिरिक्त, स्वय के वेतन का 1/6 भाग पारिश्रमिक के रूप मे मिलेगा जिसे कि यदि वह भारत मे सेवा मे रहता तो प्राप्त करता। भारत से आने जाने का यात्रा व्यय स्वयं उसके द्वारा ही सहन किया जावेगा।

टिप्पणी—वेतन का वह भाग जिसे राज्य कर्मचारी को भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति के समय विदेशी मुद्रा (करेन्सी) में प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, वह इस सम्बन्ध में समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार निश्चित किया जावेगा।

(2) प्रतिनियुक्ति पर एक राज्य कर्मचारी को विदेशी देश में क्षतिपूरक भत्ता उस धनराशि तक स्वीकृत किया जा सकता है, जिसे राष्ट्रपति उचित समझे।

उपनियम (1) और उपनियम (2) के अन्तर्गत, वेतन, पारिश्रमिक या क्षतिपूरक भत्ते के बराबर की विदेशी मुद्रा विनिमय की इस दर से गिनी जायेगी जिसे राष्ट्रपति अपने आदेश द्वारा निश्चित करे।

मौलिक नियम 51 क—जब किसी सरकारी कर्मचारी को उचित स्वीकृति के साथ जिस सेवा के संवर्ग से उसका सम्बन्ध है उसमें नियुक्त पद के अतिरिक्त अन्य नियमित रूप से गठित स्थाई या अर्द्धस्थायी पद को धारण करने हेतु भारत के बाहर ड्यूटी के लिए प्रतिनियुक्त कर दिया जाता है तो उसका वेतन भारत सरकार के आदेशों द्वारा विनियमित किया जाएगा।

भारत सरकार के अधीन सेवा करने वाले सिविल अधिकारियों को, जब वे योरोप जिसमें

नियर ईस्ट व अमरीका भी शामिल हैं, दी गई रियायतें मौलिक नियमों के भाग II के परिशिष्ट संख्या 7 में दोहराई गई हैं।

विभिन्न प्रशिक्षण योजनाओं के अधीन भारत के बाहर प्रशिक्षण पर नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को स्वीकृत किए जाने वाले वेतन, विशेष अवकाश आदि के सम्बन्ध में शर्तें—

निर्णय संख्या 1—यह निर्णय किया गया है कि जब राज्य कर्मचारी, राज्य सरकार द्वारा राष्ट्र संघ, कोलम्बो प्लान, चार सूत्रीय कार्यक्रम आदि की विभिन्न प्रशिक्षण योजनाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजे जाते हैं तथा योजनाएं गैर सरकारी एजेन्सियों (रोक फैलर फाउन्डेशन, फोर्ड फाउन्डेशन आदि) द्वारा चालू की जाती हों तो उनकी प्रतिनियुक्ति की शर्तों की स्वीकृति निम्न प्रकार से विनियमित की जायेगी।

(i) वेतन – भारत में अपने पद से राज्य कर्मचारी के अनुपस्थित रहने का पूर्ण समय उस पूर्ण वेतन पर 'प्रतिनियुक्ति काल' के रूप में माना जावेगा जिसे कि यदि वह भारत में सेवा में रहता तो प्राप्त करता।

+ (ii) अपने प्रशिक्षण के प्रथम 6 माह के दौरान सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी को महंगाई भत्ता ऐसी दर पर स्वीकृत किया जा सकता है जिस पर कि वह उसे प्राप्त करता यदि वह भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर रवाना नहीं होता। 6 माह के बाद के प्रशिक्षण के लिए कोई महंगाई भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा फिर भी, यदि सरकारी कर्मचारी ने राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम 19.1 के प्रावधानों के अनुसार वर्तमान वेतनमान को रखा है या वह वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ 1 (7) वित्त वि. (नियम) 69 दिनांक 7-4-59 के अधीन महगाई वेतन के लिए अन्य प्रकार से हकदार है तो उसे छः माह के बाद की प्रशिक्षण अवधि में महंगाई भत्ता, बाहर प्रतिनियुक्ति के दौरान वेतन के अनुकूल महंगाई वेतन के बराबर की दर पर स्वीकृत किया जा सकता है।

(iii मकान किराया भत्ता/किराये की वसूली—उसी समान दर से, जिसे वह भारत में प्राप्त करता परन्तु विदेश मे प्रतिनियुक्त हो गया, प्रशिक्षण के पूरे समय का मकान किराया भत्ता मकान किराया भत्ता नियम (राजस्थान सेवा नियम भाग 2 के परिशिष्ट 17) के नियम 9 में दी गई शर्तों को पूरा करने के आधार पर मिलेगा। यदि राज्य कर्मचारी को अपने विदेश में प्रतिनियुक्ति के काल में राजकीय निवास सुविधा प्राप्त करने की इजाजत दे दी जाती है तो उसका किराया साधारण रूप में उसी दर से वसूल करते रहना चाहिए जो कि उससे साधारण तौर पर वसूल किया जाता रहता यदि वह प्रतिनियुक्ति पर रवाना नहीं होता।

चूंकि इन आदेशों के अन्तर्गत शर्तें वर्तमान शर्तों के बनिस्पत उचित रूप से अधिक उदार होंगी, इसलिए यह निश्चित करना जरूरी है कि प्रशिक्षण के लिये विदेश मे भेजे गये अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति का समय अत्यावश्यक समय से ज्यादा लम्बा नहीं होना चाहिये।

और भी वित्तीय सहायता प्राप्त योजनाओं के अन्तर्गत विदेश में राज्य कर्मचारियो का प्रशिक्षण आवश्यक रूप से सम्बन्धित प्रशासनात्मक विभागों की ओर से होना चाहिए। किसी भी

+ वित्त विभाग की आज्ञा सं. एफ 1 (87) वित्त वि (नियम) 62 दिनांक 13-8-70 द्वारा प्रतिस्थापित

हालत में राज्य कर्मचारियों को स्वयं विदेशी सरकारों या संस्थाओं से छात्रवृत्तियां प्राप्त करने के लिये सीधा प्रयास या बातचीत नहीं करनी चाहिए। उपरोक्त प्रकरण 1 में वर्णित शर्तों के अनुसार बाहर विदेश में प्रशिक्षण के मामले को चलाने से पूर्व यह निश्चय कर लेना जरूरी है कि सम्बन्धित राज्य कर्मचारियों की सेवाऐं एक उचित समय के लिये राज्य सरकार को उपलब्ध हो सकेगी जैसे अपना प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद कम से कम + चार साल तक उसे नौकरी करनी होगी एवं इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि अधिकारी को उस विषय का पूरा पूर्व ज्ञान होना चाहिये जिसमें कि वह प्रशिक्षण प्राप्त करेगा। इसलिये प्रशिक्षण योजनाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षण के लिये सरकार द्वारा भेजे जाने वाले राज्य कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की शर्तों को स्वीकृत कराने में साधारणतया निम्न बातों से सन्तुष्ट हो जाना चाहिए—

(क) प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद कम से कम उसे चार साल तक सेवा करनी चाहिए एवं उस अवधि तक उसे सेवा से मुक्त (रिटायर) करने की आज्ञा नहीं करनी चाहिये।

(ख) यदि कोई राज्य कर्मचारी सरकार की अस्थाई सेवा में नियुक्त हो तो प्रशिक्षण की समाप्ति के बाद कम से कम चार साल तक उसके राजकीय सेवा में रहने की सम्भावना होनी चाहिये तथा उसे लिखित में इस बात का एक प्रतिज्ञा पत्र देना चाहिये कि वह उतने समय के लिए राज्य सरकार की सेवा करने में सहमत है।

(ग) उसे कम से कम 5 साल की सेवा पूरी कर लेनी चाहिए। इस अवधि में ऐसी दशा में फिर भी रियायत की जा सकती है जहां प्रशिक्षण की प्रकृति इस प्रकार के प्रतिबन्ध पर बल न देती हो दूसरे शब्दों में जहां व्यक्ति इस शर्त के साथ नियुक्त किया गया हो कि उसको नियमित कर्तव्यों (ड्यूटी) पर लगाने से पूर्व प्रशिक्षण के लिए जाना चाहिये।

(घ) ऐसे मामलों में 18 माह की प्रतिनियुक्ति का समय साधारणतया उचित रूप से अधिकतम समय समझा जाना चाहिए।

यदि विदेश में प्रशिक्षण का सम्बन्ध डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त करने से हो प्रशिक्षण के प्रथम 6 माह उपरोक्त प्रकरण 1 में दी गई शर्तों के आधार पर प्रतिनियुक्ति के रूप में समझा जावेगा। शेष समय निम्न शर्तों पर 'विशेष अवकाश' (Special leave) की स्वीकृति द्वारा नियमित किया जावेगा—

(1) विशेष अवकाश का समय उन्नति के लिए सेवा के रूप में गिना जावेगा, तथा यदि कर्मचारी पेन्शन प्राप्त करने वाली सेवा में है तो वह समय पेन्शन के लिए भी गिना जावेगा।

(ii) 'विशेष अवकाश' राज्य कर्मचारी के अवकाश के लेखे (Account) में से नहीं काटा जावेगा।

(iii) विशेष अवकाश काल 'अवकाश वेतन' राज्य कर्मचारी के अर्द्ध वेतन अवकाश (Half pay leave) के लिए स्वीकृत अवकाश वेतन के बराबर होगा।

(iv) विशेष अवकाश के समय में कोई मंहगाई भत्ता मिल सकेगा।

+ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ 1 (87) वित्त वि० (ए) नियम/62 दिनांक 27-5-68 द्वारा 'तीन साल के स्थान पर प्रतिस्थापित)

(v) मकान किराया भत्ता उपरोक्त अवतरण 1 (3) के प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया जावेगा।

एक राज्य कर्मचारी जो भारत के बाहर प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त हो जाता है तो वह प्रशिक्षण के समय का ध्यान न रखते हुए इस अध्याय के अन्त में संलग्न एक फार्म में प्रतिज्ञा पत्र (Bond) भरेगा। बोंड में जिस कुल राशि को लौटाने का विशिष्ट उल्लेख किया जावेगा उसमें सम्बन्धित राज्य कर्मचारी को दी गई कुल राशि जैसे वेतन एवं भत्ते, अवकाश वेतन, फीस की राशि, यात्रा एवं अन्य व्यय, अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा का व्यय एवं सम्बन्धित विदेशी सरकारी एजेन्सियों द्वारा सहन किये गए प्रशिक्षण के व्यय आदि शामिल होंगे। विदेश में प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त राज्य कर्मचारी द्वारा भरा गया बोंड नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी की अभिरक्षा (कस्टेडी) मे रखा जायेगा।

जिस किसी भी राज्य कर्मचारी को विभिन्न प्रशिक्षण योजनाओं के अन्तर्गत देश के बाहर प्रशिक्षण के लिए भेजे जाने का प्रस्ताव रखा गया हो, उसकी जांच एक समिति द्वारा होगी जो कि मुख्य सचिव, वित्त सचिव (व्यय) × (विकास आयुक्त) एवं सम्बन्धित विभाग के सचिव से मिलकर बनेगी। यदि आवश्यक हो तो समिति सम्बन्धित विभाग के अध्यक्ष को भी सहवरित (Co-opt) कर सकती है।

व्यक्तिगत मामलों में उपरोक्त प्रतिनियुक्ति की शर्तों के सम्बन्ध में वास्तविक स्वीकृतियां केवल वित्त विभाग (व्यय) की सहायता में ही जारी की जानी चाहिये।

ये आदेश जारी होने की तारीख से प्रभावशील होंगे। इन आदेशों के जारी होने की तारीख से या उसके बाद से प्रशिक्षण पर रवाना होने वाले राज्य कर्मचारियों के मामले इसमें दिये गए प्रावधानों के अनुसार ही विनियमित होंगे। इन आदेशों के विपरीत अन्यथा प्रकार से जो मामले पूर्व में तय हो गए हों उन्हें पुनः चलाने की आवश्यकता नही।

निर्णय संख्या 2—राजस्थान सेवा नियमों के नियम 51 के नीचे दिए गए राजस्थान सरकार के निर्णय की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि क्या उन मामलों मे भी बोंड भराने की जरूरत समझी जायेगी जिनमें कि प्रशिक्षण का समय (देश से प्रशिक्षण स्थल तक आने जाने के समय को निकाल कर) 6 माह से ज्यादा का न हो तथा पूर्ण समय पूर्ण वेतन पर प्रतिनियुक्ति का समय समझा जावे। यह निर्णय किया गया है कि विदेश में प्रशिक्षण के सभी मामलो मे जो कि, इस बात को ध्यान में रखे बिना कि प्रतिनियुक्ति के समय को प्रतिनियुक्ति या विशेष अवकाश के रूप मे माना जाय, नियम 51 के नीचे दिये गए राजस्थान सरकार के निर्णय से नियमित किये जाते हैं उसके अनुसार प्रत्येक सम्बन्धित राज्य कर्मचारी को बोंड भरने के लिए कहा जाना चाहिये। ऐसे सभी मामलो मे बोंड परिशिष्ट 18 पर दिए गए संशोधित प्रपत्र में निष्पादित किया जाना चाहिए।

निर्णय संख्या 3—(1) सैन्ट्रल ओवरसीज स्कालरशिप योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है तथा वह विश्वविद्यालयों, कालेजों एवं उच्चतर शिक्षा की समान संस्थाओं के लिए है

× वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ. 1 (87) एफ डी/(ए) /62 दिनांक 19-7-65 द्वारा शामिल किया गया।

ताकि वे अपने अध्यापकों को भारत के बाहर उच्च शिक्षा/प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर प्रदान कर सकें तथा इस प्रकार देश में पाठ्यक्रम व अनुसंधान का स्तर ऊंचा उठा सकें। इस योजना के अन्तर्गत मेन्टेनेन्स एलाउन्स, रेल एवं समुद्र किराया, ट्यूशन एवं परीक्षा शुल्क, पुस्तकों की कीमत आदि के व्यय का 50 प्रतिशत भारत सरकार अनुदान देती है तथा शेष 50 प्रतिशत तक खर्चा जिम्मेदार एजेन्सी को देना पड़ता है। मेन्टेनेन्स एलाउन्स व अन्य सुविधाओं का पूर्ण व्यय पहिले पहल भारत सरकार, शिक्षा मन्त्रालय द्वारा इस योजना के लिए निर्धारित निधि से सहन किया जाता है। भेजे गये उम्मीदवार के द्वारा प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद उपरोक्त आधार पर बांट लिया जावेगा।

(2) उपरोक्त योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिए वेतन एवं भत्ते की स्वीकृति के सम्बन्ध का मामला कुछ समय पूर्व से ही राज्य सरकार के विचाराधीन था तथा यह आदेश दिया गया है कि योजना के अन्तर्गत भारत के बाहर उच्चतर शिक्षा/प्रशिक्षण के लिए चयन किए गए राज्य कर्मचारी को निम्नलिखित शर्तें माननी होंगी—

(क) विशेष अवकाश का समय उन्नति के लिए सेवा में गिना जावेगा तथा यदि राज्य कर्मचारी पेन्शन योग्य सेवा में हो तो वह समय पेन्शन के लिए भी गिना जावेगा।

(ख) 'विशेष अवकाश' राज्य कर्मचारी के अवकाश लेखे में नाम नहीं लिखा जावेगा। 'विशेष अवकाश' में अवकाश वेतन राजस्थान सेवा नियमों के नियम 97 के खण्ड (2) के प्रावधान के अनुसार नियमित किया जावेगा।

(ग) उपरोक्त खण्ड (ख) के अन्तर्गत अवकाश वेतन के साथ में मंहगाई भत्ता वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ 10 (10) एफ. II/53 दिनांक 27-2-56 में दी गई दरों के अनुसार नियमित किया जावेगा।

(3) उम्मीदवारों के चयन एवं बोर्ड करने की पद्धति, जैसा कि राजस्थान सेवा नियमों के नियम 51 के निर्णय में दिया हुआ है, इन मामलों में भी लागू होगा।

निर्णय संख्या 4—एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि क्या अस्थाई राज्य कर्मचारी को भी विदेश में प्रशिक्षण के लिए भेजा जा सकता है। यदि हां, तो किन परिस्थितियों के अन्तर्गत ?

मामले पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया गया है कि साधारण तौर पर अस्थाई राज्य कर्मचारी को विदेश में प्रशिक्षण के लिए नहीं भेजा जाना चाहिए जबकि आवश्यक योग्यता रखने वाले स्थाई राज्य कर्मचारी उपलब्ध न हों। जब एक स्थाई राज्य कर्मचारी उपयुक्त योग्यता के साथ उस विभाग में उपलब्ध न हो तो अस्थाई राज्य कर्मचारी को विदेश में प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा सकता है। परन्तु शर्त यह है कि—

(i) अस्थाई राज्य कर्मचारी ने अपनी तीन साल की सेवाएं पूरी करली हों,

(ii) एक अस्थाई राज्य कर्मचारी की नियुक्ति नियमित हो अर्थात् वह नियुक्ति के लिये आवश्यक शिक्षा, आयु व योग्यता आदि रखता हो तथा जहां सेवा नियमों में आवश्यक हो, राजस्थान लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त करली हो।

+ निर्णय संख्या (5) एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि क्या एक राज्य कर्मचारी,

---

+(वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ I (87) एफ. डी. ए. (नियम) 62 दिनांक 3-5-64 द्वारा शामिल किया गया)

जिसकी कि विदेश (abroad) में समयावधि बढ़ादी गई है, के मामले में एक पूरक बन्ध पत्र (बॉंड) प्रशिक्षण की ऐसी वर्धित अवधि में प्रशिक्षण की लागत को अन्तर्विष्ट किए जाने के लिए भराना आवश्यक है। यह निर्णय किया गया है कि, ऐसे समस्त मामलों में, अनुपूरक बॉंड आवश्यक होगा एव जिन राज्य कर्मचारियो को प्रशिक्षण की अवधि बढ़ाई जाती है, उनसे यह बोंड भरवा लिया जाना चाहिए। स्थायी एवं अस्थायी राज्य कर्मचारियों के लिए अनुपूरक बन्ध-पत्रो के अलग प्रपत्र इसके साथ संलग्न हैं।

अनुपूरक बॉंड में निर्दिष्ट की जाने वाली प्रत्यावर्तन (refund) की एक मुश्त राशि में सम्बन्धित राज्य कर्मचारी को चुकाई गयी समस्त राशियों को या उसके प्रशिक्षण को, वर्धित अवधि में उस पर किए गए समस्त व्ययों की राशि को अर्थात् वेतन एवं भत्ते, अवकाश वेतन, शुल्कों की लागत, यात्रा एव अन्य व्यय, अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा का व्यय एव विदेशी सम्बन्धित सरकार/एजेन्सी द्वारा सहन किए विदेश के प्रशिक्षण की लागत, शामिल किया जाना चाहिए।

अनुरूपक बन्ध पत्र का भराया जाना ऐसे मामलों मे भी प्रवृत कराया जा सकता है जो एतद्पश्चात् होते हों एवं इसे ऐसे मामलों मे भराये जाने पर जोर देने की जरूरत नही है जिनमें कि प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्ति की अवधि की वृद्धि के आदेश पहिले ही जारी किए जा चुके हैं।

× निर्णय सं० 6—यह तय किया गया है कि सरकारी कर्मचारियों को जो विभिन्न सहायता कार्यक्रमों के अधीन भारत के बाहर प्रशिक्षण पर भेजे जाते हैं, उन्हें उनकी वापसी यात्रा पर नीचे पैरा 3 में वर्णित अधिकतम सीमा तक की स्टाप ओवर/स्टे ओवर सम्बन्धी रियायतें उपभोग करने की स्वीकृति दी जा सकती है। इस प्रयोजनार्थ प्रशिक्षणार्थियों को अवकाश उनके प्रशासनिक विभागों से तथा पृथक भेजने वाले अधिकारी, यदि कोई हो, से प्राप्त करनी होगी तथा इसके बाद यात्रा का प्रबन्ध करने वाली सम्बन्धी एजेन्सी के पास स्वीकृति के आदेश के साथ जाना होगा। यह स्पष्ट रूप से समझा जाना है कि यात्रा के रूप में किया गया व्यय जो ऐसे स्टोप ओवर्स/स्टे ओवर्स पर किया जाय वह स्वयं प्रशिक्षणार्थियों द्वारा वहन किया जाएगा तथा इस प्रयोजनार्थ प्रशिक्षणार्थियो द्वारा सहायता एजेन्सियो को किसी प्रकार का निवेदन नही करना चाहिए।

स्टोप ओवर्स/स्टे ओवर्स की लागत को पूरा करने हेतु प्रशिक्षणार्थियो को कोई विदेशी मुद्रा नही दी जाएगी तथा उन्हें उनके पास हक की उपलब्ध विदेशी मुद्रा की उचित राशि होने पर ही ऐसा ध्यान करना चाहिए।

वापसी यात्रा पर स्टोप ओवर्स/स्टे ओवर्स की व्यवस्था निम्न सीमाओं के भीतर की जा सकती है।

(क) जब बाहर का प्रशिक्षण 3 माह या इससे कम का हो तो प्रशिक्षणार्थी एक सप्ताह तक की अवधि तक का स्टोप ओवर/स्टे ओवर कर सकता है।

(ख) लेकिन जब प्रशिक्षण की अवधि तीन माह से अधिक किन्तु 6 माह से कम हो तो स्टोप ओवर/स्टे ओवर 2 सप्ताह तक हो सकता है।

× वित्त विभाग की आज्ञा स० एफ 1 (10) वित्त वि (व्यय-नियम) 66 दि० 5-5-66 द्वारा निविष्ट

(ग) जब प्रशिक्षण यद्यपि 6 माह की हो तो स्टाप ओवर/स्टे ओवर तीन सप्ताह तक हो सकता है।

प्रशासनिक विभाग पैराग्राफ 3 में निर्धारित सीमाओं के भीतर स्टाप ओवर/स्टे ओवर स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी होगा। पैरा 3 मे निर्धारित सीमा से अधिक के स्टोप ओवर/स्टे ओवर की कोई आज्ञा नहीं दी जाएगी तथा प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन है कि वे ऐसी सिफारिशें विशेष विचार हेतु वित्त विभाग को न भेजें।

यद्यपि पैरा 3 के अनुसार स्टोप ओवर सामान्यतया वापसी यात्रा के लिए ही स्वीकृत किया जाता है लेकिन निर्धारित सम्पूर्ण सीमाओं एवं उन्हीं शर्तों के भीतर अधिकतम एक सप्ताह तक की आऊट वार्ड यात्रा में भी स्वीकृत करने में कोई हानि नहीं है बशर्ते कि प्रशासनिक विभाग इससे सन्तुष्ट हो जाए कि प्रशिक्षणार्थी के पास सत्प्रयोजनार्थ पर्याप्त विदेशी मुद्रा है।

※ निर्णय संख्या 7 विषय—छह माह से अधिक समय के लिए प्रशिक्षण हेतु बाहर भेजे गए अधिकारियों के लिए शर्तें स्वीकृत किया जाना-राजस्थान सेवा नियमों के नियम 51 के नीचे राजस्थान सरकार का निर्णय।

उपर्युक्त राजस्थान सरकार के निर्णय सख्या 1 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है तथा यह कहा जाता है कि इस सम्बन्ध मे कुछ सन्देह व्यक्त किए गए हैं कि उक्त निर्णय संख्या 1 में सन्निविष्ट प्रतिनियुक्ति की शर्तें प्रशिक्षण या पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए बाहर जाने वाले अधिकारियों के मामले मे कब स्वीकृत की जानी चाहिए एवं कब इन शर्तों को स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए। मार्ग दर्शन के लिए तदनुसार निम्नलिखित स्पष्टीकरण दिए जाते हैं:—

(1) उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन (अर्थात् निर्णय संख्या 1) मे वर्णित उदार की गयी प्रतिनियुक्ति की शर्तें, नियम के रूप मे, केवल उन्हीं मामलों में स्वीकृत की जानी चाहिए जहां पर किसी राज्य कर्मचारी को प्रस्तावित प्रशिक्षण के लिए सरकार द्वारा भेजा गया हो। भेजे जाने की जांच कठोरता पूर्वक की जानी चाहिए एवं सामान्यतया केवल उन्हीं मामलों को भेजा हुआ(स्पोन्सर्ड) समझा जाना चाहिए जिनमे प्रयास (इनिसिएटिव) सरकार द्वारा किया गया हो न कि सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा किया गया हो। दूसरे शब्दों मे, जहा योजना की शर्तों के अधीन प्रशिक्षण के लिए मनोनयन सरकार द्वारा किया जाना होना है, वहा विभागाध्यक्ष द्वारा सिफारिश किए गए तथा चयन समिति (स्क्रीनिंग कमेटी) द्वारा चयन किए गए व्यक्ति को ही सरकार द्वारा भेजा गया समझा जाएगा। इसके विपरीत जहां जहा प्रारम्भिक प्रयास स्वयं सरकारी कर्मचारी की ओर से हो, जो प्रशिक्षण या शैक्षणिक पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करता है, वहां ऐसे मामले में व्यक्ति को सरकार द्वारा भेजा गया नहीं समझा जाएगा चाहे चयन के लिए आवेदन सरकार द्वारा ही क्यों न भेजा गया हो। ऐसे मामलो में केवल अध्ययन अवकाश ही स्वीकृत किया जाना चाहिए।

(ii) उपर्युक्त दि० 14-12-63 के आदेश की प्रतिनियुक्ति की शर्तें समान रूप मे वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षेत्र मे तथा आर्थिक विकास एव लोक प्रशासन के क्षेत्र में प्रतिनियुक्त किए गए व्यक्तियों पर भी लागू है। प्रशिक्षण विशेषीकृत क्षेत्रों में होना चाहिए तथा इसमें यह

※ वित्त विभाग के ज्ञापन स० एफ 1 (87) वित्त वि (व्यय-नियम) 62 दि० 6-5-67 द्वारा निविष्ट।

ध्यान नही रखा जाना चाहिए कि प्रायः उससे शैक्षणिक डिग्री या डिप्लोमा मिलेगा या नहीं या प्रशिक्षण ऐसा होना चाहिए जो नियोजन कर्ता विभाग के लिए लाभप्रद हो तथा न कि केवल व्यक्ति के लिए ही लाभप्रद हो। और भी प्रतिनियुक्ति अधिकतम 18 माह तक की होनी चाहिए।

उपर्युक्त निर्दिष्ट सिद्धान्तों का भविष्य में कठोरता से पालन किया जाना चाहिए लेकिन जिन मामलों में अन्यथा प्रकार से निर्णय लिया जा चुका है उन पर पुनः विचार नही किया जाना है।

अध्याय ८

बर्खास्तगी, निष्कासन एवं निलम्बन

(Dismissal, Removal and Suspension)

नियम 52. बर्खास्तगी (Dismissal) की तारीख, वेतन एवं भत्तों का बन्द करना—जिस दिन राज्य कर्मचारी सेवा से बर्खास्त (डिसमिस) कर दिया जाता है या निष्कासित कर दिया जाता है तो उसका वेतन एवं भत्ता उसी दिन से बन्द कर दिया जाता है।

(वेतन एवं भत्तों के अन्तिम भुगतान की पद्धति के लिये सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 164 को भी देखें।)

नियम 53—निर्वाह अनुदान (Subsistence grant):—(1) निलम्बन काल में एक राज्य कर्मचारी निम्नलिखित धन राशि प्राप्त करने का हकदार होगा, मुख्य रूप से—

[क] निर्वाह भत्ता, उस अवकाश वेतन की धन राशि के बराबर जिसे कि राज्य कर्मचारी प्राप्त करता यदि वह अर्द्ध वेतन अवकाश पर रहता तथा मंहगाई भत्ता जो ऐसे अवकाश वेतन पर मिलता हो।

परन्तु शर्त यह है कि जहां निलम्बन का समय 12 माह से अधिक का हो, तो वह अधिकारी जिसने उसके निलम्बन के आदेश दिए हों या उसके द्वारा दिए गए समझे गए हों, तो वह 12 माह से कितने भी अधिक समय के लिए निर्वाह भत्ता की राशि को निम्न प्रकार से परिवर्तित कर सकता है—

(1) निर्वाह भत्ते की धनराशि उचित धनराशि तक बढ़ाई जा सकती है लेकिन यह धनराशि प्रथम 12 माह की अवधि में प्राप्य निर्वाह भत्ते की 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती है यदि उक्त अधिकारी की राय में निलम्बन की अवधि किन्हीं ऐसे कारणों से बढ़ाई गई है, जिनको कि लिखित मे लिखा जाएगा, जो कि प्रत्यक्ष रूप से राज्य कर्मचारी के हित के लिए नहीं हैं।

(2) निर्वाह भत्ते की धनराशि उचित धनराशि तक घटाई जा सकती है। लेकिन यह धनराशि प्रथम बारह माह की अवधि में प्राप्य निर्वाह भत्ते की 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं घटाई जा सकती है यदि उक्त अधिकारी की राय में निलम्बन की अवधि किन्हीं ऐसे कारणों से बढ़ाई गई है, जिनको कि लिखित मे लिखा जाएगा, जो कि प्रत्यक्ष रूप से राज्य कर्मचारी को हित पहुंचाने वाले हों।

(3) मंहगाई भत्ते की दरें उपरोक्त उप खण्ड (1) व (2) के अन्तर्गत प्राप्य निर्वाह भत्ते की बढ़ी हुई या घटी हुई राशि पर, जैसी भी स्थिति हो, आधारित होगा।

+ 53 (ख) कोई अन्य क्षतिपूरक भत्ता जो ऐसे वेतन के आधार पर समय समय पर प्राप्य हो, जिसको कि राज्य कर्मचारी अपने निलम्बन के दिनांक को उक्त भत्तों के आहरण के लिए निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करने की शर्त के अधीन रहते हुए प्राप्त कर रहा था।

स्पष्टीकरण—एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि क्या राजस्थान सेवा नियमों के नियम 53 (1) (क) के प्रावधानों में कही गई 12 माह की अवधि वित्त विभाग की विज्ञप्ति संख्या दिनांक 22-1-64 से गिनी जानी है अथवा उस तारीख से जिसको कि सक्षम प्राधिकारी ने राज्य कर्मचारी को निलम्बित किया है।

मामले की जांच की जा चुकी है तथा यह स्पष्ट किया जाता है कि पूर्वोक्त नियम में कही गई 12 माह की अवधि उस तारीख से गिनी जाएगी जिसको कि राज्य कर्मचारी निलम्बित किया गया था।

(2) उप नियम (1) के अधीन कोई भुगतान नहीं किया जाएगा जब तक कि सरकारी कर्मचारी यह प्रमाण पत्र न दे दे कि वह किसी अन्य नियोजन, व्यवसाय, व्यापार या वोकेशन में नहीं लगा है।

परन्तु यह है कि सरकारी सेवा से बर्खास्त, निष्कासित या अनिवार्य रूप से सेवा निवृत किए गए सरकारी कर्मचारी के मामले में जिसे राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 के उपनियम (3) या (4) के अधीन ऐसी बर्खास्तगी, सेवा निष्कासन या अनिवार्य सेवा निवृति की तारीख से निलम्बित किया गया है या समझा गया है, या हटा हुआ समझा गया तथा जो किसी ऐसी अवधि या अवधियों के सम्बन्ध में ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है जिसमें कि वह निलम्बित रखा गया है या निलम्बित किया हुआ समझा गया है, तो वह उस राशि तक निर्वाह भत्ता एवं अन्य भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा जिसमें कि उसकी उन अवधि या अवधियों की आय उस निर्वाह भत्ते एवं अन्य भत्तों की राशि से कम पड़े जिसे वह अन्य प्रकार से प्राप्त करता। जहाँ स्वीकार्य निर्वाह भत्ता एवं अन्य भत्ता उसके द्वारा प्राप्त अन्य आय के बराबर या इससे कम है तो इस प्रावधान की कोई बात उस पर लागू नहीं होगी।

जांच निर्देशन—(विलोपित की गई)

नियम 54. पुनर्नियुक्ति (Reinstatement)—(1) एक राज्य कर्मचारी जो कि बर्खास्त (डिसमिस) हो गया हो, निष्कासित कर दिया गया हो (Removed), आवश्यक रूप सेवा से निवृत्त (रिटायर) कर दिया गया हो, या निलम्बित कर दिया गया हो, पर पुनर्नियुक्त हो गया हो या जो पुनर्नियुक्त हो गया होता लेकिन निलम्बन काल में अधिवार्षिकी आयु (Superannuation) पर उसको सेवा निवृत किया गया, पुनर्नियुक्ति के आदेश देने वाला सक्षम प्राधिकारी इस पर विचार करेगा तथा निम्न के बारे में एक विशेष आदेश निकालेगा—

+ वित्त विभाग की आज्ञा संख्या एफ. 1 (30) एफ॰ डी॰ (व्यय-नि॰) 65 दिनांक 17-7-67 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

(क) सेवा (ड्यूटी) से उसके अनुपस्थित रहने के समय का या अधिवार्षिकी आयु पर सेवा निवृत्त होने की तारीख तक समाप्त होने वाले निलम्बन के समय का, जैसी भी स्थिति हो, राज्य कर्मचारी को दिए जाने वाले वेतन एवं भत्ते के सम्बन्ध में।

(ख) क्या उक्त अवधि 'सेवा में बिताई गई अवधि' समझी जायगी अथवा नहीं।

(ग) जहां ऐसा सक्षम प्राधिकारी यह विचार करे कि राज्य कर्मचारी को पूर्णतया दोष-मुक्त (Exonerated) कर दिया गया है अथवा निलम्बन के मामले में उसे निलंबित किया जाना पूर्णतः अनुचित था, तो राज्य कर्मचारी उस समय का अपना पूर्ण वेतन मय मंहगाई भत्ते के उसी दर से प्राप्त करेगा जिसको कि वह पाने का हकदार होता यदि वह, जैसी भी स्थिति हो, बर्खास्त नहीं किया गया होता।हटाया नहीं जाता, या आवश्यक रूप से सेवा निवृत्त नहीं किया जाता या निलम्बित नहीं किया जाता।

(3) अन्य मामलों में राज्य कर्मचारी को वेतन एवं मंहगाई भत्ते का ऐसा हिस्सा दिया जावेगा जिसे कि सक्षम प्राधिकारी निर्धारित करे।

(4) खण्ड (2) के अन्तर्गत आने वाले मामले में सेवा से अनुपस्थिति के समय को सभी कार्यों के लिए सेवा में बिताए गए समय के रूप में समझा जावेगा।

(5) खण्ड (3) के अन्तर्गत आने वाले मामलों में सेवा से अनुपस्थिति के समय को सेवा में बिताए गए समय के रूप में तब तक नहीं समझा जाएगा जब तक ऐसा सक्षम प्राधिकारी विशेष रूप से निर्देश न दे कि वह किसी विशेष कार्य के लिए इस प्रकार से समझा जावेगा।

परन्तु शर्त यह है कि यदि राज्य कर्मचारी ऐसा चाहे तो सक्षम प्राधिकारी निर्देश दे सकता है कि सेवा से अनुपस्थिति का समय राज्य कर्मचारी के बकाया एवं उसे स्वीकृत किए जाने योग्य किसी भी प्रकार के अवकाश में बदल दिया जावेगा।

टिप्पणी—इस परन्तुक के अन्तर्गत बिताये गये सेवा से अनुपस्थिति के समय को किस रूप में समझा जावे, इस सम्बन्ध मे सक्षम प्राधिकारी के आदेश अन्तिम रूप से मान्य हैं तथा जहां तक अस्थाई राज्य कर्मचारियों का सम्बन्ध है, तीन माह से अधिक के असाधारण अवकाश की स्वीकृति के लिए और अन्य उच्चतर स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी।

फौजदारी कार्यवाहियों के समय में गिरफ्तारी के लिए, ऋणों के लिए या किसी कानून के अन्तर्गत नजरबन्दी के समय में निरोधात्मक नजरबन्दी के प्रावधानों के लिए सरकार द्वारा जारी की गई प्रशासनात्मक हिदायतों के लिए परिशिष्ट 1 खण्ड (2) देखें:

टिप्पणियां—(1) पुनरविलोकन (Revising) या अपील सम्बन्धी (Appellate) प्राधिकारी निलम्बन काल में बिताए गए समय को अवकाश में परिवर्तित करने एवं उसके उचित अवकाश वेतन के भुगतान कराने के आदेश देने मे सक्षम है।

(2) यदि एक राज्य कर्मचारी जो सेवा से बर्खास्त (डिसमिस) कर दिया गया हो या हटा दिया गया हो, परन्तु अपील करने पर किसी परवर्ती (Subsequent date) तारीख से पुनर्नियुक्त कर दिया जाता हो तथा बर्खास्त किये जाने या हटाये जाने व पुनर्नियुक्ति के बीच के समय को सेवा के रूप में बिताया गया समय मानने के लिए आदेश दे दिया जाता है तथा वह समय अवकाश एवं वेतन वृद्धि के लिए शामिल किये जाने के लिए स्वीकृत कर दिया जाता है तो इस प्रकार के

आदेशों का परिपालन किया जाना चाहिए, चाहे राज्य कर्मचारी अपनी बेकारी के समय के भीतर किसी स्थाई पद पर अपना लीयन न रखता हो। जो राज्य कर्मचारी सेवा से बर्खास्त या हटाये गये हैं, उनके द्वारा जो स्थान रिक्त किए गए हैं, उन्हें स्थाई रूप से इस शर्त के साथ भरा जा सकता है कि इस प्रकार का किया गया प्रबन्ध उलटा हो जाएगा यदि सेवा से बर्खास्त किया गया कर्मचारी अपील करने पर पुनर्नियुक्त हो जाता है।

(3) एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि क्या ऐसे मामलों में जिनमें कि निलम्बन काल के समय को अवकाश पर बिताए गए समय के रूप में मानने का आदेश दे दिया जाता है तथा परिवर्तन करने पर जब यह विदित होवे कि समय के बहुत से भाग को असाधारण अवकाश के रूप में समझा जाता है जिसका कि कोई अवकाश वेतन नहीं मिलता है, तो पहिले से ही दिए गए निर्वाह भत्तों की राशि की वसूली यथोचित मानी जाएगी। यह निर्णय किया गया है कि निलम्बन काल के समय के किसी भी अंश को असाधारण अवकाश में परिवर्तन करने में कोई प्रतिबन्ध नहीं है। उन व्यक्तियों के मामले में जो पूर्णतया दोष मुक्त नहीं किए गए हैं, निलम्बन के समय को भत्ते सहित या बिना भत्ते के अवकाश में बदलने से, उनके निलम्बन के लांछन तथा उनसे निकलने वाले तमाम विपरीत परिणामों को हटाया जाता है। जिस क्षण से निलम्बन का समय अवकाश में बदल दिया जाता है, उसी समय से वह निलम्बन के आदेश को प्रभावहीन करता है तथा वह समय निलम्बन काल में बिल्कुल बिताया गया नहीं समझा जायेगा। इसलिए यह पाया गया है कि एक राज्य अधिकारी निलम्बन की अवधि में निर्वाह भत्ते एवं क्षतिपूरक भत्ते की जो कुल धनराशि प्राप्त करता है, यदि वह अवकाश वेतन एवं भत्तों से अधिक होता है तो वह अधिक राशि वापिस जमा करानी पड़ेगी तथा इस परिणाम से बचने का कोई उपाय नहीं।

(4) असाधारण अवकाश की स्वीकृति एवं राज्य सेवा से बर्खास्तगी दोनों पूर्णतया विभिन्न मामले हैं तथा निलम्बित अवधि को अवकाश में बदलने के व्यवहार का उदाहरण स्वतः ही बर्खास्तगी के मामलों पर पूर्व प्रभाव से (Retrospective effect) से लागू नहीं होता है क्योंकि बर्खास्तगी से राज्य कर्मचारी को अपने पद से हटाया जाता है। इसलिए इस मध्यावधि में राज्य कर्मचारी को जो निर्वाह भत्ता (Maintenance) स्वीकार किया जाय, वह उससे वसूल नहीं किया जाना चाहिए।

[विशेष—कहने का तात्पर्य यह है कि यदि निलम्बित राज्य कर्मचारी का निलम्बन काल का समय किसी भी प्रकार के अवकाश में परिवर्तित किया जाता हो तो वह पूर्व प्रभाव से लागू होता है तथा यदि अवकाश वेतन व भत्ते निलम्बन काल के निर्वाह भत्ते एवं अन्य भत्ते से कम हो तो उसे अधिक रकम को वापिस जमा कराना पड़ेगा। परन्तु बर्खास्तगी के आदेश पूर्व प्रभाव से लागू नहीं होते हैं, इसलिए यदि किसी राज्य कर्मचारी को इस मध्यावधि में जो भी निर्वाह भत्ता इत्यादि मिलता है, वह पूर्व प्रभाव न रखने के कारण वापिस जमा नहीं कराया जा सकता है।]

(5) एक राज्य कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त किये जाने या हटाये जाने या आवश्यक रूप से सेवा मुक्त किए जाने के कारण रिक्त किया गया एक स्थाई पद, उस समय तक स्थाई रूप से नहीं भरा जाना चाहिए, जब तक कि, जैसी भी स्थिति हो, इस प्रकार की बर्खास्तगी, हटाये जाने या आवश्यक रूप से सेवा मुक्त किए जाने से 12 माह का समय व्यतीत न हो गया हो। जब एक साल की अवधि के समाप्त होने पर, स्थाई पद भर लिया जाता है तथा उसके बाद वह

पद का मूल कर्मचारी सेवा मे पुनर्नियुक्त कर लिया जाता है तो उसे किसी भी पद के विपरीत लगाया जाना चाहिए जो कि उसी श्रेणी में स्थाई रूप से रिक्त हो जिसमे कि उसका पूर्व का स्थाई पद था। यदि इस प्रकार का कोई पद रिक्त न हो, उसे एक अधिसंख्यक पद (Supernumerary Post) के विपरीत लगाया जाना चाहिए जो कि उचित स्वीकृति द्वारा इस श्रेणी (Grade) में सृजित (Create) किया जाना चाहिए तथा इस धारणा (Stipulation) के साथ सृजित किया जाना चाहिए कि उक्त वेतन शृंखला मे प्रथम स्थान रिक्त होने पर उसे समाप्त कर दिया जावेगा।

निर्णय—एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि एक ऐसे मामले में जिसमें कि राज्य कर्मचारी की सेवाएं 6-3-57 को समाप्त कर दी गई थी तथा अपील पर वह पुनर्नियुक्त कर दिया गया था तथा अपील प्राधिकारी (Appellate Authority) ने घोषित कर दिया कि उसे 6-3-57 से 30-6-57 तक का उसका बकाया अवकाश स्वीकृत किया जावेगा तथा 1-7-57 के बाद का उसे अपने पद का पूर्ण वेतन मिलेगा। कर्मचारी ने अपने पद का कार्यभार 16-12-57 को सम्भाला।

चूंकि कोई ऐसा पद नही था जिसके विपरीत बर्खास्तगी के समय में राज्य कर्मचारी का लीयन दिखलाया जा सके क्योंकि कार्य को चलाने के लिए कार्यवाहक प्रबन्ध उस पद पर पहिले ही किया जा चुका था, उसे लीयन प्रदान करने तथा उसे उस समय का वेतन एवं भत्ता प्राप्त करने के लिए एवं पद सृजन करने का प्रस्ताव पेश किया गया।

मामले की जांच करली गई है तथा यह स्पष्ट किया जाता है कि राजस्थान सेवा नियमों का नियम 54 पूर्ण है तथा यदि 'लीयन' की शर्त पहिले पूरी की जाती है तो वह पूर्ण नहीं हो सकता है। इन परिस्थितियो में राज्य कर्मचारी का वेतन एवं भत्ते राजस्थान सेवा नियमों के नियम 54 के अन्तर्गत प्राप्त किए जा सकते हैं तथा इसके लिए एक अधिकांश पद के सृजन करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि इस प्रकार की अधिकांशता स्वीकार्य होती है।

नियम 55—निलम्बन काल में अवकाश की स्वीकृति—निलम्बन काल में राज्य कर्मचारी को अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता है।

निर्णय—राजस्थान सेवा नियमो के नियम 55 के अन्तर्गत निलम्बन काल में राज्य कर्मचारी को अवकाश स्वीकृत करने पर प्रतिबन्ध डाला गया है। फिर भी इस नियम के पालन में उसके परिवार आदि मे अधिक बीमारी होने की दशा में उसे कठिनाई आती हैं, इसलिए राजप्रमुख ने आदेश दिया है कि ऐसे मामलों में पद को भरने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे मुख्यालय छोड़ने की स्वीकृति दी जा सकती है। यह मुख्यालय छोड़ने की स्वीकृति अत्यावश्यक परिस्थितियों में जांच की स्थिति को एवं उसकी प्रगति मे राज्य कर्मचारी की अनुपस्थिति के सम्भावित परिणाम को ध्यान में रखते हुए उचित समय के लिए दी जाएगी।

नियम 55. (क)—अवकाश ऐसे राज्य कर्मचारी को स्वीकृत नहीं किया जावेगा जिसको कि दण्ड देने वाले सक्षम प्राधिकारी ने, राज्य सेवा से बर्खास्त करने, निष्कासित करने या आवश्यक रूप से सेवा निवृत्त करने का निर्णय कर लिया हो।

अध्याय 9

अनिवार्य सेवा निवृत्ति (Compulsory Retirement)

नियम 56. (क) अधिवार्षिकी आयु (Superannuation) प्राप्त कर लेने पर अनिवार्य सेवा निवृत्ति (i) जब तक इन नियमों में कुछ अन्यथा प्रकार से न दिया गया हो, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों × [एवं चिकित्सा अधिकारी (मेडिकल कालेजों के अध्यापन वर्ग के सदस्यों सहित)] के अतिरिक्त अन्य राज्य कर्मचारियों की अनिवार्य सेवा-निवृत्ति की तारीख वह होगी जिसको वह + (55, वर्ष की अवस्था प्राप्त करता है। उसे सार्वजनिक हित की दृष्टि से, जिसको लिखा जाएगा, सरकार की स्वीकृति द्वारा अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तारीख के बाद भी सेवा में रखा जा सकता है। परन्तु जिन्हें बहुत विशेष परिस्थिति को छोड़कर उसे 60 वर्ष की उम्र के बाद सेवा में नहीं रखा जा सकता है।

+ परन्तु शर्त यह है कि विपरीत रूप में किसी प्रकार के प्रावधान के होते हुए भी एक राज्य कर्मचारी जो दिसम्बर 1962 को सेवा निवृत्त नहीं हुआ हो, लेकिन जिसकी बाद में 55 वर्ष की आयु हो गयी हो, तो जितनी अवधि के लिए उसने 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सेवा की है, उसे उक्त नियम के अर्थ में अर्थात् अनिवार्य सेवा निवृत्ति के बाद सेवा में वृद्धि स्वीकृत कर, रखा हुआ समझा जाएगा।

+ अनुदेश-1 जुलाई, 1967 को 55 वर्ष या इससे अधिक आयु के राज्य कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति।

राज्यपाल ने वित्त विभाग की अधिसूचना स. एफ 1 (42) एफ. डी. (व्यय-नियम) 67 दिनांक 13-6-67 के अनुसार 1 जुलाई 1967 को सेवा निवृत्त होने वाले राज्य कर्मचारियों को उन्हें अवकाश वेतन एवं पेंशन स्वीकृत करने आदि के लिए निम्नलिखित अनुदेश जारी किए हैं:—

प्रशासनिक विभागों एवं विभागाध्यक्षों के लिए इन अनुदेशों का कठोरतापूर्वक पालन किया जाना चाहिए तथा उन राज्य कर्मचारियों को सुनिश्चित रूप से सेवा-निवृत्त किया जाना चाहिए जिन्होंने 1 जुलाई 1967 को 55 वर्ष या इससे अधिक की आयु प्राप्त करली है। उन्हें अवकाश वेतन, जो भी बकाया हो, तथा पेंशन आदि स्वीकृत किए जाने चाहिये।

(1) सभी राज्य कर्मचारी, जो 1 जुलाई 1967 को सेवा-निवृत्त होने हैं, 1 जुलाई 1967 को (मध्याह्नपूर्व) अपने पद का कार्यभार संभला देंगे। जहां चार्ज में स्टोर आदि का कार्यभार भी संभलाना हो, वहां यह कार्य 1 जुलाई, 1967 (पूर्वाह्न) से पूर्व ही पूरा कर लिया जाना चाहिए।

(2) कार्य का प्रभार ऐसे राज्य कर्मचारी को सम्भलाया जाएगा जिसे, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने आदेश के अधीन, सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी से कार्यभार संभालने के लिए कहा जाता है।

× वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ 1 (35) एफ. डी. (व्यय-नियम) 67 दिनांक 11 मई 1967 द्वारा शामिल किया गया। यह संशोधन 2-2-65 से प्रभाव में आएगा।

+ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ 1 (42) एफ डी (व्यय-नियम) 67 दिनांक 13 जून 1967 द्वारा शामिल किया गया। यह दि॰ 1-1-67 से प्रभावी होगा।

यदि कार्यभार संभालने का कोई प्रबन्ध न हो सके तो कार्यभार, चतुर्थ श्रेणी के अतिरिक्त विभाग के किसी भी अन्य राज्य कर्मचारी को, जो सेवा-निवृत राज्य कर्मचारी के मुख्यालय पर उपलब्ध हो, संभला दिया जाएगा।

(3) राज्य कर्मचारी जो राजकीय उपक्रम (पब्लिक सेक्टर अन्डरटेकिंग्स)/स्वतन्त्र निकायों/निगमों/विश्वविद्यालयों/स्थानीय निकायों या अन्य विदेशी (फोरेन) सेवा या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार में प्रतिनियुक्ति पर हैं तथा जो भारत के भीतर या बाहर, राजस्थान सरकार की ओर से विशिष्ट कर्त्तव्य पर हैं, उन्हें सरकार को 30 जून 1967 को प्रत्यावर्तित किया तथा 1 जुलाई 1967 (पूर्वाह्न) से सेवा-निवृत्त किया हुआ समझा जाएगा।

(4) राज्य कर्मचारी जो 30-6-67 को निलम्बित हैं, दिनांक 1 जुलाई 1967 (पूर्वाह्न) को राजकीय सेवा से निवृत्त होंगे लेकिन उनके विपरीत चल रही समस्त कार्यवाहियां चालू रहेंगी।

(5) राज्य कर्मचारी, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत की गई किसी भी किस्म के अवकाश पर हैं, वे भी दिनांक 1 जुलाई 1967 (पूर्वाह्न) से राजकीय सेवा से निवृत्त हो जाएंगे तथा सेवा-निवृत्ति के फलस्वरूप जो उपार्जित अवकाश उपभोग न किया हुआ बच रहता है, उसे अस्वीकृत किया गया अवकाश समझा जाएगा तथा उपार्जित अवकाश के इस प्रकार से उपभोग न किए गए भाग का अवकाश वेतन का 1 जुलाई 1967 के बाद भुगतान किया जाएगा।

(6) एक राज्य कर्मचारी जो सरप्लस है या आदेशों की प्रतीक्षा कर रहा है, वह एक 1 जुलाई, 1967 (पूर्वाह्न) को सेवा से निवृत होने की रिपोर्ट उस प्राधिकारी को देगा जिसके कि अधीन वह आदेशों की प्रतीक्षा कर रहा है या वह सरप्लस है।

(7) एक राज्य कर्मचारी जो 1 जुलाई, 1967 के पूर्व कार्य-ग्रहण काल (ज्वाइनिंग टाइम) का उपयोग कर रहा है वह नए मुख्यालय पर सेवा पर उपस्थित होगा तथा 1 जुलाई 1967 (पूर्वाह्न) को अपने कार्यभार से मुक्त होगा, बशर्ते कि यदि नए मुख्यालयों पर सेवा में 1 जुलाई 1967 से पूर्व उपस्थित नहीं हो सकता हो तो राज्य कर्मचारी अपने पुराने मुख्यालय पर ही ठहरा रहेगा तथा 1 जुलाई 1967 (पूर्वाह्न) को अपने सेवा-निवृत्त होने की रिपोर्ट उस प्राधिकारी को देगा जिसके कि अधीन वह कार्यग्रहण काल (ज्वाइनिंग टाइम) का उपभोग करने से पूर्व सेवा कर रहा था।

× (8) एक राज्य कर्मचारी जिसके कि अपने खाते में 1 जुलाई 1967 के पूर्व उपार्जित अवकाश हो, ऐसे अवकाश के लिए निवेदन करेगा तथा उसे बकाया अवकाश का, जो 120 दिन से अधिक का नहीं होगा, भुगतान किया जाएगा। फिर भी, यदि उपार्जित अवकाश की राशि तीस दिन से कम हो, तो उसे राजस्थान सेवा नियमों के नियम 91, 92, 94 एवं 97 में छूट देते हुए तीस दिन का अवकाश वेतन स्वीकृत किया जाएगा।

\+ स्पष्टीकरण–सन्देह व्यक्त किए गए हैं कि क्या कोई सरकारी कर्मचारी जो वेकेशन

× वित्त विभाग के शुद्धि पत्र संख्या एफ 1 (42) वित्त वि (व्यय-नियम) 67 दिनांक 28-6-67 द्वारा संशोधित।

\+ वित्त विभाग की आज्ञा सं. एफ 1 (42) वित्त वि. (व्यय-नियम) 67 दिनांक 21/30-11-67 द्वारा निविष्ट।

विभाग का है तथा जो दि० 30-6-67 को अपने खाते में कोई उपार्जित अवकाश नहीं रखता है, क्या उसे वित्त विभाग के आदेश दि. 13 6-67 (उपर्युक्त अनुदेश सं. 1) के पैरा 3 (8) के अनुसार 30 दिनों का अवकाश वेतन का भुगतान किया जा सकता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह प्रश्न कि क्या कोई सरकारी कर्मचारी पेंशन विभाग का है या नहीं, यह एक सम्बन्धित प्रश्न नहीं है। 30 दिन का अवकाश का भुगतान केवल उन्हीं सरकारी कर्मचारियों को स्वीकार्य है जिनको 30-6-67 को अपने खाते में 30 दिन से कम का उपार्जित अवकाश था। यह एक असम्बद्ध तथ्य है कि चाहे वे पेंशन विभाग के हों या नहीं। ऐसे मामलों में जहां जहां सरकारी कर्मचारी का 30-6-67 को कोई उपार्जित अवकाश न हो वहां पर 30 दिन के अवकाश वेतन का भुगतान प्राप्त करने का हकदार नहीं है।

इस सम्बन्ध में राजस्थान सेवा नियमों के नियम 32 (ग) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार अवकाश की कुल अवधि जो पेंशन के साथ लेने पर कुल मिलाकर एक साथ 120 दिन से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। अत: ऐसे मामले में जहां अवकाश पेंशन के साथ में उपर्युक्त आदेश के अधीन मना किया गया है वहां उपार्जित अवकाश एवं पेंशन की अवधि मिलकर 120 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिये। इसके साथ यह और शर्त होगी कि अस्वीकृत अवकाश उस तारीख के बाद का नहीं होगा जिसको कि सरकारी कर्मचारी वित्त विभाग की ज्ञाप स एफ. 1 (42) वित्त विभाग (व्यय-नियम) 67 दिनांक 18-6-67 में प्रावहित किये गए अनुसार 58 वर्ष का होता है।

+ (9) "इस प्रकार से आवेदन किये गये अवकाश को, राजस्थान सेवा नियमों के नियम 89 में छूट देते हुये 1 जुलाई 1967 से पूर्व अस्वीकृत किया हुआ समझा जायेगा। अस्वीकृत किए गये अवकाश (रिफ्यूज्ड लीव) की अवधि में ऐसे मामलों में स्वीकार्य अवकाश वेतन वही होगा जो कि वित्त विभाग की आज्ञा स. एफ. 1 (48) एफ डी (व्यय-नियम) 67 दिनांक 15-7-67 के अनुसार स्वीकार्य है एव वह प्रत्येक माह के अन्त में भुगतान किया जायेगा।

वर्तमान प्रावधानों के अधीन, भुगतान योग्य अवकाश-वेतन केवल तभी निकाला जा सकता है जबकि पेंशन एव पेंशन के समान अन्य सेवा निवृत्ति लाभों की राशि ज्ञात हो। चूंकि पेंशनों के मामलों को अन्तिम रूप से निपटाने में कुछ समय लगेगा अतः पेंशन एव पेंशन के समान अन्य सेवा निवृत्ति लाभों की राशि ज्ञात करना सम्भव नहीं होगा एव इससे अवकाश वेतन (लीव सेलेरी) के भुगतान करने में देरी होगी। अत: यह निर्णय किया गया है कि जहां पेंशन एवं पेंशन के बराबर अन्य सेवा निवृत्ति लाभ ज्ञात नहीं हो, अवकाश वेतन (लीव सेलेरी) का भुगतान उसी रूप में किया जावे जैसा कि सामान्य रूप में किया जाता है तथा अधिक भुगतान जो भी किया गया होगा उसको जब भी स्वीकृत हो जाएंगे पेंशन × उपदान या अन्य सेवा निवृत्ति लाभों में से समायोजित कर लिया जायेगा। यह देखने की दृष्टि से कि अवकाश वेतन के अधिक भुगतान की राशि बिना वसूल की हुई न रह जाये, इसके लिए निम्नलिखित क्रियाविधि का पालन किया जाना चाहिये:--

---

+ वित्त विभाग की आज्ञा सं. एफ 1 (42) एफ डी (व्यय-नियम)/67 दिनांक 15 जुलाई 1967 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया तथा × दिनांक 26-7-67 द्वारा संशोधित किया गया।

(1) राजपत्रित अधिकारियों के मामले मे महालेखाकार, राजस्थान, इस प्रकार मे किए गए अधिक भुगतान को दर्ज कर सकता है जिसे कि जो पेंशन/मृत्यु एवं सेवा निवृति उपदान (डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी) में से समायोजित किया जाना है।

(2) अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों के मामले में आहरण एवं वितरण प्राधिकारी सम्बन्धित राज्य कर्मचारी को भुगतान किए गए अवकाश वेतन की राशि को पेंशन के कागजातों के साथ महालेखाकार को सूचित करेगा तथा महालेखाकार उक्त सूचना के आधार पर अधिक भुगतान को पेंशन/मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान की राशि में से वसूल करने के लिए अंकित करेगा।

ये आदेश दिनांक 1-7-67 से प्रभावशील होंगे।

(10) जून माह के बकाया वेतन एवं भत्तों का भुगतान, सामान्य रूप से किया जाएगा तथा अदेयता प्रमाण पत्र (नो ड्यूज सर्टिफिकेट) प्राप्त करने की शर्त एतद्द्वारा समाप्त की जाती है। फिर भी, अदेयता प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जा सकता है तथा उसे अन्तिम पेंशन कागजातों के साथ सलग्न किया जा सकता है तथा बकाया राशि को मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान एवं, या पेंशन में से या अंशदायी भविष्य निधि में योगदान कर्ता के मामले मे राजकीय अंशदान की राशि मय ब्याज के या विशिष्ट अंशदान मे से या सेवा-निवृत्त राज्य कर्मचारी को 1 जुलाई 1967 को देय एरियर बलेन्स की राशि में से, समायोजित कर लिया जाएगा।

(11) एक राज्य कर्मचारी को 1 जुलाई 1967 को सेवा-निवृत्त हो रहा हो उसके 10 (दस) साल की अर्हकारी सेवा (क्वालीफाइंग सर्विस) की साक्षी के आधार पर, जब तक उसका पेंशन का मामला अन्तिम रूप से तय न हो जाये, उसे प्रत्याशित पेंशन स्वीकृत की जा सकती है। राजपत्रित अधिकारी, शीघ्र ही महालेखाकार के पास, राजस्थान सेवा नियम भाग 2 के परिशिष्ट 7 मे निर्धारित प्रपत्र सं. (झ) में अर्हकारी सेवा का विवरण, सम्बन्धित पेंशन स्वीकृत कर्ता प्राधिकारी की मार्फत प्रत्याशित पेंशन प्राधिकृत करने के लिए, महालेखाकार द्वारा सेवा-वृत्त के आधार पर, उस पर लाल स्याही से 'प्रत्याशित पेंशन' लिखकर भेजेगा। महालेखाकार राजपत्रित अधिकारियों के लिये अगस्त 1967 के अन्त तक प्रत्याशित पेंशन हेतु प्राधिकृत करेगा जिससे कि सितम्बर 1967 से वे उन्हे प्राप्त कर सकेंगे। अराजपत्रित राज्य कर्मचारियो के मामले मे, कार्यवाही विभागाध्यक्ष द्वारा, राजस्थान सेवा नियम भाग 2 के परिशिष्ट 7 मे निर्धारित प्रपत्र संख्या 'झ' मे प्रत्याशित पेंशन के लिये मामले को तैयार करने की कार्यवाही करेगा जिस पर वह सम्बन्धित पेंशन नियमो के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त करने के लिये 10 वर्षों की अर्हकारी सेवा, सेवा निवृत्त राज्य कर्मचारी द्वारा किए जाने के सरकारी प्रमाण के आधार पर लाल स्याही से 'प्रत्याशित पेंशन' लिखेगा। सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद, पेंशन स्वीकृत कर्ता प्राधिकारी, प्रत्याशित पेंशन स्वीकृत कर सकता है तथा उसे राज्य कर्मचारियों को वितरित करने के लिये वित्त विभाग की आज्ञा संख्या दिनाङ्क 29-4-67 के साथ पठित वित्त विभाग की आज्ञा संख्या 1 (52) एफ डी (व्यय-नियम) 65 दिनाङ्क 14-9-66 के अनुसार उठा सकता है।

(12) स्वय सेवा निवृत्त होने वाले राज्य कर्मचारी तथा पेंशन स्वीकृत कर्ता प्राधिकारी पेंशन सम्बन्धी मामलों को तैयार करने के लिये आवश्यक कदम उठायेगा ताकि वह यह सुनिश्चित कर सके कि सेवा निवृत्त राज्य कर्मचारी के लिये 31 दिसम्बर 1967 से पूर्व पूर्ण पेंशन एवं उपदान या अंशदायी भविष्य निधि की राशि का भुगतान कर दिया गया है। पेंशन के मामले

सभी दृष्टि से अक्टूबर 1967 की समाप्ति से पूर्व पूर्ण कर महालेखाकार के पास अग्रप्रेषित कर दिए जाएंगे।

(13) वित्त विभाग की आज्ञा संख्या (1) 18 एफ डी/ए/नियम/61 दि० 22 अप्रेल 1961 द्वारा सम्मिलित राजस्थान सेवा नियमों के नियम 241 के नीचे राजस्थान सरकार के अनुदेश संख्या 2 के अनुसार वेतन निर्धारण, व्यवधानों को माफ करने (कन्डोनेशन आफ ब्रेक्स), परिलब्धियों (इमोल्यूमेन्ट्स) में परिवर्तन, जन्मतिथि की शुद्धि, सेवा-वृत्त (सर्विस हिस्ट्री) आदि परिवर्तन, जिनसे राज्य कर्मचारी की पेंशन में प्रभाव पड़ता है, वही किए जाने चाहिए जहां उनकी मांग सेवा से निवृत्त होने से तीन वर्ष के भीतर की गई हो। तदनुसार 1 जुलाई 1967 को सेवा निवृत्त होने वाले राज्य कर्मचारियों की कोई मांग एवं प्रार्थना पर विचार नहीं किया जाएगा। फिर भी, इन आदेशों के जारी होने की तारीख को जो दावे (क्लेम्स) एवं अभ्यावेदन (रिप्रेजेन्टेशन्स) विचाराधीन हो, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा तीन माह के भीतर निश्चयात्मक रूप से निपटा दिये जायेंगे।

(14) 1 जुलाई 1967 को सेवा निवृत्त होने वाले राज्य कर्मचारी, जो जोधपुर अंशदायी भविष्य निधि के सदस्य हैं, उन्हे सेवा निवृत्त होने के बाद शीघ्र ही उनके चन्दे की राशि सम्बन्धित लेखाधिकारी, (महालेखाकार, राजस्थान) द्वारा भुगतान की जाएगी। राजकीय अंशदान तथा उसके ब्याज एवं विशिष्ट अंशदान का भुगतान सेवा निवृत्त राज्य कर्मचारी के लिए 31 दिसम्बर 1967 से पूर्व कर दिया जाएगा।

(15) राज्य कर्मचारी जो 1 जुलाई 1967 को सेवा निवृत्त होते हों, एवं जिनकी बीमा पालिसी 58 वर्ष की आयु पर परिपक्व (मैच्योर) होती है, वे राजस्थान राज्य सरकार बीमा नियम, 1953 के नियम 45 व 48 के अधीन प्रदत्त लाभों का उपभोग कर सकते हैं।

(16) किसी भी किस्म के ऋण या अग्रिम की राशि एवं उस पर ब्याज जो सेवा-निवृत्त राज्य कर्मचारियो के विरुद्ध बकाया हो तथा किश्तों या एक मुश्त मे चुकाया जाने योग्य हो, वह उनके द्वारा नकद मे एक मुश्त जमा कराया जा सकता है या मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान की राशि मे से अथवा अंशदायी भविष्य निधि मे योगदाता होने की दशा मे राजकीय अंशदान तथा उस पर ब्याज एवं विशिष्ट अंशदान की राशि मे से समायोजित की जा सकती है या सक्षम प्राधिकारी को लिखित मे निवेदन करने पर, उस माह से पूर्व माह तक जिसमे कि राज्य कर्मचारी 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवा निवृत्त होता, उपयुक्त मासिक किश्तों मे भुगतान करने योग्य पेंशन से काटी जा सकती है।

(17) सेवा-निवृत्त राज्य कर्मचारियों के वेतन निर्धारण आदि के सहित बकाया दावे (एरियर क्लेम्स), इस अधिसूचना के जारी होने से दो माह के भीतर तय कर दिए जायेंगे।

÷ निर्णय सं० 1—वित्त विभाग की अधिसूचना सं० एफ 1 (42) वित्त वि (व्यय-नियम) / 67 दिनांक 13-6-67 द्वारा सरकारी कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु 58 से 55 वर्ष दिनांक 1-7-67 से कर दी गई है। विभिन्न सरकारी संस्थाओं / सरकारी वकीलों /

÷ वित्त विभाग की अधिसूचना सं० एफ 1 (42) वित्त वि (व्यय-नियम) / 67—vi दिनांक 16-6-67 द्वारा निविष्ट तथा।

अध्यापकों जो विधि महाविद्यालयों आदि में अंशकालिक / पूर्णकालिक आधार पर अध्यापन कार्य मे लगे हैं, उन पर राजस्थान सेवा नियमो के नियम 56 की प्रयोज्यता के सम्बन्ध में जो कर्मचारी 55 वर्ष की या इससे अधिक आयु प्राप्त करते हैं उनके मामलो पर और विचार किया गया है तथा × [यह निश्चय किया गया है कि उपरोक्त नियम (1) सरकारी वकीलों (II) विधि महाविद्यालयों मे अंशकालिक अध्यापकों के सिवाय विभिन्न राजकीय प्रशिक्षण संस्थाओं मे सेवा कर रहे समस्त पूर्णकालिक/अंशकालिक अध्यापक वर्ग पर लागू होगा ।]

विषय :—1 जुलाई 1967 को 55 वर्ष या इससे अधिक की आयु प्राप्त करने वाले राज्य कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति ।

+ निर्णय संख्या 2—वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ 1 (42) एफ. डी. (व्यय-नियम) 67 II दिनांक 13-6-67 के पैरा 3 के उप पैरा 8 एवं 9 के अनुसार एक राज्य कर्मचारी जो 1-7-67 को सेवा निवृत्त हो गया था एवं उस तारीख को जिसके लेखे मे उपार्जित अवकाश बकाया था वह अधिकतम 120 दिन तक के अवकाश के लिए आवेदन कर सकता था जो उस समय अस्वीकृत किया हुआ समझा जाएगा । वर्तमान में प्रभावशील नियमों के अनुसार सभी मामलों में अवकाश वेतन केवल तभी उठाया जा सकता है जब कि पहिले उनके अवकाश की प्राप्यता का सत्यापन हो चुके एवं उसके लिए अवकाश स्वीकृतकर्ता सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश जारी किया जा चुके । उक्त आदेश के अधीन सेवा निवृत्त हुए राज्य कर्मचारियों के अवकाश वेतन के मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए राज्यपाल ने आदेश दिए हैं कि सभी मामलों में जिनमें अवकाश के स्वत्व (टाइटिल) का महालेखाकार, राजस्थान ने सत्यापन कर दिया है, तथा जिन आवेदन पर उनका जितना अवकाश बकाया पाया गया है, एवं जिन्हे अस्वीकृत अवकाश माना जाएगा, उन्हे सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया हुआ समझा जाना चाहिए एवं उनके लिए औपचारिक आदेश जारी करने की कोई जरूरत नहीं होगी । अतः एतदनुसार महालेखाकार, राजस्थान, अवकाश स्वत्व (टाइटिल) के सत्यापन के लिए आवेदन पत्र के प्राप्त करने पर, अधिकारी के अवकाश के लिए आवेदन किए गए अवकाश का सत्यापन करने के बाद, उस अधिकारी को अवकाश वेतन के भुगतान के लिए उक्त सत्यापन के आधार पर एक प्रमाण पत्र (Authority) जारी करेगा तथा अवकाश स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी के पास भी उस अवधि की सूचना भेजेगा जिसके कि अवकाश वेतन के लिए उसे प्राधिकृत किया गया है ।

विषय :—दिनांक 1-7-67 को 55 वर्ष की या उससे अधिक आयु प्राप्त करने पर राज्य कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति

❀ निर्णय संख्या 3—वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ 1 (42) एफ० डी० (व्यय-

× वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ 1 (42) वित्त वि (व्यय-नियम)/67 VI दि० 30-6-67 द्वारा प्रतिस्थापित ।

+ वित्त विभाग की ज्ञापन संख्या 1 (42) एफ० डी० (व्यय-नियम) 67 दिनांक 10 अगस्त 1967

❀ वित्त विभाग के ज्ञापन संख्या एफ 1 (42) एफ० डी०/(व्यय-नियम) 67 दिनाक 18-8-67 द्वारा शामिल किया गया ।

नियम) 67 II दिनांक 13-6-67 के पैरा 3 के उप-पैरा 8 एवं 9 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। इस सम्बन्ध मे एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि अधिकतम 120 दिन का उपार्जित अवकाश जो कि 1-7-67 से पूर्व राज्य कर्मचारी के लेखे मे जमा हो, अस्वीकृत किया हुआ समझा जा सकता है एवं स्वीकृत किया जा सकता है चाहे उसके लेखे मे जमा अवकाश का समय उसके 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने से आगे तक भी क्यों न जाता हो।

2—यह स्पष्ट किया जाता है कि अवकाश का उतना समय ही अस्वीकृत किया हुआ समझा जाना चाहिए एव स्वीकृत किया जाना चाहिए जो कि राज्य कर्मचारी के 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने से अधिक न पहुचे।

जो मामले उक्त पैरा 2 से भिन्न अन्य तरीके मे तय किए जा चुके हैं, उन्हें पुनः शुरु किया जाना चाहिए तथा पहिले जारी किए गए आदेशों को उचित रूप से परिशोधित माना जाना चाहिए।

+ निर्णय संख्या 4—वित्त विभाग के आदेश दि० 13-6-67 के पैरा 3 (16) (नियम 56 (क) (1) के नीचे अनुदेश के रूप में प्रदर्शित) के अनुसार दिनांक 1-7-67 को सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों पर बकाया ऋण / अग्रिम एवं उसके ब्याज की वसूली सरकारी कर्मचारी के उस माह से जिसमे सरकारी कर्मचारी 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवा निवृत्त होता, पूर्व माह तक के माहों की उचित मासिक किश्तों मे वसूल की जाएगी। यह आदेश दिया जाता है कि दिनाक 1 जुलाई 1967 को या उसके बाद सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के मामले में ऋण / अग्रिम एवं उसके ब्याज की वसूली निम्नलिखित तरीके के अनुसार की जानी चाहिए—

(क) दिनांक 30-6-68 तक सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के मामले मे ऋण / अग्रिम एव उस पर ब्याज की वसूली उसकी पेंशन मे से की जानी चाहिए तथा सम्पूर्ण राशि उस माह से पूव माह तक वसूल की जानी चाहिए जिसमे कि वह 58 वर्ष की आयु प्राप्त करता है।

(ख) दिनाक 30-6-68 के बाद सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के मामले मे किश्तों की पुनर्गणना इस प्रकार की जानी चाहिए कि पूर्ण राशि सेवा निवृत्ति की तारीख से पूर्व हो जाए।

(ग) अन्य प्रकार से निश्चित किए गए मामलों पर पुनर्विचार नही किया जाएगा।

÷ निर्णय संख्या 5—आपका ध्यान वित्त विभाग की अधिसूचना सं० एफ 1 (71) वित्त (नियम) 69-II दिनाक 19-11-69 की ओर दिलाया जाता है जिसके अन्तर्गत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु 60 से घटाकर 58 वर्ष की गई है। उपरोक्त

+ वित्त विभाग की आज्ञा स० एफ 1 (42) वित्त वि (व्यय-नियम) 67 दिनांक 25-3-68 द्वारा निविष्ट।

÷ वित्त विभाग की अधिसूचना स० एफ 1 (71) वित्त नियम 69-11 दिनांक 19-11-69 द्वारा निविष्ट।

आज्ञा के फलस्वरूप समस्त चतुर्थ श्रेणी के सभी ऐसे कर्मचारी जो दिनांक 1-12-69 को 58 वर्ष या इससे अधिक आयु के हों, 1-12-69 से सेवा निवृत्त किये जाते हैं।

समस्त विभागाध्यक्षों, कार्यालयाध्यक्षों से निवेदन है कि वे इस बात का पूर्ण सुनिश्चयन करलें कि उनके अधीन ऐसे सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो 58 वर्ष या इससे अधिक आयु के हों 1-12-69 को सेवा निवृत्त कर दिये जावें।

ऐसे सेवा निवृत्त कर्मचारियों को पेंशन सम्बन्धी लाभ देने के सम्बन्ध में अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।

× निर्णय सं० 6—सरकार ने निर्णय किया है कि निम्नलिखित श्रेणी के कार्य प्रभृत्त कर्मचारियों के मामले में अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तारीख दि० 1-12-69 से वह तारीख होगी जिसको कर्मचारी 55 वर्ष का होता है। एतदनुसार सभी कार्य प्रभृत्त कर्मचारी जिनकी दिनांक 1-12-69 को 55 वर्ष या इससे अधिक की आयु हो गई है, सेवा में नहीं रखा जाएगा।

1. बागवान/माली 2. खलासी 3. बेलदार/गेंगमेन 4. सफाई करने वाला 5. कुली
6. स्टोन कटर/ड्रेसर 7. राज 8. नक्सांजे 9. मददगार 10. माली

2. जहां पर औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के अधीन निर्मित एवं प्रमाणित स्थायी आदेश हैं वहां नियुक्ति प्राधिकारियों को प्रमाणन अधिकारी के लिए आदेश में संशोधन करने तथा दिनांक 1-12-69 को 55 वर्ष या इससे अधिक की आयु वाले व्यक्तियों को सेवा निवृत्त करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लिखना चाहिए। इसी प्रकार "अवार्ड" द्वारा शासित होने वाले व्यक्तियों के मामले में विधि/श्रम विभाग के परामर्श से तत्समान कार्यवाही करनी चाहिए।

3. ऐसे मामलों में जहां स्थायी आदेश न हों तथा सेवा की शर्तें कार्यकारी आदेशों या आदेशों या प्रश्न द्वारा विनियमित होती हों, वहां दिनांक 1-12-69 को 55 वर्ष या इससे अधिक की आयु वाले कार्य प्रभृत कर्मचारियों की सेवायें समाप्त करने के लिए कदम उठाने चाहिए। ऐसे कर्मचारी, जिनकी सेवायें इस आदेश के अनुसार समाप्त होंगी, सम्बन्धित प्रतिष्ठान पर प्रयोज्य नियमों के अनुसार स्वीकार्य भविष्य निधि लाभ, यदि कोई हों, प्राप्त करने के लिए अधिकृत होंगे। फिर भी, वे औद्योगिक विवाद अधिनियम (अधिनियम सं० 14 सन् 1947) की धारा 25 च के अधीन कटौती लाभ के लिए अधिकृत नहीं होंगे।

4. उपर्युक्त पैरा 1 में वर्णित श्रेणी के कार्य प्रभृत्त कर्मचारियों की, जो राजस्थान लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क) व उद्यान, सिंचाई, जलकल एवं आयुर्वेदिक विभाग के कार्य प्रभृत्त कर्मचारी सेवा नियम, 1969 द्वारा शासित होते हैं, सेवायें उक्त तिथि को 55 वर्ष या इससे अधिक की होने पर दिनांक 1-12-69 से समाप्त की जाएगी। नियमों में औपचारिक संशोधन उचित समय पर जारी किए जाएंगे।

÷ (ii) चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारियों की अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तारीख वह होगी, जिसको कि वह 58 वर्ष की अवस्था प्राप्त करता है।

× वित्त विभाग की अधिसूचना सं० एफ 1 (71) वित्त वि (व्यय नियम) 68 दिनांक 29-11-69 द्वारा निविष्ट।

÷ वित्त विभाग की अधिसूचना सं० एफ 1 (7) वित्त वि (नियम) 69-I दिनांक 19-11-69 द्वारा '60 वर्ष' के स्थान पर प्रतिस्थापित। दिनांक 1-12-69 से प्रभावी।

•निर्णय:-(वित्त विभाग की अधिसूचना सं. एफ 1 (71) वित्त वि/नियम/69 दि० 19-11-69 द्वारा) चतुर्थ श्रेणी सेवा के कर्मचारियों की आयु 60 वर्ष से 58 वर्ष कर दिये जाने के परिणाम स्वरूप जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दिनांक 1-12-69 को 58 वर्ष के या इससे अधिक की आयु के हो गए हैं, उक्त दिनांक से उन्हें सेवा निवृत्त कर दिया गया है। चूंकि इन कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति पूर्व अवकाश के लिए आवेदन करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाया अतः उन्हें अवकाश का उपयोग करने से वंचित कर दिया गया था। अतः राज्यपाल ने आदेश दिया है कि उन्हें निम्नलिखित अवकाश सम्बन्धी रियायतें प्रदान की जाए—

(1) सरकारी कर्मचारी जिनके लेखे में दिनांक 1-12-69 से ठीक पूर्व जितना उपार्जित अवकाश बकाया है, वह उस अवकाश के लिए आवेदन करेगा। आवेदित अवकाश को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 89 में छूट देते हुए, अधिकतम 120 दिन की सीमा के अधीन रहते हुए, अस्वीकृत अवकाश के रूप में समझा जाएगा। अस्वीकृत अवकाश की स्वीकृति आगे भी इस शर्त पर ही दी जाएगी कि वह उस तारीख के बाद तक का नहीं होगा जिसको कि सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता।

(2) उन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सम्बन्ध में जो 1-12-69 के बाद किन्तु 30-4-70 तक सेवा निवृत्त होते हैं/हुए हैं, उन्हें बकाया एवं आवेदित उपार्जित अवकाश निम्नलिखित सीमा तक अस्वीकृत अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जा सकता है—

(क) 1-12-69 को या उसके बाद परन्तु दिनांक 30-4-70 तक सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में समस्त बकाया उपार्जित अवकाश जो 120 दिन से अधिक का नहीं होगा, जिसे वह सेवा निवृत्ति की तारीख तक सामान्य रूप से उपार्जित कर सकता था, उसमें से उसके द्वारा वास्तविक रूप में उपयोग किए गए सेवा निवृत्ति पूर्व अवकाश को काट कर, अस्वीकृत अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जा सकता है।

(ख) दिनांक 1-1-70 को या उसके बाद परन्तु दिनांक 30-4-70 तक सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी के मामले में, सेवा निवृत्ति के पूर्व बकाया उपार्जित अवकाश, जो 120 दिन से अधिक का नहीं होगा, अस्वीकृत अवकाश समझा जाएगा परन्तु उसमें से (1) दिनांक 31-12-69 तक वास्तव में उपयोग किये गये सेवा निवृत्ति पूर्व अवकाश को (2) तथा दिनांक 1-1-70 से उसके सेवा निवृत्त होने के ठीक पूर्व की तारीख तक की अवधि को, घटा दिया जाएगा।

(3) उपर्युक्त (1) व (2) के अधीन स्वीकार्य अवकाश वेतन नियम 89 के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण (जो कि वित्त विभाग की अधिसूचना सं. एफ 1 (48) वित्त वि (व्यय-नियम) 67 दिनांक 15-7-67 द्वारा निविष्ट किया गया था) के अनुसार निकाला जाएगा तथा हर माह के अन्त में भुगतान योग्य होगा। जहां पेंशन या उपदान के समस्त पेंशन या अन्य सेवा निवृत्ति लाभ ज्ञात नहीं हों वहां अवकाश वेतन का भुगतान सामान्य रूप में किया जाना चाहिए तथा अधिक भुगतानों की पेंशन या ग्रेच्युटी या अन्य सेवा निवृत्ति लाभों में से, जब वे स्वीकृत हों, काट लिया जाएगा। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि अवकाश वेतन का अधिक भुगतान वसूल किया जा सके, आहरण एवं वितरण अधिकारी पेंशन कागजातों के साथ साथ सम्बन्धित सरकारी कर्म-

---

• वित्त विभाग की आज्ञा सं. एफ 1 (80) वित्त वि/नियम/69 दिनांक 27-12-69 द्वारा निविष्ट।

चारी को भुगतान की गई भवकाश वेतन को राशि की सूचना देगा तथा उक्त सूचना के आधार पर महालेखाकार अधिक राशि को पेंशन से वसूल करने के लिए एक टिप्पणी लिखेगा—

टिप्पणी सं. 1–संस्थाओं के अध्यापक एवं अध्यक्ष चाहे राजपत्रित हों या अराजपत्रित तथा जो शिक्षा सत्र के प्रारम्भ के तीन माह में अर्थात् सितम्बर तक पूर्ण अधिवार्षिकी आयु को प्राप्त करते हों, उनको सेवा निवृत्त कर दिया जाना चाहिये एवं वे जो अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करते हो तथा सितम्बर के बाद सेवा निवृत किये जाने हों तथा अध्ययन के हित को दृष्टि से उन्हें रोका जाना आवश्यक हो तो उनकी सेवाएं सत्र के अन्त तक मय गर्मियों के अवकाश के रोकी जा सकती है। यह आदेश चिकित्सा, कृषि, पशुपालन एवं आयुर्वेदिक कालेजों के अध्यापन वर्ग पर भी लागू होगा।

×"टिप्पणी संख्या 2—सरकारी कर्मचारी को जिसको अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने पर सेवा में वृद्धि की गई है, सेवा वृद्धि काल मे दूसरे पद पर पदोन्नत नही किया जाएगा।

निर्णय—राजस्थान सेवा नियमों के नियम 56 (क) के नीचे दी गई टिप्पणी के अन्तर्गत उन अध्यापकों की सेवाएं, जो कि शिक्षण सत्र में सितम्बर के बाद सेवा निवृत्त होते हैं, उन्हे ग्रीष्मावकाश सहित सत्र के अन्त तक सेवा मे रखा जा सकता है।

राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत 2-10-59 से पंचायत समितियों के निर्माण के फलस्वरूप कुछ प्राथमिक पाठशालाएं पंचायत समितियों के नियन्त्रण में हस्तान्तरित करदी गई हैं।

यह आदेश दिया गया है कि उपरोक्त टिप्पणी वर्णित शर्तों के अनुसार पंचायत समितियों द्वारा ऐसे अध्यापकों को रोका जाना सक्षम प्राधिकारी के आदेशों से रोका हुआ समझा जावेगा।

यह आदेश दिनांक 2-10-59 से प्रभाव में आया हुआ समझा जाना चाहिये।

÷(iii) चिकित्सा अधिकारी (चिकित्सा महाविद्यालय के अध्यापन वर्ग के सदस्य आदि जो 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर स्वास्थ्य की दृष्टि से भावी सेवा के लिए फिट घोषित किया जाता है, की अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तारीख वह होगी जिसको वह 60 वर्ष की आयु प्राप्त करता है। अन्य मामलों में ऐसे सरकारी कर्मचारी की अनिवार्य सेवा निवृत्ति वह तारीख होगी जिसको वह 58 वर्ष की आयु प्राप्त करता है।

+टिप्पणी—विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं अन्य अध्यापन संस्थाओं या उक्त संस्थाओं के अध्यक्षों, (राजपत्रित या अराजपत्रित) जो शैक्षणिक वर्ष मे सितम्बर माह के पूर्व ही अधिवार्षिकी आयु (सुपरएन्युएशन) प्राप्त करने को हैं, उन्हें निवृत्ति पूर्व अवकाश, (लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट) अवश्य हो, यदि स्वीकार्य हो तथा आवेदन किया गया हो, स्वीकृत किया जाना चाहिए तथा नियत तारीख को उन्हें सेवा निवृत्त कर दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार वे व्यक्ति जो 1 सितम्बर को या उनके बाद अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने को हैं लेकिन जो निवृत्ति-पूर्व अवकाश उस सीमा तक लेने के हकदार हैं कि वे 1 सितम्बर से पूर्व अवकाश पर रवाना होने के लिए विदा किए जा सकते हैं, उन्हे भी यदि उन्होंने आवेदन किया हो तो अवकाश अवश्य ही स्वीकृत किया जाना चाहिए तथा नियत तिथि को सेवा निवृत कर दिया जाना चाहिए। वे व्यक्ति जो 1 सितम्बर को

×वित्त विभाग की आज्ञा संख्या एफ 1 (64) वित्त वि (नियम), 69 दिनांक 15-10-69 द्वारा निविष्ट।

÷वित्त विभाग की अधिसूचना सं० एफ 1 (35) वित्त वि (व्यय-नियम) 67 दिनांक 11-5-67 द्वारा निविष्ट तथा दिनांक 2-2-65 से प्रभावी।

+वित्त विभाग की अधिसूचना सं० एफ 1 (42) वित्त वि (व्यय-नियम)66 दि० 21-3-69 द्वारा निविष्ट तथा दिनांक 1-12-62 से प्रभावी।

या उसके बाद अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करते हैं एवं जो न तो अपना ऐसा अवकाश बकाया रखते हैं जिसका कि वे 1 सितम्बर के पूर्व उपभोग कर सकते थे एवं न निवृत्ति पूर्व अवकाश का उपभोग करना चाहते हैं, उन्हें नियत तिथि को सेवा निवृत्त कर दिया जाना चाहिए। फिर भी, नियुक्ति कर्ता प्राधिकारी यह विचारता हो कि गर्मी के अवकाश (समर वेकेशन) सहित शैक्षणिक वर्ष के अवशिष्ट समय के भीतर उनकी सेवाओं को अध्ययन के हित की दृष्टि से चालू रखा जाना आवश्यक है तो नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी उन्हें निम्नलिखित शर्तों पर पुनः नियुक्त कर सकता है:—

(1) पुनर्नियुक्ति पर वेतन, सेवा निवृत्ति के पूर्व अन्त में उठाए गए वेतन में से पेंशन [मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान (डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी) के बराबर की पेंशन] काटकर जो भी राशि आएगी, उसके बराबर निश्चित किया जाएगा।

(2) पेंशन क्लेमों के अन्तिम निर्णय को विचाराधीन रखते हुए, उक्त कर्मचारियों को पुनर्नियुक्ति पर वेतन अस्थायी तौर पर उनके द्वारा अन्तिम उठाए गए वेतन की दर से उठाने की स्वीकृति दी जाएगी लेकिन इस शर्त के अधीन रहते हुए दी जाएगी कि अधि-भुगतान (एक्सेस पेमेन्ट) का पेंशन क्लेमों का अन्तिम निर्णय होने पर पेंशन एवं मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान (डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्यूटी) में से समायोजन कर दिया जाएगा।

(3) ऐसे मामलों में जहां पुनर्नियुक्ति पर वेतन उपर्युक्त आइटम (1) के अधीन निश्चित या जाए, हां नियम 337 के प्रावधान एवं तदधीन निर्णय, पुनर्नियुक्ति पर वेतन के निर्धारण के प्रयोजन के लिए लागू नहीं होंगे।

56 (ख)-विलोपित किया गया।

स्पष्टीकरण—कुछ जगह पर सन्देह व्यक्त किए गए हैं कि क्या राजस्थान सेवा नियमों के नियम 210 के खण्ड (ग) के प्रावधान राजस्थान सेवा नियमों के नियम 56 (ख) के प्रावधानों से संगत हैं। यह निर्दिष्ट किया गया है कि राजस्थान सेवा नियमों का नियम 56(ख) निर्धारित करता है कि कदाचरण के आरोप पर निलम्बित सरकारी कर्मचारी को अनिवार्य सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवा निवृत्त होने के लिए नहीं कहा जाएगा और न ही उसे सेवा निवृत्त होने की आज्ञा दी जाएगी लेकिन उसे सेवा में उस समय तक रखा जाएगा जब तक कि उसके विरुद्ध आरोपों की जांच पूर्ण न हो जाए तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस पर अन्तिम आदेश न दे दिया जाए। राजस्थान सेवा नियमों का संशोधित खण्ड (ग) उक्त अधिकारियों का वर्णन करता है जो निलम्बित रहते हुए सेवा निवृत्त होते हैं या जिन्हें सेवा निवृत्त होने की स्वीकृति दी जाती है। सन्देहों के निराकरण हेतु इस सम्बन्ध में स्थिति को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जाता है—

वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील नियमों के नियम 14 के अनुसार सरकारी कर्मचारी की सेवा निवृत्ति पर भी प्रभाव पड़ सकता है यदि सरकारी कर्मचारी निलम्बित हो। ऐसे मामलों को पूरा करने के लिए ही राजस्थान सेवा नियमों के नियम 210 के खण्ड (ग) को संशोधित किया गया। अतः यह खण्ड जांच कार्यवाही के पूर्ण होने पर जारी किए गए सक्षम प्राधिकारी के विशिष्ट आदेशों के अधीन अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तारीख से पूर्व या बाद में निलम्बन काल में सेवा निवृत्ति के मामलों को संव्यवहृत करता है। इसके विपरीत राजस्थान सेवा नियमों के नियम 56 (ख) को अन्तिम आदेश जारी करने से पूर्व, निलम्बन काल में सरकारी कर्मचारी द्वारा अनिवार्य सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर स्वतः ही उसकी सेवा निवृत्ति पर प्रतिषेध लगाने हेतु सशोधित किया जाता है। निलम्बन काल में सरकारी कर्मचारी को सेवा निवृत्त करने या उसको स्वीकृति देने का प्रश्न केवल तब ही उत्पन्न हो सकता है जब जांच कार्यवाही पूरी हो गई हो इससे पूर्व

के रूप में नहीं माना जायगा। × पेन्शन सम्बन्धी लाभों के लिए राज्य कर्मचारी को अपनी अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तारीख से सेवा निवृत्त किया हुआ समझा जायगा या उसे यदि सेवा में वृद्धि की गई है, तो उस वर्धित अवधि की समाप्ति पर, स्वीकृत किया हुआ समझा जाएगा एवं पेन्शन सम्बन्धी लाभो के लिए उस तिथि मे जिसको कि वह सेवा निवृत्त होता है या उसकी वर्धित अवधि समाप्त होती है, पात्र समझा जायेगा।]

(2) यह नियम उन सभी राज्य कर्मचारियों पर लागू होता है जिन पर ये नियम लागू होते हैं चाहे वे अस्थाई या स्थाई पदो पर स्थाई रूप से या कार्यवाहक रूप से काम कर रहे हों।

(3) विलोपित की गई—

निर्णय—विभिन्न विभागों मे नियुक्त चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी राजस्थान सेवा नियमों के नियम 56 को ध्यान में रखते हुए 60 वर्ष की उम्र प्राप्त करने से पहिले ही सेवा निवृत्त कर दिए गए। यद्यपि उन्हे नियम 246 के अन्तर्गत सेवा निवृत्त किया जाना था। इन सब पुराने मामलों को विनियमित करने के उद्देश्य से सरकार आदेश देती है कि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 9-10-53 तक 55 वर्ष व 60 वर्ष की बीच की अवस्था मे सेवा से निवृत्त हो गये हैं, उन्हे अधिवार्षिकी आयु प्राप्त पेन्शन/ग्रेच्युटी (उपदान) पर सेवा निवृत्त किया हुआ समझा जाना चाहिए।

(2) चूंकि नियम 246 वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ. 35 (48) आर/52 दिनांक 9-10-53 द्वारा हटा दिया गया है तथा उसमे सम्बन्धित प्रावधान नियम 56 को टिप्पणी संख्या 3 मे दे दिया गया है, ऐसे सभी मामले इस नियम द्वारा शासित किए जाएंगे।

जांच निर्देशन—(1) जब तक राज्य कर्मचारी का विशिष्ट अवस्था प्राप्त करने पर, सेवा निवृत्त होना या रिटायर होना या अवकाश पर बन्द रहना चाहा गया हो, तो जिस तारीख को वह उस अवस्था को प्राप्त करता है वो वह दिन, जैसा भी स्थिति हो, अकार्य का दिन गिना जाता है तथा राज्य कर्मचारी को उस दिन से, उसको मिलाकर, सेवा से निवृत्त या रिटायर हो जाना चाहिए अथवा अवकाश से बन्द हो जाना चाहिए।

(2) नियम 346 इसकी रियायतों एवं शर्तों के स्वरूप से एक व्यक्ति को, जो अधिवार्षिकी आयु प्राप्त हो या पेन्शन पर सेवा से निवृत्त हो रहा हो, उसे इस नियम के बाहर एवं नियम 346 मे वर्णित उन शर्तों के आधार पर पुनर्नियुक्ति प्रदान करता है, जिनका कि पालन प्रत्येक स्वीकृति के नवीनीकरण (Renewal) मे किया जाना है।

भाग ४

अध्याय १० अवकाश (Leave)

खण्ड .1 —अवकाश की सामान्य शर्तें

नियम 57. सेवा (Duty) द्वारा अर्जित अवकाश—अवकाश केवल सेवा द्वारा ही अर्जित

× वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 1 (9) एफ. डी. (व्यय-नियम) 65 दिनांक 26-2-65 द्वारा शामिल किया गया)

किया जाता है। इस नियम के लिए विदेशी सेवा में बिताया गया समय भी सेवा में गिना जाता है यदि ऐसे समय के अवकाश वेतन के लिए अंशदान दिया जाता है।

निर्णय संख्या 1— सेवाओं के एकीकरण के समय में भिन्न भिन्न समय तक बहुत से राज्य कर्मचारियों को बिना नियुक्ति (Posting) के रहना पड़ा। एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि क्या ऐसे समय को अवकाश उपार्जित करने के लिए गिना जावेगा।

चूंकि अवकाश केवल वास्तविक सेवा करने पर ही उपार्जित किया जाता है, तथा ऐसी अवधियों में राज्य कर्मचारियों द्वारा कोई वास्तविक सेवा नहीं की गई, अतः यह निर्णय किया जाता है कि उक्त विचाराधीन समय अवकाश उपार्जित करने में नहीं गिना जाएगा चाहे उसे पेन्शन कार्यों के लिए वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ 23 (2)-आर/52 दिनांक 31-5-52 (देखिए राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के नीचे राजस्थान सरकार का निर्णय संख्या 1) के अनुसार गिना जा सकता है।

निर्णय संख्या 2— कुछ संदेह उत्पन्न किए गये हैं कि क्या वित्त विभाग के आदेश दिनांक 7-1-53 (निर्णय संख्या 1 जो ऊपर लिखा गया है) में वर्णित 'अवकाश' शब्द का अर्थ क्या केवल उपार्जित अवकाश (Privilege leave) है या उसमें अन्य किस्म के अवकाश भी शामिल हैं जैसे अर्द्ध वेतन अवकाश (Half pay leave) तथा क्या यह आदेश पूर्व समय से प्रभावशील होगा। मामले की जाच करली गई है तथा यह निर्णय किया गया है कि उक्त आदेश में आये हुए 'अवकाश' का तात्पर्य उपार्जित अवकाश एवं उसके समान अवकाश से ही है न कि अन्य किस्म के अवकाश से है। यह आदेश पूर्व काल से लागू होता है लेकिन जो राज्य कर्मचारी 7-1-53 के पूर्व सेवा निवृत्त किए जा चुके हैं, उनसे कोई वसूली नहीं की जानी है।

(2) जो राज्य कर्मचारी अनियुक्त (Unposted) या 'सरप्लस' रहे, उनका अवकाश का लेखा, जैसा कि उक्त अवतरण में स्पष्ट किया गया है, वित्त विभाग के आदेश दिनांक 7-1-53 (उक्त निर्णय संख्या 1) के अनुसार संशोधित (Revised) किया जाना चाहिए। अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों के मामले में यह विभागों के अध्यक्षों द्वारा किया जाना चाहिए।

यदि राज्य कर्मचारियों के अवकाश के लेखे के संशोधित करने पर अधिक अवकाश लिया हुआ प्रतीत होता है तो इस प्रकार के अधिक अवकाश का समायोजन (Adjustment) भविष्य में उपार्जित किए गये अवकाश से किया जाना चाहिए।

नियम 57 (क)— दूसरे नियमों के समूह से नियन्त्रित एक राज्य कर्मचारी द्वारा इन नियमों से शासित पद पर काम करने पर उसके अवकाश का नियमन का प्रकार—जब तक किसी मामले में इन नियमों द्वारा या इनके अन्तर्गत अन्यथा प्रकार से न दिया गया हो, एक राज्य कर्मचारी ऐसी सेवा या पद पर स्थानान्तरित कर दिया जाता है जिस पर यह नियम लागू होते हैं तथा ऐसी सेवा या पद से आता है जिस पर यह नियम लागू नहीं होते हैं, वह ऐसे स्थानान्तरण से पूर्व की गई सेवा का अवकाश, साधारणतया इन नियमों के अन्तर्गत प्राप्त नहीं कर सकता है।

नियम 58— पुर्ननियोजन (Re-employment) या पुर्ननियुक्ति होने पर बर्खास्त होने से पूर्व की गई सेवाओं का अवकाश—यदि एक राज्य कर्मचारी जो राज्य सेवा को क्षतिपूर्ति पर (Compensation) या अशक्त पेंशन (Invalid Pension) या उपदान (ग्रेच्युटी) पर छोड़

देता है तथा पुन. सेवा में ले लिया जाता है एवं इसके परिणामस्वरूप उसका उपस्थान वापिस लौटा दिया जाता है या उसको वेतन पूर्ण कर से स्वनिर (Abyence) रखी जाती है तथा इसके द्वारा उसकी पूर्व की सेवाएं अन्तिम सेवा मयुक्ति पर पेंशन योग्य हो जाती है तो पुन: नियुक्ति करने वाले सक्षम प्राधिकारी के निर्देशानुसार जितनी सीमा तक वह निर्धारित करे, उसकी गत सेवाएं अवकाश के लिए गिनी जा सकती हैं।

(ख) एक राज्य कर्मचारी जो राज्य सेवा से बर्खास्त किया गया है या हटाया गया है, पर जो अपील या निगरानी (Revision) पर पुन: नियुक्त हो जाता है, तो वह अपनी पूर्व की सेवाओं को अवकाश के लिए गिनने का हकदार होगा।

जांच निर्देशन—(1) एक व्यक्ति जो अधिवार्षिकी आयु प्राप्त होने पर या सेवा निवृत्त पेंशन पर सेवा निवृत्त हो गया है, उसकी पुनर्नियुक्ति (Re-employment) साधारणतया एक अपवाद स्वरूप एवं अस्थाई उपाय है। ऐसे मामलों में पुनर्नियुक्ति व्यक्ति की सेवा को अस्थाई समझा जाना चाहिए तथा पुनर्नियुक्ति की अवधि में उसका अवकाश, अस्थाई राज्य कर्मचारियों के लिए लागू होने वाले नियमों के अनुसार विनियमित किया जाना चाहिए।

(2) विलोपित

निर्णय—ऐसे मामले में जिसमें कि सार्वजनिक सेवा से त्याग पत्र को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 208 (ग) के अर्थ के अनुसार त्याग पत्र के रूप में नहीं समझा जाता है, तो अवकाश के मामले में भी उसे सेवा को निरन्तर गिने जाने का लाभ दिया जाना चाहिए।

+ **नियम 59**-अवकाश अधिकार के रूप में नहीं मांगा जा सकता है (Leave can not be claimed as right)-अवकाश अधिकार के रूप में नहीं मांगा जा सकता है। अवकाश स्वीकृत कर्ता सक्षम प्राधिकारी राजकीय कार्य की आवश्यकता के अनुसार अवकाश स्वीकृत करने से मना कर सकता है या उसे रद्द (Revoke) कर सकता है। परन्तु कोई भी अवकाश जिसके लिए आवेदन किया हो एवं जो सेवा-निवृत्ति पूर्व अवकाश के रूप में बकाया हो, उसे उक्त प्राधिकारी स्वीकृत करने से मना नहीं कर सकता है, वह या तो सरकार द्वारा या ऐसे प्राधिकारी द्वारा जिसको कि इस सम्बन्ध में सरकार ने शक्तियां प्रदान कर रखी हैं, लिखित में मना की जाएगी। स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकारी के विकल्प पर राज्य कर्मचारी द्वारा आवेदन किए गए बकाया अवकाश की किस्म को नहीं बदला जा सकता है एवं चूंकि सक्षम प्राधिकारी के लिए यह छूट है कि वह इस नियम के अन्तर्गत आवेदन किए गए अवकाश को स्वीकृत करने से मना कर सकता है या रद्द (Revoke) कर सकता है, अतः उसके लिए यह छूट नहीं है कि वह उक्त अवकाश के किस्म में परिवर्तन कर सके।

निर्णय—अभी अभी कुछ उदाहरण ऐसे प्रस्तुत किए गए हैं जहां राज्य कर्मचारियों द्वारा उपभोग किए गए दो अवकाशों के बीच की सेवा का समय केवल नाम मात्र का था। ऐसे मामलों में अवकाश स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी; राजस्थान सेवा नियमों के नियम 59 के अन्तर्गत, अपने निर्णयानुसार अवकाश नियमों की अवहेलना करने के प्रयत्न को रोकने में असफल रहे तथा नियमों

+ (वित्त विभाग की आज्ञा संख्या 1 (19) एफ डी (व्यय-नियम) 67-1 दिनांक 21-3-67 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया)

की अवहेलना करके उनका अवकाश स्वीकृत कर दिया जिसका परिणाम यह हुआ कि सम्बन्धित राज्य कर्मचारियों ने अवांछनीय लाभ प्राप्त किए।

2. राजस्थान सेवा नियमों के नियम 59 के अन्तर्गत अवकाश स्वीकृत करने वाला एक प्राधिकारी, एक कर्मचारी द्वारा अपनी इच्छानुसार उपार्जित अवकाश या अर्द्ध वेतन अवकाश के लिए आवेदन किए गए विकल्प में दखल देने का कोई अधिकार नहीं रखता है। इसलिए जब एक बार अवकाश स्वीकृत कर दिया जाता है तो उन्हें लगातार दो प्रकार के अवकाशों के रूप में समझा जाकर एक रूप में नहीं बदला जा सकता है तथा राज्य कर्मचारी को नियमों द्वारा अवांछनीय लाभ उठाने से नहीं रोका जा सकता है। फिर भी सक्षम प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, राजस्थान सेवा नियमों के नियम 59 के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के अवकाश को अस्वीकृत कर इस प्रकार अवकाश नियमों की अवहेलना करने के प्रयत्नों पर प्रतिबन्ध डाल सकते हैं। इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए कि ऐसे मामलों में, जिनमें राज्य कर्मचारियों ने सेवा के अल्प समय के बाद ही किसी नये प्रकार के अवकाश के लिए आवेदन किया हो, वह सावधानी पूर्वक इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए जांच करे कि नियमों के पालन का पूर्ण ध्यान रखा गया है तथा, यदि किन्हीं कारणों से यह विश्वास हो जाए, कि अवकाश नियमों का या उनके आशय का गलत ढंग से लाभ उठाने की चेष्ठा की जा रही है, तो सक्षम प्राधिकारी राजस्थान सेवा नियमों के नियम 59 के अन्तर्गत अपने निर्णय के अधिकार का उपयोग कर, उसके अवकाश को अस्वीकृत कर सकता है।

नियम 60—अवकाश का प्रारम्भ व अन्त—साधारणतया अवकाश उस दिन से प्रारम्भ होता है जिसको कि कार्यभार का स्थानान्तरण होता है तथा चार्ज लेने के पहिले दिन अन्त होता है। जब भारत के बाहर विदेश से लौटकर आने वाले राज्य कर्मचारी को कार्यग्रहण करने का समय (ज्वाइनिंग टाइम) स्वीकृत किया जाता है तो उसके अवकाश का अन्तिम दिन वह होगा जिस दिन के पहिले कि वह जहाज, जिसमें वह यात्रा कर रहा है, अपने रवाना होने के स्थान या लंगर पर, उतरने के बन्दरगाह पर पहुंचे, यदि वह वायुयान द्वारा लौटता है तो वह दिन होगा, जिसको वह उस वायुयान में लौटता है, भारत में अपने पहिले नियमित बन्दरगाह पर पहुंचे।

नियम 60—क. अवकाश के समय में पता—अवकाश पर रवाना होने वाले प्रत्येक राज्य कर्मचारी को अपने अवकाश के प्रार्थना पत्र पर अपना पता लिखना चाहिये जिससे कि उस समय में उसके पास पत्र इत्यादि पहुंच सकें। (अवकाश काल में) पते में परिवर्तन होने पर, यदि कोई हो, उसकी सूचना, जैसी भी स्थिति हो, कार्यालय के अध्यक्ष या विभागाध्यक्ष के पास पहुंचा देनी चाहिए।

×**नियम 61**—अवकाश के साथ अवकाशों (Holidays) का समन्वय (combination)—जब राज्य कर्मचारी के अवकाश प्रारम्भ होने के पूर्व के दिन तथा अवकाश का समय समाप्त होने के बाद ही कोई सरकारी अवकाश (Holiday) या एक से अधिक अवकाश हों तो राज्य कर्मचारी पूर्व दिन की समाप्ति पर अपने कार्यालय को छोड़ सकता है या आने वाली छुट्टी को या अधिक छुट्टियों में अन्तिम दिन को छुट्टी को लौट सकता है, परन्तु शर्त यह है कि—

× वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 1 (7) वित्त वि/(व्यय नियम) 67 दिनांक 23-2-67 द्वारा संशोधित।

(क) उसके स्थानान्तरण या कार्यभार के सम्भालने में स्थाई एडवान्स के अतिरिक्त जमानतों (Securities) या धन राशियों का कार्यभार सम्भालना या सम्भलाना शामिल न हो।

(ख) उसका शीघ्रतापूर्वक स्थानों में एक राज्य कर्मचारी को दूसरे स्टेशन से अपनी सेवाओं को पूरा करने के लिए उस तरफ शीघ्र रवाना न होना पड़ता हो।

(ग) उसके लौटने मे विलम्ब होने से ऐसे राज्य कर्मचारी के किसी दूसरे स्टेशन से स्थानान्तरण होने में देर नहीं हो रही हो जो कि वह उसकी अनुपस्थिति में कार्य कर रहा था या उस पर अस्थाई रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति को राजकीय सेवा से मुक्त करने मे विलम्ब नहीं होता हो।

नियम—62. मुक्त (Exempt) करने की शक्ति—इस शर्त पर कि विदा होने वाला कर्मचारी अपने कार्य की धनराशि का उत्तरदायी बना रहे, तो एक सक्षम प्राधिकारी घोषणा कर सकता है कि किसी विशेष मामले में नियम 61 के अन्तर्गत (क) भाग के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

नियम—63. अवकाश के साथ छुट्टियों के सम्मिलित होने पर अनुवर्ती व्यवस्थाओं का प्रभावशील होना (*Consequential arrangements when effective, if holidays combined with leave*)—जब तक सक्षम प्राधिकारी किसी एक मामले में अन्यथा प्रकार से निर्देशित न करे—

(क) यदि छुट्टियां (Holidays) अवकाश से पूर्ववर्ती (prefix) हों तो अवकाश व वेतन व भत्तों की कोई अनुवर्ती व्यवस्था पर, प्रभाव छुट्टियों के बाद प्रथम दिन से पड़ेगा।

+(ख) यदि छुट्टियां अवकाश के समय से परवर्ती (affix) हो तो छुट्टी का समय उस रोज समाप्त किया हुआ समझा जाता है तथा वेतन एवं भत्तों की किसी अनुवर्ती व्यवस्था पर प्रभाव उस दिन से पड़ता है जिसको कि अवकाश के समय का अन्त हो जाता, यदि उसके आगे कोई सरकारी छुट्टियां नहीं होती।

❀ निर्णय—राजस्थान सेवा नियमों के नियम 35 के नीचे 'स्पष्टीकरण' के रूप में प्रयुक्त वित्त विभाग के आदेश दिनांक 9-8-62 नियम 50 के अधीन अतिरिक्त वेतन को उन मामलों में विनियमित करता है जहां 30 दिन या इससे अधिक की अवधि के लिए दोहरी व्यवस्था की जाती है।

एक प्रश्न उठाया गया है कि क्या अवकाश से पूर्व एवं बाद की अवधि जो छुट्टी हो, उसे दोहरी व्यवस्था की अवधि के लिए गिना जाना चाहिये तथा तदनुसार अतिरिक्त वेतन दिया जाना चाहिये। *वर्तमान प्रावधानों के अधीन छुट्टियों (होलीडेज) की ऐसी अवधियां दोहरी व्यवस्था की अवधि में गिनने के लिए शामिल नहीं की जाती है तथा उसके लिए कोई अतिरिक्त वेतन स्वीकार्य नहीं होता है।*

मामले की राजस्थान सेवा नियमों के नियम 63 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए जांच करली गई है तथा यह निश्चय किया गया है कि उक्त आदेशों के प्रयोजनार्थ अवकाश के पूर्ववर्ती एवं

+वित्त विभाग की अधिसूचना सं० एफ 1 (7) वित्त वि/ (व्यय नियम) 67 दिनांक 23-2-67 द्वारा संशोधित

❀वित्त विभाग के ज्ञाप सं. एफ 1 (25) वित्त वि/(व्यय नियम)66 दि० 1-7-66 द्वारा निविष्ट।

पश्चात्वर्ती छुट्टियों को दोहरी व्यवस्था की अवधि गिनने में शामिल किया जा । चाहिये तथा तदनुसार अतिरिक्त वेतन स्वीकृत किया जाना चाहिये ।

नियम—64 अवकाश (Leave) में नौकरी स्वीकार करना (1) एक राज्य कर्मचारी अवकाश काल में कोई भी सेवा या कोई नियुक्ति (जिसमें निजि व्यवसाय की स्थापना, लेखाकार, सलाहकार, कानूनी या चिकित्सा सम्बन्धी प्रेक्टिस भी शामिल है) सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना स्वीकार नहीं कर सकता ।

(2) एक राज्य कर्मचारी जिसको अवकाश काल में किसी सरकार या प्राइवेट नियोजक के अधीन नौकरी करने की आज्ञा दे दी गई है, उसका अवकाश वेतन राज्यपाल के आदेशानुसार निर्धारित किए गए अनुसार होगा ।

टिप्पणी 1–यह नियम प्राकस्मिक साहित्यिक कार्य या परीक्षक के रूप में सेवा या ऐसी समान सेवा पर लागू नहीं होगा तथा यह नियम उस विदेशी सेवा स्वीकार करने पर भी लागू नहीं होगा जो कि नियम 141 के अन्तर्गत आती है ।

2–यह नियम उन पर भी लागू नहीं होगा जहां राज्य कर्मचारियों को कुछ मर्यादित सीमा तक निजि प्रेक्टिस करने की एवं उनको फीस प्राप्त करने की स्वीकृति, उनकी सेवा की शर्तों के अंश के रूप में दी गई है, उदाहरणार्थ जैसे एक चिकित्सक को निजि चिकित्सा करने का अधिकार स्वीकृत किया गया है ।

स्पष्टीकरण—एतद्द्वारा सन्देह के निवारण के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि राजस्थान सेवा नियम 64 (2) के द्वारा अवकाश वेतन पर डाला गया प्रतिबन्ध समान रूप से अस्थाई सेवा में नियुक्त ऐसे राज्य कर्मचारी के लिए भी लागू होगा जो कि अवकाश के भीतर, या ऐसे अवकाश में, जिसके समाप्त होने पर उसके सेवा पर वापिस आने की आशा न हो, किसी राज्य सरकार या प्राइवेट नियोजक के अधीन नौकरी स्वीकृत कर लेता है या किसी स्थानीय निधि से दिए जाने वाले वेतन वाली नौकरी स्वीकार कर लेता है ।

यह और भी निर्णय किया गया है कि उपरोक्त प्रतिबन्ध संविदा (Contract) अधिकारियों पर भी लागू होंगे ।

निर्णय—एक राज्य कर्मचारी जिसे निवृत्ति-पूर्व अवकाश (Leave preparatory to retirement) या अस्वीकृत अवकाश के भीतर किसी अन्य सरकार या एक गैर-सरकारी नियोजक के अधीन या स्थानीय निधि से देय किसी सेवा में नौकरी करने की स्वीकृति दे दी गई है, तो उसका वेतन मद्दे वेतन अवकाश पर प्राप्य अवकाश वेतन की राशि के बराबर होगा ।

नियम 65—निवृत्ति पूर्व अवकाश पर राज्य कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति—(1) जब कोई राज्य कर्मचारी जो कि अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तिथि से पूर्व निवृत्ति पूर्व अवकाश पर रवाना हो चुका हो, तथा उसे ऐसे अवकाश में सरकार के अधीन किसी पद पर पुनर्नियुक्त करने की जरूरत पड़ती हो तथा वह सेवा (ड्यूटी) पर आने के लिए रजामन्द हो तो उसे सेवा पर वापिस बुला लिया जावेगा तथा सेवा पर उपस्थित होने के दिन से जो भी अवकाश का भाग शेष रहेगा वह रद्द कर दिया जावेगा । इस प्रकार जो अवकाश रद्द किया जाएगा वह अस्वीकृत अवकाश (Refused leave) के रूप में समझा जावेगा तथा वह अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तारीख से या पुनर्नियुक्ति

की तारीख समाप्त होने के बाद से स्वीकृत किया जावेगा यदि राज्य कर्मचारी अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तारीख तक या पूर्वोक्त तारीख के बाद तक, जैसी भी स्थिति हो, सेवा में चलता रहे। एक राज्य कर्मचारी जिसे अधिवार्षिकी आयु प्राप्त होने के पूर्व निवृत्ति पूर्व अवकाश में किसी अन्य सरकार के अधीन या गैर सरकारी नियोजक के अधीन या स्थानीय निधि से देय सेवा के अधीन नौकरी करने की स्वीकृति दी गई है, उसका अवकाश वेतन, उसके अर्द्ध वेतन अवकाश के वेतन की राशि के बराबर होगा।

(2) विलोपित किया गया

टिप्पणी—वित्त विभाग के आदेश संख्या 35 (30) आर/52 दिनांक 12-7-52 के द्वारा नियम 65 का संशोधन दिनांक 1-4-51 से प्रभावशील होगा जिसको कि राजस्थान सेवा नियम लागू हुये हैं।

निर्णय संख्या 1—विलीनीकरण (Integration) विभाग के आदेश संख्या 401 जी. डी./खण्ड II/दिनांक 24-6-49 एवं संख्या 26 खण्ड II दिनांक 14-8-59 के अन्तर्गत बहुत से राज्य कर्मचारी, उनके बकाया अवकाश के पूर्ण या आंशिक रूप में उपभोग करने से पूर्व ही अस्थाई रूप से पुनर्नियुक्त कर लिये गए थे। उनके बकाया अवकाश के उपभोग तथा उसे पेंशन के लिये योग्य सेवा में गिने जाने के प्रश्न पर सरकार द्वारा विचार किया गया तथा मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद यह निर्णय किया गया है कि सम्बन्धित राज्य कर्मचारियों को अवकाश पर के रूप में उस समय तक समझा जाने की स्वीकृति दी जाती है जब तक कि उस पद पर कार्य करते हुये उनका अवकाश समाप्त नहीं हो जाता है जिस पर वे पुनर्नियुक्त हुये हैं तथा उस मामले में उन्हें पुनर्नियुक्ति पर आधारित किये गये वेतन के अतिरिक्त आधा अवकाश वेतन प्राप्त करने की तथा अवकाश के समय को पेन्शन के लिए गिने जाने की स्वीकृति दी जाती है। यदि इस प्रकार पुनर्नियुक्त कर्मचारी इस रियायत का लाभ उठाना नहीं चाहता हो तो वह पुनर्नियुक्ति की समाप्ति पर अवकाश प्राप्त कर सकता है तथा ऐसे अवकाश में प्राप्य पूर्ण अवकाश वेतन प्राप्त कर सकता है। ऐसे मामले में उसकी सेवा निवृत्ति पुनर्नियुक्ति से पूर्व में मानी जायेगी तथा वह अवकाश का समय पेंशन के लिये नहीं गिना जावेगा।

(2) किसी भी मामले में अवकाश की सीमा उस अधिकतम सीमा से ज्यादा न होगी जो कि सम्बन्धित इकाई के नियमों के अनुसार निवृत्ति पूर्व अवकाश में प्राप्त की जा सकती थी।

(विशेष—तात्पर्य यह है कि इकाई राज्यों के नियम के अनुसार निवृत्ति पूर्व अवकाश पर जितना अवकाश उसे मिल सकता हो, उससे ज्यादा अवकाश वह नहीं ले सकता है)

(3) उपरोक्त अवतरण (1) के सम्बन्ध का विकल्प (आप्सन) पेन्शन के गिने जाने के पूर्व कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा महालेखाकार के पास भिजवाया जाना चाहिये।

निर्णय संख्या 2—एक सन्देह उत्पन्न हो गया है कि क्या नियम 65 के खण्ड (2) के अनुसार किसी राज्य कर्मचारी को उसे नियम 89 के अन्तर्गत स्वीकृत किए गए निवृत्ति पूर्व अवकाश पर जाने से रोका जा सकता है तथा, यदि आवश्यक हो तो, क्या उसकी सेवा में वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। उक्त खण्ड में दी गई इच्छा का आशय मामले में सक्षम प्राधिकारी के निर्णय में बाधा डालना नहीं है। जब एक राज्य कर्मचारी, जो कि नियम 89 के अन्तर्गत निवृत्ति

पूर्व अवकाश पर रवाना हो चुका है, यदि ऐसे अवकाश के बीच में सेवा पर वापिस बुला लिया जाता है तथा उसकी सेवा मे वृद्धि स्वीकृत कर दी जाती है तो उसके अवकाश का बचा भाग रद्द कर दिया जावेगा तथा पूर्व मे उपभोग किया गया अवकाश नियम 89 के प्रावधान के अन्तर्गत सेवा वृद्धि के समय में उपभोग किया गया अवकाश माना जावेगा।

निर्णय संख्या 3—(1) राजस्थान सेवा नियमों के नियम 65 के अवतरण 2 व 3 के अनुसार एक राज्य कर्मचारी जिसको कि निवृत्ति पूर्व अवकाश काल मे या नियम 89 के अन्तर्गत 'अस्वीकृत अवकाश' मे किसी अन्य गैर सरकारी नियोजक के अधीन या स्थानीय निधि से देय सेवा मे अन्य नौकरी करने की आज्ञा दे दी गई हो, उसका अवकाश वेतन निम्न तक सीमित होगा-

(i) एक राज्य कर्मचारी जो पेन्शन प्राप्त करने योग्य है, उसे उस पेन्शन की राशि के बराबर, जिसको कि सेवा निवृत्ति के समय उसके प्राप्त करने की आशा है।

(ii) यदि एक राज्य कर्मचारी पेन्शन प्राप्त करने के योग्य नहो है तो उस अवकाश वेतन की राशि के बराबर, जो उसे अर्द्ध वेतन अवकाश पर मिलता हो।

इस सम्बन्ध में यह विचार विमर्श किया जाता है कि अवकाश वेतन पर प्रतिबन्ध के विषय मे दो विभिन्न सिद्धान्तों का लागू किया जाना, जैसे कि सम्बन्धित अधिकारी पेन्शन प्राप्त करने के योग्य हैं या नहीं, कुछ भ्रांति उत्पन्न करता है तथा विशेष तौर पर उन कर्मचारियों के साथ मे इससे अनुचितता वर्तता है जो कि नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत साधारणतः अधिकतम पेन्शन से कम पेन्शन पर सेवा निवृत्त किया जाता है।

चूंकि उक्त विचार में काफी शक्ति है तथा सभी प्रकार के मामलों के सम्बन्ध में एक सा व्यवहार किया जाना वांछनीय है, इसलिए राजस्थान सेवा नियमों के नियम 65 के खण्ड-(2) व (3) मे आंशिक संशोधन करते हुए आदेश दिया गया था कि ऐसे सभी मामलों में (पेन्शन प्राप्त करने योग्य कर्मचारियों को मिलाकर) अवकाश वेतन उनके अर्द्ध वेतन पर मिलने वाली राशि तक सीमित होगा।

ये आदेश जारी किये जाने की तारीख से प्रभावशील होंगे तथा पुराने मामलों को पुनः प्रारम्भ नहीं किया जावेगा।

निर्णय संख्या 4—(i) ऐसे मामलों में एक अधिकारी जो सेवा से निवृत्त (रिटायर) किये जाने के पूर्व राजस्थान सरकार की सेवा मे था तथा जो अधिवार्षिकी आयु (superannuation) की तारीख से पूर्व राजस्थान सेवा नियमों के नियम 89 के अन्तर्गत सार्वजनिक सेवा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अवकाश स्वीकृत किए जाने के कारण, उसके उपभोग करने के अवसर से पहिले ही सेवा मे पुनर्नियुक्त कर लिया गया हो तो वह ऐसे बकाया अवकाश का उपभोग पुनर्नियुक्ति की अवधि समाप्त होने के बाद कर सकता है।

(ii) ऐसे अवकाश का अवकाश वेतन उतना ही हो जो कि उसे सामान्य रूप में मिलता लेकिन पुनर्नियुक्ति की जाने के कारण उसमे से पेन्शन या उपदान के समान पेन्शन व अन्य सेवा निवृत्ति के लाभ की राशि काटी गई।

(iii) अस्वीकृत अवकाश, जिसको कि पुनर्नियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर उपभोग करने की स्वीकृति दी गई है, उसका अवकाश वेतन उस विभाग द्वारा दिया जावेगा जिसको कि

उसे यह व्यय सहन करना पड़ता यदि वह कर्मचारी उसका उपभोग पुनर्नियुक्ति के पूर्व करता तथा उसे नहीं रोका जाता।

(iv) पुनर्नियुक्ति काल में जितना अवकाश उपार्जित किया जाय तथा उसका उपभोग उस पुनर्नियुक्ति की अवधि में न किया जावे तो उसका उपभोग, पुनर्नियुक्ति की अवधि समाप्त होने के बाद, करने की स्वीकृति दी जा सकती है बशर्ते कि उक्त अवतरण (1) के अन्तर्गत अस्वीकृत किया गया अवकाश तथा इस अवधि में न कमाया गया अवकाश दोनों मिलाकर नियम 89 के अन्तर्गत एक समय में स्वीकृत किए जाने वाले अवकाश से ज्यादा नहीं होगा।

(v) यदि एक राज्य कर्मचारी पुनर्नियुक्ति की तारीख को अस्वीकृत अवकाश का कुछ भाग का उपभोग कर लेता है तो पुनर्नियुक्ति के बाद अन्तिम पद त्यागने पर जो अवकाश उसे मिलेगा वह ऐसे बचे अवकाश तथा पुनर्नियुक्ति काल में उपार्जित अवकाश को मिलाकर होगा तथा उस रूप में मिलाया जावेगा जैसा अधिकारी चाहे तथा प्रकार के अवकाश वेतन का भार दोनों प्रकार के अवकाशों को मिलाने के तरीके के अनुसार होगा। ऐसे अवकाश की औपचारिक स्वीकृति ऐसे सक्षम अधिकारी द्वारा निकाली जानी चाहिए जैसे कि पुनर्नियुक्ति के पूर्व या उसमें स्वीकृत करने के लिए सक्षम है।

(vi) पुनर्नियुक्ति में उपार्जित, उपार्जित अवकाश (Privilege leave) को अन्तिम अवकाश के रूप में उपभोग किये जाने की स्वीकृति दी जावेगी चाहे उसके लिए सार्वजनिक सेवा के आवश्यकता के समय में औपचारिक रूप से आवेदन न किया गया हो तथा अस्वीकृत न किया गया हो।

यह संशोधन ता० 30-6-54 से प्रभावशील होगा।

नियम 66. अवकाश से वापिस बुलाना—किसी राज्य कर्मचारी को, उसके अवकाश के समाप्त होने के पूर्व ही, सेवा में वापिस बुलाने के आदेश में यह कहा जाना चाहिए कि क्या अवकाश पर से सेवा में वापिस आना ऐच्छिक है या आवश्यक है। यदि वापिस आना स्वेच्छिक हो तो राज्य कर्मचारी को कोई रियायत पाने का हक नहीं है। यदि यह आवश्यक है तो वह उस तारीख से सेवा पर उपस्थित माना जाने का हकदार है जिसको कि वह उस स्टेशन के लिए रवाना होता है जिस पर पहुंचने के लिए आदेश दिया गया है तथा यात्रा भत्ता नियमों के अन्तर्गत वह यात्रा भत्ता प्राप्त करने का हकदार है, लेकिन जब तक वह अपना पद ग्रहण नहीं करता है, तब तक वह अवकाश वेतन ही प्राप्त करेगा।

टिप्पणी—अवकाश से आवश्यक रूप में सेवा पर बुलाने पर यात्रा भत्ता प्राप्त करने की रियायत राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुसार नियमित होगी।

नियम 67. अवकाश के लिए आवेदन पत्र किसे प्रस्तुत किया जाय—अवकाश या अवकाश में वृद्धि का आवेदन पत्र उसी अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए जो ऐसे अवकाश या अवकाश की वृद्धि को स्वीकृत कर सकता है।

नियम 68. विदेशी सेवा में स्थानान्तरित राज्य कर्मचारियों को पहिले अवकाश नियमों से अवगत कराना चाहिए—विदेशी सेवा में स्थानान्तरित एक राज्य कर्मचारी को, विदेशी सेवा में अपनी सेवा देने के पूर्व, उन सभी नियमों व प्रतिबन्धों से अवगत कराया जाना चाहिए जिनसे कि ऐसी विदेशी सेवा में उसका अवकाश नियमित होगा।

नियम 69. विदेशी सेवा में नियुक्त राज्य कर्मचारी द्वारा अवकाश का आवेदन पत्र प्रस्तुत करना:—भारत में विदेशी सेवा में नियुक्त राज्य कर्मचारी को, 120 दिन तक के उपार्जित अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाशों के सभी आवेदन पत्र महालेखाकार की रिपोर्ट के साथ, अपने नियोजक के द्वारा, अवकाश स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी के पास भेजने चाहिए।

नियम 70 राजपत्रित अधिकारियों के लिए चिकित्सा सम्बन्धी प्रमाण पत्र (Medical certificates)—राजपत्रित अधिकारियों को चिकित्सा सम्बन्धी प्रमाण पत्र के आधार पर अवकाश या अवकाश की वृद्धि स्वीकृत करने से पूर्व, उसे निम्नलिखित फार्म में एक प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए—

राजपत्रित अधिकारियों के लिए चिकित्सा प्रमाण-पत्र

.... के मामले का विवरण

नाम ....

(सिविल सर्जन या सरकारी मेडिकल अटेण्डेन्ट के सामने प्रार्थी द्वारा भरा जाना चाहिये)

नियुक्ति ....

उम्र ....

कुल सेवा ....

अवकाश का पूर्व समय यदि पहले चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर अनुपस्थित रहा हो।

आदतें ....

बीमारी ....

मैं .... का सिविल सर्जन या .... का चिकित्सा अधिकारी मामले की व्यक्तिगत रूप से सावधानी पूर्वक जांच करने के बाद एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि श्री .... की हालत खराब दशा में है तथा मैं शुद्धतापूर्वक एवं गम्भीरतापूर्वक घोषणा करता हूं कि मेरे सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार स्वस्थ होने के लिए सेवा से उसका अनुपस्थित रहना आवश्यक है तथा यह सिफारिश करता हूं कि उसे ... माह का अवकाश दिनांक .... से स्वीकृत किया जावे। मेरी राय में अधिकारी के लिए मेडिकल बोर्ड के सम्मुख उपस्थित होना जरूरी है/जरूरी नहीं है।

दिनांक .... सिविल सर्जन या सरकारी चिकित्सा अधिकारी

टिप्पणी—यह वाक्य या तो असम्बद्ध शब्दों को काट कर संशोधित किया जाना चाहिये या उसे बिल्कुल काट देना चाहिए, क्योंकि सिफारिश किया गया अवकाश 2 माह का है या उससे अधिक का है।

टिप्पणियां—(1) इस प्रमाण पत्र में की गई सिफारिश से किसी ऐसे अवकाश का क्लेम नहीं किया जा सकेगा जो कि उसे अपनी संविदा (Contract) के अनुसार या उस पर लागू होने के नियमों के अनुसार नहीं मिल सकता हो।

(2) इस फार्म को यथा सम्भव ज्यों का त्यों काम में लिया जाना चाहिये तथा इसे प्रार्थी के हस्ताक्षर करा लेने के बाद भरा जाना चाहिये। प्रमाणित करने वाले प्राधिकारी को यह प्रमाणित करने की स्वतन्त्रता नहीं होगी कि प्रार्थी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलने की

जरूरत है या यह कि वह अमुक स्थान पर जाने के योग्य नहीं है। ऐसे प्रमाण पत्र केवल उसी समय दिए जाने चाहिये जबकि सम्बन्धित प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा ऐसा स्पष्ट रूप से चाहा गया हो। जब प्रार्थी प्रशासनिक प्राधिकारी के पास इस आधार पर प्रार्थना पत्र पेश करेगा तब उसके लिए यह निर्णय करने की स्वतन्त्रता होगी कि क्या प्रार्थी को उसकी शारीरिक योग्यता की जांच के लिए मेडिकल कमेटी के सम्मुख जाना चाहिये या नहीं।

ऐसे मामले जिनमें प्रारम्भ में सिफारिश की गई अवकाश की अवधि या प्रारम्भ में सिफारिश किए गए तथा उसके बाद में और सिफारिश की गई अग्रिम अवकाश की अवधि, यदि 2 माह से ज्यादा नहीं हो तो चिकित्सा अधिकारी को यह आवश्यकीय रूप से प्रमाणित करना पड़ेगा कि क्या उनकी राय में अधिकारी का मेडिकल कमेटी के सम्मुख उपस्थित होना जरूरी है अथवा नहीं।)

नियम 71. मेडिकल समिति के सामने उपस्थित होना—ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेने पर राज्य कर्मचारी को, केवल नियम 74 के अन्तर्गत आने वाले मामलों को छोड़ कर, मेडिकल कमेटी के सम्मुख उपस्थित होने के लिए, अपने कार्यालय के अध्यक्ष से या स्वयं के कार्यालय के अध्यक्ष होने की स्थिति में विभागाध्यक्ष से स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए। इसके बाद उसे अपने मामले की दो प्रतियों के साथ कमेटी के सम्मुख उपस्थित होना चाहिये। कमेटी का निर्माण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के आदेश से किया जावेगा। कमेटी या तो जयपुर या ऐसे अन्य स्थान पर बुलाई जावेगी जिसे सरकार तय करे।

नियम 72 मेडिकल कमेटी का प्रमाण पत्र--प्रार्थित अवकाश या अवकाश वृद्धि स्वीकृत किए जाने के पहिले राज्य कर्मचारी को कमेटी से निम्न प्रकार का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना चाहिए:--

'हम एतद्द्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि हमारे सर्वोत्तम व्यवसायात्मक निर्णय के अनुसार मामले की व्यक्तिगत जांच करने के बाद हम श्री ··· ··के स्वास्थ्य को ऐसा समझते हैं कि उसको स्वस्थ होने के लिए ··· ······ ·· माह की अवधि तक का अनुपस्थिति का अवकाश स्वीकार किया जाना अत्यावश्यक है।

नियम 73. संदिग्ध मामलों में व्यवसायात्मक परीक्षण के लिए रोकना —प्रमाण-पत्र को स्वीकृत या अस्वीकृत करने के निर्णय से पूर्व, समिति, संदिग्ध मामले में 14 दिवस तक प्रार्थी को व्यवसायात्मक परीक्षण के लिए रोक सकती है। उस स्थिति में समिति द्वारा निम्न सम्बन्ध का एक प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिये--

श्री ·········ने अवकाश स्वीकृत कराने के लिए चिकित्सा प्रमाण-पत्र के लिए हमें आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, इस प्रकार का प्रमाण पत्र देने या अस्वीकृत करने से पूर्व हम·······दिनों के लिए श्री·················को व्यवसायात्मक परीक्षण के लिए रोकना जरूरी समझते हैं।

नियम 74. मेडिकल कमेटी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता न होना--(1) यदि प्रार्थी की हालत के बारे में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा या जिला चिकित्सा अधिकारी पद से ऊपर के चिकित्सा अधिकारी द्वारा यह प्रमाण पत्र दे दिया जाता है कि वह कमेटी के सम्मुख किसी भी समय उपस्थित होने में असमर्थ है तो अवकाश स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी नियम 72 में निर्धारित किए गए प्रमाण पत्र के बदले में निम्न में से किसी भी प्रमाण पत्र को स्वीकृत कर सकता है।

(क) जिला चिकित्सा अधिकारी पद के या उससे ऊपर के दो चिकित्सा अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किया गया प्रमाण पत्र, या

(ख) यदि अधिकारी दो चिकित्सा अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक समझे तो जिला चिकित्सा अधिकारी के पद या उससे ऊपर के पद के चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया गया तथा जिलाधीश या डिवीजन के कमिश्नर द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया हुआ प्रमाण पत्र।

(2) फिर भी उपनियम (1) में कुछ दिये गये अनुसार अवकाश स्वीकृत करने वाला सक्षम प्राधिकारी नियम 71 व नियम 72 में दिये गये तरीके को समाप्त कर सकता है.—

(1) जब प्राधिकृत मेडिकल एटेन्डेन्ट द्वारा सिफारिश किया गया अवकाश 2 माह से ज्यादा का न हो, या

(2) जब प्रार्थी का अस्पताल के भीतर (इनडोर) मरीज के रूप में इलाज चल रहा हो तथा उसके इलाज के समय तक के अवकाश की सिफारिश कम से कम जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद के समकक्ष अस्पताल में उस मामले के मेडिकल आफीसर इन्चार्ज द्वारा की गई हो।

परन्तु शर्त यह है कि, ऐसा चिकित्सा अधिकारी प्रमाणित कर देता है कि उसकी राय में प्रार्थी को मेडिकल कमेटी के समक्ष उपस्थित किया जाना जरूरी नहीं है।

नियम 75. चिकित्सा प्रमाण पत्र अवकाश का अधिकार प्रदान नहीं करता है—नियम 72 या नियम 74 के अन्तर्गत प्रमाण दिये जाने से सम्बन्धित राज्य कर्मचारी किसी अवकाश का अधिकार स्वयं प्राप्त नहीं करता है। प्रमाण पत्र अवकाश स्वीकृत करने वाले राज्य कर्मचारी को पेश किया जाना चाहिए तथा उस पर उस अधिकारी के आदेशों की इन्तजार की जानी चाहिये।

नियम 76. अराजपत्रित कर्मचारियों को चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश स्वीकृत करने के सम्बन्ध का तरीका—(क) जब सेवा में नियुक्त प्रत्येक अराजपत्रित राज्य कर्मचारी द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र पर आवेदन किये गये प्रत्येक अवकाश आवेदन पत्र के साथ इस नियम के नीचे निर्धारित प्रपत्र में एक चिकित्सा प्रमाण पत्र संलग्न किया जावेगा। यह प्रमाण पत्र रजिस्टर्ड चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया जावेगा जिसमें बीमारी की प्रकृति तथा उसकी अवधि को यथा सम्भव स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा, या आवेदन पत्र के साथ अपनी किसी सरकारी चिकित्सा अधिकारी से जांच कराए जाने की मांग की प्रार्थना संलग्न की जाएगी।

(ख) अवकाश स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी, अपनी इच्छा पर जिला चिकित्सा अधिकारी से प्रार्थी के स्वास्थ्य की जांच कर, दूसरी चिकित्सा सम्बन्धी राय भी प्राप्त कर सकता है। यह निर्णय लेने पर दुबारा जांच का प्रबन्ध प्रथम बार की गई जांच के बाद यथा सम्भव शीघ्रतापूर्वक किया जाना चाहिये।

(ग) जिला चिकित्सा अधिकारी का कर्तव्य बीमारी के तथ्यों तथा उसके लिए सिफारिश की गई अवकाश की अवधि दोनों के सम्बन्ध में अपनी राय प्रकट करना होगा तथा इसके लिए या तो वह अवकाश पर से राज्य कर्मचारी को अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए बुला सकता है या उसके द्वारा मनोनीत किसी चिकित्सा अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के लिए बुला सकता है।

(प्रार्थी के हस्ताक्षर)

अराजपत्रित अधिकारियों के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र

अवकाश या अवकाश वृद्धि या रूपान्तरित अवकाश की सिफारिश हेतु

मैं ....मामले की सावधानीपूर्वक व्यक्तिगत जांच करने के बाद एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि श्री.................... जिनके हस्ताक्षर ऊपर किए हुए हैं,.......... से पीड़ित हैं तथा मैं सोचता हूं कि उनके स्वस्थ होने के लिए दिनांक.... .... से .... अवधि तक सेवा से उनका अनुपस्थित होना नितान्त आवश्यक है।

दिनांक

सरकारी चिकित्सा अधिकारी या अन्य रजिस्टर्ड चिकित्सक

टिप्पणी—इस नियम में निर्धारित प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेने से सम्बन्धित राज्य कर्मचारी स्वतः ही अवकाश स्वीकृत कराने का अधिकार प्राप्त नहीं कर लेता है।

निर्णय—कुछ सन्देह उत्पन्न किए गए हैं कि क्या उच्च सेवा में नियुक्त अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश के आवेदन पत्र के लिए राजस्थान सेवा नियमों के नियम 76 (क) के प्रयोजन के लिए उसमें प्रयुक्त 'रजिस्टर्ड चिकित्सक' शब्द से केवल रजिस्टर्ड ऐलोपैथिकल चिकित्सकों को ही माना जावेगा या उसमें आयुर्वेदिक व यूनानी पद्धति पर चिकित्सा करने वाले रजिस्टर्ड चिकित्सकों को भी माना जावेगा। मामले की जांच करली गई है तथा यह निर्णय लिया गया है कि राजस्थान सेवा नियमों के नियम 76 (क) में प्रयुक्त 'रजिस्टर्ड चिकित्सक' शब्द का अर्थ इस रूप में लगाया जावे कि उसमें चिकित्सा आधार पर (नियम 76 (क) या नियम 83 के प्रयोजन के लिए) अवकाश के आवेदन पत्र के साथ आयुर्वेदिक या यूनानी रजिस्टर्ड चिकित्सकों के प्रमाण पत्र भी संलग्न किये जा सकें, या

होमियोपैथिक चिकित्सक द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र किसी ऐसे कार्य के लिए स्वीकृत नहीं किए जावेंगे जिसके लिए नियमों के अन्तर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र पहिले चाहा गया हो।

नियम 77. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश—एक अराजपत्रित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश के अथवा अवकाश वृद्धि के प्रार्थना के समर्थन में अवकाश स्वीकृत करने वाला सक्षम प्राधिकारी, जैसे उचित समझे, किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्र को स्वीकार कर सकता है।

नियम 78. सेवा पर उपस्थित न हो सकने योग्य राज्य कर्मचारियों को चिकित्सा प्रमाण पत्र—किसी एक ऐसे मामले में जिससे यह प्रतीत हो कि राज्य कर्मचारी के सेवा पर पुनः उपस्थित होने के समय का कोई आसार नहीं है, चिकित्सा अधिकारियों को अवकाश स्वीकृत किये जाने की सिफारिश नहीं की जानी चाहिये। ऐसे मामले में चिकित्सा प्रमाण पत्र में केवल यही राय लिखी जानी चाहिये कि राज्य कर्मचारी राज्य सेवा करने में स्थाई रूप से अयोग्य है।

नियम 79—मेडिकल कमेटी या चिकित्सा अधिकारी के किसी राज्य कर्मचारी को अवकाश की सिफारिश के प्रत्येक प्रमाण पत्र में इस बात का एक प्रावधान किया जावेगा कि इस प्रमाण पत्र में की गई सिफारिश किसी भी राज्य कर्मचारी को ऐसे अवकाश प्रदान

कराने की साक्षी उपस्थित नहीं करेगी जो कि राज्य कर्मचारी को अपनी सेवा शर्तों के अधीन या उस पर लागू नियमों के अधीन नहीं मिल सकती हो।

खण्ड 2

अवकाश की स्वीकृति (Grant of Leave)

नियम 80. अवकाश स्वीकृत करने में प्राथमिकता (Priority of claims to leave)—ऐसे मामलों में जहां सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए अवकाश के सभी प्रार्थना पत्रों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकती है, एक अवकाश स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी को, यह निर्णय करने में कि कौन से प्रार्थना पत्र का अवकाश पहिले स्वीकृत किया जाना चाहिये, निम्नलिखित बातों पर विचार करना चाहिए—

(क) वे राज्य कर्मचारी जो, हाल फिलहाल, अच्छी तरह अवकाश पर जा सकते हैं।

(ख) विभिन्न प्रार्थियों की बकाया अवकाश की अवधि।

(ग) पिछले अवकाश से वापिस आने के बाद प्रत्येक प्रार्थी द्वारा की गई सेवा की अवधि व सेवा की किस्म।

(घ) कोई ऐसा तथ्य जिसमें राज्य कर्मचारी को पहिले अन्तिम अवकाश से वापिस सेवा में आवश्यकीय रूप से बुलाया गया हो।

(ङ) कोई ऐसा तथ्य जिसके अनुसार पहिले किसी राज्य कर्मचारी को सार्वजनिक हित की दृष्टि से अवकाश की स्वीकृति नहीं दी हो।

नियम 81. (1)—राज्य सेवा में वापिस लौटने के अयोग्य राज्य कर्मचारी को अवकाश की स्वीकृति—जब एक चिकित्सा अधिकारी ने यह रिपोर्ट दी हो कि ऐसा कोई उचित आसार नहीं है कि एक अमुक राज्य कर्मचारी कभी सेवा पर वापिस आ सकेगा तो ऐसे राज्य कर्मचारी का अवकाश आवश्यकीय रूप से अस्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए यदि उसका अवकाश बकाया हो तो उसे सक्षम प्राधिकारी निम्न शर्तों पर स्वीकृत कर सकता है—

(क) यदि चिकित्सा अधिकारी निश्चय पूर्वक यह कहने में असमर्थ हो कि राज्य कर्मचारी पुनः कभी सेवा में आने के योग्य न हो सकेगा, तो कुल अवकाश अधिकतम 12 माह तक का स्वीकृत किया जा सकता है। इस प्रकार का अवकाश बिना चिकित्सा अधिकारी की राय के आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।

(ख) यदि एक राज्य कर्मचारी एक चिकित्सा अधिकारी द्वारा पूर्ण रूप से व अस्थाई रूप से अग्रिम सेवा के अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो उसे अवकाश या अवकाश वृद्धि चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद स्वीकृत किया जा सकता है, बशर्ते कि चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख के बाद, अवकाश की अवधि, जो उसके अवकाश खाते में जमा हो, व सेवा का समय 6 माह से ज्यादा का न हो।

उप नियम (2) व (3) विलोपित

नियम 82. बर्खास्त किए जाने वाले राज्य कर्मचारी को अवकाश स्वीकार न करना-एक ऐसे राज्य कर्मचारीको अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिये जो दुर्व्यवहार या सामान्यअयोग्यता के आधार पर राजकीय सेवा से शीघ्र बर्खास्त किया जाने वाला हो या हटाया जाने वाला हो।

+ नियम 82 क)—राजपत्रित अधिकारियों के लिए अवकाश-केवल अति आवश्यक मामलों को छोड़कर, या उपार्जित अवकाश के सम्बन्ध में यह विदेशी सेवा में 120 दिन से अधिक का न हो, को छोड़कर, जिसमें कि अवकाश राज्य कर्मचारी की जिम्मेदारी पर जैसे अस्वीकार्य अवकाश का परिणाम उसे भोगना पड़ेगा, स्वीकृत किया जाएगा, एक राजपत्रित अधिकारी को अवकाश जब तक महा लेखाकार से उसके बकाया अवकाश की सूचना न आ जाए, तब तक स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार के अवकाश की सूचना अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए महालेखाकार से मंगाने की जरूरत नहीं है जब तक कि वह विदेशी सेवा में नियुक्त न हो एवं जब वह उपार्जित अवकाश के अलावा जो 120 दिन से अधिक न हो, अन्य प्रकार के अवकाश के लिए आवेदन करता हो।

÷ अपवाद संख्या 1—ऐसे मामले में जहां सरकारी कर्मचारी लिखित में यह प्रमाणित करता हो कि सेवा निवृत्ति पूर्व अवकाश, अस्वीकृत अवकाश एवं सेवा समाप्ति अवकाश (टरमीनल लीव, के अतिरिक्त अन्य अवकाश जिसके लिए उसने आवेदन किया हो, तथा जो नियमान्तर्गत उसके लेखे में जमा हो, वह अवकाश स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा महालेखाकार के पास से उसके अवकाश के हक के बारे में रिपोर्ट प्राप्त किए बिना ही स्वीकृत किया जा सकेगा। यदि इस प्रकार से स्वीकृत किया गया अवकाश, महालेखाकार द्वारा सत्यापित किए जाने पर उसे देय नहीं पाया जाए तो उसे अन्य प्रकार के अवकाश में जो उसे स्वीकार्य हो, बदला जा सकेगा। यदि अन्य प्रकार का कोई अवकाश बकाया एवं स्वीकार्य नहीं हो तो उस अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में समझा जा सकता है।

× अपवाद संख्या 2—सेवा निवृत्ति पूर्व अवकाश (लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेण्ट) के मामले में राज्य कर्मचारी अपना अवकाश का टाइटिल सीधा महालेखाकार से प्राप्त कर सकता है। अवकाश का टाइटिल प्राप्त करने पर वह उसे अपने प्रार्थना-पत्र के साथ स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा। सम्बन्धित राज्य कर्मचारी के अवकाश के टाइटिल की रिपोर्ट करते समय महालेखाकार अपनी रिपोर्ट की एक प्रति स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकारी के पास भी भेजेगा।

फिर भी, जहाँ सम्बन्धित राज्य कर्मचारी का समय पर महालेखाकार से अवकाश का टाइटिल प्राप्त न हो वहां पर स्वयं अधिकारी अपने आवेदन पर यह अभिलिखित करेगा कि उसके

+ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ 1 (17) एफ० डी (व्यय-नियम) दिनांक 6-9-65 द्वारा संशोधित किया गया।

÷ वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 1 (5) वित्त वि (व्यय-नियम) 16 दिनांक 24-3-66 द्वारा निविष्ट।

× वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ 1 (22) एफ० डी० (व्यय-नियम) 66 दिनांक 23 सितम्बर, 1966 द्वारा शामिल किया गया।

सर्वोत्तम ज्ञान के आधार पर आवेदन किया गया अवकाश का उसका समय बाकी है। ऐसे मामलों में वह इस सम्बन्ध का एक प्रतिवचन भी देगा कि यदि इस प्रकार स्वीकृत किया गया अवकाश बकाया नहीं पाया गया तो वह ऐसे अन्य प्रकार के अवकाश मे परिवर्तित किया जा सकता है जो उसे स्वीकार्य हो। अन्य किसी भी मामले में अवकाश स्वीकार्य नहीं है तथा बकाया अवकाश के समय को असाधारण अवकाश मे समझा जाएगा।

टिप्पणी—एक सरकारी कर्मचारी जो राजपत्रित पद पर स्थानापन्न रूप से काम कर रहा हो, उसके अवकाश की प्राप्यता अंकेक्षण अधिकारी द्वारा प्रमाणित की जानी चाहिए।

नियम 83. अवकाश से सेवा पर उपस्थित होते समय योग्यता का प्रमाण-पत्र—एक राज्य कर्मचारी जिसने चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश लिया हो, उसे सेवा पर उस समय तक नहीं लिया जा सकता है, जब तक कि वह निम्न रूप में एक स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर देता है:—

हम मेडिकल कमेटी के सदस्य / के सिविल सर्जन / के रजिस्टर्ड चिकित्सक एतद्द्वारा यह प्रमाणित

करते हैं कि हमने/मैंने .... विभाग के श्री .... की सावधानी पूर्वक जांच करली है तथा यह पाया है कि वह अब पूर्ण स्वस्थ हो गया है तथा अब वह राजकीय सेवा में उपस्थित होने के योग्य है। हम/मैं यह निर्णय देने से पहले भी प्रमाणित करते हैं/करता हूँ कि हमने/मैंने मामले के उन मूल चिकित्सा प्रमाण पत्रों व विवरणों की (या उनकी प्रमाणित प्रतिलिपियों की) जांच की है जिन पर कि उसने अवकाश लिया है या अवकाश में वृद्धि कराई है तथा इस निर्णय को देने मे हमने/मैंने इनको ध्यान में रखा है।

मामले के मूल चिकित्सा प्रमाण पत्र व विवरण, जिस पर कि अवकाश मूल रूप में स्वीकृत किया गया था या या अवकाश में वृद्धि की गई थी, उन्हें उक्त प्रमाण पत्र देने वाले अधिकारी के सामने पेश किया जाना चाहिए। इस कार्य के लिए मामले के मूल प्रमाण पत्र व विवरण दो प्रतियों में तैयार किए जाने चाहिए तथा एक कापी सम्बन्धित राज्य कर्मचारी द्वारा अपने पास रखनी चाहिए।

नियम 84. राजपत्रित कर्मचारियों को मेडिकल कमेटी से कब स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए—यदि अवकाश पर रहने वाला राज्य कर्मचारी राजपत्रित अधिकारी है तो केवल निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर, उसे मेडिकल कमेटी से ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए—

(क) वे मामले जिनमें अवकाश की अवधि तीन माह से अधिक की न हो।

(ख) ऐसे मामले जिनमें अवकाश तीन माह से अधिक का हो या जिनमें तीन माह के अवकाश के बाद तीन माह या इससे कम का और अवकाश बढ़ाया गया हो तथा मूल प्रमाण पत्र या वृद्धि का प्रमाण पत्र स्वीकृत करने वाली मेडिकल कमेटी का यह कहना हो कि ऐसा प्रमाण पत्र देने के समय राज्य कर्मचारी को स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए किसी अन्य मेडीकल कमेटी के सम्मुख उपस्थित होने की जरूरत नहीं है।

अपवाद स्वरूप मामलों में प्रमाण पत्र जिला चिकित्सा अधिकारी या उसके समकक्ष अधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है।

यदि अवकाश पर रहने वाला राज्य कर्मचारी, राजपत्रित अधिकारी नहीं हो तो सक्षम प्राधिकारी अपने निर्णय पर किसी भी रजिस्टर्ड चिकित्सक द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र को स्वीकृत कर सकता है।

निर्णय—राजस्थान सेवा नियमों के नियम 83 व 84 में दिया हुआ है कि एक अधिकारी जिसने चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश ले रखा है, उसे सेवा पर लौटने के पूर्व स्वस्थता का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है।

महालेखाकार ने सरकार के ध्यान में लाया है कि राजपत्रित कर्मचारियों के सम्बन्ध में जो चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश से सेवा पर पुनः उपस्थित होने के लिए आते हैं, उनके बारे में इस प्रकार की कोई सूचना उसके कार्यालय में इस समय प्राप्त नहीं हुई है कि क्या अवकाश स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी सम्बन्धित अधिकारियों से उनके सेवा पर उपस्थित होने से पूर्व उचित चिकित्सा अधिकारियों से स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर रहे हैं या नहीं एवं इसके फलस्वरूप उसके कार्यालय के लिए यह निगरानी रखना संभव नहीं हो सका है कि राजस्थान सेवा नियमों के सम्बन्धित नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं।

नियमों का उचित पालन किए जाने की दृष्टि से तथा चिकित्सा प्रमाण पत्र अवकाश लेने वाले राजपत्रित कर्मचारियों के अवकाश से सेवा पर लौटने पर, उन्हें पे-स्लिप जारी करने में विलम्ब को दूर करने के लिए, अवकाश स्वीकृत करने वाले प्राधिकारियों से उनको पुनः सेवा पर लेने की आज्ञा जारी करते समय, यह सुनिश्चित करने के लिए निवेदन किया जाता है कि एक सूचना साथ में महालेखाकार को भी भिजवाई जानी चाहिए कि सेवा पर उपस्थित होने की आज्ञा देने से पहले नियमानुसार अधिकारी से उचित चिकित्सा अधिकारी का स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है। चूंकि इस प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर ही अवकाश पर लौटने पर उसकी पे-स्लिप महालेखाकार द्वारा जारी की जावेगी, इसलिए यह आवश्यक है कि उसे यह आवश्यक सूचना यथा सम्भव शीघ्र भिजवाई जानी चाहिए।

नियम 85 नियत तिथि से पूर्व अवकाश से लौटना—(क) (i) एक राज्य कर्मचारी, उसे स्वीकृत किए गए अवकाश के समाप्त होने के पूर्व, सेवा पर उस समय तक पुनः नहीं लौट सकता है जब तक कि अवकाश स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी उसे ऐसा करने की स्वीकृति नहीं दे देता है।

(ii) फिर भी, उक्त खण्ड (i) में कुछ दिए गए अनुसार एक निवृत्ति पूर्व अवकाश पर गया हुआ राज्य कर्मचारी को, उस सेवा से निवृत्त करने की स्वीकृति की तथा, सेवा पर लौटने की प्रार्थना को उसे नियुक्त करने वाले सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के अलावा, वापिस लेने से रोका जा सकेगा।

(ख) अवकाश से लौटने वाला एक राज्य कर्मचारी, उस सम्बन्ध के आदेश की अनुपस्थिति में, उसी पद पर कार्यभार ग्रहण करने का अधिकारी नहीं है, जिस पर से कि वह अवकाश पर गया था। उसे सेवा में उपस्थित होने की रिपोर्ट देनी चाहिए तथा नियुक्ति के आदेशों की इन्तजार करनी चाहिए।

स्पष्टीकरण—नियम 85 के खण्ड(ख)की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें दिया हुआ है कि एक राज्य कर्मचारी के अवकाश से लौटने पर वास्तव मे यह आवश्यक नहीं है कि उसे उसी पद का कार्यभार सम्भलाया जावे जिसको कि वह अवकाश पर रवाना होने के पूर्व धारण कर रहा था। इस सम्बन्ध मे सन्देह उत्पन्न किये गये हैं कि क्या अवकाश स्वीकृत करने वाला सक्षम प्राधिकारी राजपत्रित अधिकारियों के अवकाश से लौटने पर उनका नियुक्ति आदेश जारी कर सकता है। मामले का स्पष्टीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है—

(1) एक अधिकारी जो अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम है, एक राजपत्रित अधिकारी की पुनर्नियुक्ति का आदेश उसी पद पर नियुक्त करने के लिए दे सकता है यदि वह पद उसके अवकाश काल मे रिक्त रखा गया हो।

(2) जहां अवकाश एक प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया हो तथा अन्य अधिकारी के आदेश से अवकाश काल में वह रिक्त स्थान भर लिया गया हो तो बाद का अधिकारी ही उस अधिकारी के अवकाश से लौटने पर पुनर्नियुक्ति (Reposting) के आदेश निकाल सकता है। चूंकि महालेखाकार, अधिकारी के अवकाश से लौटने पर उसके पुनर्नियुक्ति के आदेश जारी किये बिना पे अथोरिटी जारी नही करेगा, इसलिये ऐसे आदेश अवकाश का समय समाप्त होने से पूर्व ही आवश्यक रूप से जारी कर दिये जाने चाहिये।

निर्णय—सरकार के ध्यान मे ऐसे मामले लाये गए हैं कि जब एक स्वीकृति प्रदान करने वाला प्राधिकारी किसी राज्य कर्मचारी को नियम 83 के अनुसार अवकाश समाप्त होने के पूर्व ही अवकाश से लौटने की आज्ञा देने में आदेश जारी नहीं करता है तथा महालेखाकार को उसकी प्रतिलिपि नही भेजता है जिसके फलस्वरूप जो अवकाश का उपभोग नही किया है, उसकी सेवा की तनख्वाह (Duty Pay) प्राप्त करने में अधिकारी को कठिनाई होती है।

यह आवश्यक है कि अवकाश के रद्द किए जाने के आदेश जारी करने में किसी भी प्रकार की देरी नही की जानी चाहिए। स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकारियों को अवकाश रद्द करने के सभी मामलों मे इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए।

नियम 86. अवकाश समाप्त होने पर अनुपस्थिति--एक राज्य कर्मचारी जो अपना अवकाश समाप्त होने के बाद अनुपस्थित रहता है वह उस अनुपस्थिति के समय का कोई अवकाश वेतन प्राप्त करने का हकदार नहीं है तथा वह समय अर्द्धवेतन पर अवकाश के रूप में समझा जाएगा जब तक कि उसका अवकाश सरकार द्वारा नहीं बढ़ाया जाता है। अवकाश समाप्ति के बाद सेवा से ऐच्छिक रूप से अनुपस्थिति (Wilful absence) इस नियम के प्रयोजन के लिए दुर्व्यवहार (Misbehavior) के रूप में समझी जानी चाहिये।

निर्णय—एक राज्य कर्मचारी के अवकाश के बिना या अवकाश स्वीकृत किये जाने से पूर्व, सेवा से अनुपस्थित रहने के समय को किस रूप में समझा जाय, इस सम्बन्ध में एक सन्देह उठाया गया है।

स्थिति यह है कि सेवा से इच्छापूर्वक अनुपस्थित रहना दुर्व्यवहार है तथा उसे इस ही रूप मे समझा जाता है। अवकाश के बिना अनुपस्थिति उसकी पुरानी सेवाओं को समाप्त करते हुए उसकी सेवा के क्रम मे व्यवधान (Interruption) डालती है जब तक कि उसका संतोषजनक

कारण उत्पन्न न किया जा सके तथा परिस्थिति का समय स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकारी द्वारा असाधारण अवकाश में नहीं बदल दिया जाता है।

अध्याय ११ अवकाश (LEAVE)

खण्ड I—सामान्य

नियम 87. प्रयोज्यता (Applicability)—राज्य कर्मचारियों को प्राप्य अवकाश की प्रकृति व उसकी अवधि के सम्बन्ध में इस अध्याय के नियम (पद्धति सम्बन्धी नियमों को छोड़कर) केवल उन्हीं राज्य कर्मचारियों पर लागू होते हैं जो स्थाई रूप में स्थाई पद पर काम करते हैं केवल उसी स्थिति में ये नियम अस्थाई राज्य कर्मचारियों पर लागू होते हैं जहां यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये नियम उन पर लागू होंगे।

नियम 87. (क)—अवकाश का लेखा (Leave Account)—प्रत्येक राज्य कर्मचारी का अवकाश लेखा परिशिष्ट 2 (क) में दिए गए फार्म संख्या I में तैयार किया जावेगा।

नियम 87. (ख) (1) राजपत्रित अधिकारियों के अवकाश का लेखा—राजपत्रित राज्य कर्मचारियों का अवकाश का लेखा राजस्थान के महालेखाकार द्वारा या उसके निर्देशन के अन्तर्गत तैयार किया जावेगा।

(2) अराजपत्रित कर्मचारियों का अवकाशवेतन-अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों का अवकाश का लेखा उसी कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा रखा जावेगा जिसमें वह नियुक्त किया गया है।

निर्णय—एक अराजपत्रित कर्मचारी जो एक राजपत्रित पद पर कार्यवाहक रूप से काम कर रहा है, यदि वह अवकाश पर जाता है तो उसे सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिये जैसे अधिसूचना जारी करने के लिए, अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते प्राप्त करने के लिये, चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश या अवकाश की वृद्धि की स्वीकृति आदि के लिए, अवकाश काल में उसे राजपत्रित पद को धारण किया हुआ हो समझा जाना चाहिये तथा यह ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए कि वह अवकाश 'वार्षिक वृद्धि' में गिना जाना चाहिए अथवा नहीं, वह उस राजपत्रित पद पर कार्य करता रहता या नहीं, लेकिन वह अवकाश पर चला गया, एवं चाहे उसके अवकाश की समाप्ति पर वह अपने राजपत्रित पद पर लौटेगा या नहीं।

(2) यदि ऐसा राज्य कर्मचारी किसी अराजपत्रित केडर पर अपना लीयन रखता है जिसमें अवकाश रिजर्व (Leave reserve) भी शामिल है तो, अवकाश लेने पर वह अवकाश उस केडर में लिया गया अवकाश गिना जाएगा एवं इस प्रयोजन के लिए सम्बन्धित कार्यालय अध्यक्ष की पहिले से ही राय ले लेनी चाहिए तथा उसे अवगत कराया जाना चाहिये।

(3) यह निर्णय उस राज्य कर्मचारी पर भी लागू होगा जो एक राजस्थान सरकार के एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में या राजस्थान सरकार से केन्द्रीय सरकार में या इसके विरुद्ध स्थानान्तरित किया गया हो तथा अपने पैतृक कार्यालय में अपना लीयन (सक्रिय या निलम्बित) रखता हो, यदि वह उधार लेने वाले कार्यालय (Borrowing Office) में राजपत्रित पद पर

कार्यवाहक रूप में काम करते हुए अवकाश पर जाता हो। भविष्य में ऐसे अधिकारियों के मामले में निम्नलिखित तरीका अपनाया जाना चाहिए—

(क) उधार लेने वाले कार्यालय द्वारा अवकाश एवं उसकी वृद्धि स्वीकृत की जानी चाहिए एवं प्रकाशित की जानी चाहिए; एवं

(ख) अवकाश वेतन प्रारम्भ में उधार लेने वाले कार्यालय द्वारा ही दिया जाना चाहिए. एवं अवकाश वेतन को नियमित करने वाले उचित नियमों. के अनुसार अन्तिम रूप में समायोजित (Adjustment) किया जाना चाहिए।

नियम 88. विभिन्न प्रकार के अवकाशों का समन्वय—किसी भी किस्म का अवकाश किसी भी अन्य किस्म के अवकाश के साथ में या क्रम में स्वीकृत किया जा सकता है।

नियम 89. अधिवार्षिकी आयु की तिथि के बाद का अवकाश (Leave beyond date of Superannuation) उस तारीख के बाद का कोई भी अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा जिसको कि एक राज्य कर्मचारी को अनिवार्य रूप से सेवा से निवृत्त होना होगा।

बशर्ते कि यदि अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तारीख से अपर्याप्त समय पूर्व ही राज्य कर्मचारी को सार्वजनिक सेवा की आवश्यकताओं के कारण पूर्ण या आंशिक ऐसे अवकाश के लेने से मना कर दिया गया हो जिसके लिए उसने निवृत्ति पूर्व अवकाश के रूप में अपने बकाया अवकाश के लिए आवेदन किया हो तो उसे अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तारीख के बाद उतने ही समय का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जावेगा जो कि अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तारीख को उसका बकाया था। नियम 91 में निर्धारित किए गए अनुसार यह अवकाश अधिकतम 120 दिवस का (एवं जो अवकाश पर भारत के बाहर जा रहे हों उन्हें 180 दिन का) स्वीकृत किया जा सकता है। ऐसे स्वीकृत किए गए अवकाश में, वास्तव में अस्वीकृत किए गए निवृत्ति पूर्व अवकाश की तारीख के बीच में स्वीकृत किया गया अवकाश, अर्द्ध वेतन अवकाश, यदि कोई हो, जिसके लिए कर्मचारी ने निवृत्ति पूर्व आवेदन किया हो, परन्तु सार्वजनिक सेवा की आवश्यकता के कारण अस्वीकृत कर दिया गया हो, शामिल है तथा यह अर्द्ध वेतन अवकाश उस सीमा तक उपार्जित अवकाश में बदला जा सकता है जितना कि उसने निवृत्ति पूर्व अवकाश के प्रारम्भ होने की तारीख व अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तारीख के बीच कमाया है।

शर्त यह और भी है कि एक अधिकारी जिसकी सेवा अनिवार्य निवृत्ति की तारीख से आगे सार्वजनिक सेवा के हित के कारण से बढ़ा दी गई है, उसे उपार्जित अवकाश निम्न रूप में स्वीकृत किया जा सकता है—

(i) सेवा वृद्धि की अवधि में. उस काल में कमाया गया उपार्जित अवकाश तथा इसके अलावा उतना आवश्यक उपार्जित अवकाश जो कि उसे पूर्वोक्त प्रावधान के अनुसार अनिवार्य निवृत्ति की तारीख को सेवा से निवृत होने पर स्वीकृत किया जा सकता था।

(ii) सेवा वृद्धि के समय के समाप्त होने के बाद—

(क) उपार्जित अवकाश, जो कि उसे पूर्वोक्त प्रावधान के अन्तर्गत अनिवार्य सेवा निवृत्ति को तारीख को सेवा से निवृत्त करने पर स्वीकृत किया जा सकता था। परन्तु इसमें से जो उपार्जित अवकाश सेवा वृद्धि में लिया जावेगा, उसे घटा दिया जावेगा।

(ii) सेवा वृद्धि की अवधि में कमाया गया अवकाश जिसके लिए उसने अपनी सेवा अवधि समाप्त होने के पर्याप्त समय पहिले आवेदन किया हो परन्तु सार्वजनिक सेवा की आवश्यकता के कारण मना कर दिया गया हो।

(iii) नियम 91 के सन्दर्भ में सेवा वृद्धि के समय में कमाए गए उपार्जित अवकाश की मात्रा निश्चित करने के लिए उसमें वह अवकाश भी गिना जावेगा जो कि उसे, यदि कोई हो, पूर्वोक्त प्रावधान के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है।

+ टिप्पणी—(विलोपित की गई)

निर्णय—राजस्थान सेवा नियमों के नियम 89 के अन्तर्गत साधारणतया एक राज्य कर्मचारी को उसकी अधिवार्षिकी आयु की तारीख के बाद, कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा। फिर भी, यदि उसने पर्याप्त समय पहिले उपार्जित अवकाश के लिए निवेदन किया हो, परन्तु सार्वजनिक सेवा की आवश्यकता के कारण पूर्ण या आंशिक रूप में वह अस्वीकृत कर दिया गया हो, तो सम्बन्धित राज्य कर्मचारी को, उसकी अधिवार्षिकी आयु प्राप्ति की तारीख के बाद इस प्रकार का अस्वीकृत किया गया अवकाश 120 दिवस तक की सीमा तक स्वीकृत किया जा सकता है।

राजस्थान सेवा नियम 1-4-51 से प्रभावशील हुए हैं। वे राज्य कर्मचारी जिनको 1-4-51 के बाद शीघ्र ही सेवा से निवृत्त होना है, वे इस शर्त के बारे में जान न सके थे इसलिए वे समय पर उपार्जित अवकाश के लिए निवेदन करने का अवसर प्राप्त न कर सके। यदि नियम 89 को कठोरता से पालन किया जावे तो उनके साथ कठोरता का व्यवहार होगा। इसलिए सरकार उन राज्य कर्मचारियों के लिए, जो 31 दिसम्बर 1951 से पूर्व सेवा से निवृत्त हो चुके हैं, निम्नलिखित रियायतें प्रदान करती है—

श्रेणी	अवकाश जो स्वीकृत किया जाना है चाहे नियम 89 की आवश्यकताएं पूर्ण नहीं की गई हों, बशर्ते कि राज्य कर्मचारी का अवकाश बकाया हो।
30 सितम्बर 1951 को या उससे पूर्व सेवा से निवृत्त होने वाले राज्य कर्मचारी	अधिवार्षिकी आयु प्राप्ति की तारीख के बाद 120 दिन का उपार्जित अवकाश।
30 सितम्बर 1951 के बाद परन्तु 31-10-51 को या उससे पूर्व तक सेवा से निवृत्त होने वाले राज्य कर्मचारी	अधिवार्षिकी आयु की तारीख के बाद 90 दिन का उपार्जित अवकाश।
31 अक्टूबर 1951 के बाद परन्तु 30 नवम्बर 51 को या उससे पूर्व सेवा से निवृत्त होने वाले राज्य कर्मचारी	अधिवार्षिकी आयु की तारीख के बाद 60 दिन का उपार्जित अवकाश।
30 नवम्बर 51 के बाद परन्तु 31 दिसम्बर 51 तक या उससे पूर्व सेवा से निवृत्त होने वाले राज्य कर्मचारी	अधिवार्षिकी आयु की तारीख के बाद 30 दिन का उपार्जित अवकाश।

+ वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 1 (48) वित्त विभाग (व्यय-नियम) 67 दिनांक 1-4-69 द्वारा विलोपित।

31 दिसम्बर 1951 के बाद सेवा से निवृत्त होने वाले राज्य कर्मचारियों को उपार्जित अवकाश उसी समय स्वीकृत किया जा सकता है जबकि नियम 89 की आवश्यकताओं को पहिले पूर्ण कर दिया गया हो।

विभागाध्यक्षों से निवेदन किया जाता है कि वे इस आदेश को अपने विभाग के सभी राज्य कर्मचारियों के ध्यान में ला दें।

निर्णय संख्या 2—राजस्थान सेवा नियमों के नियम 89 के सही रूप में लागू होने के सम्बन्ध मे कुछ सन्देह व्यक्त किए गए हैं। स्थिति की जांच की गई तथा यह पाया गया कि नियम 89 के द्वितीय प्रावधान के अन्तर्गत अवकाश, सेवा को वृद्धि की अवधि को समाप्ति के बाद, केवल उसी समय स्वीकृत किया जा सकता है, जबकि नियम के प्रथम प्रावधान की शर्तों का पालन किया जा चुका हो उदाहरणार्थ जैसे मानों अवकाश सार्वजनिक सेवा की आवश्यकता के कारण अस्वीकृत कर दिया गया हो। यह शर्त दोनों पर लागू होती है (क) उपार्जित अवकाश जो कि प्रथम प्रावधान के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता था, एवं (ख) उपार्जित अवकाश जो सेवा वृद्धि के सम्बन्ध में कमाया हो। सेवा वृद्धि के समय में कमाया गया अवकाश इस तरह सेवा वृद्धि की अवधि समाप्त होने पर स्वतः ही प्राप्त नहीं होता एवं केवल उसी समय स्वीकृत किया जा सकता है जब पहिले उसे मना कर दिया गया हो। दोनों मामलों में अर्थात् अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तारीख के बाद अवकाश के मामले में या सेवा वृद्धि की अवधि समाप्त होने के बाद अवकाश के मामले में अवकाश उसी समय स्वीकृत किया जा सकता है, यदि राज्य कर्मचारी ने अपनी अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तारीख से पूर्व या सेवा वृद्धि का समय समाप्त होने के पूर्व, जैसी भी स्थिति हो, अवकाश के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हो तथा वह अस्वीकृत कर दिया गया हो या स्वीकृति प्रदान करने वाले सक्षम प्राधिकारी ने लिखित में यह निश्चय करा दिया हो कि यदि अवकाश के लिए प्रार्थना की गई तो स्वीकृत नहीं किया जाएगा। किसी भी मामले में अस्वीकृत करने का आधार सार्वजनिक सेवा की आवश्यकता होनी चाहिए।

+ निर्णय संख्या 3—सरकार को यह बतलाया गया है कि दिनांक 1 जुलाई 1967 से अनिवार्य सेवा निवृत्ति की आयु 58 वर्ष से 55 वर्ष कर दिए जाने के फलस्वरूप बहुत से सरकारी कर्मचारी, जिन्होंने 55 वर्ष की आयु प्राप्त की थी, इस तारीख के बाद शीघ्र ही पूर्ण या आंशिक रूप मे सेवा निवृत्ति पूर्व अवकाश के लिए आवेदन करने से राजस्थान सेवा नियमों के नियम 89 के प्रावधानों द्वारा रोक दिए गए थे।

मामले पर सावधानी पूर्वक विचार कर लिया गया है तथा यह आदेश दिया जाता है कि सभी मामलों मे जिनमे सरकारी कर्मचारी जो 2 जुलाई, 1967 एवं 31 दिसम्बर 1967 के बीच सेवा निवृत्त होते हैं/हो चुके हैं, उन्हें निम्न लिखित सीमा तक अस्वीकृत अवकाश (रिफ्यूज्ड लीव) स्वीकार किया जाए—

(I) उन सरकारी कर्मचारियों के मामले में जो 2 जुलाई 1967 एवं 31 अगस्त 1967 के बीच सेवा निवृत्त हो गए हैं उन्हें सम्पूर्ण उपार्जित अवकाश (जो 120 दिन से अधिक का न हो) जिसे वह अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तारीख तक सामान्य रूप में उपार्जित करता,

+ वित्त विभाग की अधिसूचना स० एफ़ 1 (42) वित्त वि (व्यय-नियम-) 67 दिनांक 5-10-67 द्वारा निविष्ट।

उसमें से उनके द्वारा वास्तव में उपभोग किए गए सेवा निवृत्ति पूर्व अवकाश की अवधि को काट कर शेष बचे अवकाश को अस्वीकृत अवकाश (रिफ्यूज्ड लीव) के रूप में समझा जाना चाहिए।

(2) 1 सितम्बर 1967 एवं 31 दिसम्बर 1967 के बीच सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के मामले में सेवा निवृत्ति पूर्व अवकाश (जो 120 दिन से अधिक का न हो) के रूप में बकाया अवकाश जो (I) दिनांक 1-9-67 से सेवा निवृत्ति की तारीख से ठीक पूर्व की तारीख के बीच की अवधि (II) दिनांक 31-8-67 तक उपभोग की गई सेवा निवृत्ति पूर्व अवकाश को निकाल कर बचे, उसे अस्वीकृत अवकाश के रूप में माना जाएगा।

उदाहरण

प्रकरण—क

जहां सरकारी कर्मचारी ने दिनांक 1-9-67 से पूर्व किसी प्रकार के सेवा निवृत्ति पूर्व अवकाश का उपभोग न किया हो—

अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तारीख	1-10-67
सेवा निवृत्ति पूर्व अवकाश के रूप में बकाया उपार्जित अवकाश की संख्या (120 दिन से अधिक नहीं)	120 दिन
घटाइए—दिनांक 1-9-67 से 30-5-67 तक की अवधि	30 दिन
अस्वीकृत अवकाश के दिन	90 दिन

प्रकरण—ख

जहां सरकारी कर्मचारी ने दिनांक 1-9-67 से पूर्व उपार्जित अवकाश का उपभोग किया हो—

अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तारीख	15-11-67
सेवा निवृत्ति पूर्व अवकाश के रूप में बकाया या उपार्जित अवकाश की संख्या (120 दिन से अधिक नहीं)	120 दिन
घटाइए—दिनांक 1-9-67 से पूर्व/बाद के उपभोग किए गए सेवा निवृत्ति पूर्व अवकाश की अवधि अर्थात् (18-8-67 से 14-11-67)	89 दिन
अस्वीकृत अवकाश के दिन	31 दिन

उपर्युक्त पैरा 1 के फलस्वरूप भुगतान योग्य वेतन वित्त विभाग के ज्ञाप संख्या एफ 1 (48) वित्त वि (व्यय-नियम) 67 दिनांक 15-7-67 के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

÷ निर्णय संख्या 4—दिनांक 1-7-65 से सेवा निवृत्ति आयु 58 वर्ष से 55 वर्ष करने के हेतु वित्त विभाग की अधिसूचना सं० एफ 1 (42) वित्त वि (व्यय-नियम) 67 I दिनांक 13-6-67 के जारी करने के फलस्वरूप कुछ सरकारी कर्मचारियों को दिनांक 1-7-67 से सेवा में वृद्धि स्वीकृत की गई थी। एक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि क्या ऐसे सरकारी कर्मचारी के मामले में जिसे दिनांक 1-7-67 से सेवा में वृद्धि स्वीकार की गई है, उपार्जित अवकाश (जो 120 दिन से अधिक का न हो) जो उसके लेखे में जमा था, उसे वित्त विभाग के आदेश दिनांक 13-6-67 (जो नियम 56 (क) (1) के नीचे राजस्थान सरकार के अनुदेश के रूप में समय समय पर यथा संशोधित कर रखा गया है) के पैरा 3 के उप पैरा 8 व 9 के अनुसार स्वतः ही अस्वीकृत किया हुआ समझा जाएगा।

मामले पर विचार कर लिया गया है तथा यह तय किया गया है कि उपर्युक्त आदेश के प्रावधान ऐसे मामलों पर लागू नहीं होते। फिर भी, ऐसे सरकारी कर्मचारियों को उनका उपार्जित अवकाश (जो 120 दिन से अधिक का न हो) जो दिनांक 1-7-67 से पूर्व उनके लेखे में जमा था, उसे अग्रेणीत किए जाने की स्वीकृति दी जा सकती है। इस प्रकार से अग्रेणीत उपार्जित अवकाश सेवा में वृद्धि दिए गए समय में अर्जित उपार्जित अवकाश के साथ मिलकर सेवा के वर्धित समय में ही उपभोग किया जाएगा या यदि राजस्थान सेवा नियमों के नियम 89 के अधीन अवकाश अस्वीकृत हो जाता है तो वह नियमानुसार सेवा में वृद्धि की गई अवधि के बाद भी उपभोग किया जा सकता है।

+ निर्णय संख्या 5—राजस्थान सरकार के निर्णय संख्या 2 के अधीन यह धारित किया गया था कि अवकाश, राजस्थान सेवा नियमों के नियम 89 के परन्तुक 2 के अधीन, उसके बढ़ाए जाने की अवधि के बाद केवल तब ही स्वीकृत किया जा सकता है जब कि अवकाश सार्वजनिक सेवा की आवश्यकताओं की वजह से दोनों मामलों में अर्थात (i) उपार्जित अवकाश के मामले में जिसे प्रथम परन्तुक के अधीन स्वीकार किया जा सकता था (ii) तथा बढ़ायी गई अवधि के सम्बन्ध मे बकाया उपार्जित अवकाश के मामलों में अस्वीकृत कर दिया गया हो। उपर्युक्त संदर्भित दोनों प्रकार के मामलों में अर्थात् अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तारीख के बाद अवकाश के मामलों मे या बढाई गई अवधि के समाप्त होने के बाद अवकाश उसी समय स्वीकृत किया जा सकता है जबकि सरकारी कर्मचारी ने अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तारीख या बढाई गई अवधि के पूर्व, जैसी भी स्थिति हो, औपचारिक रूप से अवकाश के लिए आवेदन किया हो तथा उसे अस्वीकृत कर दिया गया हो या स्वीकृति अधिकारी से यह सुनिश्चित कर लिया गया हो कि यदि अवकाश अस्वीकृत करने का आधार सार्वजनिक सेवाओं की आवश्यकता होगी।

उन सरकारी कर्मचारियों को जिनकी राजस्थान सेवा नियम भाग (II) के परिशिष्ट 9 के क्रम संख्या 19 (क) (i) पर शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने

÷ वित्त विभाग के आदेश सं० एफ 1 (31) वित्त वि (नियम) 68 दिनांक 3-8-68 द्वारा निविष्ट।

+ वित्त विभाग की अधिसूचना सं० एफ 1 (12) वित्त वि (नियम) 70 दिनांक 7-3-70 द्वारा निविष्ट।

के बाद दि० 28-2-71 तक या उस तारीख तक, जिसको वे 58 वर्ष के होते हैं, इनमें से जो भी पहिले हो, सेवा वृद्धि की गई थी, उन्हें अपनी अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तारीख से पूर्व औपचारिक आवेदन करना था। मामले की जांच कर ली गई है तथा यह तय किया गया है कि चूंकि उनके मामले में सेवा की वृद्धि स्वतः ही 28-2-71 या वह तारीख जिसको कि वे 58 वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं, इनमे से जो भी पूर्व मे हो, तक की हो, अतः अनिवार्यिकी आयु की तारीख के पूर्व जितना भी उपार्जित अवकाश बकाया हो, वह अधिवार्षिकी आयु की तारीख के बाद बढाया जा सकता है तथा उसकी सेवा वृद्धि की अवधि के सम्बन्ध मे देय उपार्जित अवकाश के साथ, राजस्थान सेवा नियमों के नियम 91 के अधीन निर्धारित की गई सीमा तक उपभोग किया जा सकता है। फिर भी इस प्रकार आगे ले जाया गया उपार्जित अवकाश व सेवा वृद्धि की अवधि में अर्जित उपार्जित अवकाश स्वतः ही सेवा वृद्धि की अवधि के समाप्त होने पर स्वीकार्य नहीं होगा लेकिन यह तभी दिया जाएगा जबकि इसे सार्वजनिक हित की दृष्टि से मना किया गया हो।

अनुदेश—(क) राजपत्रित अधिकारियों की, जिनके कि अवकाश का सत्यापन महालेखाकार द्वारा कराना होता है, ऐसे अवकाश के प्रार्थना पत्र उस तारीख से कम से कम दो माह पूर्व देने चाहिए जिसको कि वे अवकाश पर प्रस्थान करना चाहते हैं। ऐसे प्रार्थना पत्र महालेखाकार को उनके अवकाश की रिपोर्ट शीघ्र करने हेतु तथा उसे स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकारी के पास अधिकतम 15 दिन की अवधि मे लौटाने के लिए प्रार्थना करते हुए भेजे जाने चाहिए। इसके बाद सक्षम प्राधिकारी लिखित मे आदेश देगा कि उसका अवकाश स्वीकृत किया गया है अथवा नहीं। ये आदेश महालेखाकार एवं सम्बन्धित अधिकारी के पास भेजे जाएंगे।

(ख) अराजपत्रित अधिकारियों के मामले में, चूंकि महालेखाकार से रिपोर्ट प्राप्त करना आवश्यक नहीं है, इसलिए निवृत्ति पूर्व अवकाश का प्रार्थना पत्र कम से कम उस तारीख से एक माह पहिले भिजवाया जाना चाहिए जिससे कि अवकाश के लिए प्रार्थना की गई है। उक्त तारीख से पूर्व अवकाश स्वीकृत करने वाला सक्षम प्राधिकारी लिखित मे अवकाश को स्वीकृत या अस्वीकृत करने के सम्बन्ध में अपना निर्णय देगा।

गत मामलों मे जिनमें कि राज्य कर्मचारियों ने पर्याप्त समय पूर्व निवृत्ति पूर्व अवकाश के लिए आवेदन किया था परन्तु उन्हे अवकाश अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने की तारीख से पहिले या पुनर्नियुक्त होने से पूर्व या समय पर एक या अन्य कारण से स्वीकृत नहीं किया गया था, न कि राज्य कर्मचारियों द्वारा गलती करने के कारण स्वीकृत नहीं किया गया था। उनके सम्बन्ध मे यह निर्णय किया गया है कि उनके मामलों मे प्रत्येक की योग्यता के अनुसार निर्णय किया जावेगा।

+ स्पष्टीकरण –राजस्थान सेवा नियमों के नियम 56 के नीचे दी गई टिप्पणी संख्या 1 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें यह दिया हुआ है कि कोई भी राज्य कर्मचारी, जिसको अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तारीख के बाद या सेवा में की गई वृद्धि की समाप्ति के बाद, नियम 89 के अन्तर्गत अस्वीकृत अवकाश स्वीकृत किया गया है, उसे पेंशन सम्बन्धी लाभों के

+ वित्त विभाग की आज्ञा सं. एफ 1 (48) एफ डी (व्यय-नियम) 67 दिनांक 15-7-67 द्वारा शामिल किया गया।

प्रयोजनार्थ अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तारीख को या सेवा में की गयी वृद्धि की समाप्ति की तारीख को, जैसी भी स्थिति हो, सेवा से निवृत्त किया हुआ समझा जाता है तथा वह उक्त तारीख से समस्त पेंशन सम्बन्धी लाभों को प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। पूर्वोक्त प्रावधानों के सम्बन्ध में कुछ मुद्दे उठाये गए हैं जिनका स्पष्टीकरण निम्न प्रकार है—

उठाए गए मुद्दे	स्पष्टीकरण
(1) क्या एक राज्य कर्मचारी जो अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तारीख या सेवा में की गयी वृद्धि की तारीख, जैसी भी स्थिति हो, के ठीक बाद अस्वीकृत अवकाश का उपभोग करता है, अस्वीकृत अवकाश के प्रारम्भ होने की तारीख से सेवा से निवृत्त होगा एवं क्या वह उक्त तिथि से समस्त पेंशन सम्बन्धी लाभों को प्राप्त करने के योग्य हो जाएगा।	राज्य कर्मचारी जो अपनी अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तारीख या सेवा में की गई वृद्धि की समाप्ति के ठीक बाद पूर्ण या / आंशिक रूप में उपार्जित अवकाश का उपभोग करता है, उसकी अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तारीख से सेवा-निवृत्त हुआ समझा जायेगा या जहां सेवा में वृद्धि स्वीकृत की गई हो वहां उक्त वृद्धि की गयी अवधि की समाप्ति की तारीख से सेवा से निवृत्त हुआ समझा जायेगा तथा वह उस तारीख से समस्त पेंशन सम्बन्धी लाभों को प्राप्त करने के योग्य होगा।
(2) अस्वीकृत अवकाश की अवधि के अवकाश वेतन (लीव सेलेरी) का भुगतान किस प्रकार विनियमित किया जाएगा—	
(क) जब वह अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तारीख या सेवा में की गई वृद्धि की समाप्ति के, जैसी भी स्थिति हो, ठीक बाद लिया गया हो।	ऐसे मामले में स्वीकार्य अवकाश वेतन (लीव सेलेरी) वही होगा जो उन्हें सामान्य रूप से स्वीकार्य है लेकिन उसमें से पेंशन की राशि एवं उपदान के बराबर की पेंशन या अन्य सेवा निवृत्ति लाभों को काट लिया जाएगा।
(ख) जब वह उस पद के कर्त्तव्यों को पूर्ण करने के साथ उपार्जित की गई हो जिसमें कि व्यक्ति पुनर्नियुक्त किया गया हो।	अवकाश वेतन (लीव सेलेरी) उस राशि तक सीमित होगी जो अवकाश, अर्द्ध वेतन अवकाश में उसे स्वीकार्य है, लेकिन उसमें से पेंशन की राशि एवं या उपदान के बराबर की पेंशन या अन्य सेवा निवृत्ति लाभ की राशि काटली जाएगी।
(ग) जब व्यक्ति ऐसे पद से, जिसमें वह पुनर्नियुक्त हुआ है, अवकाश पर रवाना हो जाता है तथा जो पुनर्नियुक्ति के दौरान या बाद में अस्वीकृत अवकाश का उपभोग करता है।	अवकाश वेतन (लीव सेलेरी) वही होगा जो उसे पुनर्नियुक्ति को छोड़कर, सामान्य रूप से स्वीकार्य होता लेकिन उसमें से पेंशन की राशि एवं/या उपदान के बराबर की पेंशन या अन्य सेवा निवृत्ति लाभों को काट लिया जाएगा।

अन्तर्गत एक राज्य कर्मचारी को रूपान्तरित अवकाश स्वीकृत कर दिया जाता है तथा वह बाद में सेवा से निवृत्त होना चाहता है तो उसका रूपान्तरित अवकाश अर्द्ध-वेतन अवकाश में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए तथा रूपान्तरित अवकाश एवं अर्द्ध वेतन अवकाश के वेतन के अन्तर को उनसे वसूल करना चाहिए। इसलिए जो भी राज्य कर्मचारी इस प्रकार का रूपान्तरित अवकाश प्राप्त करता है उससे इस सम्बन्ध की प्रतिज्ञा भरा लेनी चाहिए। लेकिन अन्य प्रश्न जैसे कि अवकाश वेतन के रूप में अधिक प्राप्त की गई राशि को लौटाना आदि प्रत्येक मामले के स्वरूप को देखकर तय किया जावेगा।

दूसरे शब्दों में यदि सेवा निवृत्ति कर्मचारी द्वारा स्वेच्छा से चाही गई हो तो उसे राशि लौटाने के लिए कहा जाएगा परन्तु यदि बीमारी आदि से सेवा करने में असमर्थ होने के कारण उसे आवश्यकीय रूप से सेवा निवृत्त करने के लिए कहा जाए तो उससे कोई राशि लौटाने को नहीं कहा जावेगा।

(घ) बिना बकाया अवकाश कब स्वीकार किया जाता है (Leave not due when admissible):—निवृत्ति पूर्व अवकाश (Leave preparatory to retirement) के मामले के अतिरिक्त, स्थाई सेवा में नियुक्त एक अधिकारी को उसके पूर्ण सेवा काल में अधिकतम 360 दिन का बिना बकाया अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है लेकिन उसमें से एक साथ 90 दिन से अधिक का तथा कुल मिलाकर 180 दिन तक का बिना बकाया अवकाश चिकित्सा प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्यथा प्रकार से स्वीकृत किया जा सकता है। ऐसा अवकाश उस अधिकारी के उसके द्वारा बाद में कमाए गए अर्द्ध वेतन अवकाश में से काटा जावेगा।

निर्णय—राज्य सरकार ने इस प्रश्न पर विचार कर लिया है कि क्या 'बिना बकाया अवकाश' (लीव नॉट ड्यू) उस राज्य कर्मचारी को भी स्वीकृत किया जाना चाहिए जो कि तपेदिक का इलाज करा रहा हो। राज्य सरकार ने निर्णय किया है कि 'बिना बकाया अवकाश' तपेदिक से पीड़ित स्थाई व अर्द्ध-स्थाई सेवा में नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिए इस शर्त पर स्वीकृत किया जा सकता है कि जब अवकाश स्वीकृत करने में सक्षम प्राधिकारी इससे पूर्णतया सन्तुष्ट हो जाए कि (1) राज्य कर्मचारी के अवकाश की समाप्ति पर सेवा में लौटने के पर्याप्त उचित आधार हैं तथा (2) उसके बाद उसके द्वारा कमाया जाने वाला अवकाश उसके द्वारा उपभोग किए गए 'बिना बकाया अवकाश' की मात्रा से कम नहीं होगा। अवकाश की समाप्ति के बाद सेवा में लौटने के आधार को उचित चिकित्सा प्राधिकारी (Medical Authority) द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र के आधार पर आंका जावेगा। 'बिना बकाया अवकाश' की मात्रा के बराबर, बाद में अवकाश कमाने के आधार में इस बात को ध्यान में रखा जावेगा कि क्या साधारण रूप में राज्य कर्मचारी के सेवा से लौटने पर उसका सेवा काल इतना पर्याप्त होगा कि उसमें वह 'बिना बकाया अवकाश' की मात्रा के बराबर अवकाश उपार्जित कर सकेगा। उदाहरण के लिए यदि एक राज्य अधिकारी सेवा पर लौटकर आता है, एवं साधारण रूप में वह बाद में अधिवार्षिकी आयु (Superannuation) प्राप्त करने से पहिले केवल तीन साल तक सेवा करता है, तो 'बिना बकाया अवकाश', उतने से ज्यादा नहीं होना चाहिए जितना कि वह इस तीन साल की अवधि में अर्द्धवेतन अवकाश कमा सकता है।

(2) उचित चिकित्सा प्राधिकारी निम्न को माना जावेगा:—

(1) एक राज्य कर्मचारी का प्राधिकृत चिकित्सक

(2) यदि राज्य कर्मचारी किसी एक मान्यता प्राप्त सेनेटोरियम में इलाज करा रहा हो तो उस मान्यता प्राप्त सेनेटोरियम का इन्चार्ज चिकित्सा अधिकारी।

(3) यदि राज्य कर्मचारी अपने निवास स्थान पर इलाज करा रहा है तो सम्बन्धित राजकीय प्रशासनिक चिकित्सा प्राधिकारी (State Administrative Medical officer) द्वारा मान्यता दिया हुआ एक तपेदिक विशेषज्ञ (Tuberculosis Specialist); एवं

(4) यदि राज्य कर्मचारी पल्मोनरी तपेदिक के अतिरिक्त अन्य तपेदिक से पीड़ित हो रहा हो तो एक योग्य तपेदिक विशेषज्ञ या सिविल सर्जन।

टिप्पणियाँ—(1) 'बिना बकाया अवकाश' उसी समय स्वीकृत करना चाहिये यदि अवकाश स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी इससे सन्तुष्ट हो जाता है कि अवकाश की समाप्ति पर राज्य कर्मचारी के सेवा में वापिस आने के पर्याप्त उचित आसार हैं, यह 'बिना बकाया अवकाश' उसके द्वारा परवर्ती सेवा काल में कमाए गए 'अर्द्ध वेतन अवकाश' की मात्रा के बराबर तक ही स्वीकृत किया जा सकेगा।

(2) यदि सेवा किसी एक साल में कुछ समय तक चतुर्थ श्रेणी के पद पर तथा कुछ चतुर्थ श्रेणी के अतिरिक्त अन्य पद पर की गई हो तो उस पूर्ण वर्ष का 'अर्द्ध वेतन अवकाश' निम्न प्रकार से लागू होगा—

'अर्द्ध वेतन अवकाश' अनुपात की दर पर चतुर्थ श्रेणी के पद के समय का व चतुर्थ श्रेणी के अतिरिक्त अन्य पद के समय का अलग अलग निकाला जावेगा तथा बाद में दोनों को जोड़ा जावेगा। यदि किसी विशिष्ट साल के अर्द्ध वेतन अवकाश का कोई भाग बचता है तथा यदि वह आधे से कम हो तो उसे छोड़ दिया जावेगा तथा यदि आधा या इससे ज्यादा है तो उसे पूरा एक अर्द्ध वेतन अवकाश मान लिया जावेगा।

निर्णय संख्या 1—राजस्थान सेवा नियमों के नियम 93 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। चूंकि इस नियम के शामिल करने से अर्द्ध वेतन अवकाश के आधार में परिवर्तन हो गया है, इसलिए यह माना जाता है कि राज्य कर्मचारियों के पूर्ण सेवा काल के सम्बन्ध में, पूर्व प्रभाव से गणना की जावेगी। इसलिए राजस्थान सेवा नियमों के लागू होने की तिथि को जो 'अर्द्ध वेतन अवकाश' बकाया निकलेगा वह सन् 1951 तक की गई सेवा अवधि के पूर्ण वर्षों के सम्बन्ध में निकाला जाकर तथा उस तिथि से पूर्व लिया गया 'निजि कार्यों के लिए अवकाश', एवं 'चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश' या किसी भी किस्म का अर्द्ध वेतन अवकाश या अर्द्ध औसतन वेतन अवकाश आदि को उसमें से घटा कर, जो शेष रहेगा, वह माना जावेगा।

(2) यदि इस प्रकार की गणना से उसका उपभोग किया गया 'अर्द्ध वेतन अवकाश' उसके बकाया अर्द्ध वेतन अवकाश से ज्यादा हो तो उसका शेष उपभोग किया गया अर्द्ध वेतन अवकाश बाद में (1 अप्रेल 1951 से) कमाए गए अर्द्ध वेतन अवकाश में से काट लिया जावेगा। इस अधिक

समय का 1/12 भाग माना जाना चाहिए। तथा इस प्रकार से निकाले गये अवकाश में से आधा अवकाश उसके द्वारा लिया हुआ माना जाना चाहिए। तथा जो अवकाश शेष बचे वह राजस्थान सेवा नियमों के नियम 91 (3) के प्रथम प्रावधान में वर्णित सीमा तक अधिकतम रूप में हो सकता है।

(ii) 1-4-51 को अर्द्ध वेतन अवकाश निकालने में उक्त निर्णय संख्या 1 मे दिए गए तरीके को काम मे लिया जावेगा। जिन मामलों में अवकाश का अभिलेख (रिकार्ड) उपलब्ध नहीं हो या अवकाश लेखा ठीक ढंग से तैयार नही किया गया हो, उसके सम्बन्ध में यह माना जावेगा कि राज्य कर्मचारी ने कोई अर्द्ध वेतन अवकाश नही लिया है।

(iii) जो राज्य कर्मचारी विश्रामकालीन विभागों (Vacation Departments) में हैं, जब तक विपरीत रूप का कोई प्रमाण उपलब्ध न हो, यह माना जाना चाहिए कि उसने विश्राम-काल का पूर्ण उपभोग किया है।

+ 94 (क)—अस्थाई कर्मचारियों के लिए अवकाश—नियम 91,92 व 93 के प्रावधान उस अधिकारी पर भी लागू होते हैं जो स्थाई सेवा में नहीं है सिवाय इसके कि सेवा के प्रथम वर्ष में स्वीकार्य उपार्जित अवकाश।

(i) राजस्थान सशस्त्र पुलिस मे नियोजित तथा सीमा क्षेत्र पर पदस्थापित अधिकारी को राजकीय आदेश स. एफ 1 (21) जीए/ए/प्रुप II/64 दिनांक 8-5-64 में परिभाषित किए गए अनुसार बिताई गई अवधि का 1/16 भाग होगा।

(ii) उपर्युक्त (1) के अन्तर्गत नहीं आने वाले सरकारी कर्मचारियों के मामले मे बिताई गई अवधि का 1/22 भाग होगा।

[परन्तुक—विलोपित किया गया]

परन्तु यह और भी है कि ऐसे राज्य कर्मचारी के सम्बन्ध में—

(क) कोई भी अर्द्ध वेतन अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा जब तक कि अवकाश स्वीकृत करने वाला सक्षम प्राधिकारी सिवाय ऐसे मामले को छोड़कर जिसमें कि एक राज्य कर्मचारी को किसी चिकित्सा अधिकारी ने पूर्ण व स्थाई रूप से सेवा करने में असमर्थ घोषित कर दिया हो, यह विश्वास न करले कि अधिकारी अवकाश की समाप्ति पर सेवा में पुनः उपस्थित हो जावेगा।

(ख) कोई भी बिना बकाया अवकाश (Leave not due) स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

टिप्पणी—[देखिए नियम 94 क परिशिष्ट 2 (1) व (3)]

निर्णय—निम्नलिखित श्रेणी के राज्य कर्मचारियों को उनकी सेवा समाप्त (Terminate) करने पर अवकाश स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने निर्णय पर, उनके बकाया तथा प्राप्य उपार्जित अवकाश की सीमा तक अन्तिम अवकाश (Terminal leave) स्वीकृत किया जा

+ वित्त विभाग की आज्ञा सं. एफ 1 (32) वित्त विभाग (नियम) 65 दिनांक 17-7-68 द्वारा संशोधित किए गए अनुसार तथा परन्तुक आदेश सम संख्यक दिनांक 10-2-66 द्वारा विलोपित किया गया।

सकता है, चाहे उसके लिए प्रार्थना न की गई हो तथा चाहे वह सार्वजनिक हित में अस्वीकृत कर दिया गया हो—

(क) एक अस्थाई सेवा में नियुक्त राज्य कर्मचारी जिनकी कि सेवाऐं सरकार द्वारा अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने के पूर्व ही पदों की कटौती करने के फलस्वरूप या पद की समाप्ति के फलस्वरूप समाप्त कर दी गई है।

(ख) पुनर्नियुक्त किए गए पेंशनर (Pensioners) जो अवकाश के सम्बन्ध में नए नियुक्त किए गए व्यक्तियों के समान इस शर्त के साथ माने जाते हैं कि ऐसे पेंशन पाने वाले व्यक्तियों को उनके अन्तिम अवकाश की अवधि में कोई पेन्शन नहीं मिलेगी यदि पुनर्नियुक्ति काल में उनकी पेन्शन रोक ली गई हो।

(ग) वे व्यक्ति जो राजस्थान सेवा नियमों के परिशिष्ट (2) में दी गई शर्तों के आधार पर एक साल से अधिक के लिए किसी शर्त पर नियुक्त किये गए हों।

(घ) अयोग्य व्यक्ति जिनको कि अपना अस्थाई पद योग्य उम्मीदवारों के लिए रिक्त करना है; एवं

(ङ) वे व्यक्ति जिनको सेवाऐं, उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के अलावा प्रशासनात्मक सुविधा को ध्यान में रखते हुए समाप्त की जानी हों।

उक्त निर्णय निम्न पर लागू नहीं होगा—

(1) नव सिखुआ (Apprentices) एवं वे व्यक्ति जो सरकार की निरन्तर सेवा में नहीं है तथा जो उन पर लागू नियमों के अनुसार शासित होंगे, या

(2) जहां सम्बन्धित राज्य कर्मचारी सेवा से बर्खास्त किया गया हो अथवा हटाया गया हो, या

(3) जहां राज्य कर्मचारी की सेवाऐं राष्ट्र विरोधी आन्दोलन में भाग लेने के फलस्वरूप समाप्त कर दी गई हों।

यदि एक अस्थाई राज्य कर्मचारी स्वयं की इच्छा से अपने पद से त्याग पत्र देता है, तो स्वीकृति प्रदान करने वाला प्राधिकारी अपने निर्णय पर, उसके बकाया अवकाश से आधे समय का उपार्जित अवकाश उसे स्वीकृत कर सकता है जिसको कि वह एक समय में उपभोग कर सकता है। जो मामले पहिले तय किए जा चुके हैं उन्हें दोहराने की जरूरत नहीं होगी।

किसी अस्थाई पद या पुनर्नियुक्ति की अवधि को, राज्य कर्मचारी की उसकी स्थाई नियुक्ति के अन्त में या उसकी पुनर्नियुक्ति की अवधि के अन्त में स्वीकृत किए गए अवकाश की अवधि तक बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

सभी मामलों में जहां सम्बन्धित अस्थाई राज्य कर्मचारियों को नियुक्ति की शर्तों के अनुसार सेवा समाप्त करने का नोटिस उसे दिया जाना हो तथा वह राज्य कर्मचारी नोटिस की अवधि समाप्त होने के पूर्व ही सेवा से हटा दिया गया हो तो उस नोटिस के समय को या उसके बचे हुए समय को स्वीकृत किए गए समय के साथ साथ बिताया हुआ समझना चाहिये।

× स्पष्टीकरण—एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि माया सरकारी कर्मचारियों के मामले में जिनकी कि सेवायें राजस्थान सेवा नियमों के नियम 23 क के अधीन नोटिस के बदले वेतन एवं भत्ते का भुगतान करने पर समाप्त कर दी जाती हैं, उसके लेखे में जमा उपार्जित अवकाश को सेवा समाप्ति अवकाश (टरमीनल लीव) के रूप में स्वीकृत किया जा सकता है। तथा उसके अवकाश वेतन को किस प्रकार विनियमित किया जा सकता है। नियम के नीचे दिए गए राजस्थान सरकार के निर्णय के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को जिनकी सेवाएं समाप्त की गई हैं, उनके लेखे में जमा उपार्जित अवकाश की सीमा तक सेवा समाप्ति अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। ऐसे मामलों में, नोटिस की अवधि के लिए, जिसमें कि सरकारी कर्मचारी द्वारा साथ साथ सेवा समाप्ति अवकाश भी लिया जाता है, केवल अवकाश वेतन ही दिया जाएगा। एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामलों में जिनमें नोटिस के बदले वेतन दिया जाता है, सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी को सेवा समाप्ति अवकाश, उसके बकाया होने एवं स्वीकार्य होने की सीमा तक, स्वीकृत किया जा सकता है लेकिन उक्त अवकाश काल का अवकाश वेतन केवल अवकाश की अवधि के लिए ही दिया जाना चाहिये इसमें वह अवधि शामिल नहीं की जानी चाहिये जिसके लिए कि नोटिस के बदले वेतन एवं भत्ते दिए गए हैं।

94. (ख) एक अधिकारी जो स्थायी नियुक्ति में नहीं है तथा जो किसी वेकेशन डिपार्टमेंट में सेवा कर रहा है, तो उसे उपार्जित अवकाश उसके प्रथम वर्ष के सम्बन्ध में जिसमें कि उसे पूर्ण अवकाश (वेकेशन) को प्राप्त करने से रोका गया है, 17 दिनों के अनुपात से उतने दिनों के लिए प्राह्य होगी जितने दिन का कि उसने अवकाश का उपभोग नहीं किया है।

+ निर्णय—राजस्थान सेवा नियमों के नियम 92 (ख) के नीचे दिया गया राजस्थान सरकार का निर्णय संख्या 2 वेकेशन डिपार्टमेन्ट के एक अस्थाई सेवा में नियुक्त राज्य कर्मचारी पर भी लागू होगा।

विश्राम काल (Vacation)

नियम 94. क—जब तक विषय से अन्यथा प्रकार से मालूम न हो, विश्राम काल सेवा के रूप में गिना जाता है न कि अवकाश के रूप में।

एक सक्षम प्राधिकारी विशिष्ट रूप से उन विभागों का या विभागों के कुछ भागों को निर्देशन दे सकता है जिनको कि विश्राम कालीन (Vacation) विभाग के रूप में माना जाना चाहिये तथा उन शर्तों का उल्लेख कर सकता है जिनमें कि एक राज्य कर्मचारी को विश्राम काल का उपभोग किया हुआ समझा जावेगा।

निर्णय—राज्यपाल ने आदेश दिया है कि राजस्थान में कृषि एवं पशुपालन संस्थाओं को 'विश्राम-कालीन संस्थाओं' (Vacational Institution) के रूप में माना जावेगा।

× वित्त विभाग की आज्ञा सं. एफ 1 (38) वित्त वि. (नियम) 69 दिनांक 26-9-69 द्वारा निविष्ट।

× (वित्त विभाग की आज्ञा संख्या एफ 1 (32) एफ० डी० (व्यय-नियम) दिनांक 19-6-65 द्वारा शामिल किया गया)

परिशिष्ट (Annexure)

1– एक विश्राम कालीन विभाग वह विभाग या विभाग का भाग होता है जिसमें नियमित रूप से विश्राम स्वीकार किया जाता है तथा जिसमें उनमें सेवा करने वाले राज्य कर्मचारियों को सेवा से अनुपस्थित रहने की आज्ञा दी जाती है।

2- (i) जब उक्त अवतरण (1) की शर्तों का पूर्णतया पालन हो जाए तो निम्नलिखित श्रेणी के राज्य कर्मचारियों को विश्राम कालीन विभागों में कार्य करते हुए समझा जाना चाहिए–

(क) शिक्षा विभाग के संचालक, उप संचालकों एवं सहायक संचालकों तथा निरीक्षण अधिकारियों एवं उनके कर्मचारी वर्ग को छोड़कर शिक्षा अधिकारीगण।

(ख) अन्य श्रेणी के राज्य कर्मचारी जिसे कि एक सक्षम प्राधिकारी विश्राम कालीन विभाग के अन्तर्गत सेवा करता हुआ घोषित करे।

(ii) सन्देह की स्थिति में एक सक्षम प्राधिकारी निर्णय कर सकता है कि अमुक् विशिष्ट राज्य कर्मचारी एक विश्राम कालीन विभाग में सेवा करता है या नहीं।

3. जब तक किसी उच्च सत्ता द्वारा सामान्य या विशेष आदेशों द्वारा किसी राज्य कर्मचारी को पूर्ण विश्राम काल या आंशिक विश्राम काल का उपभोग करने से मना नहीं किया जाता है, वह अपने पूर्ण विश्राम काल का उपभोग किया हुआ माना जावेगा। परन्तु शर्त यह है कि यदि वह आदेश द्वारा इस प्रकार के 15 दिन या उससे अधिक के विश्राम काल का उपभोग करने में रोक दिया जाता है तो उसे विश्राम काल के किसी भी भाग का उपभोग किया हुआ नहीं समझा जावेगा।

+ अपवाद—आयुर्वेदिक कालेजों की निम्नलिखित विशेष शाखाओं (स्पेशियलीटीज) को विश्राम कालीन विभाग (वेकेशन डिपार्टमेण्ट) के रूप में नहीं समझा जाएगा—

(1) काय चिकित्सा (2) शल्य शालाक्य (3) प्रसूती (4) स्त्री रोग (5) कौमार भृत्य
(6) अगततन्त्र (7) दृष्टिवृति विज्ञान (8) शरीर क्रिया (9) रसभेषज्य

टिप्पणियां—(1) एक राज्य कर्मचारी जिसे विश्राम काल में अपना दैनिक कार्य करना होता है तथा जिसके लिए उसे सेवा-स्थान पर उपस्थित रहना जरूरी नहीं होता है तथा जो कार्य उसके द्वारा अन्य स्थान पर पूरा किया जा सकता है या जो अन्य राज्य कर्मचारी द्वारा किया जा सकता है तो उसे अपने पूर्ण विश्राम काल या उसके भाग का उपभोग किया हुआ समझा जावेगा। एक राज्य कर्मचारी जो विश्राम काल के किसी समय में सेवा स्थल से अनुपस्थित रहता है उससे सरकारी खर्च के बिना अपना दैनिक कार्य निभाने का प्रबन्ध करने या उसके प्रति उत्तरदायी रहने की आशा की जाती है। एक राज्य कर्मचारी जो अपने विश्रामकाल के किसी समय में सेवा के स्थान से अन्य स्थान पर हो और उसे वहां से सेवा पर बुलाया जाता है तो वह यात्रा भत्ता का उस समय तक अधिकारी नहीं होगा जब तक कि उसने विश्राम काल के साथ साथ अवकाश नहीं लिया हो।

+ वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 1 (62) वित्त वि (व्यय-नियम) 68 दिनांक 18-8-69 द्वारा निविष्ट तथा दिनांक 17-12-68 से प्रभावी।

(2) इस प्रवतरण में प्रयुक्त किए गए "उच्च सत्ता" शब्दों का तात्पर्य एक कार्यालय या संस्था के अध्यक्ष के सम्बन्ध में विभाग के अध्यक्ष से है तथा अन्य मामलों में कार्यालय या संस्था के अध्यक्ष से है।

नियम 95. सेवा भंग किए बिना एक अस्थाई राज्य कर्मचारी की स्थाई रूप में नियुक्ति होने पर उनका अवकाश—एक राज्य कर्मचारी, जो स्थाई सेवा में नहीं हो, सेवा में व्यवधान किए बिना ही यदि स्थाई पद पर नियुक्त कर दिया जाता है तो उसकी सेवा को उपार्जित अवकाश जमा किया जाएगा जो कि उसे प्राप्य होता यदि उसकी पूर्व सेवा स्थाई नियुक्ति के कर्मचारी की सेवा के रूप में होती। इस उपार्जित अवकाश में से जो उसने पूर्व में अवकाश ले लिया है, वह घटा दिया जावेगा। इस नियम के लिए अवकाश सेवा में व्यवधान नहीं डालता है।

नियम 96. असाधारण अवकाश (Extra ordinary leave)— क) विशेष परिस्थितियों में राज्य कर्मचारी को असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

(i) जब नियमों के अन्तर्गत कोई अन्य अवकाश प्राप्त नहीं कर सकता हो।

(ii) जब अन्य अवकाश प्राप्त किया जा सकता हो लेकिन सम्बन्धित राज्य कर्मचारी लिखित में उसे असाधारण अवकाश स्वीकृत करने के लिए प्रार्थना पत्र देता हो।

(ख) स्थाई सेवा में नियुक्त राज्य कर्मचारियों के मामलों को छोड़ कर असाधारण अवकाश का समय किसी भी एक समय पर तीन या अठारह माह से अधिक का नहीं होगा। अधिक लम्बे समय का असाधारण अवकाश सरकार द्वारा सामान्य या विशेष रूप से निकाले गए आदेश की शर्तों के अनुसार उस समय स्वीकृत किया जाएगा जब कि राज्य कर्मचारी निम्न में से किसी एक बीमारी का इलाज करा रहा हो—

(i) एक मान्यता प्राप्त सेनेटोरियम में पल्मोनेरी तपेदिक का इलाज कराता हो।

(ii) शरीर के किसी अन्य भाग में हुई तपेदिक का एक योग्य तपेदिक विशेषज्ञ या एक सिविल सर्जन द्वारा इलाज करा रहा हो ; या

(iii) किसी मान्यता प्राप्त कुष्ट चिकित्सालय संस्था (Leprosy Institution) में कुष्ट रोग का किसी सम्बन्धित राज्यकीय प्रशासनात्मक चिकित्सा अधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त कुष्ट रोग के विशेषज्ञ से अथवा एक सिविल सर्जन से इलाज करा रहा हो।

+ (ख) (क) जब तपेदिक (T. B.) का इलाज कराने वाले राज्य कर्मचारी के लिए असाधारण अवकाश उपनियम (ख) के अधीन स्वीकृत किया जाता है एवं वह अपना कार्य भार (ड्यूटी) उक्त अवकाश का उपभोग कर, ग्रहण करता है एवं उसके बाद में अर्द्धवेतन अवकाश उपार्जित करता है तो उसके द्वारा इस प्रकार से प्राप्त किए गए असाधारण अवकाश को अर्द्धवेतन अवकाश में परिवर्तित किया जायगा एवं अर्जित अर्द्धवेतन अवकाश में समायोजित कर लिया जाएगा।

टिप्पणियाँ-अठारह माह की अवधि तक के असाधारण अवकाश स्वीकृत करने की रियायत

+ (वित्त विभाग की आज्ञा संख्या एफ 1 (61) एफ० डी० (व्यय-नियम) / 65 दिनांक 17-11-65 द्वारा शामिल किया गया)

उस राज्य कर्मचारी को भी मिल सकेगी जो पल्मोनेरी तपेदिक से पीड़ित है तथा जो अपना इलाज घर पर ही ऐसे तपेदिक के विशेषज्ञ से कराता है जो कि राज्यकीय प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी से मान्यता प्राप्त किया हुआ है तथा उस विशेषज्ञ द्वारा हस्ताक्षरित इस सम्बन्ध का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है कि वह उससे इलाज करवा रहा है तथा उसके लिए सिफारिश किए गए अवकाश की समाप्ति के बाद, उसके स्वस्थ हो जाने की पर्याप्त उचित सम्भावना है।

(2) (i) उपनियम के अन्तर्गत अठारह माह तक के असाधारण अवकाश की रियायत केवल उन्हीं राज्य कर्मचारियों को उपलब्ध की जाएगी जो एक साल से अधिक समय से लगातार राज्यकीय सेवा में चले आ रहे हैं।

(ii) जिस पद से राज्य कर्मचारी अवकाश पर प्रस्थान करता हो, वह पद उसके सेवा से लौट कर आने के समय तक, रखा जाना चाहिए, एवं

(iii) राज्य कर्मचारी ऐसे किसी सेनेटोरियम के मेडिकल आफीसर इन्चार्ज, या तपेदिक विशेषज्ञ, या निर्धारित पद के अन्य चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता हो, जिससे कि वह इलाज करा रहा हो। प्रमाण-पत्र में उस अवधि का उल्लेख किया जाना चाहिए जिसके लिए कि अवकाश की सिफारिश की गई है।

अवकाश की सिफारिश करने वाला अधिकारी यह ध्यान रखेगा कि उसे किसी एक ऐसे मामले में अवकाश स्वीकृत करने की सिफारिश नहीं करनी चाहिए जिसमे कि राज्य कर्मचारी के पुनः सेवा में उपस्थित होने की कोई सम्भावना नहीं मालूम होती हो। ऐसे मामलों में उसे चिकित्सा प्रमाण पत्र में अपनी यह राय लिख देनी चाहिए कि राज्य कर्मचारी राज्य सेवा करने मे स्थाई रूप से अयोग्य है।

निर्णय :—ऐसे मामले प्राप्त किए जा रहे हैं जिनमें या तो सम्बन्धित राज्य कर्मचारी के लम्बी बीमारी के कारण या उसे अध्ययन के विभिन्न पाठ्यक्रम पूरे करने हेतु उक्त नियम के प्रावधानों में रियायत करने के लिए निवेदन किया जाता है।

यह निर्णय किया गया है कि भविष्य मे राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 (ख) में रियायत बरतते हुए असाधारण अवकाश की स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रशासनिक विभागों द्वारा की गई सिफारिशों पर केवल उसी समय विचार किया जावेगा जबकि निम्नलिखित शर्तें पूर्ण करली जावेंगी :—

(1) तीन माह के असाधारण अवकाश की समाप्ति की तारीख को सम्बन्धित राज्य कर्मचारी ने तीन साल की सेवा पूरी करली हो (इस नियम के अन्तर्गत स्वीकृत अवकाश सहित) जो कि साधारण रूप में एक अस्थाई राज्य कर्मचारी को स्वीकृत की जाती है।

(ii) असाधारण अवकाश का कुल समय (इस नियम के अन्तर्गत प्राप्य तीन माह सहित) निम्न से ज्यादा न हो :—

(क) 6 माह, जहां अवकाश राज्य कर्मचारी की बीमारी के कारण चाहा गया हो तथा जहां नियमानुसार अवकाश की स्वीकृति के प्रार्थना पत्र के साथ चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न किया गया हो।

(ख) 2 वर्ष अध्ययन जारी रखने के लिए जहां यह सार्वजनिक हित में प्रमाणित किया गया हो।

(ग) जहां एक राज्य कर्मचारी जो स्थायी सेवा में नहीं है, उसे स्वीकृत किए अधिकतम असाधारण अवकाश की समाप्ति के बाद सेवा में उपस्थित होने में असफल रहता है या जहां एक राज्य कर्मचारी जिसको कि उसे प्राप्य अधिकतम असाधारण अवकाश के स्थान पर कम समय का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया गया है, वह किसी ऐसे समय तक सेवा से अनुपस्थित रहता है जो कि स्वीकृत किए गए असाधारण अवकाश को मिलाकर, उस अधिकतम सीमा से ज्यादा होता है जो कि उसे उपनियम (ख) के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता था, तो वह, जब तक कि राज्यपाल मामले की अपवादस्वरूप परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अन्यथा प्रकार से आदेश न दे, अपनी नियुक्ति से त्याग पत्र दिया हुआ समझा जावेगा तथा उसके अनुसार राज्य सेवा में रहना बन्द कर देगा।

(घ) अवकाश स्वीकृत करने में सक्षम प्राधिकारी बिना अवकाश (Without Leave) की अनुपस्थिति के समय को पूर्व प्रभाव से रूपान्तरित अवकाश में बदल सकता है।

निर्णय :—तपेदिक से पीड़ित राज्य कर्मचारियों के लिए सेवा पर उपस्थिति देने से पूर्व निम्नलिखित अधिकारियों से शारीरिक स्वस्थता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिये—

(1) एक अस्थाई राजपत्रित राज्य कर्मचारी जो पल्मोनरी तपेदिक या शरीर के अन्य किसी भाग में तपेदिक से पीड़ित हो उसे नियम 84 में वर्णित मेडिकल कमेटी का एक योग्यता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिये चाहे इलाज सेनेटोरियम मे कराया गया हो या घर पर। मेडिकल कमेटी मे एक टी. बी. विशेषज्ञ का भी सदस्य के रूप में महवरण किया जाना चाहिये।

(2) पल्मोनरी तपेदिक से पीडित एक अस्थाई अराजपत्रित राज्य कर्मचारी के लिए या तो किसी एक मान्यता प्राप्त सेनेटोरियम के मेडिकल आफिसर इन्चार्ज का या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक तपेदिक विशेषज्ञ से प्राप्त शारीरिक स्वस्थता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना चाहिये। जब वह राज्य कर्मचारी शरीर के किसी भाग की तपेदिक से पीडित हो, तो उसे एक योग्यता प्राप्त तपेदिक विशेषज्ञ या सिविल एसिस्टेन्ट सर्जन क्लास I से प्राप्त शारीरिक स्वस्थता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना चाहिये।

नियम 97. (1) (i) प्रत्येक प्रकार के अवकाश के लिए प्राप्य अवकाश वेतन की राशि- (1) उपार्जित अवकाश पर एक राजपत्रित कर्मचारी (क) या (ख) इनमें से जो कोई ज्यादा हो, के बराबर अवकाश वेतन प्राप्त करने का हकदार होगा—

(क) जिस माह में अवकाश प्रारम्भ होता है उससे पूर्व के पूर्ण दस माह की अवधि में कमाया गया औसतन मासिक वेतन; एवं

(ख) स्थाई वेतन जिसे अवकाश प्रारम्भ होने के पूर्व दिन, राज्य कर्मचारी प्राप्त करने का हकदार है।

(ii) चतुर्थ श्रेणी के अतिरिक्त अन्य एक अराजपत्रित राज्य कर्मचारी को उपार्जित अवकाश पर अवकाश वेतन (Leave Salary) निम्न प्रकार से प्राप्त हो सकेगा—

(क) उस वेतन के बराबर जिसे वह अवकाश प्रारम्भ होने के पूर्व दिन प्राप्त करने का हकदार है।

परन्तु शर्त यह है कि यदि उस रोज वह अतिरिक्त कार्य करने के कारण उसे स्वीकृत विशेष वेतन पा रहा हो या नियम 50 के अन्तर्गत अपने पद के कार्य के अतिरिक्त अन्य पद का कार्यभार सम्भालने के कारण अतिरिक्त वेतन प्राप्त कर रहा हो, तो अवकाश वेतन देने में ऐसा विशेष वेतन या अतिरिक्त वेतन शामिल नहीं किया जावेगा।

या

(ख) जैसा कि उपरोक्त (1) (क) में दिये गये अनुसार जो भी ज्यादा हो।

(2) एक अधिकारी जो अर्द्ध वेतन अवकाश या बिना बकाया अवकाश (Leave not due) पर हो तो उसे अवकाश वेतन उप उपनियम (1) में वर्णित आधी राशि के बराबर मिलेगा परन्तु अधिकतम 75) रु० तक स्वीकृत किया जा सकेगा।

परन्तु शर्त यह है कि यदि अवकाश चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर लिया गया हो या किसी अध्ययन के मान्य पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए अध्ययन अवकाश शर्तों के अतिरिक्त अन्यथा प्रकार से लिया गया हो तो उस पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।

(3) रूपान्तरित अवकाश पर एक राज्य अधिकारी को अवकाश वेतन उसी तरह मिलेगा जो कि उसे उपार्जित अवकाश पर मिलता है।

(4) एक राज्य कर्मचारी जो असाधारण अवकाश पर हो, उसे कोई अवकाश वेतन नहीं मिलेगा।

(5) एक चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी जो उपार्जित अवकाश या रूपान्तरित अवकाश या अर्द्ध वेतन अवकाश पर है, वह अपना अवकाश वेतन, अवकाश प्रारम्भ होने के पूर्व दिन, अपने विशेष वेतन सहित वेतन या ऐसे वेतन के आधे के बराबर, जैसी भी स्थिति हो, पाने का हकदार होगा।

+निर्णय संख्या 1—यह निर्णय किया गया है कि सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के अधीन स्पष्ट रिक्त पदों पर दि 31 दिसम्बर को या उससे पूर्व स्कूलों एवं महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य के लिए अस्थाई रूप से नियुक्त व्यक्ति को वेकेशन वेतन दिया जाएगा बशर्ते कि अन्य कोई सरकारी कर्मचारी उसी पद पर वेकेशन वेतन प्राप्त नहीं करता है तथा यह भी और है कि ऐसे सरकारी कर्मचारी अगले शिक्षण सत्र के खुलने की तारीख से एक माह के भीतर अपनी ड्यूटी पर उपस्थित होते हैं।

समस्त ऐसे अस्थायी अध्यापकों की जो अवकाश काल में रिक्त पदों पर 1 जनवरी से पूर्व नियुक्त हुए हैं या ऐसे प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त किए गए हैं जो ऐसी नियुक्तियां करने में सक्षम हैं तथा उन समस्त अस्थायी अध्यापकों की, जो 31 दिसम्बर के बाद नियुक्त हुए हैं, सेवाएं सत्र के अन्तिम कार्य दिवस को समाप्त करदी जाएंगी।

+ वित्त विभाग की आज्ञा सं० एफ 1 (50) वित्त वि०(नियम) 66 दिनांक 22-8-70 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

निर्णय संख्या 2—विलोपित किया गया।

निर्णय संख्या 3—एक सेवा निवृत्त (रिटायर्ड) एवं पुनर्नियुक्त अधिकारी जो कि अपनी पुनर्नियुक्ति के समय में उपार्जित अवकाश, अर्द्ध वेतन अवकाश, रूपान्तरित अवकाश एवं असाधारण अवकाश लेता है, उसके अवकाश वेतन या पेन्शन के सही निर्धारण में कुछ सन्देह व्यक्त किए गए हैं। स्थिति निम्न प्रकार है—

(2) पेन्शन योग्य (Pensionable) सेवा से निवृत्त होने के बाद पुनर्नियुक्त होने पर, एक अधिकारी की पेन्शन या तो स्थगित कर दी जाती है या अलग से प्राप्त करने की उसे स्वीकृति दी जा सकती है जिसके लिए जहां आवश्यक हो, पुनर्नियुक्ति के वेतन से उचित कटौती की जा सकती है। एक अधिकारी जिसकी पेन्शन पुनर्नियुक्ति के समय में अलग से प्राप्त की जाती है तथा जो उपार्जित अवकाश या अर्द्धवेतन अवकाश या रूपान्तरित अवकाश पर रवाना होता है, तो वह पुनर्नियुक्ति के मूल वेतन पर आधारित अवकाश वेतन प्राप्त करने का अधिकारी होगा (अर्थात् इसमें पेन्शन एवं/ या ग्रेच्युटी के समान पेन्शन शामिल नहीं होगी) तथा इसके अतिरिक्त अलग से पेन्शन प्राप्त करता रहेगा। एक अधिकारी जिसकी पेन्शन स्थगित कर रखी हो तो वह पुनर्नियुक्ति के मूल (नेट) वेतन पर आधारित अवकाश वेतन प्राप्त करेगा (अर्थात् अरूपान्तरित पेन्शन एवं/या ग्रेच्युटी के बराबर पेन्शन को घटाकर वेतन) तथा इसके साथ में स्थगित की गई पेन्शन के बराबर रकम प्राप्त करेगा। किसी भी मामले में अवकाश वेतन (पेन्शन या पेन्शन के बराबर की राशि जो स्थगित कर रखी हो उसे घटाकर एवं/या ग्रेच्युटी के बराबर की पेंशन) जो कि अर्द्धवेतन अवकाश या रूपांतरित अवकाश में मिल सकेगा, वह क्रमशः 750) रु. एवं 1500) रु. की अधिकतम सीमा तक मिल सकेगा।

(3) असाधारण अवकाश के समय मे एक अधिकारी जिसकी कि पेंशन को रोक लिया गया है, वह केवल रोकी गई पेंशन के बराबर की राशि प्राप्त करने का ही हकदार होगा। जहां पेंशन अलग से प्राप्त की जा रही हो, वह असाधारण अवकाश के समय में भी प्राप्त किया जाता रहेगा।

(4) जिन राज्याधिकारियों पर सेवा निवृत्ति से पूर्व कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेन्ट फन्ड पद्धति लागू थी, उनको अपने उपार्जित अवकाश, अर्द्ध वेतन अवकाश एवं रूपान्तरित अवकाश काल का अवकाश वेतन अपनी पुनर्नियुक्ति के मूल वेतन पर मिलेगा। वे असाधारण अवकाश के समय में कोई अवकाश वेतन प्राप्त नहीं करेंगे।

(5) पूर्व मे जो मामले अन्य प्रकार से निपटाये गये हों, उन्हें पुनः दोहराने की जरूरत नहीं होगी।

निर्णय संख्या 4—[विलोपित किया गया]

टिप्पणी—भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर या विदेशी सेवा में बिताए गए समय के सबध में, वेतन, जिसे अधिकारी भारत में सेवा पर प्राप्त करता, औसतन वेतन गिने जाते समय वास्त-

---

+राजस्थान राजपत्र भाग 4 (ग) दिनांक 1-12-66 मे प्रकाशित वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ. 1 (50) एफ. डी. (व्यय नियम) 66 दि० 23-9-66 द्वारा परिवर्तित किया गया।

विक प्राप्त किए गए वेतन में परिवर्तित कर दिया जावेगा।

व्याख्या संख्या (1)—इस नियम के प्रयोजन के लिए मूल वेतन का तात्पर्य उस स्थाई पद के मूल वेतन से है जिसे अधिकारी स्थाई रूप से धारण करता है या जिस पर वह अपना लीयन रखता है या जिस पर वह अपना लीयन रखता यदि उसका लीयन निलम्बित नहीं किया गया होता। परन्तु शर्त यह है कि एक ऐसे राज्य कर्मचारी का अवकाश जो कि स्थाई सेवा में नियुक्त है तथा जो तीन साल से अधिक समय तक एक अन्य पद पर कार्यवाहक रूप में लगातार कार्य कर रहा है तो उसके अवकाश पर रवाना होने पर उसका अवकाश वेतन इस रूप में गिना जावेगा जैसे कि मानों वह उस पद पर स्थाई रूप से कार्य कर रहा हो जिस पर कि वह इस प्रकार कार्यवाहक रूप में कार्य कर रहा था या जिस पर वह कार्यवाहक रूप में कार्य करता रहता परन्तु उसकी उसके समान या उच्च पद पर नियुक्ति हो गई।

तीन साल की अवधि में निम्नलिखित समय शामिल होगा—

(क) अवकाश की सभी अवधियां जिनमें कि राज्य कर्मचारी उस पद पर कार्यवाहक रूप में कार्य करता रहता पर वह ऐसे अवकाश पर चला गया; एवं

(ख) एक समान या उच्च पद पर कार्यवाहक रूप में की गई सेवाओं का कुल समय जिनमें वह कार्यवाहक रूप में कार्य करता रहता परन्तु उसकी नियुक्ति होने के कारण नहीं कर सका।

व्याख्या संख्या 2—एक राज्य कर्मचारी जो इस आदेश के जारी होने की तारीख को अवकाश पर हो उसका अवकाश वेतन, ऐसे अवकाश के प्रारम्भ होने की तारीख से उक्त संशोधनों के प्रावधानों के अनुसार पुनः निर्धारित (Recalculated) किया जावेगा।

खण्ड 3

विशेष असमर्थता अवकाश (Special Disability Leave)

नियम 98. विलोपित

नियम 99. विशेष असमर्थता अवकाश कब स्वीकार किया जाना है—इस खण्ड में वर्णित शर्तों के आधार पर सरकार ऐसे राज्य कर्मचारी को विशेष असमर्थता अवकाश स्वीकृत कर सकती है (जैसे अपनी सरकारी सेवा का उचित पालन करते समय या अपनी सरकारी स्थिति में चोट लगी है या पहुंचाई गई है तथा जिसके कारण वह असमर्थ हो गया है)

(2) ऐसा अवकाश उस समय तक स्वीकृत नहीं किया जावेगा जब तक कि घटना में तीन माह के भीतर उस असमर्थता के कारण को, जिससे वह सम्बन्धित है, प्रकट न किया जावे तथा असमर्थ व्यक्ति स्वयं इसे यथाशीघ्र सरकार के ध्यान में लाने का प्रयत्न न करे। ऐसे मामलों में जहां असमर्थता का कारण स्वयं घटना के होने से तीन माह से अधिक समय में ज्ञात हो, यदि सरकार असमर्थता के कारणों से सन्तुष्ट हो जाए, तो उसे अवकाश स्वीकृत करने की आज्ञा दे सकती है।

(3) विशेष असमर्थता अवकाश की अवधि —उतने ही समय का अवकाश स्वीकृत किया जावेगा जितना कि चिकित्सा मण्डल (मेडिकल बोर्ड) द्वारा आवश्यक रूप में प्रमाणित किया गया हो।

निर्णय—× राजस्थान सेवा नियमों के नियम 99 के खण्ड (3) में प्रावहित किया गया है कि विशेष असमर्थता के लिए स्वीकृत किया गया अवकाश उतना ही होगा जितना कि चिकित्सा मण्डल द्वारा प्रमाणित किया जाए।

यह निर्णय किया गया है कि राजस्थान के भीतर प्रतिस्थापित (पोस्टेड) राजस्थान सशस्त्र पुलिस बटालियन के मामले में उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ मेडिकल बोर्ड निम्न का होगा—

(क) कम्पनी कमान्डेन्ट तथा अन्य ऊपर के पद वालों के लिए।	(1) अस्पताल का आफीसर इन्चार्ज जहां पर इलाज चल रहा है, एवं (2) पी. एम. एच. ओ/तथा जिले का जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जहाँ पर कि वह भी उक्त (1) की भांति अस्पताल का इन्चार्ज हो तब पी. एम. एच. ओ/डी. एम.एच ओ द्वारा मनोनीत कोई अधिकारी, एवं (3) बटालियन का चिकित्सा अधिकारी।
(ख) अन्यों के लिए	(1) अस्पताल का एक चिकित्सा अधिकारी जिसका कि नाम उस अस्पताल के इन्चार्ज द्वारा लिया जाय जहां पर कि उसका इलाज चल रहा है, एवं (2) बटालियन का चिकित्सा अधिकारी।

राजस्थान के बाहर आर. ए. सी. बटालियन के प्रतिस्थापित किए जाने के मामले में निम्न के लिए मेडिकल बोर्ड इस प्रकार रहेगा--

(क) प्लाटून कमान्डर एवं अन्य उनसे नीचे के अधिकारी जिनको दो माह से अधिक का असमर्थता अवकाश नहीं चाहिये।	बटालियन का चिकित्सा अधिकारी ही मेडिकल बोर्ड होगा।
(ख) बटालियन के अन्य अधिकारी जो उपर्युक्त (क) द्वारा नियमित नहीं होते हो।	(1) अस्पताल का आफिसर इन्चार्ज जहां पर कि इलाज चल रहा है, (2) बटालियन का चिकित्सा अधिकारी

(ये आदेश 5-9-65 से प्रभावशील होंगे)

(4) चिकित्सा मण्डल के प्रमाण पत्र के बिना यह अवकाश बढ़ाया नहीं जावेगा तथा किसी भी दशा में 24 माह से ज्यादा स्वीकृत नहीं किया जावेगा। ऐसा अवकाश किसी भी प्रकार के अवकाश के साथ मिलाया जा सकता है।

× वित्त विभाग की आज्ञा संख्या एफ1(57) एफ डी/(व्यय नियम) 65-II दिनांक 2-11-66 द्वारा शामिल किया गया।

(5) असमर्थता अवकाश एक से अधिक अवसरों पर भी स्वीकृत किया जा सकता है यदि बाद की तारीख में वह असमर्थता पुनः तेज हो जाती है या वैसी ही परिस्थितियों में पुनः उठ खड़ी होती है, परन्तु किसी एक प्रकार की असमर्थता के लिए 24 माह से ज्यादा ऐसा अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

(6) असमर्थता अवकाश पेंशन के लिए सेवा के रूप में गिना जाता है—ऐसा अवकाश पेन्शन निकालते समय सेवा के रूप में गिना जावेगा।

(7) असमर्थता अवकाश में अवकाश वेतन--ऐसे अवकाश काल में अवकाश वेतन--

(क) किसी अवकाश के, जिसमें इस नियम के खण्ड (5) के अनुसार उच्च सेवा में नियुक्त राज्य कर्मचारियों को, स्वीकृत अवकाश भी शामिल होगा, प्रथम 120 दिन के लिए नियम 97 के खण्ड (1) के अनुसार मिलने वाले अवकाश वेतन के बराबर होगा, एवं

(ख) उच्च सेवा में नियुक्त राज्य कर्मचारियों को ऐसे अवकाश के शेष समय के लिए नियम 97 के (2) के प्रावधानों के अनुसार अर्द्धवेतन के बराबर होगा या राज्य कर्मचारी के विकल्प (Option) पर, उपार्जित अवकाश की अधिकतम अवधि के लिए जो उसे अन्यथा रूप से स्वीकृत की जा सकती है, के औसतन वेतन के बराबर होगा। अन्त के मामले में ऐसे अवकाश का आधा समय उसके उपार्जित अवकाश में नाम लिखा जावेगा।

अपवाद--यदि कोई पुलिस फोर्स का सदस्य जिसे कि डाकुओं के साथ मुकाबला करते समय चोट लग गई हो तथा वह चोट का इलाज कराने हेतु राजकीय अस्पताल में रहता है तो उसका अवकाश वेतन ऐसे अवकाश काल में अवतरण (क) व (ख) में रखे गए प्रावधानों के बावजूद भी, उस वेतन के बराबर होगा जो वह सेवा पर उपस्थित रहकर प्राप्त करता। ऐसे अवकाश के शेष समय के लिए अवकाश वेतन इस खण्ड के अवतरण (क) व (ख) के अनुसार नियमित किया जाएगा।

(8) चतुर्थ श्रेणी सेवा में नियुक्त राज्य कर्मचारियों का अवकाश वेतन निम्न के बराबर होगा—

(क) इस नियम के खण्ड (5) के अन्तर्गत स्वीकृत किये गये अवकाश को मिलाकर किसी ऐसे अवकाश के प्रथम 60 दिनों के लिए उसे अवकाश वेतन अपने उस वेतन के बराबर मिलेगा जो कि वह अवकाश प्रारम्भ होने के पूर्व दिन प्राप्त कर रहा था।

(ख) ऐसे अवकाश के शेष समय के लिए उसे अवकाश वेतन अर्द्धवेतन के बराबर मिलेगा या राज्य कर्मचारी के विकल्प पर, उपार्जित अवकाश की अधिकतम अवधि के लिए जो उसे अन्यथा रूप से स्वीकृत की जा सकती है, उस वेतन के बराबर मिलेगा जो कि उसे अवकाश प्रारम्भ होने के पूर्व दिन मिल रहा हो। बाद के मामले में ऐसे अवकाश का आधा समय उसके उपार्जित अवकाश में नाम लिखा जावेगा।

अपवाद— +पुलिस कर्मचारी एवं पुलिस दल (Police force) के साथ संलग्न चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (राजस्थान सशस्त्र पुलिस एवं S. A F. बटालियन सहित) जो किसी विदेशी

+ वित्त विभाग की आज्ञा सं० एफ 1 (57) एफ.डी. (इ-ग्रार) 65 दिनांक 3-11-65 द्वारा शामिल किया गया।

शक्ति द्वारा आक्रमण किए जाने के परिणामस्वरूप क्षत हो गया है या चोट लग गई है, उन्हें इस नियम के अन्तर्गत अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है एवं खन्ड 7 एवं खंड 8 में अन्तर्विष्ट प्रावधानों के होते हुए भी, ऐसे अवकाश के भीतर अपना वेतन उसके समकक्ष उसी प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं जिस रूप में कि वे अपना वेतन सेवा में रह कर प्राप्त करते।

उक्त प्रकार के अवकाश की अवधि पेंशन के लिए गिनी जाएगी एवं उसे वेतन वृद्धि एवं अन्य लाभ राजस्थान सेवा नियम के अधीन प्राप्य होंगे।

यह संशोधन दिनांक 5-9-65 से प्रभाव में आएगा।

नियम 100. *असमर्थता के लिए क्षति पूर्ति* (Compensation) *स्वीकृत करने पर अवकाश वेतन में कटौती* —यदि कोई राज्य कर्मचारी जो वर्तमान में प्रभावशील किसी कानून के अन्तर्गत क्षतिपूरक राशि प्राप्त करने का हकदार है, जिनका कि प्रावधान इस अध्याय में किया गया है, तो उसे नियम 99 के अन्तर्गत दिए जाने वाले अवकाश वेतन की राशि में से उतनी ही क्षतिपूर्ति की रकम काट ली जावेगी जो कि उसे कानून के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है।

नियम 101. सिविल कर्मचारियों पर विशेष असमर्थता अवकाश नियमों का लागू होना - इस अध्याय के प्रावधान एक ऐसे सिविल कर्मचारी पर लागू होते हैं जो कि मिलेट्री फोर्स के साथ सेवा करने के फलस्वरूप असमर्थ हो गया हो तथा वह आगे भविष्य में मिलेट्री सेवा करने के लिए अयोग्य के रूप में हटा दिया जाता है लेकिन जो अग्रिम सिविल सेवा के लिए पूर्ण व स्थाई रूप से अयोग्य नहीं है। इसके अलावा यह प्रावधान ऐसे सिविल कर्मचारी पर भी लागू होता है जो इस तरह हटाया गया (डिस्चार्ज) नहीं हो परन्तु जो ऐसी असमर्थता से पीड़ित हो, जिसके कि सम्बन्ध में, मेडिकल बोर्ड द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि वह असमर्थता, कर्मचारी की मिलेट्री की सेवा के साथ हुई है। लेकिन किसी भी मामले में, उस असमर्थता से सम्बन्धित मिलेट्री नियमों के अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति को स्वीकृत किए जा सकने वाले अवकाश की अवधि को, *अवकाश की स्वीकृत अवधि गिनने के लिए, इस नियम के अन्तर्गत शामिल किया* जावेगा।

नियम 102. सरकार इस खण्ड के प्रावधानों को उस राज्य कर्मचारी के लिए भी लागू *कर सकती है जो कि अपनी सरकारी सेवा में दुर्घटना से पीड़ित हुआ हो या जिसे अपने सरकारी* कर्तव्यों को पूर्ण करते समय चोट लगी हो अथवा जिसे अपनी सरकारी स्थिति में चोट लगी हो। या वह ऐसी विशिष्ट सेवा करने के कारण बीमार हुआ हो जिसके कि पूरा करने से उसकी बीमारी बढ़ती हो या किसी ऐसे सिविल पद पर काम करते हुए पीड़ित हुआ हो जिस पर कि साधारण खतरे से अधिक खतरा रहता है। इस रियायत की स्वीकृति निम्न शर्तों के आधार पर दी जा सकेगी—

(i) यदि बीमारी के कारण-असमर्थता हुई हो तो एक मेडिकल बोर्ड द्वारा यह प्रमाणित किया जाना चाहिए कि वह बीमारी किसी विशिष्ट सेवा करने के फलस्वरूप हुई है।

(ii) यदि राज्य कर्मचारी की सेवा में ऐसी असमर्थता, मिलेट्री फोर्स की सेवा के अलावा अन्यथा प्रकार से हुई हो, तो सरकार के विचार में यह असमर्थता इतनी अपवाद स्वरूप तथा ऐसी

× **नियम 106.** अस्पताल अवकाश में अवकाश वेतन—अस्पताल अवकाश औसतन या अर्द्ध औसतन वेतन के बराबर तथा ऐसी अवधि के लिए, अवकाश वेतन पर जैसा अवकाश स्वीकृत करने वाला सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, स्वीकृत किया जा सकता है।

नियम 107. अस्पताल अवकाश की अवधि—(विलोपित किया गया)

नियम 108. अस्पताल अवकाश के साथ अन्य अवकाशों का समन्वय—अस्पताल अवकाश अन्य प्रकार के अवकाशों के अतिरिक्त है जो कि एक राज्य कर्मचारी को इन नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत किया जाता है।

खण्ड (6)

अध्ययन अवकाश (STUDY LEAVE)

नियम—109. प्रयोज्यता (Applicability)—निम्नलिखित नियम केवल अध्ययन अवकाश से ही सम्बन्धित हैं। इनके द्वारा उन राज्य कर्मचारियों के मामलों को निपटाने की इच्छा नहीं है जो कि सरकार की प्रेरणा पर या तो उनको सौंपे गये विशेष कार्यों को पूरा करने हेतु या अपनी तकनीकी सेवाओं से सम्बन्धित विशिष्ट समस्याओं के अनुसंधान के लिए अन्य देशों में प्रतिनियुक्त किये हुए हैं। ऐसे मामले नियम 51 के अन्तर्गत उनके स्वरूप पर विचार करते हुए निपटाये जावेंगे।

+ **नियम 110.** अध्ययन अवकाश किसको स्वीकृत किया जाय (Admissibility of study leave) अध्ययन अवकाश, अध्ययन के ऐसे पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए किसी स्थायी राज्य कर्मचारी को स्वीकार किया जाएगा जो कि उस विभाग के लिए जिसमें वह नियुक्त है, कार्य करने के लिए सार्वजनिक हित में हो।

÷ अपवाद—शिक्षा विभाग के अध्यापक चाहे वे अस्थायी/स्थायी/स्थानापन्न नियुक्त हुए हैं लेकिन जो 1-7-65 को या उसके बाद व्यवसायात्मक प्रशिक्षण (प्रोफेशनल ट्रेनिंग) में जाते हैं, इस नियम के अधीन अध्ययन अवकाश के पात्र होंगे परन्तु शर्त यह है कि उनकी नियुक्ति 31-3-63 से पूर्व हुई हो।

(यह दिनांक 1-7-65 से प्रभावशील होगा।)

निर्णय—नियम 110 के अन्तर्गत यह निर्णय किया गया है कि राजस्थान सेवा नियमों के अध्याय 11 के खण्ड 6 में दिए अध्ययन अवकाश सम्बन्धी नियम उच्च अध्ययन के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लोगों पर भी लागू होंगे।

× वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 1 (52) वित्त वि (व्यय-नियम) 67 दिनांक 12-6-68 द्वारा नियम संख्या 106 प्रतिस्थापित तथा नियम नं॰ 107 विलोपित।

+ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ 1 (53) एफ. डी. (ई-भार) दिनांक 18-10-65 ई॰ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

÷ वित्त विभाग के आदेश सं॰ एफ. 1 (56) एफ. डी. (व्यय-नियम) 66 दिनांक 6-9-66 द्वारा शामिल किया गया।

ꕥ **नियम 111.** अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने की शर्तें—अध्ययन अवकाश उसी समय स्वीकृत किया जावेगा जब सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि अवकाश सार्वजनिक हित में वैज्ञानिक या तकनीकी प्रकृति के अध्ययन या अनुसंधान के विशेष पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए आवश्यक है। जो राज्य कर्मचारी को 20 साल की सेवा पूरी कर चुकेगा, उसे अध्ययन अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

टिप्पणियाँ—(1) राज्याधिकारियों पर जिन्होंने 20 साल की सेवायें पूरी करली है, उनके लिए अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने में रियायत बरती जा सकती है बशर्ते कि यदि राज्य कर्मचारी अवकाश से लौटने के बाद 5 साल तक राज्य सेवा करने का या 5 साल की अवधि तक राज्य सरकार की सेवा करने मे असमर्थ होने के कारण अध्ययन अवकाश का व्यय लौटाने का प्रतिज्ञा पत्र भरता है।

(2) अध्ययन अवकाश प्राप्त करने में कम से कम 5 साल सेवा करने की जो योग्यता का प्रतिबन्ध रखा गया है वह अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के राज्य कर्मचारियों के लिए लागू नहीं होगा। वे तीन साल की सेवा पूरी करने पर अध्ययन अवकाश प्राप्त करने के योग्य हो जावेंगे।

नियम 112. (1) अध्ययन कार्य के लिए अध्ययन अवकाश भारत या भारत के बाहर लिया जा सकता है। यह ऐसे अन्य अवकाशों के साथ मिलाया जा सकता है जिसे राज्य कर्मचारी प्राप्त करने के योग्य है। किसी भी दशा में इस अवकाश की स्वीकृति में, असाधारण अवकाश या चिकित्सा प्रमाण पत्र के अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाश को मिला कर, राज्य कर्मचारी की नियमित सेवा से अनुपस्थिति 24 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए या राज्य कर्मचारी की कुल सेवावधि में यह अनुपस्थिति 2 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिये। तथा इसे इस रूप में बार-बार स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए जिससे कि राज्य कर्मचारी अपने नियमित कार्य के सम्पर्क में न रहे या जिसके अवकाश पर अनुपस्थित रहने के कारण कैडर को कठिनाई आवे। एक समय में 12 माह की अधिकतम अवधि साधारणतया उचित रूप से स्वीकृत की जानी चाहिये तथा अपवाद-स्वरूप मामलों को छोड़कर इसे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए।

(2) अध्ययन अवकाश आधे वेतन पर अतिरिक्त (Extra) अवकाश होता है तथा ऐसे अवकाश काल में अवकाश वेतन नियम 97 (2) के अनुसार नियमित होगा।

नियम 113. अन्य अवकाश के साथ अध्ययन अवकाश का समन्वय—एक राज्य कर्मचारी, जिसका अध्ययन अवकाश किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ मिलाया जाता है, उसे अपना अध्ययन अवकाश ऐसे समय पर लेना चाहिए कि उसके परिणाम स्वरूप वह पूर्व में स्वीकृत किए गए अवकाश का इतना बकाया अवकाश अपने पास सुरक्षित रखे जो कि उसके सेवा पर लौटने तक के लिए पर्याप्त हो।

नियम 114. समय से कम के अध्ययन अवकाश के सम्बन्ध में तरीका—जब एक राज्य कर्मचारी को किसी निश्चित अवधि तक का अध्ययन अवकाश स्वीकृत कर दिया जाता है तथा बाद

ꕥ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ 1 (53) एफ. डी. (व्यय-नियम) दिनांक 18-10-65 द्वारा शामिल किया गया।

में यह यह पाता है कि उसके अध्ययन का पाठ्यक्रम स्वीकृत अवकाश की अवधि के बाद जारी समय तक चलेगा तथा उससे वह सेवा से अनुपस्थित रहेगा तो उसे अध्ययन अवकाश से अधिक समय के अध्ययन समय को कम करना पड़ेगा जब तक कि वह अवकाश स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी की, इसे साधारण अवकाश के रूप में स्वीकृत करने की अनुमति प्राप्त नहीं कर लेता है।

नियम 115. अध्ययन अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना—नियम 116 में किए गए प्रावधानों के सिवाय, अध्ययन अवकाश के सभी प्रार्थना-पत्र आदिष्ट आदिगर के प्रमाण पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी को पेश किए जाने चाहिए तथा उसमें जिस किसी भी पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों को वह पूरा करना चाहता है तथा जिस किसी परीक्षा में वह जाना चाहता है, उसका स्पष्ट वर्णन करना चाहिए। भारत के बाहर अध्ययन अवकाश के मामले में यदि वह कार्यक्रम में कोई परिवर्तन करना चाहता है, जिसे कि सक्षम प्राधिकारी ने स्वीकृत कर लिया है, तो उसे स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकारी को ऐसे परिवर्तन की सम्पूर्ण सूचना भेजनी चाहिए तथा, जब तक वह स्वयं पर जिम्मेदारी न ले, उसे उस समय तक अध्ययन का पाठ्यक्रम प्रारम्भ नहीं करना चाहिए तथा न उसके सम्बन्ध में कोई व्यय ही करना चाहिए, जब तक कि वह इस सम्बन्ध की स्वीकृति प्राप्त नहीं कर लेता है।

नियम 116. अन्य अवकाश को अध्ययन अवकाश में परिवर्तित करना—राज्य कर्मचारी जो अवकाश पर योरोप या अमेरिका में हों तथा अपने अवकाश के कुछ भाग को अध्ययन अवकाश में बदलना चाहते हों या जो अवकाश काल में अध्ययन का पाठ्यक्रम पूरा करना चाहते हों, उन्हें अध्ययन प्रारम्भ करने के पूर्व तथा उसके सम्बन्ध में कोई खर्चा करने के पूर्व, अपने प्रस्तावित अध्ययन के पाठ्यक्रम का कार्यक्रम पेश करना चाहिए। कार्यक्रम के साथ अध्ययन का सरकारी पाठ्यक्रम भी संलग्न किया जाना चाहिए, यदि प्राप्य हो, तो किसी विशेष पाठ्यक्रम के लिखित प्रमाण (Documentary evidence) भी संलग्न किए जाने चाहिए।

नियम 117 अध्ययन भत्ता (Study Allowance)—सरकार किसी मान्यता प्राप्त संस्था में अध्ययन के एक निश्चित पाठ्यक्रम को पूरा करने में अथवा विशिष्ट श्रेणी के कार्यों के निरीक्षण हेतु निश्चित दौरों में बिताए गए समय तथा अध्ययन के पाठ्यक्रम के अन्त पर किसी परीक्षा के समय के लिए अध्ययन भत्ते की दर निश्चित कर सकती है।

नियम 118 विश्राम काल (Vacation) का अध्ययन भत्ता—किसी भी विश्राम काल की अवधि का अध्ययन भत्ता 14 रोज का स्वीकृत किया जा सकता है। एक समयावधि को जिसमें राज्य कर्मचारी अपनी सुविधा के लिए पाठ्यक्रम का बन्द करता है, विश्राम काल नहीं समझा जा सकता है। सरकार अपने निर्णय पर एक समय में किसी भी 14 दिन तक की ऐसी अवधि का अध्ययन भत्ता स्वीकृत कर सकती है जिसमें कि अधिकारी को बीमारी के कारण अध्ययन का पाठ्यक्रम चालू रखने से रोक दिया जाता है। ऐसी बीमारी की अवधि के लिए चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि कोई राज्य कर्मचारी अध्ययन अवकाश की अवधि के बाद सेवा पर पुनः उपस्थित हुए बिना ही सेवा से निवृत्त किया जा रहा हो तो उसका अध्ययन भत्ता रोक लिया जावेगा। उसका अध्ययन अवकाश उसके अपने लेखे में सेवा निवृत्ति के अन्तिम दिन तक बकाया साधारण अवकाश की सीमा तक साधारण अवकाश (Ordinary leave) में बदल दिया जावेगा। यदि उपरोक्त वर्णन किए गए

अध्ययन अवकाश का कुछ ऐसा भाग बचा हो जिसे इस प्रकार बदला नहीं जा सकता हो, तो उसे पेन्शन के लिए सेवा से निकाल दिया जावेगा ।

नियम 119. अध्ययन के पाठ्यक्रम का शुल्क (Fee for course of study)—जिन राज्य कर्मचारियों को अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाता है, उन्हें साधारणतया अध्ययन के पाठ्यक्रम के लिए शुल्क आदि जमा करने के व्यय स्वयं को सहन करना है । केवल अपवाद स्वरूप मामलों को छोड़ कर सरकार इस प्रकार का प्रस्ताव रखने को तैयार होगी कि अमुक शुल्क सरकार द्वारा दया जाना चाहिए ।

निर्णय संख्या 1—सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही थी कि क्या ऐसे राज्य कर्मचारी को, जिसे अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाता है, अपने वेतन के अतिरिक्त कोई छात्र वृत्ति या स्टाइफन्ड, जो कि उसे सरकारी या गैर सरकारी स्त्रोतों से मिलती हो, स्वीकार करने तथा उसे अपने पास रखने की स्वीकृति दी जा सकती है ।

मामले पर सतर्कतापूर्वक विचार करने के बाद निम्न रूप से निर्णय किया गया है—

(i) एक राज्य कर्मचारी जिसे अध्ययन का पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु व्यवसाय या तकनीकी विषय मे विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाता है, उसे अपने वेतन के अतिरिक्त किसी भी ऐसी छात्रवृत्ति या स्टाइफण्ड को प्राप्त करने तथा अपने पास रखने की स्वीकृति दी जा सकती है, जो कि उसे सरकारी या गैर सरकारी स्त्रोतों से मिलती हो ।

(ii) जहां राज्य कर्मचारी अध्ययन अवकाश में छात्रवृत्ति या स्टाइफन्ड (किसी भी स्रोत से हो) प्राप्त करता हो, वहा अध्ययन अवकाश के नियम 119 के अन्तर्गत अध्ययन पाठ्यक्रम के शुल्क आदि का व्यय नही दिया जाना चाहिए ।

निर्णय संख्या 2—वित्त विभाग के आदेश संख्या डी० 3942/59 एफ 7 ए (50) एफ० डी० (ए) नियम 59 दिनांक 13-1-60 द्वारा शामिल किए गए राजस्थान सरकार के निर्णय संख्या 1 के क्रम में यह आदेश दिया जाता है कि एक राज्य कर्मचारी जो अध्ययन अवकाश काल मे छात्रवृत्ति या स्टाइफन्ड (किसी भी स्रोत से) प्राप्त करता है, उसे साधारणतया कोई अध्ययन भत्ता स्वीकृत नही किया जाना चाहिए । लेकिन विशेष परिस्थितियों में जहां पर छात्रवृत्ति या स्टाइफन्ड की मूल राशि (अर्थात् छात्रवृत्ति या स्टाइफन्ड में से ट्यूशन फीस आदि की रकम काट कर बची राशि) स्वीकृत अध्ययन भत्ते की उस राशि से कम हो जो कि उसे प्राप्य होता परन्तु वह छात्रवृत्ति या स्टाइफन्ड प्राप्त करने के कारण नही पा सका, तो उसे छात्रवृत्ति या स्टाइफन्ड की मूल राशि तथा साधारण अध्ययन भत्ते की राशि का अन्तर सरकार की विशेष स्वीकृति द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है ।

नियम 120. पाठ्यक्रम पूर्ण करने का प्रमाण-पत्र—किसी अध्ययन के पाठ्यक्रम को पूर्ण करने पर एक प्रमाण पत्र सरकार को भेजा जावेगा जिसके साथ उत्तीर्ण की गई परीक्षा या विशेष अध्ययन के प्रमाण-पत्र संलग्न किए जावेंगे ।

नियम 121. उन्नति एवं पेन्शन के लिए अध्ययन अवकाश की गणना—अध्ययन अवकाश उन्नति या पेन्शन के लिए सेवा के रूप में समझा जावेगा लेकिन इसका प्रभाव कर्मचारी के बकाया किसी भी अवकाश पर नहीं पड़ेगा । यह अर्ध औसतन वेतन या अर्ध

औसतन मूल वेतन पर, जैसी भी स्थिति हो, अतिरिक्त अवकाश (Extra leave) के रूप में गिना जावेगा तथा खण्ड 2 के नियमों के अधीन स्वीकृत अधिकतम अवधि के अर्द्ध वेतन के अवकाश के गिनने में शामिल नहीं किया जावेगा।

नियम 121 क—राज्य सेवा करने का अनुबन्ध पत्र (Bond) भरा जाना—जो प्रशिक्षण के लिए राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत प्राप्य अध्ययन अवकाश का उपभोग करते हैं तो उन्हें प्रशिक्षण समाप्त होने पर नीचे दिखाए गए समय तक राज्यकीय सेवा करने का अनुबन्ध पत्र (बॉंड) भरना चाहिए।

अध्ययन अवकाश का समय	समय, जितने के लिए अनुबन्ध पत्र भरना होगा।
तीन माह	एक साल
छह माह	दो साल
एक साल	तीन साल
दो साल	पांच साल

अनुबन्ध पत्र (बॉंड) का फार्म परिशिष्ट 18 मे दिए गए अनुसार होना चाहिए।

निर्णय—जिन राज्य कर्मचारियों को अध्ययन के प्रयोजन के लिए अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा जो अध्ययन अवकाश के बाद सेवा पर बिना लौटे ही सेवा से त्याग पत्र दे देते हैं या सेवा से मुक्त हो जाते हैं या जो अपनी सेवा पर लौटने के बाद निर्धारित समय के भीतर ही किसी भी समय त्याग पत्र दे देते हैं या सेवा से निवृत्त कर दिए जाते हैं, उनसे दण्ड की राशि (Penalty) वसूल किये जाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन रहा है। यह निर्णय किया गया है कि ऐसे मामले में वसूल की जाने वाली राशि, अवकाश वेतन, अध्ययन भत्ता, तथा शुल्क, (फीस) यात्रा एवं अन्य भत्तों का व्यय जो कि राज्य कर्मचारी को उसके अध्ययन अवकाश की अवधि मे दिया जावेगा या जो उस पर अन्यथा प्रकार से खर्च किया जावेगा, उससे दूनी होगी, तथा उसे ब्याज सहित वसूल करना होगा। इस कार्य के लिए नियम 121 क के अन्तर्गत अध्ययन अवकाश के लिए निर्धारित अनुबन्ध पत्र भरना होता है जो कि राजस्थान सेवा नियमों के परिशिष्ट 18 में दिया हुआ है। यह अनुबन्ध पत्र इसके साथ (फार्म क व ख) के रूप मे बदला जावेगा।

अध्ययन अवकाश नियमों मे रियायत बरतते हुए यदि एक अस्थाई राज्य कर्मचारी को अध्ययन अवकाश स्वीकृत कर दिया जाता है तो उससे भी दण्ड की राशि वही वसूल की जावेगी जो उपरोक्त अवतरण (1) मे दी हुई है।

ऐसे भी मामले हो सकते हैं जिनमें अस्थाई राज्य कर्मचारियों को भारत में या विदेश में अध्ययन के लिए अन्य नियमित अवकाश के साथ साथ नियमों में रियायत बरतते हुए विशेष प्रकार के मामले के रूप में, असाधारण अवकाश (Extra ordinary leave) उनसे लिखित में इस प्रकार के प्रतिज्ञा पत्र भरने पर स्वीकृत किया जा सकता है कि उन्हे उनके अवकाश समाप्त होने के बाद अमुक निर्दिष्ट समय तक राज्यकीय सेवा करनी होगी। यह निर्णय किया गया है कि ऐसे मामलों में राज्य कर्मचारी से लिखित मे एक प्रतिज्ञा पत्र (फार्म ग) अवकाश स्वीकृत किए जाने से पूर्व भरा लेना चाहिए। ऐसे मामलों में अनुबन्ध पत्र के फार्म में भरी जाने वाली दण्ड की राशि उपरोक्त अवतरण (1) मे कहे गए अनुसार होगी।

स्पष्टीकरण 1—एक सदेह उत्पन्न किया गया है कि एक राज्य कर्मचारी जिसे भारत में या विदेश में अध्ययन के लिए अन्य नियमित अवकाश के साथ साथ नियमों मे रियायत बरतते

हुए, विशेष प्रकार के मामले के रूप में, असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा जो अवकाश के समय के बाद सेवा पर बिना लौटे ही त्याग पत्र दे देता है या सेवा निवृत्त हो जाता है या जो सेवा पर आने के बाद निर्धारित समय में कभी भी त्याग पत्र दे देता है या सेवा निवृत्त हो जाता है, तो उसे दण्ड देने की राशि किस प्रकार निश्चित की जावेगी।

यह स्पष्ट किया जाता है कि भारत में या विदेश में अध्ययन के लिए राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 (ख) मे रियायत करते हुए जिन अस्थाई राज्य कर्मचारियों को असाधारण अवकाश स्वीकृत किया गया है, उनके जो (फार्म ग मे) अनुबन्ध पत्र मे दण्ड की राशि भरी जाएगी वह अस्थाई राज्य कर्मचारी के उसके द्वारा लिए गए (यदि कोई हो) नियमित अवकाश के अवकाश वेतन की राशि तथा प्रार्थी के असाधारण अवकाश पर चले जाने के कारण उसके अवकाश के समय में खाली पड़े स्थान पर कार्य करने के लिए अन्य व्यक्ति की नियुक्ति के व्यय की राशि की दूनी होगी।

स्पष्टीकरण सं०2—एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि क्या नियम 121 का के नीचे दिए गए राजस्थान सरकार के निर्णय तथा तदधीन दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार भारत में या भारत के बाहर अध्ययन के लिए देय एवं स्वीकार्य, अन्य नियमित अवकाश यदि कोई हो, के क्रम में राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 (ख) मे शिथिलता बरतते हुए लम्बी अवधि के लिए असाधारण अवकाश के स्वीकृत करने पर अस्थायी सरकारी कर्मचारी द्वारा निष्पादित किए जाने वाले अपेक्षित बन्धपत्र के साथ किसी एक व्यक्ति या एक से अधिक जामिन के साथ कान्ट्रेक्ट आफ गारण्टी भी इस हेतु प्रस्तुत की जानी चाहिए कि यदि सरकारी कर्मचारी अपनी ओर से असफल रहा तो वे सरकारी दायित्व को पूरा करेंगे।

यह निश्चय किया गया है कि सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी द्वारा बन्धपत्र के अधीन दायित्वों को पूरा करने हेतु निश्चय करने के लिए, बन्धपत्र के साथ दो स्थायी ऐसे सरकारी कर्मचारियों की जामिनें होनी चाहिए जो उस सरकारी कर्मचारी के, जिसे उक्त नियमों में ढील देकर असाधारण अवकाश स्वीकृत किया गया है, समकक्ष या उससे उच्चस्तर के हों। इस हेतु इस विभाग के ज्ञाप दि. 28-4-61 द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में निर्दिष्ट बन्ध पत्र को अतिक्रमित कर एक नया बन्धपत्र अध्याय 18 में शामिल कर दिया गया है।

+**स्पष्टीकरण सं० 3**—राजस्थान सेवा नियमों के नियम 121 का के प्रावधानों के अनुसार, सरकारी कर्मचारी जिन्हें भारत में या बाहर अध्ययन के प्रयोजनार्थ अध्ययन अवकाश या असाधारण अवकाश स्वीकृत हो गया है, उन्हें निर्दिष्ट अवधि तक राजस्थान सरकार की सेवा करने का एक बन्ध-पत्र निष्पादित करने के लिए कहा जाता है। बन्ध पत्र के प्रपत्र राजस्थान सेवा नियम, भाग II के परिशिष्ट 18 व 18 क मे दिए हुए हैं।

राजस्थान में महाविद्यालयों को विश्वविद्यालयों के पास हस्तान्तरित कर देने के फलस्वरूप, अध्यापक वर्ग की सेवायें, जो महाविद्यालयों में सेवा कर रहे थे, विश्वविद्यालय को सौंप दी गयी थी। कुछ अध्यापक वर्ग अभी भी सरकार की सेवा करने के बन्ध-पत्र के अधीन थे। मामले पर विचार कर लिया गया है तथा यह निर्णय किया गया है कि उपर्युक्त पैरा में वर्णित नियम की शर्त के अनुसार निष्पादित बन्ध-पत्र के प्रयोजनार्थ, उक्त सरकारी कर्मचारियों द्वारा राजस्थान

+ वित्त विभाग की अधिसूचना सं. एफ. 1 (87) वित्त वि/नियम/62 दि. 27-11-69 द्वारा शामिल किया गया।

वश्वविद्यालय में की गई सेवायें, सरकार के अधीन की गयी सेवाओं के अंश के रूप में मानी जाएंगी।

उपर्युक्त पैरा 2 में अन्तर्विष्ट निर्णय उन सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू होगा जो अपनी स्वेच्छा से भर्ती के लिए आवेदन करते हैं तथा जो राजस्थान विश्वविद्यालय मे या मालवीय प्रादेशिक अभियान्त्रिकी महाविद्यालय, जयपुर मे प्राध्यापक पद पर नियुक्त किए जाते हैं।

खण्ड 7

परिवीक्षाधीन व्यक्ति (Probationer) तथा नवसिखुओं (Apprentices) के लिए अवकाश

नियम 122. प्रोबेशनरों के लिए अवकाश :--एक परिवीक्षाधीन व्यक्ति के लिए अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है यदि वह उसे उन अवकाश नियमों के अन्तर्गत प्राप्य है जो कि उस पर लागू होते यदि वह परिवीक्षाकाल के अतिरिक्त अन्यथा रूप से अपने स्थाई पद को धारण करता। यदि किसी कारण से प्रोबेशनर की सेवाओं को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा गया हो तो उसे किसी भी रूप का स्वीकृत किया हुआ अवकाश उस तिथि से आगे का नहीं होना चाहिए जिस तक कि उसका पूर्व में स्वीकृत किया गया या बढ़ाया गया परिवीक्षाकाल (Probation) का समय समाप्त नहीं होता है। अथवा उसका स्वीकृत किया हुआ अवकाश ऐसी पूर्व की तारीख से आगे का नहीं होना चाहिए जिसको कि उसकी सेवायें नियुक्ति करने वाले सक्षम प्राधिकारी के आदेशों द्वारा समाप्त कर दी जाती हैं।

टिप्पणी--विश्राम कालीन (V cation) विभागों में कार्य करने वाले व्यक्तियों पर इस सम्बन्ध में राजस्थान सेवा नियमों के नियम (92) (2) के नीचे दिया गया राजस्थान सरकार का निर्णय संख्या 2 लागू होगा।

नियम 123. नवसिखुओं (Apprentices) के लिए अवकाश—एक नवसिखुआ (एपेरेन्टिस) को चिकित्सा प्रमाण-पत्र या असाधारण अवकाश उन्हीं शर्तों पर स्वीकृत किया जा सकेगा जो कि स्थाई सेवा में नियुक्त नहीं किए गए एक सरकारी कर्मचारी पर लागू होता है।

खण्ड 8

अंशकालिक सेवा द्वारा उपार्जित अवकाश (Leave earned by part-time service)

नियम 124. शिक्षण संस्थाओं में पार्ट-टाइम राज्यकीय अध्यापकों (Lecturers) एवं कानून अधिकारियों (Law officers) के लिए अवकाश—शिक्षण संस्थाओं में पार्ट टाइम प्राध्यापक एवं कानून अधिकारियों को, जो कि वेतन की निश्चित दर पर पद धारण किए हुए हों लेकिन जो पूर्ण समय के लिए सरकार की सेवा में नहीं रखे जाते हों, उन्हें अवकाश निम्न रूप में स्वीकृत किया जा सकेगा—

(क) उस संस्था के विश्राम काल मे जिनमे कि ऐसे प्राध्यापक कार्य करते हैं या उन अदालतों के विश्राम काल में जिनमें कि नियन्त्रण में कानून अधिकारी कार्य करते हैं, उन्हें अवकाश पूर्ण वेतन पर मिलेगा बशर्ते कि उसके कारण सरकार को कोई अतिरिक्त व्यय न करना पड़ता हो। ऐसा अवकाश, सेवा (Duty) के रूप में गिना जावेगा।

(ख) छह साल की सेवा के बाद उसकी सेवा में अधिकतम तीन माह का अर्द्ध वेतन पर अवकाश।

(ग) चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर, किसी एक समय में अधिकतम दो माह का अर्द्ध वेतन पर अवकाश, बशर्ते कि चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर पहिले लिए गए अवकाश तथा बाद में लिए जाने वाले अवकाश में दो वर्ष का समय व्यतीत हो चुका हो।

(घ) नियम 96 मे दी गई शर्तों पर असाधारण अवकाश।

नियम 125. स्वीकृत किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अवकाशों का समन्वय—नियम 124 के किसी भी एक खण्ड के अन्तर्गत लिया गया अवकाश किसी दूसरे खण्ड के अन्तर्गत लिए गए अवकाश के साथ मिलाया जा सकता है।

खण्ड 9

पारिश्रमिक या दैनिक मजदूरी द्वारा पारिश्रमिक प्राप्त सेवा द्वारा उपार्जित अवकाश

(Leave earned by service remunerated by honoraria or daily wages)

नियम 126. पारिश्रमिक या दैनिक मजदूरी द्वारा पारिश्रमिक प्राप्त सेवा का अवकाश—एक राज्य कर्मचारी जो पारिश्रमिक या दैनिक मजदूरी द्वारा अपना पारिश्रमिक प्राप्त करता है, उसे अवकाश नियम 124 व 125 में दी गई शर्तों के अनुसार स्वीकृत किया जा सकता है बशर्ते कि वह अपने कार्य को पूरा कराने का सन्तोषजनक प्रबन्ध करदे तथा इसके कारण सरकार को कोई अतिरिक्त व्यय न करना पड़े तथा यह कि नियम 124 के खण्ड (ख) मे दिए गए किस्म के अवकाश में, उसका कुल पारिश्रमिक या दैनिक मजदूरी उस व्यक्ति को दी जावे, जो उसकी जगह पर काम करे।

अध्याय १२

सेवा में कार्यग्रहण करने का समय (Joining Time)

नियम 127. कब स्वीकृत होगा (When admissible)—किसी भी राज्य कर्मचारी को निम्न के लिए ज्वाइनिंग टाइम स्वीकृत किया जा सकेगा—

(क) ऐसे नये पद पर कार्यग्रहण करने के लिए जिस पर कि वह अपने पुराने पद पर काम करते समय नियुक्त किया गया हो, या अपने उस पद का कार्यभार सम्भालकर सीधे उस पद पर कार्यग्रहण करने के लिए।

(ख) (i) उपार्जित अवकाश से लौटने पर नये पद पर उपस्थिति देने के लिए, या

(ii) उपखण्ड (1) में वर्णित अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाश से लौटने पर, अपनी नई नियुक्ति की पर्याप्त समय पूर्व सूचना प्राप्त न करने की स्थिति में, नए पद पर उपस्थिति देने के लिए।

टिप्पणी संख्या 1—[विलोपित की गई]

टिप्पणी संख्या 2—प्रशिक्षण प्रारम्भ होने के तथा प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद शीघ्र ही यदि एक कर्मचारी किसी एक स्थान पर नियुक्त कर दिया जाता है तो प्रशिक्षण के स्थान से नियुक्ति के स्थान तक पहुंचने के लिए जो उचित समय आवश्यक हो, उसे प्रशिक्षण के समय का अंश समझा जाना चाहिए। यह नियम 'प्रशिक्षण पदों' (Training posts) को धारण करने वाले प्रोबेशनरों पर लागू नहीं होगा। उनको (पदों को) उनके स्थानान्तरण होने पर स्थानान्तरित किया हुआ समझा जावेगा। ऐसे प्रोबेशनरों को स्थानान्तरण पर ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा।

स्पष्टीकरण—राजस्थान सेवा नियमों के नियम 127 के नीचे दी गई टिप्पणी की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है इसके अनुसार प्रशिक्षण प्रारम्भ होने के तथा समाप्त होने के बाद यदि एक कर्मचारी किसी एक स्थान पर नियुक्त कर दिया जाता है तो प्रशिक्षण के स्थान से नियुक्ति के स्थान तक पहुंचने के लिए जो उचित समय आवश्यक हो, उसे प्रशिक्षण के समय का अंश समझा जाता है। इस सम्बन्ध में प्रश्न उत्पन्न किये गये हैं कि क्या प्रत्येक मामले में परिवर्तन के वास्तविक समय को प्रशिक्षण के भाग के रूप में उसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित किया जा सकता है जो उसे प्रशिक्षण पर प्रतिनियुक्ति करने के लिए सक्षम है।

प्रश्न पर विचार कर लिया गया है तथा परिवर्तन के समय को प्रशिक्षण के भाग के रूप में समझे जाने के लिए अलग से आदेश निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। परन्तु सक्षम प्राधिकारियों को व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्ति की स्वीकृति के आदेश में इस सम्बन्ध का एक खण्ड (Clause) और शामिल करना चाहिए कि अधिकारीगण राजस्थान सेवा नियमों के नियम 129 के प्रावधानों के अनुसार (तैयारी के समय को निकाल कर) वास्तविक यात्रा में लगने वाले समय के 'ज्वाइनिंग टाइम' का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार का एक खण्ड शामिल करने से परिवर्तन का समय नियम 127 की टिप्पणी के अर्थ में प्रशिक्षण के रूप में समझा जावेगा।

निर्णय—राजस्थान सेवा नियमों के नियम 127 के नीचे दी गई टिप्पणी की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद शीघ्र ही यदि राज्य कर्मचारी किसी एक स्थान पर नियुक्त हो जाता है तो प्रशिक्षण के स्थान से नियुक्ति के स्थान तक पहुंचने के लिये आवश्यक उचित समय को प्रशिक्षण के भाग के रूप में माना जाता है तथा ऐसे मामलों में कोई भी ज्वाइनिंग समय नहीं दिया जाता है। एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि क्या पूर्वोक्त टिप्पणी उन मामलों में भी लागू होगी जहां पर राज्य कर्मचारी प्रशिक्षण की समाप्ति पर ऐसे स्टेशन पर नियुक्त किया जाता है जो कि उसके प्रशिक्षण के लिये रवाना होने वाले स्टेशन से भिन्न हो।

मामले पर विचार कर लिया गया है तथा यह निर्णय किया गया है कि उक्त टिप्पणी उपरोक्त मामलों में लागू नहीं होगी। ऐसे समय में उसका पूर्ण ज्वाइनिंग टाइम प्रशिक्षण के स्थान से उस स्थान तक लगाया जाना चाहिये जहां पर कि वह अन्तिम रूप से नियुक्त किया गया है न कि उस स्थान से लगाना चाहिये जिससे कि पहिले वह प्रशिक्षण के लिए रवाना हुआ था।

टिप्पणी सं० 3—यदि कोई राज्य कर्मचारी अपने उपार्जित अवकाश में एक ऐसे पद पर नियुक्त हो जाता है जो कि अपने अवकाश पर रवाना होने वाले पद से भिन्न हो, तो वह नियम 129 के अन्तर्गत पूर्ण ज्वाइनिंग टाइम प्राप्त करने का हकदार है चाहे सम्बन्धित राज्य कर्मचारी द्वारा स्थानान्तरण के आदेश किसी भी तारीख को क्यों न प्राप्त किये हों। यदि राज्य कर्मचारी को ऐसे अवकाश की समाप्ति के पूर्व एवं स्वीकृत ज्वाइनिंग टाइम के पूर्व अपने नये पद पर उपस्थित होना हो तो जितना भी समय कम बचेगा उसे अवकाश न प्राप्त किये गये समय के रूप में समझा जाना चाहिये तथा उसके बराबर के स्वीकृत समय के अवकाश को अवकाश स्वीकृत करने वाले अधिकारी को बिल लिखे हुए रद्द (Cancel) कर देना चाहिये। यदि किसी मामले में, राज्य कर्मचारी उसे प्राप्य पूर्ण ज्वाइनिंग टाइम का उपयोग नहीं करना चाहता हो तो ऐसे विकल्प (आप्शन) की स्थिति में अवकाश के समय तथा उपस्थिति के समय का समायोजन कर दिया जाना चाहिये।

टिप्पणी सं० 4—यदि विश्राम काल के साथ अवकाश लिया गया हो तथा विश्राम काल व अवकाश का समय दोनों मिलाकर 4 माह से ज्यादा न हो तो ज्वाईनिंग टाइम नियम 127 के खण्ड (ख) (1) के अन्तर्गत नियमित किया जाना चाहिये।

टिप्पणी सं० 5-प्रशिक्षण के लिए रवाना होने के पूर्व या उसके बाद में आकस्मिक अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि इसका मतलब राजस्थान सेवा नियम भाग 2 के परिशिष्ट 1 की आकस्मिक अवकाश के भाग 3 के पैरा (1) (II) के अर्थ में नियमों का उल्लंघन होगा।

निर्णय संख्या 1—एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि क्या राजस्थान सेवा नियमों के नियम 127 के अन्तर्गत एक अधिकारी को ज्वाइनिंग टाइम नये पद पर उपस्थित होने के लिए मिल सकता है जो कि अवकाश की समाप्ति पर या अन्यथा प्रकार से अपनी नियुक्ति के आदेशों का इन्तजार ऐसे स्थान पर करता है जहाँ पर कि अवकाश का उपभोग किया गया था या जो सेवा का अन्तिम स्थान हो एवं जो राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7 (8) (ख) (5) के अन्तर्गत 'सेवा' के रूप में माना जाता है।

यह निर्णय किया गया है कि राजस्थान सेवा नियमों के नियम 127 के अन्तर्गत ज्वाइनिंग टाइम तथा उक्त नियमों के नियम 138 के अन्तर्गत ज्वाइनिंग टाइम का वेतन दोनों ही ऐसे मामलों में मिलेगा। ज्वाइनिंग टाइम नियुक्ति आदेश (Posting order) के जारी होने की तारीख से गिना जाना चाहिये।

आदेश जारी करते समय सक्षम प्राधिकारियों को वर्णन करना चाहिये कि क्या तैयारी के लिये पूर्ण ज्वाइनिंग टाइम पूरा अर्थात् ६ दिन का जो कि राजस्थान सेवा नियमों के नियम १२६ के अन्तर्गत प्राप्य है, स्वीकृत किया जाना चाहिये अथवा ६ दिन से कम या कोई निश्चित सीमा तक स्वीकृत किया जाना चाहिये। एक प्रकार के मामले जिनमें कि तैयारी के लिये ज्वाइनिंग टाइम में कमी करना ठीक हो, उनमें उस अधिकारी को पूर्व में ही सूचित कर देना चाहिये कि उसकी नियुक्ति दूसरे स्टेशन पर की जानी है।

निर्णय संख्या 2—कुछ समय पूर्व से ही सरकार के विचाराधीन यह मामला चल रहा था कि जो राज्य कर्मचारी प्रतियोगिता परीक्षाओं के परिणामस्वरूप या साक्षात्कार (इन्टरव्यू) के फलस्वरूप, जिनमें कि राज्य कर्मचारी एवं अन्य व्यक्ति सीधे भाग ले सकते थे, राज्य सरकार के अन्तर्गत पदों पर नियुक्त किये गये हैं, उन्हें कितना ज्वाइनिंग टाइम या ज्वाइनिंग टाइम का वेतन दिया जाना चाहिये। यह निर्णय किया गया है कि ऐसे मामलों में ज्वाइनिंग टाइम एवं ज्वाइनिंग टाइम का वेतन निम्न प्रकार से नियमित किया जावेगा।

(क) ज्वाइनिंग टाइम सरकार के अधीन सेवा करने वाले सभी राज्य कर्मचारियों को साधारण रूप से स्वीकृत किया जाना चाहिये, एवं यह कि

(ख) जब तक राज्य कर्मचारी सरकार के अधीन स्थाई पद पर स्थाई रूप में कार्य नहीं कर कर रहा हो उसे कोई ज्वाइनिंग टाइम वेतन स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिये।

जहाँ उपरोक्त खण्ड (ख) के अन्तर्गत ज्वाइनिंग टाइम का वेतन स्वीकृत किया जाता है, वहां उन्हें राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के नियम २६ के अन्तर्गत यात्रा भत्ता भी स्वीकृत किया जाना चाहिये।

निर्णय संख्या—3 वित्त विभाग के मीमो दिनांक 31-1-61 (उक्त निर्णय संख्या 2) के अतिक्रमण में यह निर्णय किया गया है कि जो राज्य कर्मचारी प्रतियोगिता परीक्षाओं के परिणामस्वरूप या साक्षात्कार (इन्टरव्यू) के फलस्वरूप, जिनमें कि राज्य कर्मचारी व अन्य व्यक्ति सीधे भाग ले सकते हैं, राज्य सरकार के अन्तर्गत पदों पर नियुक्त किये जाते हैं, उन्हें ज्वाईनिंग टाइम का वेतन निम्न प्रकार से स्वीकृत किया जाना चाहिये।

(क) राज्य सरकार के अधीन सेवा करने वाले सभी राज्य कर्मचारियों के लिये साधारणतया ज्वाईनिंग टाइम स्वीकृत किया जाना चाहिये। इसके अलावा केन्द्रीय एवं अन्य राज्य के उन राज्य कर्मचारियों के लिये भी स्वीकृत किया जाना चाहिये जो कि स्थाई पदों पर स्थाई रूप में कार्य करते हैं, एवं यह कि

(ख) जब तक एक राज्य कर्मचारी सरकार के अधीन (केन्द्रीय/अन्य राज्य सरकारों सहित) स्थाई रूप में स्थाई पद पर कार्य नहीं करता हो उसे कोई ज्वाईनिंग टाइम का वेतन स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिये।

जहां उपरोक्त खण्ड (ख) के अन्तर्गत ज्वाईनिंग टाइम का वेतन स्वीकृत किया जाता हो वहां उन्हें राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के नियम 26 के अन्तर्गत यात्रा भत्ता भी स्वीकृत करना चाहिये।

उक्त निर्णय दिनांक 1-11-56 को प्रभावशील समझा जावेगा।

निर्णय संख्या 4—जो अस्थाई राज्य कर्मचारी एक विभाग से स्थापन (Establishment) में कमी किए जाने के कारण हटा दिए (Discharge) गये हैं तथा ऐसे ही अन्य विभागों में पुनर्नियुक्त कर दिए हैं, उन्हें निम्नलिखित रियायतें स्वीकृत की जाती हैं—

(1) यदि नए पद पर नियुक्ति के आदेश सम्बन्धित राज्य कर्मचारी ने उस समय प्राप्त किया हो जब कि वह अपने पुराने पद पर कार्य कर रहा हो या जब वह अन्तिम अवकाश (Terminal Leave) पर हो—

उन्हें स्थानान्तरण पर ज्वाईनिंग टाइम एवं यात्रा भत्ता स्वीकृत किया जावेगा जहां पर यदि नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी यह प्रमाणित करता है कि उसका स्थानान्तरण सार्वजनिक हित की दृष्टि से है तथा सरकार के अधीन पूर्व में की गई उसकी सेवाएं उसके नये पद की नियुक्ति के लिए आवश्यक हैं। जहां इस प्रकार का प्रमाण पत्र नहीं दिया जा सकता हो वहां कोई भी ज्वाईनिंग टाइम एवं भत्ता स्वीकृत नहीं किया जावेगा। परन्तु सेवा में, यदि कोई व्यवधान (Break) हो गया हो, तो उसे लगातार सेवा बनाने के उद्देश्य से कन्डोन किया जा सकता है बशर्ते कि व्यवधान का समय उसे राजस्थान सेवा नियमों के नियम 127 के अन्तर्गत प्राप्य ज्वाइनिंग टाइम से ज्यादा न हो।

(ii) यदि राज्य कर्मचारी अपने नियुक्ति के आदेश अपने पुराने पद से हटाये जाने के बाद या अन्तिम अवकाश की समाप्ति के बाद, शीघ्र ही अन्य ऐसे कार्यालय में प्राप्त करता है तथा अपने नये पद पर बिना किसी देर के उपस्थित हो जाता है तो—

उसे कोई भी ज्वाईनिंग टाइम या यात्रा भत्ता स्वीकृत नहीं किया जावेगा परन्तु उसकी सेवा को निरन्तर गिने जाने के लिए उसके सेवा के व्यवधान को कन्डोन किया जा सकता है बशर्ते कि

व्यवधान का समय राजस्थान सेवा नियमों के नियम 127 के अन्तर्गत प्राप्य ज्वाइनिंग टाइम से ज्यादा न हो।

(iii) उपरोक्त उप-अवतरणों (Sub-paras) के अनुसार ज्वाइनिंग टाइम स्वीकृत करने या ज्वाइनिंग टाइम के बराबर सेवा के व्यवधान को कन्डोन करने के लिए, जैसी भी स्थिति हो, सक्षम प्राधिकारी राजस्थान सेवा नियमों के नियम 135 व 136 के द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का उपभोग करते हुए, ज्वाइनिंग टाइम को 30 दिन तक बढ़ा सकता है। सभी मामले, जिनमें सेवा का व्यवधान 30 दिन से ज्यादा का हो एवं जिसमे कि व्यवधान को कन्डोन किया जाना हो अथवा उस समय का ज्वाइनिंग टाइम स्वीकृत किया जाना हो, वित्त विभाग के पास उचित अधिकारियों के द्वारा यह निर्णय हेतु भेजे जाने चाहिये।

(iv) ऐसे सभी मामले जिनमें सेवा का व्यवधान कन्डोन किया गया हो तो उस सम्बन्धित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका (Service book) मे व्यवधान को कन्डोन करने वाले प्राधिकारी का हवाला देते हुए इन्द्राज किया जावेगा।

(V) जब कभी किया गया राज्य कर्मचारी पुनर्नियुक्त किया जाता है तथा उसकी सेवा के व्यवधान को, यदि कोई हो, कन्डोन किया जाता है तो उसकी पूर्व की सेवाऐं (लेकिन इसमें स्वयं व्यवधान का समय शामिल नहीं होगा) नये कार्यालय मे वरिष्ठता के निर्धारण में समय समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये साधारण नियमों या आदेशों के अनुसार गिनी जायेगी।

व्यवधान को कन्डोन कर दिये जाने मे राजस्थान सेवा नियमों के नियम 188 क. की शर्तों के आधार पर कर्मचारी को पूर्व अस्थाई सेवाऐं पेंशन के लिये गिनी जायेगी।

\+ विषय—सरकारी कर्मचारी द्वारा कार्यभार संभालने में जानबूझ कर विलम्ब

सरकार के यह ध्यान में आया है कि स्थानान्तरण आदेश जारी होने पर कार्यभार संभालने वाला सरकारी कर्मचारी जिस पद पर वह स्थानान्तरित हुआ है, उस पद का कार्यभार संभालने के लिये ड्यूटी पर उपस्थित होता है लेकिन किसी न किसी कारण से कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष या कार्यभार संभालने वाले सरकारी कर्मचारी जानबूझ कर देरी करते हैं तथा कार्यभार संभालने से बचते हैं।

मामले पर विचार कर लिया गया है तथा यह तय किया गया है कि स्थानान्तरण आदेश प्राप्त करने पर कार्यभार, संभालने वाले कर्मचारी के आगमन पर शीघ्र ही सम्भलाया जाना चाहिये। यदि कार्यभार संभलाने में कोई जानबूझ कर देरी की जाती है तो कार्यभार संभालने वाला अधिकारी पद का कार्यभार संभाल लेगा तथा कार्यभार संभालने वाले कर्मचारी को उस समय तक असाधारण अवकाश पर समझा जाएगा जब तक कि वह अवकाश सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्यभार संभालने वाले सरकारी कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से, स्वीकृत नहीं कर दिया गया हो।

नियम 128. स्थान का परिवर्तन न होने पर-ज्वाइनिंग टाइम (Joining time where

\+ वित्त विभाग की आज्ञा संख्या एफ 1 (72) वित्त वि (व्यय-नियम) 69 दिनांक 7-11-69 द्वारा निविष्ट।

change of Station is not involved)—जहां एक पद से नये पद पर स्थानान्तरित होने में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में अपना निवास स्थान नहीं बदला जाता हो वहां पर नये पद पर उपस्थित होने के लिये एक दिन से अधिक का ज्वाईनिंग टाइम नहीं दिया जाना चाहिये। इस नियम के प्रयोजन के लिये एक अवकाश (Holiday) को भी एक दिन गिना जावेगा।

स्पष्टीकरण—एक मामला सरकार के पास इस सम्बन्ध का भेजा गया कि जहां एक अधिकारी के द्वारा अपना कार्यभार सम्भालने के बाद राजपत्रित अवकाश आते हैं तथा जहां नए पद की नियुक्ति में निवास स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसका ज्वाइनिंग टाइम किस प्रकार नियमित किया जावेगा। अधिकारी ने अपना चार्ज दोपहर बाद सौंपा था।

मामले की जांच की गई तथा यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रथम दिन का अवकाश नियम 128 के अन्तर्गत ज्वाइनिंग टाइम के रूप में स्वीकृत किया जा सकता है तथा इसके बाद के शेष अवकाशों को नियम 61 के अन्तर्गत ज्वाईनिंग टाइम के पूर्व आया हुआ अवकाश समझा जाना चाहिये। बाद के अवकाश काल का वेतन एवं भत्ता नियम 63 (ख) के अनुसार नियमित किया जाना चाहिये।

जो मामले पहिले उपरोक्त तरीके के अलावा अन्यथा प्रकार से तय किए जा चुके हैं उन्हें पुनः दोहराने की जरूरत नहीं।

× 128 क.—जब कार्यग्रहण के समय (ज्वाइनिंग टाइम) के बाद छुट्टी या छुट्टियां आती हों, तो सामान्यतः ज्वाइनिंग टाइम उक्त छुट्टी या छुट्टियों की सीमा तक बढ़ाया हुआ समझा जाएगा।

नियम 129. प्राप्य ज्वाईनिंग टाइम की अवधि (period of joining time admissible)—तैयारी करने के लिए 6 दिन का समय तथा इसके साथ वास्तविक यात्रा का समय स्वीकृत किया जाता है जो निम्न प्रकार से गिना जाता है—

(क) एक राज्य कर्मचारी को निम्न दूरी तक यात्रा करने के लिए निम्न प्रत्येक मामले में एक रोज का समय दिया जाता है--

रेल द्वारा	500 किलो मीटर
समुद्री जहाज द्वारा	350 किलो मीटर
नदी के जहाज से (River Steamer)	150 किलो मीटर
सार्वजनिक किराये पर चलने वाली मोटर कार या बस द्वारा	150 किलो मीटर
किसी अन्य मार्ग द्वारा	25 किलो मीटर

(ख) खण्ड (क) में वर्णित यात्रा के किसी अंश की दूरी के लिए एक रोज स्वीकृत किया गया है।

(ग) यात्रा के प्रारम्भ या अन्त में रेलवे स्टेशन तक या रेलवे स्टेशन से 8 किलो मीटर तक की यात्रा ज्वाईनिंग टाइम के लिए नहीं गिनी जाती है।

× वित्त विभाग के आदेश स. एफ 1 (7) एफ डी (व्यय-नियम) 67 दिनांक 23-2-67 द्वारा शामिल किया गया।

(ग) इस नियम में, गणना के प्रयोजन के लिए रविवार को एक दिन के समय के रूप में नहीं गिना जाएगा लेकिन रविवारों को 30 दिन की अधिकतम अवधि में शामिल किया जावेगा ।

अपवाद—स्थानान्तरण स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी, विशेष परिस्थितियों में, इस नियम के अन्तर्गत प्राप्त उपस्थिति (ज्वाइनिंग टाइम) के समय को कम कर सकता है।

नियम 130. किस रास्ते द्वारा ज्वाइनिंग टाइम गिना जावेगा (Route by which joining time is calculated)—चाहे राज्य कर्मचारी किसी भी मार्ग द्वारा यात्रा करता है लेकिन उसको ज्वाइनिंग टाइम, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी विशेष कारणों से अन्यथा प्रकार से आदेश न दे, उसी मार्ग द्वारा गिना जावेगा जिससे यात्री साधारणतया यात्रा करते रहते हैं।

नियम 131. मुख्यालय के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कार्यभार सम्भालने पर ज्वाइनिंग टाइम (Joining time where charge is made over at a place other than Head Quarters)—यदि कोई राज्य कर्मचारी अपने मुख्यालय के अतिरिक्त अन्य स्थान पर पद का कार्यभार संभालने के लिए अधिकृत हो तो उसका ज्वाइनिंग टाइम उसी स्थान से गिना जावेगा जहां से उसने कार्यभार सम्भलाया है।

नियम 132 प्रस्थान समय में नए पद पर नियुक्ति होने पर ज्वाइनिंग टाइम (Joining time on appointment to a new post while in transit)—जब एक राज्य कर्मचारी एक पद से दूसरे नए पद पर, उसके प्रस्थान काल में, नियुक्त हो जाता है तो उसका ज्वाइनिंग टाइम नियुक्ति के आदेश प्राप्त करने की तारीख के अगले दिन से प्रारम्भ होता है।

जांच निर्देशन—जब एक राज्य कर्मचारी अपने प्रस्थान काल मे एक पद से दूसरे नये पद पर नियुक्त होता है तो उसे तैयारी करने के लिए दूसरे 6 दिन का और समय, ज्वाइनिंग टाइम गिनने में स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए।

नियम 133. एक पद से दूसरे पद पर प्रस्थान काल में अवकाश लेने पर राज्य कर्मचारी के लिए ज्वाइनिंग टाइम (Joining time for Government servant taking leave while in transit from one post to another)-यदि एक राज्य कर्मचारी एक पद से दूसरे पद पर प्रस्थान करते समय अवकाश लेता है तो अपने पुराने पद के कार्यभार सम्भलाने से जितना समय व्यतीत होता है वह उसके अवकाश में शामिल किया जाना चाहिए।

नियम 134. उपार्जित अवकाश काल में नए पद पर नियुक्ति होने पर ज्वाइनिंग टाइम-यदि कोई राज्य कर्मचारी जब कि वह उपार्जित अवकाश में हो, एक नए पद पर नियुक्त हो जाता है तो उसका ज्वाइनिंग टाइम उसके पुराने स्थान से या उस स्थान से गिना जावेगा जहां पर कि वह अपनी नियुक्ति के आदेश प्राप्त करता है। इन दोनों से गणना करने में जहां से भी ज्वाइनिंग टाइम कम प्राप्य होगा, वही गिना जावेगा।

नियम 135. सक्षम प्राधिकारी द्वारा ज्वाइनिंग टाइम बढ़ाया जाना—किसी भी मामले में सक्षम प्राधिकारी इन नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत किए जाने योग्य ज्वाइनिंग टाइम की अवधि को बढ़ा सकता है। परन्तु शर्त यह है कि नियमों की सामान्य भावना (General Spirit of the Rules) का पालन किया जावेगा।

नियम 136. अधिकतम ज्वाइनिंग टाइम जो स्वीकृत किया जा सकता है (Maximum joining time admissible)—30 दिन की अधिकतम सीमा के भीतर, एक सक्षम प्राधिकारी ऐसी शर्तों पर, जिन्हें वह उचित समझे, एक राज्य कर्मचारी को निम्न लिखित परिस्थितियों में नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत किए जाने योग्य ज्वाइनिंग टाइम से अधिक समय का ज्वाइनिंग टाइम स्वीकृत कर सकता है—

(क) जब राज्य कर्मचारी यात्रा के साधारण साधन को उपयोग में लाने में असमर्थ रहा हो अथवा उसके द्वारा कठिन परिश्रम करने पर भी यात्रा में नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत समय से ज्यादा समय खर्च हो गया हो, या

(ख) जहां ऐसा विस्तार सार्वजनिक सुविधा के लिए आवश्यक समझा जाता हो अथवा अनावश्यक या शुद्ध औपचारिक स्थानान्तरण के कारण सार्वजनिक व्यय को बचाने के लिए आवश्यक समझा जाता हो।

(ग) जब किसी विशिष्ट मामले में नियमों का कठोरता से प्रयोग किया गया हो। जैसे उदाहरण के लिए, जब एक राज्य कर्मचारी यात्रा में बिना कोई गलती किए हुए बीमार पड़ जाता है।

नियम 137. अन्य सरकार में स्थानान्तरण पर ज्वाइनिंग टाइम का विनियमन (Regulation of joining time on transfer to other Government)—जब राजस्थान सरकार के प्रशासनात्मक नियन्त्रण के अधीन नियुक्त एक राज्य कर्मचारी दूसरी ऐसी सरकार के नियन्त्रण में स्थानान्तरित कर दिया जाता है जिसने कि ज्वाइनिंग टाइम निश्चित करने के सम्बन्ध में नियम बनाए हैं तो उस सरकार में पद पर उपस्थित होने का तथा उसमें लौटने की यात्रा का ज्वाइनिंग टाइम उन नियमों द्वारा विनियमित किया जावेगा।

नियम 138. ज्वाइनिंग टाइम सेवा के रूप में गिना जाता है (Joining time counts as duty)—कार्य ग्रहण काल (ज्वाइनिंग टाइम) में एक राज्य कर्मचारी सेवा के रूप में समझा जावेगा तथा उसका भुगतान निम्न प्रकार से प्राप्त करने का हकदार होगा—

(क) यदि नियम 127 के खण्ड (क) के अन्तर्गत ज्वाइनिंग टाइम हो तो राज्य कर्मचारी वह वेतन प्राप्त करेगा जो कि, वह स्थानान्तरण न होने पर प्राप्त करता या जिसे वह नए पद पर कार्यभार सम्भालने पर प्राप्त करेगा। इनमें से जो भी कम होगा वही वेतन वह प्राप्त करेगा।

(ख) यदि नियम 127 (ख) के अन्तर्गत ज्वाइनिंग टाइम हो तो वह, असाधारण अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाश से लौटने पर, ऐसा अवकाश वेतन प्राप्त करेगा जो कि वह भारत में अवकाश वेतन के भुगतान के लिए निर्धारित दर पर अवकाश में पहिले प्राप्त करता था। परन्तु यदि वह असाधारण अवकाश से लौटता हो तो उसे कुछ भी भुगतान नहीं मिलेगा।

टिप्पणी—एक राज्य कर्मचारी के स्थानान्तरण के ज्वाइनिंग टाइम का भुगतान उस समय तक नहीं किया जावेगा जब तक कि वह सार्वजनिक हित की दृष्टि से स्थानान्तरित नहीं किया जाता है। परन्तु यदि राज्य कर्मचारी प्रार्थना करे तथा सक्षम प्राधिकारी स्वीकृत करने के लिए इच्छुक हो तो अपने पुराने स्थान पर पद का कार्यभार सम्भालने तथा नए स्थान पर अपने पद का

कार्यभार सम्भालने के बीच में बिताए गए समय के लिए अवकाश नियमों के अनुसार उसे प्राप्य नियमित अवकाश स्वीकृत करने में सक्षम प्राधिकारी को कोई आपत्ति नहीं होगी।

जांच निर्देशन—(1) जब तक स्थानान्तरण पूर्ण न हो, किसी भी दशा में कार्यभार संभलाने वाले राज्य कर्मचारी द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान (जहां स्थानान्तरण में अतिरिक्त वेतन की स्वीकृति हो) प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। परन्तु जहां तक साधारण वेतन एवं भत्तों का प्रश्न है, ऐसे सभी मामलों में, इसके लिए सामान्य नियम का एक अपवाद बनाया जा सकता है, जिनमें कि हस्तान्तरित किए जाने वाले कार्यभार में कई बिखरे हुए काम हों जिन्हें कि उच्च प्राधिकारी के आदेशों के अनुसार हस्तान्तरण पूर्ण करने से पूर्व कार्यभार सम्भालने वाले (Relieving) तथा कार्यभार सम्भलाने वाले (Relieved) कर्मचारियों को साथ साथ देखना है। कार्यभार सम्भालने वाला राज्य कर्मचारी सेवा के रूप में समझा जावेगा यदि विभागाध्यक्ष इन निरीक्षणों (Inspections) के समय को अधिक नहीं समझता हो। इस प्रकार कार्यभार सम्भालते समय एक राज्य कर्मचारी—

(क) यदि वह अपने द्वारा स्थाई रूप से धारण किए गए पद से स्थानान्तरित होता है तो वह उस पद पर अपना सम्भावी वेतन (Presumptive Pay) प्राप्त करेगा, तथा

(ख) यदि वह ऐसे पद से स्थानान्तरित होता है जिस पर वह कार्यवाहक रूप में कार्य करता हो तो वह उस पद पर प्राप्य कार्यवाहक वेतन प्राप्त करेगा बशर्ते कि यह उस वेतन से ज्यादा न हो जिसे वह स्थानान्तरण पूर्ण होने के बाद प्राप्त करता, अन्यथा स्थानान्तरण से पूर्व जिस पद पर उसका लीयन था उसका सम्भावी वेतन प्राप्त करेगा, एवं

(ग) यदि वह अवकाश से लौटता है तो वह उस पद का सम्भावी वेतन प्राप्त करेगा जिस पर कि अवकाश काल में उसका लीयन रहता है।

(2) यदि उक्त जांच निर्देशन में वर्णित विदा होने वाले एवं विदा करने वाले दोनो अधिकारी निशुल्क क्वार्टर प्राप्त करने के हकदार हैं या क्वार्टरों के बदले में मकान किराया प्राप्त करने के हकदार हैं, तो दोनो अधिकारी रियायतें पाने के हकदार होंगे।

निर्णय संख्या 1—यह निर्णय किया गया है कि जोधपुर एवं जयपुर जिला ट्रेजरियों में कार्यभार के हस्तान्तरण एक सप्ताह में पूर्ण हो जाने चाहिए तथा अन्य जिला ट्रेजरियों के कार्यभार का हस्तान्तरण तीन दिन में हो जाना चाहिए।

उपरोक्त निर्धारित की गई समयावधि की सीमा अधिकतम है तथा जितना सम्भव हो सके जल्दी से जल्दी समय में कार्य को पूरा किया जाना चाहिये।

निर्णय संख्या 2—एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि दोनों ज्वाईनिंग टाइम के समय का अर्थात् नियम 133 के अन्तर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अधिकतम चार माह तक के औसतन वेतन पर अवकाश के प्रारम्भ होने से पहले स्वीकृत किया गया ज्वाइनिंग टाइम तथा ऐसे अवकाश के समाप्त होने पर नये पद पर उपस्थित होने के लिए उपभोग किए गए समय का ज्वाइनिंग टाइम वेतन कैसे नियमित किया जावेगा। मामले की जांच करली गई है तथा राज्यपाल ने आदेश दिए हैं कि प्रथम प्रकार के ज्वाईनिंग टाइम जो कि नियम 133 के अन्तर्गत स्वीकृत किए जायें उसका ज्वाईनिंग टाइम वेतन नियम 138 के अन्तर्गत विनियमित किया जा सकता है तथा दूसरे

प्रकार से बिताए गए ज्वाइनिंग टाइम का ज्वाइनिंग टाइम वेतन नियम 138 (ख) के अनुसार नियमित किया जा सकता है।

निर्णय संख्या 3—एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि (1) कार्यभार सम्भालने वाले राज्य अधिकारी द्वारा एक नए पद का कार्यभार सम्भालने के समय को किस रूप में समझा जावेगा तथा (2) उनका वेतन एवं भत्ता ऐसे समय में किस प्रकार नियमित किया जाना चाहिए, जहा पर कि हस्तान्तरित कार्यभार मे कई स्टोर एवं/या जिसमें काम ऐसे शामिल हैं जिनका कि निरीक्षण, हस्तान्तरण पूर्ण करने से पूर्व कार्यभार सम्भालने वाले तथा कार्यभार सम्भालने वाले, दोनों राज्य कर्मचारियों द्वारा किया जाना जरूरी है। यह निर्णय किया गया है कि कार्यभार सम्भालने वाले अधिकारी को 'सेवा' (Duty) के रूप में समझा जाना चाहिए, यदि ऐसे निरीक्षणों में बिताया जाने वाला समय विभागाध्यक्ष के लिए चार्ज लेने मे अधिक प्रतीत नहीं होता हो, कार्यभार सम्भालने वाला अधिकारी निम्न प्रकार से प्राप्त करेगा—

(क) (i) यदि वह एक ऐसे पद से स्थानान्तरित होता है जिस पर उसने स्थाई रूप मे कार्य किया हो, तो वह उस पद पर अपना सम्भावी वेतन (Presumptive Pay) प्राप्त करेगा। अथवा

(ii) यदि वह एक ऐसे पद से स्थानान्तरित होता है, जिस पर उसने अस्थाई रूप मे कार्यवाहक रूप मे कार्य किया है तो वह उस पद पर प्राप्य कार्यवाहक वेतन प्राप्त करेगा या स्थानान्तरण पूर्ण होने के बाद जो वह वेतन प्राप्त करता, वह प्राप्त करेगा। परन्तु इनमें से जो भी कम हो, वह प्राप्त करेगा; एवं

(ख) उपरोक्त (1) या (2) के रूप मे, जैसी भी स्थिति हो, प्राप्त किए गए वेतन के आधार पर नए स्थान पर प्राप्य क्षतिपूरक भत्ता/मकान किराया भत्ता वह प्राप्त करेगा।

निर्णय संख्या 4—अवकाश से लौटने पर एक पद पर स्थानान्तरित होने पर राज्य कर्मचारी का वेतन, कार्यभार संभालने की अवधि में निम्न प्रकार से नियमित किया जावेगा—

(1) यदि वह स्थाई रूप से धारण किये गए पद से अवकाश पर गया हो तो उस पद का सम्भावी वेतन वह प्राप्त करेगा, एवं

(2) यदि वह कार्यवाहक रूप से धारण किये गये पद से अवकाश पर गया हो तो उस पद का कार्यवाहक वेतन या उस नए पद में उसे प्राप्य वेतन, जिसे कि वह कार्यभार संभालने के बाद प्राप्त करता, इनमे से जो कम होगा, वही उसे मिलेगा।

नियम 139. ज्वाइनिंग टाइम के बाद दण्ड (Penalty for exceeding joining time)—एक राज्य कर्मचारी जो अपने उपस्थिति के समय में अपने पद पर उपस्थित नहीं होता है तो वह उस ज्वाइनिंग टाइम के समाप्त होने के बाद वेतन या अवकाश वेतन प्राप्त करने का हकदार नहीं है। ज्वाइनिंग टाइम के बाद सेवा से स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित रहना (wilful absance from duty) नियम 86 के अर्थ में दुर्व्यवहार (Misbehaviour) समझा जाएगा।

नियम 140 राज्यकीय सेवा में नियुक्त होने पर गैर सरकारी (Private) कर्मचारियों को ज्वाइनिंग टाइम--राज्यकीय सेवा के अतिरिक्त अन्य जगह पर नियुक्त किया हुआ व्यक्ति या ऐसी नौकरी पर अवकाश स्वीकृत किया हुआ व्यक्ति, यदि सरकारी हित की दृष्टि से, सरकार के

अधीन किसी पद पर नियुक्त हो जाता है,तो सरकार अपने निर्णय पर उस समय को ज्वाइनिंग टाइम के रूप में समझ सकती है जब वह सरकार के अधीन पद पर कार्यभार संभालने के लिए तैयारी करता है तथा यात्रा करता है तथा जब वह वापिस सरकारी सेवा से अपने मूल नियोजक को स्थानान्तरित कर देने पर तैयारी करता है एवं यात्रा करता है। ऐसे ज्वाइनिंग टाइम में अथवा प्राइवेट नियोजन द्वारा स्वीकृत अवकाश के बाद ज्वाइनिंग टाइम में उसको ज्वाइनिंग टाइम वेतन उतना ही मिलेगा जो वह सरकारी सेवा में नियुक्त होने के पूर्व अपने नियोजक से प्राप्त कर रहा था अथवा राज्यकीय सेवा में पद के वेतन के बराबर, इनमें से जो कोई कम हो, वह प्राप्त करेगा।

भाग 5

अध्याय 13–विदेशीय सेवा (Foreign Service)

नियम 141. विदेशी सेवा में स्थानान्तरित करने पर कर्मचारी की सहमति आवश्यक-किसी भी राज्य कर्मचारी को उसकी इच्छा के विरुद्ध विदेशी सेवा में स्थानान्तरित नहीं किया जावेगा। परन्तु शर्त यह है कि यह नियम उन राज्य कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जिनकी कि सेवाऐं किसी ऐसे निगमित (Incorporated) या अनिगमित निकायों में स्थानान्तरित करनी होती है जिन पर सरकार का स्वामित्व या नियन्त्रण पूर्ण या आंशिक रूप में है। अथवा जहां एक राज्य कर्मचारी का स्थानान्तरण ऐसी सेवा में करना होता है जिसका भुगतान राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम (1959 का अधिनियम संख्या 7) के अन्तर्गत गठित पंचायत समिति एवं जिला परिषद् फण्ड से किया जाता है।

नियम 142. विदेशी सेवा में स्थानान्तरण कब स्वीकृत किया जा सकता है—विदेशी सेवा में स्थानान्तरण उस समय तक स्वीकार्य नहीं हो सकता जब तक कि—

(क) स्थानान्तरण के बाद की जाने वाली सेवायें ऐसी हों, जो कि सार्वजनिक कारणों से राज्य कर्मचारी द्वारा की जाती हों।

(ख) स्थानान्तरण के समय स्थानान्तरित राज्य कर्मचारी ऐसे पद पर कार्य करता है जिसका भुगतान संचित निधि से किया जाता है या ऐसे पद पर अपना लीयन रखता हो यदि उसका लीयन निलम्बित न किया जाय।

टिप्पणियां—(1) यदि किसी मामले में यह प्रस्ताव कर लिया जाता है कि राज्य कर्मचारी किसी गैर सरकारी उपक्रमों (Private undertakings) को उधार दिया जाना चाहिये, तो यह आवश्यक है कि इन नियमों का पालन सर्वाधिक कठोरता के किया जावे तथा सामान्य रूप में एक गैर सरकारी उपक्रम के लिए एक राज्य अधिकारी को उधार दिया जाना अपवाद स्वरूप मामलों (Exceptional cases) में ही होना चाहिये तथा उसमें उसके भेजने के लिये विशेष कारण उपस्थित होने चाहिये।

(2) इस नियम के अन्तर्गत अस्थाई सेवा में नियुक्त राज्य कर्मचारी का स्थानान्तरण भी विदेशी सेवा में स्वीकृत किया जा सकता है।

(3) जो राज्य सरकार राज्य कर्मचारी के विदेशी सेवा मे उधार देने के कारण पेन्शन अनुदान वसूल करने की हकदार होगी, उसे ही स्थानान्तरण की स्वीकृति करने में सक्षम सरकार के रूप मे समझा जावेगा।

निर्देशन—एक राज्य कर्मचारी को विदेशी सेवा मे स्थानान्तरित किये जाने के आदेश की एक प्रतिलिपि स्थानान्तरण करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा महालेखाकार के पास भिजवाई जानी चाहिये। स्वयं राज्य कर्मचारी को बिना किसी प्रकार की देर किए उस कार्यालय को एक प्रतिलिपि भेजनी चाहिये तथा अपने अंशदान (Contribution) की रकम के बारे मे निर्देश प्राप्त कर लेने चाहिये। उसे स्वयं को कार्यभार के सभी स्थानान्तरणों के समय एवं दिनांक की सूचना उस प्राधिकारी को जिसके लिये वह प्रस्थान करते समय एक पार्टी के रूप में होता है, अपने विदेशी सेवा काल में या उससे लौटने पर देनी चाहिये तथा उसे समय समय पर विदेशी सेवा काल मे अपने वेतन, उपभोग किए गए अवकाश, पत्र व्यवहार के पते के बारे मे तथा अन्य ऐसी सूचनाएं भिजवाते रहना चाहिए जिन्हें वह प्राधिकारी मगाता हो।

नियम 143. अवकाश काल मे विदेशी सेवा में स्थानान्तरित करने के परिणाम--यदि किसी राज्य कर्मचारी का स्थानान्तरण उसके अवकाश काल मे ही विदेशीय सेवा में हो जाता है, तो वह ऐसे स्थानान्तरण आदेश की तारीख से अवकाश पर रहना तथा अवकाश वेतन प्राप्त करना बन्द कर देगा।

विदेशी सेवा के मध्य में राज्य कर्मचारी की पेरेन्ट केडर में स्थाई या कार्यवाहक उन्नति-विदेशी सेवा में स्थानान्तरित एक राज्य कर्मचारी उसी केडर या केडरों में रहेगा जिसमें कि वह अपने स्थानान्तरण के पूर्व शीघ्र ही स्थाई या कार्यवाहक रूप में शामिल किया गया था तथा उन केडरों में उसे स्थाई या कार्यवाहक रूप से ऐसी उन्नति दी जा सकती है जो उन्नति प्रदान करने वाला सक्षम प्राधिकारी उचित समझे। ऐसा प्राधिकारी उन्नति देते समय निम्न बातों का ध्यान रखेंगे।

(क) विदेशी सेवा में किए जाने वाले काम की प्रकृति, एवं

(ख) जहां उन्नति का प्रश्न पैदा होता हो वहां उससे निम्न केडर वालों को दी गई उन्नति।

इस नियम के अन्तर्गत अधीनस्थ सेवा में नियुक्त राज्य कर्मचारी को राजकीय सेवा में ऐसी अन्य उन्नति प्राप्त करने से रोका नहीं जाएगा जिसे कि उन्नति देने वाला ऐसा प्राधिकारी तय करे एवं जो कि उसे उन्नति प्रदान करने के लिए सक्षम होता यदि वह (अधिकारी) राजकीय सेवा में रहता।

नियम 144. विदेशी सेवा में नियुक्त राज्य कर्मचारी द्वारा विदेशी नियोजक से अपना वेतन प्राप्त करने की तारीख--विदेशी सेवा में नियुक्त राज्य कर्मचारी उसी तारीख से विदेशी नियोजक से अपना वेतन प्राप्त करना शुरू कर देगा जिस दिन कि वह राजकीय सेवा में अपने पद का कार्यभार सम्भला देगा। किसी भी प्रतिबन्ध की शर्त के अधीन जिसे राज्य सरकार, सामान्य आदेश द्वारा लागू करे, उसका स्थानान्तरण करने वाला सक्षम प्राधिकारी विदेशी नियोजक (Employer) की सलाह से राज्य कर्मचारी का वेतन, उसे सेवा पर उपस्थित होने के लिए स्वीकृत समय, तथा उस ज्वाईनिंग टाइम में वेतन आदि को तय कर सकता है।

जांच निर्देशन— जब कोई राज्य कर्मचारी विदेशी सेवा शर्तों के आधार पर उधार दिया जाता है तथा उस समय में वह विदेशी नियोजक द्वारा सेवा निवृत्त किए जाने से पूर्व ही राज्य सेवा से सेवा निवृत्त हो जाता है, तो महालेखाकार साधारण पद्धति द्वारा विदेशी नियोजक के पास एक स्टेटमेंट भेजेगा जिसमे उसकी सेवा-निवृत्ति की तारीख तथा सरकार से प्राप्त पेन्शन की राशि का उल्लेख करेगा ताकि विदेशी नियोजक के लिए निवृत्ति की शर्तों को दुहराने का, यदि वह इस तरह से इच्छुक हो तो, अवसर मिल सके।

नियम 144 क विदेशी सेवा में प्रतिनियुक्ति की शर्तें--(Conditions of deputation on foreign service)-केन्द्रीय सरकार से/या 'ए' श्रेणी के राज्यों से 'बी' श्रेणी के राज्यों मे अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति परिशिष्ट 21 मे शामिल की गई शर्तों से शासित होगी।

नियम 145. अवकाश एवं वेतन में अंशदान (Contribution towards Leave and Pension)--(क) जब तक एक राज्य कर्मचारी विदेशी सेवा में है तब तक उसके पेन्शन की राशि का अंशदान उसके पक्ष में संचित निधि में जमा कराया जाना चाहिए--

(ख) यदि विदेशी सेवा भारत में हो तो अंशदान अवकाश वेतन की राशि के लिए भी दिया जाना चाहिए।

+(खख) यदि राज्य कर्मचारी पंचायत समितियों में प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाते हैं तो उनके अवकाश वेतन का अंशदान वसूल नहीं किया जायेगा तथा प्रतिनियुक्ति काल के लिए गए अवकाश का अवकाश वेतन पंचायत समितियों द्वारा सहन किया जावेगा।

टिप्पणी यह संशोधन दिनाक 2-10-59 से प्रभाव में आया हुआ समझा जाएगा।

(ग उपरोक्त खण्ड (क) व (ख) के अन्तर्गत बकाया अंशदान स्वयं राज्य कर्मचारी द्वारा चुकाया जावेगा जब तक कि विदेशी नियोजक उसका भुगतान करने मे अपनी सहमति न दे दे। विदेशी सेवा मे अवकाश लेने पर उस समय का कोई अंशदान देय नहीं होगा।

(घ) नियम 153 (ख) के अन्तर्गत किए गये विशेष प्रबन्ध द्वारा अवकाश वेतन का अंशदान भारत के बाहर विदेशी सेवा के मामले में मांगा जा सकता है। जिसमें विदेशी नियोजक द्वारा अंशदान दिया जाना होगा।

टिप्पणी—इस अध्याय मे पेन्शनों के साथ साथ राजकीय अंशदान, यदि कोई हो, शामिल है जो कि राज्य कर्मचारी के प्रोविडेन्ट फण्ड के खाते मे जमा कराना चाहिए।

नियम 145. का-वेतन भत्ते आदि का भार (Incidence of Pay, allowances etc.)—राजस्थान सरकार एवं केन्द्रीय सरकार तथा पंजाब, बिहार, मद्रास, मैसूर, मध्यभारत, हैदराबाद, (दकन), पेप्सू, सौराष्ट्र, ट्रावनकोर, कोचीन एवं मध्यप्रदेश सरकारों के बीच में राजस्थान सरकार से या उनसे राजस्थान सरकार में स्थानान्तरण होने पर, अधिकारियों के वेतन भत्ते, पेन्शन आदि के भार का नियमन इन नियमों के परिशिष्ट 13 में शामिल किए गये नियमों के अनुसार होगा।

+ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ 7 ए (20) एफ डी (ए) नियम/60 दिनांक 6-2-61 तथा आदेश सं० एफ 7 ए (20) एफ डी (ए) 60 दिनांक 11-3-64 द्वारा शामिल किया गया।

नियम 145. भा-भारतीय राज्यों एवं बी श्रेणी के राज्यों के बीच में आपस में की गई सेवा की गणना—एक राज्य कर्मचारी जिसने एक भारतीय रियासत में सेवा की है, जो कि अब 'बी' श्रेणी के राज्यों का भाग बन चुकी है या 'बी' श्रेणी के अन्तर्गत आ चुकी है, यह सेवा उसके केन्द्रीय सेवा में स्थाई रूप से लिए जाने पर केन्द्रीय सरकार के पेन्शन नियमों के अनुसार पेन्शन के लिए गिनी जाएगी। इसी प्रकार का व्यवहार उन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के साथ किया जावेगा जो केन्द्रीय सरकार से 'बी' श्रेणी के राज्यों के अन्तर्गत सेवा में पूर्णतः ले लिये गये हैं तथा वहां से सेवा से निवृत्त किए जाते हैं, सम्बन्धित सरकारें प्रदेश के अन्तर्गत की गई सेवाओं के संबंध में पेन्शन की राशि के लिए उत्तरदायी बनी रहेंगी तथा प्रदेश सरकार का उत्तरदायित्व इन नियमों के परिशिष्ट 13 में वर्णित तरीके से बांटा जावेगा।

नियम—146. अंशदान की दर (Rate of contribution)—पेंशन एवं अवकाश वेतन के लिए भुगतान किए जाने वाले अंशदान की दर वही होगी जो सरकार सामान्य आदेशों द्वारा निर्धारित करे।

जांच निर्देशन — (1) विदेश से लौटने के पूर्व नियम 127 के खण्ड (ब) के अन्तर्गत लिए गए अवकाश के साथ में राज्य कर्मचारी द्वारा लिये गये ज्वाइनिंग टाइम के समय के लिये अवकाश वेतन अंशदान उस वेतन की दर पर लगाया जाना चाहिए जिसे वह अवकाश पर रवाना होने से पूर्व प्राप्त कर रहा था।

(2) जब एक राज्य कर्मचारी विदेशी सेवा में स्थानान्तरित हो जाता है या जब एक राज्य कर्मचारी की सेवा का समय बढ़ा दिया जाता है तो यह माना जाना चाहिये कि पेन्शन या अवकाश वेतन या केवल पेन्शन के लिए, जैसी भी स्थिति हो, अंशदान राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार समय-समय पर प्रभावशील दरों के अनुसार वसूल किये जाने योग्य होगा। इसी प्रकार यदि अधिकारी पेन्शन प्राप्त करने वाला न हो तथा अंशदायी भविष्य निधि (कान्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेन्ट फन्ड में राशि जमा करा रहा हो तो भी यह माना जाना चाहिये कि निधि में मासिक अंशदान तथा) निधि लेने में सामयिक अंशदान, इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार, वसूल किया जावेगा।

निर्णय संख्या 1—राजस्थान सेवा नियमों के नियम 146 के अनुसार भारत में विदेशी सेवा में नियुक्त राज्य कर्मचारी के अवकाश वेतन का अंशदान विदेशी नियोजक से वसूल करना होता है तथा ऐसे अंशदानों के बदले में राज्य सरकार विदेशी सेवा में या उसके अन्त में राज्य कर्मचारी द्वारा उपभोग किये गये अवकाश की किसी भी अवधि के अवकाश वेतन के व्यय को स्वीकार करती है। फिर भी ऐसे अवकाश के लिए भुगतान योग्य किसी भी प्रकार के क्षतिपूरक भत्ते का व्यय, विदेशी नियोजक द्वारा ही सहन किया जाता है। इस सम्बन्ध में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि क्या ऐसे मामलों में राज्य कर्मचारी को पहिले पहल विदेशी नियोजक द्वारा पूर्णतः उसका अवकाश वेतन एवं भत्ते दे दिये जाने चाहिए तथा राज्यकीय हिस्सा बाद में वसूल किया जाना चाहिये या क्या पहिले पहल सरकार द्वारा अवकाश वेतन एवं भत्ते का भुगतान कर दिया जाना चाहिए तथा बाद में विदेशी नियोजक अपने दायित्व की रकम सरकार को बाद में चुकाता रहे या क्या सरकार एवं विदेशी नियोजक को अपने अपने हिस्से की अलग अलग रकम दे देनी चाहिये ताकि रकम के भावी समा-

योजन (Adjustment) की कोई समस्या खड़ी न हो। ऐसा प्रतीत होता है कि मामले में वर्तमान पद्धति एकरूपात्मक नहीं है।

विषय पर गम्भीरता पूर्वक विचार करने के बाद अब यह निर्णय किया गया है कि भविष्य में अब एक सा निम्न तरीका अपनाया जाना चाहिये—

(i) विदेशी सेवा में या उसके अन्त में राज्य कर्मचारी द्वारा उपभोग किये गए अवकाश के समय का भुगतान योग्य अवकाश वेतन एवं क्षतिपूरक भत्ते के सम्बन्ध में सरकार के पैतृक विभाग (Parent Department) एवं विदेशी नियोजक को अपने अपने दायित्व की राशि सीधे सम्बन्धित कर्मचारी को विदेशी सेवा में स्थानान्तरण की शर्तों के आधार पर सौंप दी जानी चाहिए।

(ii) ऑडिट कोड के खण्ड 4 में अध्याय 2 के परिशिष्ट 'ख' के अवतरण 5 मे दिये गए तरीके के अनुसार विदेशी सेवा मे नियुक्त राज्य कर्मचारी का अवकाश महालेखाकार के द्वारा अवकाश की तादाद तथा अवकाश वेतन मय उसे प्राप्त क्षतिपूरक भत्ते आदि के, प्रम णित किये जाने पर ही स्वीकृत किया जा सकता है अतः सिवाय इसके कि उपार्जित अवकाश 120 दिन से अधिक न हो, उपरोक्त को प्रमाणित करते समय महालेखाकार को स्पष्ट रूप से सरकार एवं विदेशी नियोजक द्वारा दिये जाने वाले अवकाश वेतन एवं क्षतिपूरक भत्तों का अलग अलग उल्लेख करना चाहिये जिससे कि उपरोक्त खण्ड (1) में वर्णित तरीके से उनके दायित्वों के अलग अलग भुगतान में उन्हे दिक्कत न पड़े।

(iii) सरकार या विदेशी नियोजक द्वारा सिवाय इसके कि उपार्जित अवकाश 120 दिन से अधिक न हो, अवकाश स्वीकृत किए जाने के आदेश की एक प्रतिलिपि आवश्यकीय रूप से महालेखाकार को भिजवाई जानी चाहिये।

(iv) जब कोई राज्य कर्मचारी भारत में विदेशी सेवा में नियुक्त होने पर अवकाश पर रवाना होता हो तो, सेवा अवधि का भुगतान करने के बाद विदेशी नियोजक के लिए शीघ्र ही एक अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र भेजना चाहिये जिसमें उसे स्पष्ट रूप से यह उल्लेख करना चाहिये कि नियमों के अन्तर्गत प्राप्य सीमा तक अवकाश काल मे राज्य कर्मचारी को क्षतिपूरक भत्ते उसके द्वारा दिये जाते रहेंगे। इसी प्रकार अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों के सम्बन्ध मे कार्यालय के अध्यक्ष को तथा राजपत्रित कर्मचारियों के सम्बन्ध मे महालेखाकार को अवकाश वेतन का भुगतान करने के बाद अन्तिम प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिये यदि अवकाश समाप्त होने पर राज्य कर्मचारी वापिस विदेशी सेवा मे उपस्थित होता है या उनके नियन्त्रण से बाहर स्थानान्तरित कर दिया जाता है।

(v) भारत मे विदेशी सेवा में नियुक्त राजपत्रित कर्मचारी के सम्बन्ध में अवकाश वेतन के भुगतान का प्रबन्ध कोष (ट्रेजरी) द्वारा किया जावेगा जब कि अराजपत्रित कर्मचारियों का भुगतान सम्बन्धित विभागों द्वारा किया जावेगा।

और भी राजस्थान सेवा नियमों के नियम 82 (क) के अन्तर्गत महालेखाकार के कार्यालय से अवकाश-के-टाइटिल के प्राप्त किए बिना विदेशी सेवा मे नियुक्त राज्य कर्मचारी को कोई भी अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा। महालेखाकार ने बतलाया है कि विदेशी नियोजकों द्वारा, तरीके का पालन नही किया जा रहा है। यह निवेदन किया जाता है कि जब कोई राज्य

कर्मचारी विदेशी सेवा में नियुक्त किया जावे तो विदेशी नियोजक को इन नियमों के प्रावधानों से अवगत करा देना चाहिये।

निर्णय संख्या 2—विदेशी सेवा काल में राज्य कर्मचारी को दिये जाने वाले क्षतिपूरक भत्तो के भार के सम्बन्ध मे सदेह व्यक्त किये गए हैं। वस्तु स्थिति की जांच की गई। विदेशी सेवा मे नियुक्त राज्य कर्मचारी के सम्बन्ध में अवकाश वेतन का अंशदान विदेशी नियोजक से वसूल किया जाता है तथा अंशदान के बदले में सरकार उसको अवकाश वेतन देना स्वीकार करती है। इस प्रकार के अंशदान के लिए निर्धारित दरें राज्य कर्मचारी द्वारा अपने सम्पूर्ण सेवाकाल के हिसाब से उपार्जित किये गये पूर्ण वेतन एवं अर्द्धवेतन के अवकाश के आधार पर लगायी गई है तथा इसमें कोई ऐसा क्षतिपूरक भत्ता शामिल नही किया गया है जो कि राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7 (16) में वर्णित अवकाश वेतन का भाग हो। इसी तरह विदेशी सेवा मे या उसके अन्त मे उपभोग किये गये अवकाश के सम्पूर्ण क्षतिपूरक भत्ते का व्यय विदेशी नियोजक द्वारा किया जाना होगा जिससे कि इसमे किसी प्रकार की भूल न रह सके। यह वांछनीय है कि इस प्रकार की शर्तों का उल्लेख, विदेशी सेवा में स्थानान्तरण करते समय अन्य शर्तों में शामिल कर देना चाहिये।

निर्णय संख्या 3—केन्द्रीय सरकार या अन्य राज्य सरकारों से राज्य सरकार में लिए गए सरकारी कर्मचारी केन्द्रीय/अन्य राज्य सरकारों के अवकाश नियमों से शासित होते रहे तथा उनके अवकाश वेतन लेखा संहिता भाग I के परिशिष्ट 3 में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार विनियमित होता है। राज्य सरकार के अधीन सेवा में अस्थाई रूप से स्थानान्तरित किए गए सरकारी कर्मचारियों को अवकाश की स्वीकृति एवं अवकाश वेतन के वितरण के सम्बन्ध में अपनायी जाने वाली इस प्रक्रिया की महालेखाकार, राजस्थान के परामर्श पर जांच की गई है तथा तदनुसार निम्नलिखित अनुदेश जारी किये जाते हैं—

(1) यदि ऐसा सरकारी कर्मचारी राज्य सरकार के अधीन अपनी अस्थाई सेवा की अवधि के दौरान अवकाश हेतु आवेदन करता है तो उसे अवकाश राज्य सरकार के अधीन उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाएगा जो कि उसे अवकाश करने में सक्षम होगा। राजपत्रित सरकारी अधिकारी के मामले में अवकाश केवल उसी समय स्वीकार किया जाना चाहिए जबकि महालेखाकार द्वारा जो कि उनके वेतन की जांच करता है, उनकी स्वीकार्यता प्रमाणित हो जाए। इस प्रयोजन हेतु सरकारी कर्मचारी को निर्धारित प्रपत्र मे अपना आवेदन पत्र अवकाश स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी की मार्फत दो प्रतियों मे अंकेक्षा अधिकारी के पास भेजना चाहिए जो कि आवेदन पत्र पर आवश्यक प्रमाण-पत्र दर्ज कर उसकी एक प्रति सीधी सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी के अवकाश स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी के पास भेजेगा तथा दूसरी प्रति अंकेक्षा प्राधिकारी (महालेखाकार, राजस्थान)को उसमे उन आधारों का उल्लेख करते हुए भेजेगा जिन पर कि अवकाश सगणित किया जाना है तथा साथ ही साथ यदि ऐसे विशेष विवरण सरकारी कर्मचारी द्वारा आहरित वेतन आदि के बारे मे पहिले से ही प्रस्तुत नही किए गए हैं आवश्यक विशेष विवरण भी भेजेगा जो कि उसके कार्यालय मे उपलब्ध रहेंगे तथा जो बाद वाले अंकेक्षा अधिकारी के लिए अवकाश वेतन निकालने

× वित्त विभाग की आज्ञा स एफ 1 (60) वित्त विभाग (व्यय-नियम) 65 दिनांक 12-8-66 द्वारा निविष्ट।

हेतु आवश्यक हों। अवकाश हेतु आवेदन की दूसरी प्रति प्राप्त करने पर बाद वाला अंकेक्षा अधिकारी स्वीकार्य अवकाश वेतन को संगणित करेगा तथा सामान्य रूप में सीधे सरकारी कर्मचारी को अवकाश वेतन प्रमाण पत्र जारी करेगा।

अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी के मामले में अवकाश स्वीकृत करने में सक्षम प्राधिकारी जहां कहीं आवश्यक हो, केन्द्रीय/राज्य सरकार के अधीन भेजने वाले कार्यालय से केन्द्रीय/अन्य राज्य सरकारों के अवकाश नियमों के अधीन अवकाश की प्राप्यता का प्रमाण पत्र माग सकता है।

(2) राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत अवकाश के सम्बन्ध में अवकाश वेतन का भुगतान, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में, कोषागार के मारफत प्राधिकृत किया जायेगा जबकि अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी के मामले में भुगतान सम्बन्धित विभाग या कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

(3) यदि सरकारी कर्मचारी सेवा निवृत्ति पूर्व अवकाश के लिए आवेदन करता है तथा राजस्थान सेवा नियमों के नियम 89 के अधीन तथा ऐसे अवकाश के समकक्ष केन्द्रीय/अन्य राज्य सरकारों के नियमों के अधीन राजकीय अत्यावश्यकता के आधार पर उक्त अवकाश अस्वीकृत करने का प्रस्ताव हो तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सम्बन्धित केन्द्रीय/अन्य राज्य सरकार से सेवा निवृत्ति पूर्व अवकाश के मना करने से पूर्व अनिवार्य रूप से परामर्श ले लिया गया है। यदि केन्द्रीय/अन्य राज्य सरकार ऐसे अवकाश को मना करने से सहमत न हो या उसके द्वारा अन्तर्विष्ट होने वाली अतिरिक्त पेंशन सम्बन्धी देयता को बर्दाश्त करने से मना करती हो तो उचित तरीका यही होगा कि पहले आवेदन किए गए सेवा निवृत्ति पूर्व अवकाश को स्वीकृत किया जाए तथा बाद में सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी को उसके वर्तमान पद पर राजस्थान सेवा नियमों के सम्बन्धित प्रावधानों के अधीन पुनर्नियोजित किया जाए। ऐसे सरकारी कर्मचारी का अवकाश वेतन ऐसे प्रतिबन्धों के अधीन रहेगा जैसा कि सम्बन्धित केन्द्रीय/अन्य राज्य सरकार आरोपित करना चाहे।

(4) यदि सरकारी कर्मचारी अवकाश के लिए आवेदन राज्य सरकार के अधीन अपनी पुनर्नियोजन की अवधि के अन्त में किन्तु सम्बन्धित केन्द्रीय/अन्य राज्य सरकार के अधीन वास्तव में ड्यूटी पर पुनः उपस्थित होने से पूर्व करता है तो राज्य सरकार सम्बन्धित केन्द्रीय/अन्य राज्य सरकार से परामर्श करेगी तथा केन्द्रीय/अन्य राज्य सरकार यह निर्णय करेगी कि क्या अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है या नहीं। यदि अवकाश स्वीकृत किया जाता है तो केन्द्रीय/अन्य राज्य सरकार में प्रत्यावर्तन अवकाश प्रारम्भ होने की तारीख से प्रारम्भ होना चाहिए तथा अवकाश स्वीकृत करने सम्बन्धी औपचारिक आदेश/अधिसूचनाएं केन्द्रीय/अन्य राज्य सरकारों द्वारा जारी की जानी चाहिए। सम्बन्धित केन्द्रीय/अन्य राज्य सरकार के साथ परामर्श राज्य सरकार के अधीन ड्यूटी की सूचना से तथा अवकाश के प्रारम्भ होने से पर्याप्त समय पूर्व किया जाना चाहिए ताकि केन्द्रीय/अन्य राज्य सरकार यह निर्णय कर सके कि क्या अवकाश स्वीकृत करना प्रशासनिक दृष्टि से सुविधाजनक रहेगा या नहीं।

नियम 147. अंशदान किस प्रकार निकाला जाता है (How contribution is calculated)—नियम 146 के अन्तर्गत निर्धारित की गई पेंशन, अंशदान की दरें, राज्य कर्मचारी के

लिये पेंशन प्राप्त कराने के लिये वही होगी जो कि वह सरकार के अन्तर्गत प्राप्त करता यदि वह विदेशी सेवा में नियुक्त नहीं किया जाता।

अवकाश वेतन के लिये अंशदान की दरें, राज्य कर्मचारी को उस पर लागू होने वाली शृंखला में उस पर लागू होने वाली एवं अन्य शर्तों के अनुसार, अवकाश वेतन दिलाने के लिये होंगी। प्राप्य अवकाश वेतन गिने जाने में, विदेशी सेवा में प्राप्त किया गया वेतन, नियम 7, (24) के प्रयोजनों के लिये, वेतन के रूप में गिना जावेगा। इस विदेशी सेवा में प्राप्य वेतन से, उन राज्य कर्मचारियों से, जो अंशदान दे रहे हैं, उतनी ही राशि काट ली जावेगी जो कि उसे अंशदान के रूप में दी जाती है।

टिप्पणी इस नियम के अन्तर्गत निर्धारित की गई अंशदान की दरें तथा उन्हें निकालने के तरीके का उल्लेख इन नियमों के परिशिष्ट 5 में किया हुआ है। यह निर्णय किया गया है कि विदेशी सेवा में प्रस्थान करते समय नियम 127 (ख) के अधीन उपभोग किए गए ज्वाइनिंग टाइम के सम्बन्ध में अवकाश वेतन के अंशदान की वसूली उस वेतन के अनुसार की जानी चाहिए जो कि राज्य कर्मचारी विदेशी सेवा में कार्य का भार लेने पर प्राप्त करता है।

निर्णय—राजस्थान सरकार के कर्मचारी का जो विदेशी सेवा में प्रतिनियुक्ति पर हों, अवकाश वेतन का अंशदान विदेशी सेवा में प्राप्त किये जाने वाले वेतन पर दिया जावेगा, जहां पर कि वे स्वयं अंशदान दे रहे हों। इसमें से अंशदान की राशि काट ली जावेगी।

नियम 148. अंशदान माफ करना (remission of contribution)-राज्य सरकार विदेशी सेवा में स्थानान्तरण करते समय—

(क) किसी विशिष्ट मामले में या मामलों की श्रेणी में बकाया अंशदानों को छोड़ सकती है, एवं

(ख) अधिक बकाया अंशदानों पर, यदि कोई हो, ब्याज की दर निर्धारित करने के लिए नियम बना सकती है।

निर्णय—राज्यपाल ने आदेश दिया है कि राज्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में जो कि भूटान सरकार में प्रतिनियुक्ति पर थे, उनके पेन्शन अंशदान की वसूली राजस्थान सेवा नियमों के नियम 148 (क) के अन्तर्गत समाप्त की जाती है।

नियम 149. बकाया अंशदानों पर ब्याज (Interest on arrear contributions)-यदि विदेशी सेवा में नियुक्त राज्य कर्मचारी के अवकाश वेतन या पेंशन का बकाया अंशदान उस माह के अन्त से 15 दिन के भीतर नहीं दिया जाता है जिसका कि वेतन, जिस पर यह अंशदान आधारित है, सम्बन्धित राज्य कर्मचारी प्राप्त कर चुका है, तो नहीं चुकाये जाने वाले अंशदान पर, जब तक सरकार द्वारा उसे विशेष रूप से माफ न कर दिया गया हो, 2 पैसे प्रति 100) रु. प्रतिदिन के हिसाब से 15 दिन की अवधि के बाद से भुगतान करने की तिथि तक ब्याज लगातार पूर्ण रूप में अंशदान लिया जाना चाहिये। ब्याज या तो राज्य कर्मचारी या विदेशी नियोजक से, इनमें से जो कोई भी अंशदान जमा कराता है, वसूल किया जावेगा।

निर्देशन—राजस्थान सेवा नियमों के नियम 149 के अनुसार यदि विदेशी सेवा में नियुक्त राज्य कर्मचारी के सम्बन्ध में उसके अवकाश वेतन या पेन्शन का बकाया अंशदान उस माह के

अन्त से 15 दिन के भीतर नहीं दिया जाता है जिसका कि वेतन, जिस पर कि यह अंशदान आधारित है, सम्बन्धित राज्य कर्मचारी प्राप्त कर चुका है, तो नहीं चुकाये जाने वाले अंशदान पर, जब तक उसे सरकार द्वारा विशेष रूप से माफ न कर दिया गया हो, सरकार के लिए दण्ड के रूप में ब्याज (Penal interest) देना होता है। वर्तमान नियमों के अन्तर्गत विदेशी सेवा मे प्रतिनियुक्त राज्य कर्मचारियों के अवकाश वेतन या पेन्शन अनुदान की दरें महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर द्वारा उधार लेने वाले अधिकारी के पास भेजी जाती है। यह देखा गया है कि विदेशी निकायों को विदेशी सेवा अंशदान की दरों की सूचना भेजने में देर लग जाती है। क्योंकि महालेखाकार को कुछ सूचनायें नियुक्ति करने वाले प्राधिकारियो से मंगानी होती है। इसका परिणाम यह होता है कि सम्बन्धित अधिकारियो द्वारा निर्धारित समय में अंशदान नही चुकाए जाते हैं तथा उन्हें सरकार को ब्याज माफ (Remit) करने के लिए लिखना पड़ता है।

अनुदान वसूल करने में देरी को बचाने के लिए भविष्य में अवकाश वेतन तथा पेन्शन/अंशदायी भविष्य निधि अंशदान (कान्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेन्ट फण्ड कान्ट्रीब्यूशन) की अस्थाई दरें राजस्थान सेवा नियम (खण्ड 2) के परिशिष्ट 5 के प्रावधानों के अनुसार विदेशी नियोजक उधार लेने वाले अधिकारी द्वारा निकाली जावेगी तथा वह उन अस्थाई दरों (Provisional rates) को महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर के पास भेजेगा। विदेशी सेवा मे सम्बन्धित राज्य कर्मचारी का स्थानान्तरण स्वीकृत करने वाला सक्षम प्राधिकारी राज्य कर्मचारी के स्थानान्तरण को स्वीकृति के आदेश मे एक निम्न अतिरिक्त शर्त और शामिल करेगा :—

विदेशी नियोजक राज्य कर्मचारी राजस्थान सेवा नियम (खण्ड 2) के परिशिष्ट 5 के प्रावधानों के अनुसार संलग्न प्रपत्र में अवकाश वेतन एवं/या पेंशन/अन्शदायी भविष्य निधि की अस्थाई दरों के अनुसार राशि जमा कराएगा तथा उसके द्वारा निश्चित की गई दरो के हिसाब से अन्शदान की राशि उस माह के अन्त से 15 दिन के भीतर जमा कराएगा जिसमें कि वेतन, जिस पर यह आधारित है, राज्य कर्मचारी ने प्राप्त कर लिया है। अस्थाई दरों को निकालने में सहायक प्रपत्र संलग्न किया गया है।

अन्शदान की राशि लेखों के निम्नलिखित मदों मे जमा की जानी है—

(1) अवकाश वेतन अन्शदान आय शीर्षक (Receipt Head) में जमा होगा जो कि लेखे के सेवा शीर्षक (Service Head of Account) के समान होगा जिसमें कि पैतृक विभाग मे अधिकारी का वेतन नाम लिखा जाता है, अथवा जहां इस प्रकार का समान मुख्य शीर्षक (Major Head) न हो वहां यह 'शीर्षक LII मिसलेनियस' में जमा होगा।

(2) पेन्शन/अन्शदायी भविष्य निधि अन्शदान XLVIII अन्शदान पेन्शन के लिए एवं पेंशन के लिए सेवा निवृत्ति लाभ अन्शदान तथा पेंशन/अन्शदायी भविष्य निधि के लिए "ग्रेच्युटी-अन्शदान की वसूलियां" शीर्षक के अन्तर्गत जमा कराया जावेगा।

विदेश नियोजक द्वारा निश्चित की गई दरों को अस्थाई (Provisional) समझा जावेगा तथा महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर द्वारा निश्चित किए जाने के समय तक वह विचाराधीन रखी जावेगी एवं पूर्ण प्रभाव से समायोजन किए जाने की शर्त पर होगी। यदि विदेशी नियोजक द्वारा उपरोक्त निर्धारित समय में अवकाश वेतन/पेन्शन/अन्शदायी भविष्य निधि

अन्शदान की राशि सरकार को नहीं दी जाती है तो विदेशी नियोजक से भुगतान न की गई राशि पर दिनांक 1-4-64 से दण्ड स्वरूप ब्याज की रकम वसूल की जावेगी।

× स्पष्टीकरण—(नियम 149 के नीचे राजस्थान सरकार के अनुदेश के रूप में प्रदर्शित) वित्त विभाग के ज्ञाप दिनांक 11-6-64 के अन्तिम पैरा के सही स्कोप के सम्बन्ध मे सन्देह उत्पन्न किए गए है जो विदेशी नियोजक से भुगतान न किए गए अन्शदान पर दिनांक 1-4-64 से दण्डित ब्याज की दर पर वसूली के लिए प्रावधान करते हैं।

यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामलों में जहाँ विदेशी नियोजक निर्धारित अवधि के भीतर अन्शदान का भुगतान नहीं करता है, वहां भुगतान न किए गए अंशदानों पर दण्डित ब्याज की दर दिनांक 1-4-64 से या उस तारीख के बाद की ऐसी तारीख से, जिसको कि अन्शदान भुगतान किया जायगा या / है, जो भी बाद में हो, से वसूली की जाएगी।

नियम 150. विदेशी सेवा में अन्शदान राज्य कर्मचारी द्वारा नहीं रोका जा सकता—विदेशी सेवा मे नियुक्त राज्य कर्मचारी अन्शदानों को रोकने तथा विदेशी सेवा में बिताये गये समय को राजकीय सेवा के रूप मे न गिने जाने के लिए नहीं कह सकता है। उसके पक्ष में अंशदान के भुगतान से वह उस पर लागू होने वाले सेवा नियमों के अनुसार पेन्शन या पेन्शन एवं अवकाश वेतन, जैसी भी स्थिति हो, प्राप्त करने का हकदार होता है। न तो वह और न विदेशी नियोजक भुगतान किए गए अंशदान मे से कुछ प्राप्त करने का अधिकारी होता है और उसके लौटाये जाने का कोई दावा (क्लेम) स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

नियम—151. विदेशी नियोजक से पेन्शन या ग्रेच्युटी स्वीकार करने में स्वीकृति लेना आवश्यक – एक राज्य कर्मचारी जो विदेशी सेवा में स्थानान्तरित कर दिया जाता है, वह सरकार की स्वीकृति के बिना अपनी सेवा के सम्बन्ध में विदेशी नियोजक से कोई पेन्शन या ग्रेच्युटी स्वीकार नहीं कर सकता।

नियम—152. विदेशी सेवा मे राज्य कर्मचारियों के लिए अवकाश—विदेश सेवा में नियुक्त राज्य कर्मचारी के लिए उस पर लागू होने वाले सेवा नियमों के तरीकों के अतिरिक्त अन्यथा प्रकार से कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता है तथा वह सरकार से अवकाश या अवकाश वेतन प्राप्त नहीं कर सकता है जब तक कि वास्तव में वह सेवा को नहीं छोड़ देता है तथा अवकाश पर नहीं चला जाता है।

नियम—153. भारत के बाहर विदेशी सेवा में अवकाश की स्वीकृति को नियन्त्रित करने के विशेष प्रावधान—(क) भारत के बाहर विदेशी सेवा मे नियुक्त राज्य कर्मचारी के लिए विदेशी नियोजक द्वारा ऐसी शर्तों पर अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है जिन्हें नियोजक निश्चित करे। किसी व्यक्तिगत मामले में स्थानान्तरण स्वीकृत करने वाला सक्षम प्राधिकारी विदेशी नियोजक की सलाह से पूर्व मे ही ऐसी शर्तें कायम कर सकता है जिन पर विदेशी नियोजक द्वारा अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा। नियोजक द्वारा स्वीकृत किए गए अवकाश के अवकाश वेतन का भुगतान

× वित्त विभाग के ज्ञाप संख्या एफ 1 (17) वित्त वि (व्यय-नियम) 64 दिनांक 23-10-65 द्वारा निविष्ट।

नियोजक द्वारा किया जावेगा तथा वह अवकाश राज्य कर्मचारी के अवकाश लेखे में नाम नहीं लिखा जावेगा ।

(ख) विशेष परिस्थितियों में भारत के बाहर विदेशी सेवा में स्थानान्तरण करने में सक्षम प्राधिकारी विदेशी नियोजक के साथ ऐसा प्रबन्ध कर सकता है जिसके अन्तर्गत किसी भी राज्य कर्मचारी को, उस पर राज्य कर्मचारी के रूप में लागू होने वाले नियमों के अनुसार, अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है यदि विदेशी नियोजक नियम 146 के अन्तर्गत निर्धारित दर पर अवकाश अंशदान सञ्चित निधि में जमा कराता है ।

टिप्पणी—पेन्शन के प्रयोजन के लिए भारत से बाहर विदेशी नियोजक द्वारा उसे उधार दिये गये राज्य कर्मचारी के लिए स्वीकृत किए गए अवकाश की अवधि को 'अवकाश' के रूप में समझा जाना चाहिए एवं 'सेवा' (Duty) के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए । ऐसा कोई अवकाश यदि पूर्ण वेतन या उसके समान अन्य शर्त पर लिया गया हो तो उसे, एक समय में अधिकतम चार माह की सीमा तक, नियम 91 के प्रयोजन के लिए उपार्जित अवकाश के रूप में समझा जाना चाहिए तथा अन्य सब अवकाश व ऐसे अवकाश भत्ते, नियम 92 से 98 के अनुसार निपटाये जाने चाहिए ।

नियम 154. राजकीय सेवा में कार्यवाहक उन्नति हो जाने पर विदेशी सेवा में राज्य कर्मचारी के वेतन का नियमन-विदेशी सेवा में नियुक्त राज्य कर्मचारी, यदि राज्य सेवा में किसी पद पर कार्यवाहक रूप में नियुक्त कर दिया जाता है तो वह अपना वेतन राज्य सेवा में उस पद के वेतन के अनुसार प्राप्त करेगा जिस पर कि वह लीयन रखता है या जिस पर वह अपना लीयन रखता यदि उसका लीयन निलम्बित नहीं किया जाता तथा उस पद का वेतन लेता जिस पर कार्यवाहक कार्य करता है । उसका वेतन निश्चित करने में विदेशी सेवा में प्राप्त किए गए वेतन को शामिल नहीं किया जावेगा ।

नियम 155. विदेशी सेवा से लौटने की तारीख-एक राज्य कर्मचारी विदेशी सेवा से राजकीय सेवा में उसी तारीख को लौटा हुआ समझा जाता है जिसको कि वह राजकीय सेवा में अपने पद का कार्यभार संभालता है । परन्तु शर्त यह है कि यदि वह अपने पद पर पुनः उपस्थित होने से पूर्व विदेशी सेवा की समाप्ति पर अवकाश लेता है तो उसका परिवर्तन (Reversion) उस तारीख से प्रभावशील होगा जिसे कि सरकार, जिसके स्थापन में वह नियुक्त है, तय करे ।

टिप्पणी (1)—वे मामले जहां एक राज्य कर्मचारी, जो पहले से ही भारत के भीतर या बाहर विदेशी सेवा में, सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त या नियन्त्रित एक निगमित निकाय के अन्तर्गत नियुक्त है, तथा वह निवृत्ति पूर्व अवकाश के लिए प्रार्थना करे ।

प्रार्थना किया हुआ अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है यदि सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त या नियन्त्रित निगमित निकाय (Corporate body) उसे अपनी सेवा से अवकाश का उपभोग करने हेतु मुक्त करने को तैयार हो । यदि वह, इस प्रकार से मुक्त न किया जाय तो अवकाश सार्वजनिक हित की दृष्टि से अस्वीकृत कर दिया जाना चाहिए तथा यह अवकाश राज्य कर्मचारी द्वारा बाद में अपनी सेवा त्यागने पर, राजस्थान सेवा नियमों के नियम 89 के अन्तर्गत प्राप्य सीमा तक स्वीकृत किया जा सकता है ।

(2) वे मामले जहाँ एक राज्य कर्मचारी, सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त या नियन्त्रित नियमित निकाय के अतिरिक्त अन्य निकाय के अधीन भारत में भारत के बाहर विदेशी सेवा में नियुक्त है, तथा वह निवृत्ति पूर्व अवकाश के लिए प्रार्थना करे—

ऐसे मामलों में अवकाश तभी प्राप्य किया जा सकेगा जब राज्य कर्मचारी विदेशी सेवा को छोड़ देगा। दूसरे शब्दों में, निवृत्ति पूर्व अवकाश के समय में उसे विदेशी नियोजक के अधीन सेवा करते रहने की आज्ञा नहीं दी जाएगी। विदेशी सेवा में विदेशी नियोजक के अधीन सेवा के फलस्वरूप निवृत्ति पूर्व अवकाश स्वीकृत किये जाने की अयोग्यता को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 89 के प्रयोजन के लिये अस्वीकृत किया हुआ अवकाश नहीं समझा जावेगा। यदि उसे अधिवार्षिकी आयु (Superannuation) प्राप्त करने की तारीख के बाद विदेशी संगठन में सेवा करने की स्वीकृति दे दी जाती है, तो वह शुद्ध रूप से गैर सरकारी नियुक्ति के रूप में समझा जाएगा।

(3) वे मामले जहाँ राज्य कर्मचारी अस्वीकृत अवकाश में नियमित निकाय के अधीन पुनर्नियुक्ति प्राप्त करना चाहता है.—यदि अस्वीकृत किए गए समय में एक राज्य कर्मचारी के लिए सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त या नियन्त्रित नियमित निकाय के अधीन पुनर्नियुक्ति प्रदान की जाती है, तो जिस प्राधिकारी ने उसका अवकाश अस्वीकृत किया था, उसे उस कर्मचारी का उपभोग न किया गया अवकाश रद्द कर देना चाहिए तथा रद्द हुए अवकाश का उपभोग पुनर्नियुक्ति की अवधि की समाप्ति के बाद उन शर्तों के आधार पर किया जाना चाहिए जिनका उल्लेख वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ. डी. 1760/59, एफ. (1) (16) एफ. डी. ए./नियम/57 दिनांक 30-10-59 द्वारा सम्मिलित निम्न राजस्थान सरकार के निर्णय में किया गया है।

फिर भी यदि सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त या उसके द्वारा नियन्त्रित नियमित निकाय के अतिरिक्त अन्य संगठन के अधीन पुनर्नियुक्ति की स्वीकृति दे दी जाती है तो वह पुनर्नियुक्ति की शर्तों के आधार पर अपने अस्वीकृत अवकाश के समय का पुनः उपभोग नहीं कर सकता है। वह या तो सेवा से उसी समय निवृत्त किए जाने का विकल्प कर सकता है या ऐसे संगठन के अधीन अस्वीकृत अवकाश काल में सेवा में इस शर्त के साथ बने रहने का विकल्प कर सकता है कि उसे उस काल में अवकाश वेतन अर्द्ध वेतन पर अवकाश की सीमा तक मिलेगा।

निर्णय—एक राज्य कर्मचारी जो एक पंचायत समिति की विदेशी सेवा के समाप्त होने पर प्रत्यावर्तित (Revert) होता है वह उस तारीख से प्रभावशील माना जायेगा जिसको कि वह पंचायत समिति में पद का कार्यभार सम्भालता है।

स्पष्टीकरण +विषय—भारत सरकार एवं अन्य राज्य सरकारों को प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए राज्य कर्मचारियों को अवकाश की स्वीकृति-राजस्थान सेवा नियमों का नियम 155

एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि क्या केन्द्रीय सरकार/अन्य राज्य सरकार, उन्हें प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए राज्य कर्मचारी को उसकी प्रतिनियुक्ति का समय बीत जाने पर अवकाश स्वीकृत करने में सक्षम है। यह स्पष्ट किया जाता है कि सम्बन्धित केन्द्रीय सरकार/अन्य राज्य सरकार उक्त राज्य कर्मचारी को आवेदन किए गए अवकाश को इस शर्त के अधीन रहते हुए स्वीकृत

+ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ 7 ए (43) एफ डी (ए) नियम 58 दि० 28-10-66 द्वारा शामिल किया गया।

कर सकती है। उस राज्य कर्मचारी का राजस्थान सरकार को प्रत्यावर्तन किया जाना उसी तारीख से प्रभावी माना जा... उस सरकार के अधीन सेवा में पुनः उपस्थित होता है।

नियम 156. विदेशी नियोजक द्वारा वेतन एवं अंशदान बन्द कर देने की तारीख—जब एक राज्य कर्मचारी विदेशी सेवा से राजकीय सेवा में वापिस लौट आता है तो उसका वेतन विदेशी नियोजक द्वारा दिया जाना बन्द कर दिया जावेगा तथा उसका अंशदान, परिवर्तन की तारीख से, बन्द कर दिया जावेगा।

नियम 157. नियमित स्थापन जिसका कि व्यय सरकार को देय है, के सम्बन्ध में अंशदान की वसूली (Recovery of contribution in case of regular establishment of which the cost is payable to Government)—जब किसी नियमित स्थापन में इस शर्त पर अतिरिक्त वृद्धि की जानी हो कि अतिरिक्त वृद्धि का पूर्ण या आंशिक व्यय उन लोगों से वसूल किया जावेगा, जिसके हित के लिए अतिरिक्त स्टाफ लगाना पड़ा, तो उनके सम्बन्ध में वसूलियां निम्नलिखित नियमों के अनुसार होंगी—

(क) वसूल की जाने वाली धनराशि सेवा के लिए स्वीकृत कुल व्यय अथवा सेवा के भाग के रूप में, जैसी भी स्थिति हो, होगी तथा किसी भी माह के वास्तविक व्यय के अनुसार नहीं बदलेगी।

(ख) सेवा के व्यय में नियम 146 में दी गई दरों के अनुसार अंशदान की रकम शामिल होगी एवं अंशदान स्थापन वर्ग के सदस्यों के वेतन की स्वीकृत दरों के आधार पर गिना जाएगा।

(ग) सरकार वसूलियों की राशि में कमी भी कर सकती है या उन्हें छोड़ भी सकती है।

अध्याय १४

स्थानीय निधियों के अधीन सेवा (Service under Local Funds)

नियम 158—सरकार द्वारा प्रशासित स्थानीय निधि से भुगतान की जाने वाली सेवायें किस प्रकार नियमित होती हैं—जिन राज्य कर्मचारियों का भुगतान सरकार द्वारा प्रशासित स्थानीय निधियों से किया जाता है वे इन नियमों के अध्याय 1 से 12 तक के प्रावधानों के आधार पर शासित होंगे।

टिप्पणियां—(1) सरकार द्वारा प्रशासित स्थानीय निधियों के कर्मचारी जिनका कि भुगतान राज्य की सञ्चित निधि से नहीं किया जाता है एवं, इसलिए, जो राज्य कर्मचारी नहीं है, उनका नियमन अध्याय 1 से 12 तक में दिए गए नियमों के अनुसार होता है।

(2) सरकार द्वारा प्रशासित स्थानीय निधियों का तात्पर्य उन निधियों से है जो निकायों द्वारा प्रशासित होती हैं और जो कानून या नियम द्वारा कानून का प्रभाव रखते हुए, सामान्य रूप से प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में सरकार के नियन्त्रण में आते हैं, बल्कि बजट को स्वीकृति तथा कुछ विशिष्ट खाली जगहों को भरने के लिए स्थानों का सृजन कराना, या अवकाश या पेंशन या अन्य समान नियमों का विधानीकरण करना आदि मामलों में भी सरकार के नियन्त्रण में आते हैं।

(क) जब वह सम्बन्धित स्वतन्त्र निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के निगम में 55 वर्ष की आयु प्राप्त करता है या 30 वर्ष की अर्हकारी सेवा (जिसमें सरकार के अधीन की गई सेवा भी शामिल है) पूरी करता है; या

(ख) जब वह ऐसी परिस्थितियों के अधीन समय से पूर्व सेवा निवृत्त होता है जो कि यदि वह सेवा में बना रहता तो पेन्शन सम्बन्धी लाभों को समाप्त करने वाली नहीं होती।

(III) अस्थाई सरकारी कर्मचारी—अस्थाई सरकारी कर्मचारियों की सेवायें स्वतन्त्र निकाय /सार्वजनिक क्षेत्र के निगम में उनकी सेवाओं के स्थानान्तरण की तारीख से समाप्त की हुई समझी जायेंगी तथा उन्हें ऐसे उपदान का भुगतान किया जाएगा जो उन्हें राजस्थान सेवा नियमों के अधीन स्वीकार्य हो।

(2) सरकारी बकायों की वसूली—भूतपूर्व सरकारी कर्मचारी स्वतन्त्र निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के निगम में उनके स्थानान्तरण के समय सरकार को देय सभी राशियों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बने रहेंगे तथा ऐसे निकाय/निगम सरकार की ओर से उनकी वसूली करते रहेंगे।

(3) सरकारी सेवा से मुक्ति (डिस्चार्ज)—यदि स्थायी सरकारी कर्मचारी, जिसकी कि सेवायें किसी स्वतन्त्र निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के निगम आदि द्वारा उसे उस विभाग का, जिसमें वह लीयन रखता था, कार्य सौंप दिए जाने के फलस्वरूप ले ली गई हैं, उक्त निकाय/निगम में सेवा करने हेतु विकल्प देता है तो वह वहां से मुक्त होने की तारीख से उसके स्थायी पद की समाप्ति के कारण सेवा मुक्ति (डिस्चार्ज) के लिए चयन किये गये सरकारी कर्मचारी के रूप में समझा जाएगा।

(4) कतिपय श्रेणी के कर्मचारियों पर लागू न होना—ये आदेश निम्न पर लागू नहीं होंगे—

(i) सरकारी कर्मचारी जिन्होंने राजस्थान सेवा नियमों के अधीन निर्धारित प्रतिनियुक्ति की मानक शर्तों पर किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए स्वतन्त्र निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के निगम की सेवा में रहने हेतु विकल्प दिया है।

(ii) सरकारी कर्मचारी जिन्होंने इस आदेश द्वारा अधिनियमित शर्तों के अधीन स्वतन्त्र निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के निगम की सेवा में बने रहने के लिए पहिले से ही विकल्प दे रखा है तथा जो इन नियमों द्वारा शासित होने हेतु नया विकल्प नहीं देते हैं।

(iii) सरकारी कर्मचारी जो सरकारी विभाग या संस्था के स्वतन्त्र निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के निगम में स्थानान्तरित या परिवर्तित होने के फलस्वरूप के अतिरिक्त अन्य प्रकार से, मालवीय रीजनल इंजिनियरिंग कालेज को छोड़कर उपर्युक्त किसी अन्य निकाय द्वारा सीधे भरती किए गए हैं। ऐसे सीधे भरती किए गए व्यक्तियों के मामले सरकारी आदेश सं. एफ 7(43) वित्त वि (नियम) 70 दि. 18-4-62 द्वारा विनियमित होंगे।

(iv) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल एवं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में स्थानान्तरित सरकारी कर्मचारी।

5. विकल्प—(1) इस आदेश के अधीन उपलब्ध विकल्प का प्रयोग निम्नलिखित अवधि के भीतर किया जाना चाहिये—

(क) पैराग्राफ 1 के खण्ड I के अधीन विकल्प—	स्वतन्त्र निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के निगम के अधीन सेवाकाल में 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व किसी भी समय।
(ख) पैराग्राफ 1 के मुख्य खण्ड II के अधीन विकल्प—	स्वतन्त्र निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के निगम में सेवा के स्थानान्तरण से तीन माह के भीतर या स्वतन्त्र निकाय/निगम द्वारा उनके अधीन नियोजन की शर्तों को विनियमित करने वाले नियमों के बनाए जाने से तीन माह के भीतर या इस आदेश के प्रकाशित होने की तारीख से तीन माह के भीतर, जो भी बाद में हो।
(ग) पैराग्राफ I के खण्ड II के उप-खण्ड (ग)(1) के अधीन विकल्प—	55 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व किसी भी समय।
(घ) पैराग्राफ 4 के खण्ड (ii) के अधीन विकल्प—	31 दिसम्बर 1968 तक।

(2) सभी विकल्प उस विभागाध्यक्ष को जहाँ वह अन्त में सेवा कर रहा था, सम्बोधित र लिखित में आवेदन पत्र के जरिए भरे जाने चाहिए तथा उसकी एक प्रति स्वतन्त्र निकाय/ नेगम जहाँ वह सेवा कर रहा है, के प्रशासनिक अध्ययन को भी पृष्ठांकित की जानी चाहिए। हाँ विभागाध्यक्ष ने काम करना बन्द कर दिया हो वहाँ प्रतिलिपि निकाय/निगम को संव्यवहृत करने वाले प्रशासनिक विभाग के शासन सचिव को भेजी जानी चाहिए। राजपत्रित अधिकारियों के मामले में, प्रतिलिपियां सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग के शासन सचिव तथा महालेखाकार राजस्थान, जयपुर को भी पृष्ठांकित की जानी चाहिए।

(वित्त वि के आदेश सं. एफ 1 (II) वित्त वि (व्यय-नियम)/66 दि. 23-7-68 द्वारा निविष्ट)

निर्णय सं. 5—1-वित्त विभाग के आदेश दि. 23-7-68 निर्णय सं. 4 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो स्वतन्त्र निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों में सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं के स्थानान्तरण की शर्तें निर्धारित करता है। एक प्रश्न उठाया गया है कि उक्त सरकारी कर्मचारियों को किस रूप में समझा जाए जिन्होंने अपनी स्वेच्छा से सीधी भर्ती के लिए आवेदन किया था तथा जो नियुक्त हो चुके थे एवं जो प्रारम्भ में अपनी स्वेच्छा से प्रतिनियुक्ति पर गए थे तथा जिन्हें बाद में नियमित नियुक्ति प्रदान कर दी गई या जो बाद में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वतन्त्र निकायों में सीधी भर्ती या सेवा के स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। मामले पर विचार कर लिया गया है तथा यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे सरकारी कर्मचारियों पर उपर्युक्त आदेश के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

2-फिर भी, स्थानान्तरणों के या पूर्व में सीधी भरती द्वारा की गई नियुक्तियों के समस्त मामलों को तथा बाद में उत्पन्न होने वाले मामलों को निपटाने हेतु राज्यपाल ने आदेश दिया है

कि उन स्थायी या अस्थायी सरकारी कर्मचारी के मामले में जिनकी कि नियुक्तियाँ भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रख्यापित भरती, पदोन्नति आदि से सम्बन्धित सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार या राजस्थान लोक सेवा आयोग या विभागीय चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थीं तथा स्वतन्त्र निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों में उनकी सेवाओं के स्थानान्तरण के समय जिनकी सेवा कम से कम 5 वर्ष की थी, वहां उनकी सेवाओं के स्थानान्तरण को राजकीय हित में समझा जाना चाहिए तथा ऐसे सरकारी कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति लाभ नीचे दिए गए पैरा 3 या पैरा 4 में दिए गये प्रावधानों के अधीन स्वीकृत किया जाना चाहिए।

(3) उपर्युक्त पैरा 1 में वर्णित अभिव्यक्ति 'राजकीय हित में स्थानान्तरण' का तात्पर्य इन आदेशों के प्रयोजनार्थ निम्न में से होगा—

(क) राजस्थान में स्थित ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वतन्त्र निकाय में स्थानान्तरण जिसमें कि राजस्थान सरकार की राशि हिस्से या ऋण के रूप में लगी हुई हो।

(ख) राजस्थान में स्थित ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वतन्त्र निकाय में स्थानान्तरण जिसमें चाहे राजस्थान सरकार की चाहे राशि न लगी हुई हो लेकिन ऐसे उपक्रम/निकाय का बना रहना राजस्थान के आर्थिक विकास के लिए हो। यह भारत सरकार के नियन्त्रण के अधीन किन्तु राजस्थान में स्थित स्वतन्त्र निकायों या सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों पर भी लागू होगा।

(ग) राजस्थान में स्थित विश्वविद्यालयों में या मालवीय रीजनल इन्जिनियरिंग कालेज जयपुर में या राजस्थान राज्य में शैक्षणिक कार्य करने वाली अन्य स्वतन्त्र शैक्षणिक संस्था में स्थानान्तरण।

4. सेवा निवृत्ति लाभ—(क) जहां सरकारी कर्मचारी पेंशन योजना के अधीन हो वहां पेंशन सम्बन्धी लाभों के बदले ऐसी राशि जिसे सरकारी कर्मचारी अंशदान में देता यदि वह अधिकारी जोधपुर अंशदायी भविष्य निधि योजना के अधीन होता एवं समय-समय पर प्रयोज्य दरों पर साधारण ब्याज व सरकार के अधीन उसकी पेंशन सम्बन्धी सेवा के सम्बन्ध में जोधपुर अंशदायी भविष्य निधि नियमों द्वारा शासित कर्मचारियों को +[विशेष अंशदान, यदि स्वीकार्य हो,) के बराबर की राशि जो स्वतन्त्र निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के निगम में उसके स्थानान्तरण के समय विद्यमान हो, उसे अनधिकारी के अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने पर निकाय के अधीन उसके भविष्य निधि लेखे में जमा करायी जाएगी।

(ख) ऐसे सरकारी कर्मचारी के मामले में जो जोधपुर अंशदायी भविष्य निधि योजना के अधीन हो, उसके लेखे में सरकारी अंशदान सहित जमा राशि एवं उस पर ब्याज तथा +[विशेष अंशदान यदि स्वीकार्य हो] जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वतन्त्र निकाय में उसके स्थानान्तरण के समय विद्यमान हो, उसके अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने पर उसे भुगतान योग्य होगा।

(ग) उपर्युक्त (क) एवं (ख) के अधीन भुगतान योग्य राशि पर भी उसके सेवा में स्थानान्तरण की तारीख से ऐसे समय तक वह भुगतान योग्य हो जाए, 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर साधारण ब्याज दिया जाएगा।

+[वित्त विभाग के आदेश सं.एफ1(48) वित्त वि (व्यय-नियम)68 दि. 27-11-69 द्वारा निविष्ट

(ii) अवकाश—अपनी सेवा के स्थानान्तरण की तारीख को सरकारी कर्मचारी के लेखे में जमा उपार्जित अवकाश उसके द्वारा स्वतन्त्र निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के निगम की सेवा के अधीन रहते हुए भी लिया जा सकता है। जब इस प्रकार के अवकाश के लिए आवेदन किया जाए तथा वह नए नियोजक के नियमों के अन्तर्गत स्वीकार्य हो तो सरकार की ओर से कोई अवकाश वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा। फिर भी, जब कभी इस प्रकार के अवकाश के लिए किसी ऐसे विशिष्ट अवसर पर आवेदन किया जाए जो नये नियोजक के अधीन देय अवकाश से ज्यादा हो तथा ऐसा अधिक अवकाश सरकारी सेवा से स्थानान्तरण के समय देय अवकाश मे जमा करने हेतु स्वीकृत किया गया हो तो सरकार स्वतन्त्र निकाय/निगम को इस प्रकार उपभोग किये गये अधिक अवकाश के सम्बन्ध मे अवकाश वेतन की राशि का भुगतान, स्वतन्त्र निकाय/निगम में उसके स्थानान्तरण की तारीख को विद्यमान राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार करेगी।

5. इन हकों के लिए क्लेम अधिकार के रूप मे नहीं किया जा सकता है लेकिन इन्हें व्यक्तिगत मामलो में सरकार द्वारा वहां स्वीकृत किया जा सकता है जहां वे लाभदायक हों। वैयक्तिक मामले वित्त विभाग के परामर्श से सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग द्वारा संव्यवहृत किए जाएंगे।

6. पूर्वोक्त पैरों मे अन्तर्विष्ट निर्णय केवल वहीं लागू होंगे जहां स्वतन्त्र निकाय/या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में सरकारी कर्मचारी की सेवा स्थायी रूप से स्थानान्तरित की गई है तथा वे गैर सरकारी संस्था या सरकारी क्षेत्र के निगम में स्थानान्तरण के मामलों पर लागू नहीं होंगे।

(वित्त विभाग के ज्ञाप सं एफ 1(48) वित्त वि (व्यय-नियम)68 दि. 10-4-69 द्वारा निविष्ट)

भाग ६

अध्याय १५ सेवा के अभिलेखे (Records of Service)

नियम 159. राजपत्रित राज्य कर्मचारियों की सेवा का अभिलेख--एक राजपत्रित राज्य कर्मचारी की सेवाओं का अभिलेख महालेखाकार द्वारा रखा जाएगा।

नियम 160. अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों की सेवा का अभिलेख--निम्नलिखित अपवादों को छोड़कर प्रत्येक अराजपत्रित कर्मचारी की, जो कि स्थाई स्थापन में स्थाई पद को धारण किए हुए हो या एक पद पर कार्यवाहक रूप में कार्य कर रहा हो या एक अस्थाई पद पर कार्य कर रहा हो, एक सेवा पुस्तिका (सर्विस बुक) ऐसे फार्म में तैयार की जानी चाहिए जो कि भारत के नियन्त्रक (कम्पट्रोलर) एवं महाधिवक्ता द्वारा तय किया जावे।

[क] वे राज्य कर्मचारी जिनकी सेवा का विवरण हिस्ट्री आफ सर्विस में या महालेखाकार द्वारा रखे गए रजिस्टर में किया जाता है।

[ख] पदों पर कार्यवाहक रूप में या अस्थाई पदों पर कार्य करने वाले राज्य कर्मचारी जो कि थोड़े समय के लिए शुद्ध अस्थाई या कार्यवाहक स्थानों पर नियुक्त किए गए हैं तथा जो स्थाई नियुक्ति के योग्य नहीं हैं।

[ग] पुलिस मेन जिसका पद एक हैड कॉस्टेबिल के पद से उच्च न हो।

[घ] चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी।

टिप्पणी—सभी मामलों में जिनमें कि नियम 160 के अन्तर्गत सर्विस बुक रखना जरूरी है, ऐसी पुस्तिका एक राज्य कर्मचारी के लिए उस तारीख से तैयार की जावेगी जिसको उसकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति प्रारम्भ होती है। यह उस कार्यालय के अध्यक्ष की सुरक्षा में रखी जानी चाहिए जहाँ पर कि वह सेवा करता है तथा उसे उसके स्थानान्तरण के साथ साथ हस्तान्तरित कर देना चाहिए।

निर्णय—राजस्थान सेवा नियमों के नियम 160 की टिप्पणी के संशोधित प्रथम अवतरण की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। इस संशोधित टिप्पणी में दिया हुआ है कि सभी मामलों में, जिनमे कि नियम 60 के अन्तर्गत सेवा पुस्तिका रखना जरूरी है, वहां हर राज्य कर्मचारी के लिए एक सेवा पुस्तिका उसी तारीख से तैयार की जावेगी जिसको उसकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति प्रारम्भ होती है। यह उसी कार्यालय के अध्यक्ष के नियन्त्रण में रखी जानी चाहिए वहां पर कि वह सेवा कर रहा है। तथा उसके साथ एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानान्तरित कर दिया जाना चाहिए। जबसे उपरोक्त संशोधन हुआ है, कुछ निम्नलिखित प्रश्न उठाए गए हैं—

(1) क्या यह वांछनीय है कि सर्विस बुक की कीमत अब राज्य सरकार द्वारा सहन की जावेगी।

(2) क्या सेवा पुस्तिका राज्य कर्मचारी को, उसके त्याग पत्र देने पर या बिना गलती के उसे हटाये जाने पर, लौटादी जावेगी (यदि नहीं लौटाई जावेगी) तो क्या सेवा पुस्तिका को सेवा निवृत्ति के बाद राज्य कर्मचारी को लौटाई जा सकती है, यदि वह इसके लिए माग करता हो।

पुराने नियम के साथ परिवर्तित किए हुए नियम की तुलना से स्पष्ट है कि इसमें से 'सेवा पुस्तिका' को राज्य कर्मचारी द्वारा कीमत देने पर दिया जावेगा, इस सम्बन्ध का प्रसंग हटा दिया गया है तथा उसमें राज्य कर्मचारी को, अपने पद से त्याग पत्र देने तथा सेवा से हटाने पर, सेवा पुस्तिका लौटाने का भी कहीं वर्णन नहीं किया हुआ है। केवल वर्णन यह किया हुआ है कि अब से आगे सेवा पुस्तिका का व्यय सरकार द्वारा सहन किया जावेगा तथा यह राज्य कर्मचारी को उसके त्यागपत्र देने, हटाने या सेवा निवृत्त होने पर नहीं लौटाई जावेगी चाहे उन्होंने पहिले सेवा पुस्तिका की कीमत क्यों न चुकाई हो।

+ निर्णय संख्या 2—यह देखा गया है कि राज्य कर्मचारियों के वेतन निर्धारण (Pay fixation) एव पेन्शन के मामले, या तो राज्य कर्मचारियों के सर्विस रिकार्ड न होने से या उनका सर्विस रिकार्ड अधूरा होने के कारण, बहुत समय तक तय नहीं हो पाते हैं। इसलिए राज्य सरकार ने अब सेवा पुस्तिका (सर्विस बुक) की दूसरी प्रतिलिपि बनाने का निर्णय किया है जो कि राज्य कर्मचारी के पास रहेगी तथा उसका यह ध्यान रखने का कर्त्तव्य होगा कि विभाग

+ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ 1 (12) वित्त (व्यय-नियम) 65 दिनांक 9-3-65 द्वारा शामिल किया गया।

में तैयार की गई सेवा पुस्तिका में जो इन्द्राज किये जाते हैं वे इन्द्राज समय समय पर उसकी सेवा पुस्तिका में भी करा लिए जावें तथा उन्हें कार्यालय के अध्यक्ष/या विभागाध्यक्ष से प्रमाणित करा लिया जावे।

राज्य कर्मचारियों को जो अलग सेवा पुस्तिका मिलेगी उसका फार्म निर्धारित कर दिया गया है जो कि उचित समय मे राजकीय मुद्रणालय से उपलब्ध हो सकेगा। इतने समय में सेवा पुस्तिका के वर्तमान इन्द्राजों की, वर्तमान मे चालू सेवा पुस्तिका में नकल की जा सकती है।

जो सेवा पुस्तिका विभाग मे तैयार की जावेगी वही प्रमाणिक प्रमाण होगी लेकिन सेवा पुस्तिका के न मिलने पर या मूल सेवा पुस्तिका किन्ही स्पष्ट एवं आवश्यक कारणों से अधूरी हो तो वेतन निर्धारण तथा पेन्शन तय करने के मामलों में सेवा पुस्तिका को दूसरी प्रति, जो कि राज्य कर्मचारी के पास रहेगी, की सहायता ली जा सकती है बशर्ते कि उसमें सारे इन्द्राज सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षरों के साथ प्रमाणित किए गए हों। जहां वेतन निर्धारण एवं पेन्शन के मामलो को तय करने के उद्देश्य से सेवा पुस्तिका की दूसरी प्रति तैयार करनी हों, वहां सम्बन्धित राज्य कर्मचारी से इस बात का प्रतिज्ञा पत्र अवश्य लिखवा लेना चाहिए कि राज्य कर्मचारी वेतन एवं भत्तों की उस अधिक प्राप्त की गई राशि को लौटाएगा जो कि (सेवा पुस्तिका की) दूसरी प्रति में इन्द्राजो के आधार पर वेतन निर्धारण या पेन्शन स्वीकृत करने मे पायी जावेगी।

+निर्णय संख्या 3-(उपर्युक्त राजस्थान सरकार के निर्णय संख्या 2 के रूप मे प्रयुक्त) वित्त विभाग के ज्ञाप दिनाक 9 3 65 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि सरकारी कर्मचारियों को उनके वेतन स्थिरीकरण एवं पेन्शन मामलों से निपटाने की सुविधा हेतु सेवा पुस्तिका की डुप्लीकेट कापी दी जाए। एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि क्या सेवा पुस्तिकाएं सरकारी कर्मचारी को निःशुल्क दी जाए या भुगतान करने पर ही दी जाए।

मामले की जांच कर ली गई है तथा यह निश्चय किया गया है कि सेवा पुस्तिका की डुप्लीकेट कापी प्रत्येक अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी को केवल 25 नए पैसे के भुगतान पर की जाएगी।

नियम 161. (i) सेवा पुस्तिका में इन्द्राज-(Entries in-Service Book)--(1) सेवा पुस्तिका में राज्य कर्मचारी के सेवा काल में प्रत्येक घटना का उल्लेख किया जाना चाहिए तथा प्रत्येक इन्द्राज कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा या यदि वह स्वयं कार्यालय का अध्यक्ष है तो उससे उच्च अधिकारी द्वारा प्रमाणित कराया जाना चाहिए। कार्यालय के अध्यक्ष को देखना चाहिए कि सभी इन्द्राज ठीक तरह से किये गए हैं तथा उनको अनुप्रमाणित (Attested) किया जा चुका है तथा पुस्तिका मे कोई खुरचन (erasure) या उपरिलेखन (over-writing) नहीं है। सभी शुद्धियां साफ तौर पर की जानी चाहिए तथा उचित रूप से प्रमाणित की जानी चाहिए।

+ वित्त विभाग की आज्ञा सं० एफ 1 (12) वित्त वि (व्यय-नियम) 65 दिनांक 25-3-66 द्वारा निविष्ट।

टिप्पणी—एक विभागाध्यक्ष अपने नियन्त्रण के अधिकारियों के सम्बन्ध में, इस अधिकार को एक उचित राजपत्रित अधिकारी के लिए सौंप सकता है।

(ii) नियुक्ति से निलम्बित किए जाने के प्रत्येक समय का तथा सेवा के प्रत्येक अन्य व्यवधान का सेवा पुस्तिका मे आर पार पृष्ठों पर इन्द्राज किया जाना चाहिए, जिसमें उसकी अवधि का पूर्ण विवरण दिया जाना चाहिए तथा उसको प्रमाणित करने वाले अधिकारी से प्रमाणित कराया जाना चाहिए। प्रमाणित करने वाले अधिकारी का यह देखना कर्त्तव्य है कि इन्द्राज ठीक प्रकार से किया गया है।

(iii) सेवा पुस्तिका में, जब तक विभागाध्यक्ष इस प्रकार का आदेश न दे, चरित्र सम्बन्धी व्यक्तिगत प्रमाण पत्रों का इन्द्राज नहीं किया जाना चाहिए, परन्तु यदि एक राज्य कर्मचारी एक निम्न अस्थाई पद पर अवनत कर दिया जाता है तो उसमें अवनत किए जाने के कारणों का संक्षेप मे वर्णन किया जाना चाहिए।

निर्देशन—जब कभी एक अस्थाई पद स्थाई कर दिया जाता है जिससे कि कर्मचारी की पद पर की गई सेवाऐं पेन्शन के योग्य हो जाती हैं, तो उसके लिए इस सम्बन्ध का इन्द्राज उसकी सेवा पुस्तिका में आडिट आफीसर से करा लेना चाहिए। चूंकि आडिट आफीसर केवल राजपत्रित अधिकारियों का ही सेवा इतिहास तैयार करता है इसलिए उनके मामले में उस कार्यालय द्वारा उचित कार्यवाही की जाएगी। अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में सेवा पुस्तिकाऐं तथा स्थापन वर्ग को विवरणिकाऐं (return) कार्यालयों के अध्यक्षों द्वारा तैयार की जाती हैं, इसलिए इस कार्यालय को उपरोक्त विज्ञप्ति में वर्णित प्रारम्भिक इन्द्राज, उनके द्वारा, आवश्यकीय रूप से किए जाने चाहिए।

निर्णय—एक प्रश्न उठाया गया है कि क्या एक राज्य कर्मचारी द्वारा राजकीय सेवा में प्रविष्ट होने के बाद प्राप्त की गई शिक्षा सम्बन्धी योग्यता को उसकी सेवा पुस्तिका में लिखा जाना चाहिये अथवा नहीं चाहे वर्तमान सेवा पुस्तिकाओं में इस प्रकार की योग्यताओं को लिखे जाने के लिए कोई स्थान नहीं दिया हो।

(2) सेवा पुस्तिका का प्रपत्र अभी भारत सरकार द्वारा परिवर्तित किया गया है तथा उसके पृष्ठ संख्या 1 पर राज्य कर्मचारी की शिक्षा सम्बन्धी योग्यताओं को लिखे जाने के लिए, जगह दी गई है, जहां ऐसा करना चाहा गया हो उसके द्वारा सेवा में प्रविष्ट होने के बाद में प्राप्त की गई शिक्षा सम्बन्धी योग्यता के सम्बन्ध में एक टिप्पणी दी जा सकती है। फिर भी, नया फार्म तब तक उपलब्ध नहीं हो सकेगा जब तक कि पुराना पड़ा हुआ स्टाक समाप्त न हो जाए। इसलिए यह निर्णय किया गया है कि इस बीच की अवधि मे राज्य कर्मचारी द्वारा प्राप्त की गई शिक्षा सम्बन्धी योग्यता जिसका कि उल्लेख सेवा पुस्तिका में किया जाना जरूरी है, उसे सेवा पुस्तिका मे टिप्पणी के रूप में लिखा जा सकता है।

+निर्णय संख्या 3—यह निर्णय किया गया है कि सेवा पुस्तिका/सेवा पंजी में जन्म की तारीख की प्रविष्टि अनिवार्य रूप से शब्दों एवं अंकों दोनों में की जानी चाहिए।

+ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ 1 (79) वित्त वि (व्यय-नियम) 69 दिनांक 20-3-70 द्वारा निविष्ट।

+ 162.—सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी द्वारा सेवा पुस्तिका की जांच—यह प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष का कर्तव्य होगा कि वह अपने प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन सरकारी कर्मचारियों को हर वर्ष सेवा पुस्तिकाएं दिखाएं तथा उन पर उनके हस्ताक्षर इस बात की साक्षी में कराएं कि उन्होंने सेवा पुस्तिकाएं देखली हैं। इस सम्बन्ध का एक प्रमाण पत्र कि पूर्व वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में उसने उक्त प्रकार से कार्य कर दिया है, हर वर्ष सितम्बर के अन्त तक अपने वरिष्ठ अधिकारी को प्रस्तुत करना चाहिए। सरकारी कर्मचारी अन्य बातों के साथ साथ अपने हस्ताक्षर करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि उनकी सेवाएं उचित प्रकार से सत्यापित की गई हैं तथा उक्त रूप में प्रमाणित कर दी गई हैं। सरकारी कर्मचारी यदि राज्येतर सेवा (फोरेन सेवा) में हो तो सेवा पुस्तिका में उसके हस्ताक्षर उसी समय कराए जाएंगे जब कि राज्येतर सेवा के सम्बन्ध में जो अंकेक्षा अधिकारी द्वारा आवश्यक इन्द्राज उसमें कर दिए गए हों।

निर्देशन—सेवा निवृत्त हो जाने के बाद राज्य कर्मचारियों के पेन्शन के दावे निश्चित करने मे देर होने के बड़े कारणों में से एक कारण यह है कि उनका सेवा अभिलेख अधूरा रहता है। (सेवा अभिलेख) के आधार पर वरिष्ठता आदि के प्रश्न पर भी विचार करना होता है। इसलिए यह देखा जाना स्वयं सरकार के हित में होगा कि उनकी सेवा पुस्तिकायें आदि ठीक प्रकार से तैयार कर दी जावे तथा उन्हें अन्तिम तारीख तक तैयार रखा जावे। उन्हें समय समय पर उस कार्यालय से जिसमे कि उसका सेवा अभिलेख तैयार किया गया है, यह भी जांच करनी चाहिए कि सेवा पुस्तिका आदि में कर्मचारी के सरकारी जीवन सम्बन्धी प्रत्येक घटना का उल्लेख कर दिया गया है तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सेवा अभिलेख तैयार किया जा चुका है तथा वह आखिरी तारीख तक का है।

निर्णय—राजस्थान सेवा नियमो के नियम 160 में यह दिया हुआ है कि निर्धारित फार्म मे एक सेवा पुस्तिका ऐसे प्रत्येक अराजपत्रित राज्य कर्मचारी के लिए तैयार की जानी चाहिए जो कि एक स्थाई स्थापन पर स्थाई पद को धारण किए हुए हो या एक पद पर कार्यवाहक रूप में कार्य कर रहा हो या अस्थाई पद पर कार्य कर रहा हो। इसमे चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी एवं नियम मे वर्णित श्रेणी के कर्मचारियों के लिए सेवा पुस्तिका तैयार नहीं की जावेगी। राजस्थान सेवा नियमों के नियम 161 के अनुसार, सरकारी जीवन की प्रत्येक घटना का सेवा पुस्तिका मे उल्लेख किया जाना चाहिए तथा प्रत्येक इन्द्राज का प्रमाणीकरण कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा किया जाना चाहिए या यदि वह स्वय कार्यालय का अध्यक्ष हो तो अपने निकटतम उच्च अधिकारी से प्रमाणित किया जाना चाहिए। कार्यालय के अध्यक्ष के लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि सेवा पुस्तिका मे सभी इन्द्राज ठीक प्रकार से किए गए हैं तथा उन्हे प्रमाणित कर दिया गया है। इस प्राथमिक आवश्यक कर्तव्य का पालन न किए जाने से राज्य कर्मचारी के सेवा निवृत्त हो जाने के बाद कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं तथा यह पाया जाता है कि पेन्शन के मामलों में देर होने के उत्तरदायित्व मे एक सबसे बड़ा मूल तथ्य यह है कि सेवा अभिलेख अपूर्ण होते हैं। नियम 162 प्रत्येक सम्बन्धित राज्य कर्मचारी के लिए यह देखने का कर्तव्य बतलाता है कि उनकी अपनी सेवा पुस्तिका नियम 161 में निर्धारित किए गए अनुसार उचित रूप से तैयार

+ वित्त वि की अधिसूचना संख्या एफ 1 (34) वित्त वि (नियम) 68-दिनांक 17-7-68 द्वारा प्रतिस्थापित।

करली गई है ताकि पेन्शन के लिए सेवा के सत्यापन करने में कोई विलम्ब न पड़े। विज्ञप्ति संख्या एफ० 21 (2) वित्त II/53 दिनांक 19-2-53 में वित्त विभाग ने सभी राज्य कर्मचारियों को समय समय पर यह जाँच करने की सलाह दी थी कि उनका सेवा अभिलेख पूर्ण तैयार है तथा वह अन्तिम तारीख तक है। फिर भी सरकार के पास कई कारण ऐसे विश्वास करने योग्य हैं कि नियमों में स्पष्ट प्रावधान किए जाने के फलस्वरूप भी तथा उनके द्वारा निर्देशन जारी करने पर भी, नियमों की आवश्यकताओं का ठीक तरह पालन नहीं किया जा रहा है। इसलिए यह निर्णय किया गया है कि राजस्थान सेवा नियमों के नियम 162 की आवश्यकतायें आवश्यक रूप से पूर्ण की जानी चाहिए। सेवा का अभिलेख प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक तैयार किया जावेगा तथा 30 जून तक सम्बन्धित राज्य कर्मचारी को दिखलाया जावेगा। कार्यालय अध्यक्ष द्वारा सीधे सरकार के पास एक इस सम्बन्ध का अनुपालना प्रतिवेदन भेजा जाना चाहिए। यह प्रतिवेदन अगले माह 15 जुलाई तक पहुँच जाना चाहिए तथा एक प्रतिलिपि साथ ही अपने उच्च अधिकारी के पास भिजवाई जानी चाहिए। प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से वर्णन किया जाना चाहिए कि कार्यालय में काम कर रहे विभिन्न अधीनस्थ कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकायें साल के 31 मार्च तक की तैयार की गई हैं तथा प्रत्येक सम्बन्धित राज्य कर्मचारी द्वारा उनकी जाँच कर ली गई है। जिन राज्य कर्मचारियों ने अपनी सेवा पुस्तिकाओं की जाँच करली है उनके नामों तथा सेवा अभिलेख की पूर्णता के बारे में उनके द्वारा दिए गए विशेष विवरणों के सारांश का उल्लेख प्रतिवेदन (Report) में किया जाना चाहिए। जिन राज्य कर्मचारियों को किन्हीं कारणों से सेवा पुस्तिका नहीं दिखाई गई हो उनके नामों का उल्लेख अलग से एक विवरण के साथ किया जाना चाहिए कि उनको सेवा पुस्तिका किन कारणों से नहीं दिखाई गई।

(2) यदि इन आदेशों के अनुसार कार्य करने में कोई कठिनाई महसूस हो, तथा वह समस्या से पहिले न आती हो तो उसका शीघ्र स्पष्टीकरण करा लेना चाहिए।

नियम 163. ऑडिट ऑफिस द्वारा विदेशी सेवा में स्थानान्तरण पर इन्द्राज किया जाना—यदि एक राज्य कर्मचारी विदेशी सेवा में स्थानान्तरित कर दिया जाता है तो कार्यालय या विभाग के अध्यक्ष को उसकी सेवा पुस्तिका ऑडिट आफीसर के पास भेजनी चाहिए। ऑडिट आफीसर इसमें अपने हस्ताक्षरों से स्थानान्तरण स्वीकृत करने के आदेश का उल्लेख कर उसे लौटा देगा। वह इसमें विदेशी सेवा में प्राप्य अवकाश के सम्बन्ध में स्थानान्तरण के प्रभाव एवं अन्य ऐसी विशेष बातों का इन्द्राज करेगा जिन्हें वह आवश्यक समझे। राज्य कर्मचारी के सरकारी सेवा में वापिस कर दिए जाने पर उसकी सेवा पुस्तिका फिर से ऑडिट आफीसर के पास भिजवाई जानी चाहिए जो कि इसमें अपने हस्ताक्षरों के साथ उसकी विदेशी सेवा के सम्बन्ध में, जैसा वह आवश्यक समझे, विवरण लिखेगा। ऑडिट आफीसर के अतिरिक्त अन्य कोई भी अधिकारी विदेशी सेवा में बिताए गए समय के सम्बन्ध में इन्द्राज नहीं करेगा।

नियम 164. सेवा सूचियाँ (सर्विस रोल्स)—एक पुलिस मैन के मामले में जो कि एक हैड कांस्टेबिल के पद से उच्च न हो, हर एक पुलिस के जिला अधीक्षक (District Super-intendent of Police) द्वारा एक सर्विस रोल तैयार किया जाना चाहिए जिसमें कि प्रत्येक पुलिस कर्मचारी के सम्बन्ध में निम्नलिखित विशेष बातों का इन्द्राज किया जाना चाहिए जो कि स्थाई पद पर कार्य कर रहे हों एवं जो इस कान्स्टेबुलरी में पद पर कार्य वाहक रूप में कार्य कर रहे हों या अस्थाई

रूप से पद पर कार्य कर रहे हों, लेकिन जो किसी थोड़े समय के लिए शुद्ध अस्थाई रूप में या कार्यवाहक रूप में रिक्त स्थान पर नियुक्त न किया गया हो तथा जो स्थाई सेवा के लिये योग्य हो—

(क) उसके प्रवेश होने की तारीख

(ख) प्राम, आयु, ऊंचाई तथा पहिचाने जाने के चिन्ह

(ग) पद जिसे उसने समय समय पर धारण किया है, उसकी उन्नतियां, अवनतियां एवं अन्य दण्ड,

(घ) अवकाश सहित या अवकाश रहित सेवा से उसकी अनुपस्थिति ।

(ङ) उसकी सेवा में व्यवधान

(च) उसकी सेवा में अन्य कोई घटना ऐसी हुई हो जिसमें उसका कुछ हिस्सा समाप्त कर दिया गया हो या जिसका पेन्शन पर प्रभाव पड़ता हो ।

सूची (रोल) की जांच आदेश पुस्तिका, दण्ड रजिस्टर एवं अन्य सम्बन्धित अभिलेखों से की जानी चाहिए तथा इसमें प्रत्येक इन्द्राज पर जिला अधीक्षक के हस्ताक्षर होने चाहिए ।

नियम 164. (का) नियम 164 में वर्णन किए गए अनुसार सवित रोल ऐसे अन्य श्रेणी के प्रत्येक स्थाई, अस्थाई या कार्यवाहक अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों के लिये भी तैयार किया जावेगा जिसके लिए सेवा पुस्तिका की कोई आवश्यकता नहीं होती है ।

राजस्थान सरकार

सेवा पुस्तिका

1-नाम.......................

2-पद......................

3-विभाग....................

1-नाम ....

2-निवास स्थान

3-पिता का नाम

4-जन्म तिथि

5-पहिचान के निशान

6-प्रथम नियुक्ति की तिथि और विभाग का नाम

7-स्थाई होने की तारीख व पद, आज्ञा की संख्या व तारीख सहित

प्रमाणित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर हस्ताक्षर या निशान राज्य कर्मचारी

सेवाकाल का विवरण

1 नाम व पद

2 स्थाई या अस्थाई

3 नियुक्ति किये जाने की तारीख

4 नियुक्ति/पद समाप्ति की तारीख

5 समाप्ति का कारण जैसे स्थानान्तरण इत्यादि
6 वेतन एवं वेतन-मान (पे-स्केल)
7 स्थानापन्न वेतन व वेतन-मान
8 अन्य परिलब्धियां जो वेतन में शामिल हों जैसे विशिष्ट वेतन एवं व्यक्तिगत वेतन
9 अवकाश किस्म व अवधि और दर अवकाश वेतन
10 यदि निलम्बित हो तो, क्या वह निलम्बित काल सेवा में गिने जाने योग्य है या नहीं
11 सेवाकाल में अन्य बाधायें, यदि कोई हों
12 आज्ञा की संख्या एवं दिनांक
13 अधिकारी के हस्ताक्षर
14 विशेष विवरण

भाग 7

अध्याय 16-शक्तियों का प्रदत्तीकरण (Deligations)

नियम 165. अधीनस्थ अधिकारी जो सक्षम प्राधिकारी की शक्ति का उपभोग करते हैं-(क) परिशिष्ट 9 में राज्य सरकार के अधीनस्थ उन अधिकारियों की सूची दी गई है जो विभिन्न नियमों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी की शक्तियों का उपभोग करते हैं।

(ख) प्रसंग की सुविधा के लिए, ये मामले भी शक्तियों के प्रदत्तीकरण के रूप में परिशिष्ट में शामिल कर लिए गए हैं जिनमें कि वित्त विभाग ने नियम 3 के अन्तर्गत यह घोषित कर दिया है कि सरकार के एक विभाग द्वारा, उन नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के उपभोग करने की स्वीकृति में उनकी अनुमति दी हुई समझी जावेगी।

नियम 166. जिन अधिकारियों को शक्तियां सौंपी गई हैं उनके उपभोग करने में वित्त विभाग की अनुमति दी हुई मानी जावेगी—वित्त विभाग ने नियम 3 के अन्तर्गत घोषित किया है कि उन अधिकारियों द्वारा शक्तियों के उपभोग में उसकी सहमति प्राप्त की हुई समझी जावेगी जिनको कि परिशिष्ट 9 में वर्णित शक्तियां प्रदत्त की गई हैं।

नियम 167. प्रदत्त शक्तियों के उपभोग के नियमन सम्बन्धी सामान्य शर्तें—परिशिष्ट 9 में प्रदत्त शक्तियां निम्न शर्तों के साथ हैं—

(क) केवल उसके अतिरिक्त जहां सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अन्यथा सरकार से निर्देश करे, शक्ति का प्रयोग एक अधिकारी द्वारा किया जा सकता है जिसको कि वह शक्ति सौंपी गई है। यह शक्ति का उपयोग केवल उन्हीं राज्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में किया जा सकता है जो कि उस अधिकारी के प्रशासनिक नियन्त्रण में हैं।

(ख) परिशिष्ट के कालम सं० 3 में प्रत्येक प्रदत्त शक्ति के रूप का वर्णन किया गया है। शक्ति का प्रदत्तीकरण, बतलाई गई शक्ति तक ही सीमित है। उसका विस्तार कालम दो में वर्णित नियम द्वारा प्रदत्त शक्ति तक नहीं होगा।